जनवरी-मार्च, 2023 (संयुक्तांक)

I.S.S.N. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. राजीव मणि,
सचिव, विधायी विभाग

श्री अश्वनी,
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी,
विधायी विभाग, (विभागाध्यक्ष) वि.सा.प्र.

डा. अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. आर्येन्दु द्विवेदी,
प्राचार्य, मां वैष्णों देवी ला कालेज
फैजाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ, उ.प्र.

श्री कुलदीप चौहान,
चेयरमैन, एस.आर.सी. ला कालेज
129, सेक्टर-1, मंगल पाण्डेय नगर,
मेरठ, उ.प्र.

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक,
वि.सा.प्र.

श्री दयाल चन्द ग्रोवर,
सेवानिवृत्त उप-संपादक,
वि.सा.प्र.

श्री अविनाश शुक्ला,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक

श्री पुंडरीक शर्मा,
संपादक

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह, जसवन्त सिंह, जाहन्वी शेखर शर्मा और अमर्त्य हेम विप्र पाण्डेय

परामर्शदाता : सर्वश्री कमला कान्त, असलम खान और अविनाश शुक्ला

ISSN 2457-0486

कीमत : **डाक-व्यय सहित**

एक प्रति : ` 125/-

वार्षिक : ` 1,300/-

© 2023 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जनवरी-मार्च, 2023 (संयुक्तांक)

संपादक

पुडंरीक शर्मा

विधि साहित्य प्रकाशन

(2023) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on

Website ➡ **https://bharatkosh.gov.in/product/product**

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.

दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

क्या किसी अप्राप्तवय लड़की पर उसके बहनोई द्वारा गुरुतर प्रवेशनात्मक लैंगिक हमले के मामले में केवल इस प्रतिरक्षा के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा सकता है कि अभियोक्त्री ने लैंगिक हमले/बलात्संग के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए बालक और स्वयं का डीएनए परीक्षण कराने से इनकार कर दिया था । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए **स्वपन मोंडल** बनाम **राज्य** (2023) 1 दा. नि. प. 1 वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पीड़ित लड़की का साक्ष्य सतत् रूप से संगत बना रहा है और उसमें किसी प्रकार की कोई विसंगति या विरोधाभास नहीं पाया गया है इसलिए पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जिसकी पुष्टि उसके माता-पिता द्वारा की गई है, के आधार पर की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि सर्वथा उचित है और अभियोक्त्री द्वारा डीएनए परीक्षण कराने से इनकार किए जाने तथा घटना के समय और बालक के जन्म में नौ मास से अधिक समय का अंतराल होने के तर्क के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता तथा निचले न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

क्या हत्या के किसी मामले में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अचानक प्रकोपन की प्रतिरक्षा को स्वीकार करते हुए उससे संबंधित अपवाद का लाभ दिया जा सकता है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए **अलबिश बांदा** उर्फ **लाकरा** बनाम **असम राज्य** (2023) 1 दा. नि. प. 89 वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था और तभी अपीलार्थी ने मृतक के नाजुक अंग यानी गर्दन और करोटि पर दाव से क्षति पहुंचा कर उसकी हत्या की है, इस स्थिति में बच्चों द्वारा साधारण रूप से चिढ़ाने को गंभीर और अचानक प्रकोपन नहीं माना जा सकता, अतः अपीलार्थी को अचानक प्रकोपन के अपवाद का लाभ नहीं दिया जा सकता, इसलिए विचारण न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय न्यायोचित है ।

क्या हत्या के किसी मामले में, जिसमें अभियोजन पक्षकथन के माध्यम से अभियुक्त को एक अत्याचारी पति के रूप में प्रस्तुत किया गया

है, केवल इस आधार पर कि अभियुक्त व्यक्ति अपनी पत्नी अर्थात् मृतका और ससुराल के नातेदारों को प्राय: विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों और धार्मिक यात्राओं पर ले जाता था, दोषमुक्त किया जा सकता है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए **महेंद्र महतो** बनाम **झारखंड राज्य** (2023) 1 दा. नि. प. 115 वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि साक्षियों ने अभियुक्त को एक अत्याचारी पति के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसने मृतका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा और यह कि उसकी नजर अपनी पत्नी के नाम की उस बीमा पॉलिसी पर भी थी, जिसमें वह एकमात्र नामनिर्देशिती था, किन्तु अभियुक्त की ऐसी विषैली तस्वीर बाद में गढ़ी गई प्रतीत होती है क्योंकि इन साक्षियों ने यह भी बताया है कि अभियुक्त उन्हें प्रायः विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों और धार्मिक यात्राओं पर ले जाता था, यदि अभियुक्त ऐसा व्यक्ति था जैसाकि साक्षियों ने दर्शाया है और जो लगातार पैसे और भूमि की मांग करता था तो उसकी पत्नी और ससुराल वालों के साथ ऐसी यात्राओं का कोई औचित्य नहीं था, अभियुक्त ने मृतका के लिए एक स्कूटी और एक ऑटो-रिक्शा खरीदा था, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विवाह के इतने वर्षों के दौरान कहीं भी कोई शिकायत नहीं की गई जिससे अभियुक्त और मृतका के बीच चलने वाले विवाद की कहानी और भी निर्बल हो जाती है । अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है तथा निचले न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय अपास्त किए जाने का दायी है ।

इस अंक में, निर्णयों के हिन्दी पाठ और शीर्ष टिप्पण पाठकों के ज्ञान के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं । यह अंक विद्यार्थियों, विधि-वेत्ताओं, न्यायाधीशों और आम-जनता के लिए बहुत उपयोगी है । इस अंक में केन्द्रीय अधिनियम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

पुंडरीक शर्मा
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जनवरी-मार्च, 2023

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अलबिश बांदा **उर्फ** लाकरा **बनाम** असम राज्य	89
जमील अंसारी **बनाम** झारखंड राज्य	156
महाराष्ट्र राज्य **बनाम** भगवान पांडुरंग पाटिल	172
महेंद्र महतो **बनाम** झारखंड राज्य	115
शिवपंडी **बनाम** तमिलनाडु राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक	185
स्वपन मौंडल **बनाम** राज्य	1

संसद् के अधिनियम

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ 23 - 47

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य की विश्वसनीयता – अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा 7 वर्ष के बालक पर दाव से हमला किया जाना – मृतक के कई अंगों पर क्षति कारित होना – अप्राप्तवय बच्चों द्वारा अपीलार्थी को छेड़े जाने का अभिकथन किया जाना – प्रतिरक्षा में अपीलार्थी द्वारा अचानक प्रकोपन का अभिवाक् किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य से चिकित्सीय साक्ष्य की संपुष्टि होना – मृतक अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था और तभी अपीलार्थी ने मृतक के नाजुक अंग यानी गर्दन और करोटि पर दाव से क्षति पहुंचा कर उसकी हत्या की है, इस स्थिति में बच्चों द्वारा साधारण रूप से चिढ़ाने को गंभीर और अचानक प्रकोपन नहीं माना जा जा सकता, अतः अपीलार्थी को अचानक प्रकोपन के अपवाद का लाभ नहीं दिया जा सकता, इसलिए विचारण न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय न्यायोचित है ।

अलबिश बांदा उर्फ **लाकरा** बनाम **असम राज्य** 89

– धारा 302 और 201 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 118] – हत्या – अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या किया जाना और शव का छिपाया जाना – साक्षियों ने अपीलार्थी को एक अत्याचारी पति के रूप में पेश किया है, जिसने मृतका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा और यह कि उसकी नजर अपनी पत्नी के नाम की उस बीमा पॉलिसी पर भी थी, जिसमें वह एकमात्र नामनिर्देशिती था, अपीलार्थी

पृष्ठ संख्या

की ऐसी विषैली तस्वीर बाद में गढ़ी गई प्रतीत होती है क्योंकि इन साक्षियों ने यह भी बताया है कि अपीलार्थी उन्हें प्रायः विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों और धार्मिक यात्राओं पर ले जाता था, यदि अपीलार्थी ऐसा व्यक्ति था जैसाकि साक्षियों ने दर्शाया है और जो लगातार पैसे और भूमि की मांग करता था तो उसकी पत्नी और ससुराल वालों के साथ ऐसी यात्राओं का कोई औचित्य नहीं था, अपीलार्थी ने मृतका के लिए एक स्कूटी और एक ऑटो-रिक्शा खरीदा था, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विवाह के इतने वर्षों के दौरान कहीं भी कोई शिकायत नहीं की गई जिससे अपीलार्थी और मृतका के बीच चलने वाले विवाद की कहानी और भी निर्बल हो जाती है, एक साक्षी के अनुसार, मृतका के बीमा के कागजात अपीलार्थी के पास थे जिनमें नामनिर्देशिती के रूप में केवल उसके पिता का नाम है, अपीलार्थी का नहीं, जो अपीलार्थी के हेतु को और भी निर्बल बनाता है और इसके विपरीत इत्तिलाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के अन्यथा आचरण को उजागर करता है, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

महेंद्र महतो बनाम **झारखंड राज्य** 115

– धारा 302 और 201 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 118] – हत्या – बाल साक्षी का परिसाक्ष्य – घटना की तारीख से अपने नाना-नानी के घर पर रह रहा है और कम आयु का होने के कारण उसके सिखाये-पढ़ाये जाने की संभावना सदैव बनी रहेगी, सभी साक्षियों ने एक स्वर में उल्लेख किया है, उनके साक्ष्यों और बाल साक्षी के साक्ष्य में मुश्किल से

पृष्ठ संख्या

ही कोई अंतर है और इस कहानी के बनाने में भी इतनी एकरूपता, संदिग्ध प्रतीत होती है, अपीलार्थी के मोबाइल की सी.डी.आर. के अनुसार टावर लोकेशन निश्चित रूप से यह संकेत नहीं देती है कि अपीलार्थी ट्रेन से उतरा था और हत्या करने के बाद अपने नियत स्थान पर जाने के लिए परिवहन का कोई अन्य साधन लिया था, अपीलार्थी के मोबाइल की सी.डी.आर. एक अस्पष्ट तस्वीर पेश करती है और मोबाइल का तकनीकी मूल्यांकन अभियोजन पक्ष के मामले से मेल नहीं खाता है, अतः अपीलार्थी को हत्या के अपराध से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता और निचले न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता ।

महेंद्र महतो बनाम **झारखंड राज्य** 115

– धारा 302 और 304, भाग-II [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 14] – हत्या अथवा हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – ज्ञान और आशय – अभियुक्त और मृतक के बीच अचानक कहासुनी होना – अभियुक्त द्वारा बाज़ार से चाकू खरीदा जाना – चाकू बेचने वाले से चाकू की शनाख्त न कराना – पहले अपीलार्थी पर मृतक द्वारा लाठी से वार किया जाना – मृतक द्वारा अपीलार्थी की गर्दन दबाया जाना – आत्मरक्षा के लिए वार किया जाना – अपीलार्थी का आशय किसी को मारने का नहीं था और जब मृतक ने पीछे मुड़कर अपीलार्थी के शरीर पर दबाव बनाया तब अपीलार्थी की गर्दन पर भी दबाव बन रहा था और इस स्थिति में अपीलार्थी को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि दूसरा वार मृतक की मृत्यु का कारण बनेगा, वास्तव में, मृतक ने उस पर लाठी से हमला किया था और यह मृतक

पृष्ठ संख्या

ही था जिसने अपीलार्थी को हाथापाई के लिए ललकारा था और मृतक ही जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ा और इसके पश्चात् अपीलार्थी ने पीठ पर छुरा घोंपा, किन्तु यह क्षति मृत्यु का कारण नहीं थी, अपीलार्थी की गर्दन मृतक ने पकड़ रखी थी और अपीलार्थी को खुद को बचाना पड़ा और चाकू का वार भी इसलिए गहरा था कि अपीलार्थी के हाथ मृतक के शरीर के निकट थे, इस क्षति के कारित होने का एक मात्र कारण ये नहीं हो सकता कि अपीलार्थी द्वारा चाकू से वार किया गया है, इस स्थिति में अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन नहीं अपितु धारा 304, भाग-II के अधीन ही दोषसिद्ध किया जा सकता है ।

शिवपंडी बनाम **तमिलनाडु राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक** 185

– धारा 302 और 304ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख] – हत्या और दहेज-मृत्यु साक्ष्य की विश्वसनीयता – अभियुक्त/अपीलार्थी और उसके परिजनों द्वारा मृतका का गला घोंटकर हत्या किए जाने का आरोप – दहेज की मांग पूरी न किए जाने को लेकर पारिवारिक विवाद – दहेज मृत्यु की अवधारणा न्यायोचित – अभियोजन पक्ष का साक्ष्य निरंतर इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि विवाह के एक वर्ष बाद दहेज की मांग उठने लगी जो मृतक की गला घोंटकर हत्या किए जाने तक बनी रही और विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृतका की मृत्यु हुई है और सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त कारण से हुई है तथा मृतका के साथ क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु से ठीक पहले

पृष्ठ संख्या

हुआ है, अतः अपीलार्थी हत्या का नहीं अपितु दहेज-मृत्यु के अपराध का दोषी है ।

जमील अंसारी बनाम **झारखंड राज्य** 156

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49)

– धारा 7, 13(1)(घ) और धारा 13(2) [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अवैध रिश्वत – शिकायतकर्ता द्वारा सहकारी समिति का गठन किया जाना – लोक निर्माण विभाग के साथ संविदा – समिति द्वारा निर्माण कार्य का समापन किए जाने के बावजूद बिलों का भुगतान न किए जाने का अभिकथन – साक्षियों के कथन में विरोधाभास – अन्वेषण अधिकारी सटीक स्थान बताने में असमर्थ रहा है कि रिश्वत का धन मेज के कोने पर था या मेज के बाईं ओर या दाईं ओर था, साथ ही दो अन्य साक्षियों के साक्ष्य में भी विरोधाभास है और दोषमुक्त अपीलार्थी को निर्दोषिता की उपधारणा का लाभ भी प्राप्त है, अतः निचले न्यायालय के दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

महाराष्ट्र राज्य बनाम **भगवान पांडुरंग पाटिल** 172

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32)

– धारा 5, 29 और 30 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अभिकथित रूप से एक अप्राप्तवय लड़की पर गुरुतर प्रवेशनात्मक लैंगिक हमला किया जाना – पीड़ित लड़की द्वारा स्पष्ट रूप से

पृष्ठ संख्या

अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना तथा पीड़ित लड़की द्वारा अन्वेषण से विचारण की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सतत् रूप से अपने कथन पर अडिग रहना – अभियोजन पक्ष द्वारा भली-भांति रूप से यह स्थापित किया जाना कि घटना के समय पीड़ित लड़की अप्राप्तवय थी – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस प्रभाव की प्रतिरक्षा प्रस्तुत किया जाना कि अभियुक्त पीड़ित लड़की का बहनोई है और अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त ने लगभग 5 माह तक पीड़ित लड़की के साथ लैंगिक मैथुन किया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित लड़की द्वारा एक बालक को जन्म दिया गया – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह तर्क उठाया जाना कि घटना के समय और बालक के जन्म के बीच नौ से अधिक मास का अंतराल है तथा पीड़ित लड़की ने अपनी और अपने बालक की डीएनए प्रोफाइलिंग कराने से इनकार कर दिया था जिसके कारण उसके कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता – उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पीड़ित लड़की का साक्ष्य सतत् रूप से संगत बना रहा है और उसमें किसी प्रकार की कोई विसंगति या विरोधाभास नहीं पाया गया है इसलिए पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जिसकी पुष्टि उसके माता-पिता द्वारा की गई है, के आधार पर की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि सर्वथा उचित है और निचले न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

स्वपन मोंडल बनाम **राज्य** 1

स्वपन मोंडल

बनाम

राज्य

(2019 की दांडिक अपील सं. 15)

तारीख 29 जून, 2021

न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) – धारा 5, 29 और 30 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अभिकथित रूप से एक अप्राप्तवय लड़की पर गुरुतर प्रवेशनात्मक लैंगिक हमला किया जाना – पीड़ित लड़की द्वारा स्पष्ट रूप से अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना तथा पीड़ित लड़की द्वारा अन्वेषण से विचारण की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सतत् रूप से अपने कथन पर अडिग रहना – अभियोजन पक्ष द्वारा भली-भांति रूप से यह स्थापित किया जाना कि घटना के समय पीड़ित लड़की अप्राप्तवय थी – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस प्रभाव की प्रतिरक्षा प्रस्तुत किया जाना कि अभियुक्त पीड़ित लड़की का बहनोई है और अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त ने लगभग 5 माह तक पीड़ित लड़की के साथ लैंगिक मैथुन किया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित लड़की द्वारा एक बालक को जन्म दिया गया – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह तर्क उठाया जाना कि घटना के समय और बालक के जन्म के बीच नौ से अधिक मास का अंतराल है तथा पीड़ित लड़की ने अपनी और अपने बालक की डीएनए प्रोफाइलिंग कराने से इनकार कर दिया था जिसके कारण उसके कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता – उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पीड़ित लड़की का साक्ष्य सतत् रूप से संगत

बना रहा है और उसमें किसी प्रकार की कोई विसंगति या विरोधाभास नहीं पाया गया है इसलिए पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जिसकी पुष्टि उसके माता-पिता द्वारा की गई है, के आधार पर की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि सर्वथा उचित है और निचले न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 13 जनवरी, 2015 को पीड़िता/अभियोक्त्री ने किशोरी नगर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में ड्यूटी पर तैनात कार्मिक के समक्ष एक कथन प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ उसने यह कहा कि कथन किए जाने की तारीख को वह राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पश्चिम सागर में कक्षा 8 की छात्रा थी और उक्त विद्यालय कालीघाट पुलिस थाने की अधिकारिता के भीतर आता है । इसके अतिरिक्त, यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त अर्थात् स्वपन मोंडल, जो उसकी बड़ी बहन पूर्णिमा मोंडल का पति है, शिकायत दर्ज कराने की तारीख से लगभग पांच माह पूर्व उसके घर आया था और उसने उसे यह अनुरोध किया था कि चूंकि वह मछली पकड़ने समुद्र में जा रहा था इसलिए वह उसके घर में अपनी बड़ी बहन के साथ निवास करे । उक्त रात्रि के दौरान अभियोक्त्री ने अपनी बड़ी बहन के साथ निवास किया । देर रात्रि अभियुक्त स्वपन मोंडल अत्यधिक नशे में धुत घर लौटा तथा उसने बलपूर्वक उसके साथ बलात्संग किया । उसकी बड़ी बहन ने अपने पति के इस कृत्य का विरोध किया किन्तु अपराधी ने उस पर हमला किया और उसने दोनों बहनों को यह चेतावनी दी कि उन्हें इसका बुरा परिणाम भोगना होगा । उक्त घटना के पश्चात् ऊपर नामित अपराधी ने उसे दूष्परिणामों की धमकी देते हुए अनेक बार अभियोक्त्री पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया । जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री गर्भवती हो गई । तारीख 13 जनवरी, 2015 को अभियोक्त्री अपने बड़े जीजा कौशिक सरकार के साथ किशोरी नगर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में चिकित्सा जांच हेतु गई थी । डाक्टर ने उसका निदान किया और उसे यह सूचित किया कि अभियोक्त्री गर्भवती थी और उसके गर्भ में पांच माह का बालक था । पूछे जाने पर अभियोक्त्री ने उपरोक्त घटना को

अपनी माता के समक्ष प्रकट किया । अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए उक्त कथन के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(i)/506 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के अधीन तारीख 30 जनवरी, 2015 को कालीघाट पुलिस थाना के मामला सं. 5 को रजिस्टर किया । ऊपर संख्यांकित पुलिस थाना मामले का अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी स्वपन मोंडल के विरुद्ध एक आरोप पत्र फाइल किया गया । चूंकि यह मामला अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए उक्त मामले को विचारण हेतु पोर्टब्लेयर स्थित विद्वान् विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुपुर्द किया गया । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ञ)(ii)(ठ)(ढ)/6 के अधीन आरोप विरचित किए । जब अभियुक्त को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया गया तथा उसके संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया तो उसने अपने दोषी न होने का अभिवाक् किया । अतः, इस प्रकार मामले का विचारण प्रारंभ हुआ । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्त स्वपन मोंडल को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ठ) के अधीन अपराध करने का दोषी पाया । तद्नुसार, अभियुक्त स्वपन मोंडल को दोषसिद्ध ठहराते हुए उसे तद्नुसार दंडादिष्ट किया गया । विद्वान् विचारण न्यायाधीश के उपरोक्त निर्णय तथा दोषसिद्धि के आदेश को वर्तमान अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों और तर्कों को सुनने के पश्चात् दोनों न्यायाधीशों ने अपने भिन्न-भिन्न निर्णय के माध्यम से अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – सर्वप्रथम न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष अपराध के आधारिक तथ्यों को सभी सुसंगत संदेहों से परे साबित करे और केवल ऐसा करने के पश्चात् ही धारा 29 के अधीन उपधारणा उपलब्ध हो सकेगी । वर्तमान मामले में प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान् काउंसेल ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि पीड़ित लड़की और उसकी माता द्वारा प्रस्तुत

कथनों में अनेक विसंगतियां विद्यमान हैं, हालांकि पीड़ित लड़की ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने अनेक अवसरों पर उसके साथ लैंगिक मैथुन किया था, किन्तु उसकी माता ने यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि वर्तमान घटना लैंगिक मैथुन का केवल इकलौता मामला है । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने यह आरोप लगाया है कि पीड़ित लड़की ने अभिकथित रूप से उसकी बड़ी बहन के पति द्वारा उस पर किए गए गुरुतर लैंगिक हमले के परिणामस्वरूप एक बालक को जन्म दिया है और इस तथ्य को सुगमता से बालक और उसकी बड़ी बहन के पति के डीएनए प्रोफाइल परीक्षण के माध्यम से साबित किया जा सकता है । तथापि, याची ने स्वयं और अपने बालक का डीएनए परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है । इस प्रकार इनकार किए जाने से यह सुझाव प्राप्त होता है कि अपीलार्थी पीड़ित लड़की पर गुरुतर लैंगिक हमला करने के लिए उत्तरदायी नहीं है जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है । उच्च न्यायालय के मतानुसार यह मामला किसी बालक के पितृत्व को स्थापित करने का मामला नहीं है । वस्तुत: यह एक ऐसा मामला है, जहां वास्तविक शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि उसकी अप्राप्तवय पुत्री पर उसकी बड़ी पुत्री के पति द्वारा लैंगिक हमला किया गया था । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पीड़ित लड़की की बड़ी बहन मामले के विचारण के दौरान किसी प्रकार का कोई अभिसाक्ष्य देने के लिए आगे नहीं आई है । पीड़ित लड़की ने अपना और अपने बालक का डीएनए परीक्षण कराने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि वह अपनी बड़ी बहन के पारिवारिक संबंधों को नष्ट नहीं करना चाहती । यह कोई असामान्य तथ्य नहीं है कि अप्राप्तवय लड़कियों पर परिवार के भीतर निकट नातेदारों द्वारा लैंगिक हमला करने, अभद्र/अशोभनीय प्रस्तावों से संबंधित अनेक घटनाएं और आवंटित रूप से उनकी लज्जा भंग करने के अनेक मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं ताकि परिवार के भीतर अपराधियों के संभाव्य अपमान की संभावना को समाप्त किया जा सके । वर्तमान मामले में पीड़ित लड़की स्पष्ट रूप से अपनी बड़ी बहन के पारिवारिक संबंधों को नष्ट नहीं करना चाहती । अत:, उसने अपने बालक का डीएनए परीक्षण कराने से इनकार किया है । उल्लेखनीय है

कि उक्त परीक्षण अभियुक्त के विरुद्ध एक अकाट्य साक्ष्य सिद्ध हो सकता था । इस प्रक्रम पर इस प्रश्न का न्यायनिर्णयन आवश्यक हो जाता है कि क्या अभियोजन के पक्षकथन को केवल इस आधार पर पूर्णरुपेण नकार देना चाहिए कि पीड़ित लड़की ने डीएनए परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है । पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किए जाने पर उच्च न्यायालय को उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से संगत प्रतीत होता है । चिकित्सा परीक्षा के समय, पीड़ित लड़की को पांच माह का गर्भ था । पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सभी सारवान् विशिष्टियों में उसके द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए कथन की पुष्टि करता है, जिसके आधार पर याची के विरुद्ध मामला आरंभ किया गया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में पीड़ित लड़की ने अभियुक्त को आपराधिक घटना में संलिप्त करते हुए उसी घटना को ब्यौरेवार वर्णित किया है । पीड़ित लड़की ने सफलतापूर्वक प्रतिरक्षा द्वारा की गई कड़ी प्रतिपरीक्षा की परीक्षा को भी उतीर्ण किया है । उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पुष्टि उसके माता-पिता द्वारा भी की गई है । पीड़ित लड़की के माता-पिता को यह तथ्य ज्ञात है कि यदि अभियुक्त को अपनी साली अर्थात् उनकी पुत्री पर गुरुतर लैंगिक हमला करने के अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे कारावास से दंडादिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार उनकी बड़ी पुत्री का पारिवारिक जीवन संकट में आ जाएगा । उक्त तथ्य के बावजूद उन्होंने पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य का समर्थन किया है । मामले की इस प्रकार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का दृढ़ मत यह है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्ध के निर्णय और दंडादेश को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता कि पीड़िता ने अपने बालक का डीएनए परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा इस मुद्दे पर निर्दिष्ट विसंगतियां कि क्या पीड़िता पर केवल एक बार लैंगिक हमला किया गया था अथवा अनेक बार, कोई महत्वपूर्ण या सारवान् विसंगतियां नहीं हैं और विद्वान् विचारण न्यायालय ने उपरोक्त विसंगतियों की अनदेखी

करके कोई त्रुटि नहीं की है । उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं हुआ । तद्नुसार, वर्तमान अपील असफल होती है तथा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की पुष्टि की गई । (32, 33, 34, 48, 49, 50 और 50.1)

इसके पश्चात् न्यायमूर्ति श्री सोमेन सेन ने न्यायमूर्ति श्री बिबेक चौधरी द्वारा उद्घोषित निर्णय का समर्थन करते हुए उसमें कतिपय परिवृद्धियां करने की वांछा व्यक्त की और यह संप्रेक्षण किया कि अभिकथित घटना के समय पीड़ित लड़की की आयु लगभग 15 वर्ष थी । संक्षेप में तारीख 30 जनवरी, 2015 को फाइल की गई शिकायत इस प्रकार थी कि पांच माह पूर्व, एक दिन पीड़ित लड़की के जीजा (अभियुक्त/अपीलार्थी) ने पीड़ित लड़की से यह अनुरोध किया कि चूंकि वह मछली पकड़ने हेतु जा रहा था और पीड़ित लड़की की बहन घर पर अकेली थी इसलिए वह रात भर के लिए उसके घर में निवास करे । यह आरोप लगाया गया था कि उस दिन अभियुक्त मदिरा के नशे में चूर घर लौटा और उसने पीड़ित लड़की के साथ बलपूर्वक 'गलत कार्य' किया । इसके अतिरिक्त, यह भी आरोप लगाया गया था कि पीड़ित लड़की की बहन ने उसका विरोध किया तो अभियुक्त ने अपनी पत्नी पर हमला किया और उसने उन दोनों बहनों को यह धमकी दी कि यदि पीड़ित लड़की ने इस घटना को किसी अन्य व्यक्ति या अपने माता-पिता के समक्ष प्रकट किया तो वह उन दोनों को जान से मार देगा । शिकायत में यह भी कथन किया गया था कि कुछ समय पश्चात् जब पीड़ित लड़की को ज्वर हुआ तो वह अपनी माता और बड़े जीजा के साथ उपचार हेतु किशोरी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गई । उक्त चिकित्सा केन्द्र में उसे यह बताया गया कि उसे पांच माह का गर्भ था, जो कि अभिकथित रूप से अभियुक्त द्वारा उसके साथ किए गए 'गलत कार्य', जिसे अनेक बार दोहराया गया था, के परिणामस्वरूप हुआ था । पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत किए गए उक्त कथन के आधार पर पुलिस ने तारीख 30 जनवरी, 2015 को कालीघाट पुलिस थाने में वर्ष 2015 का अपराध मामला सं. 5 को रजिस्टर किया और एक आरोप पत्र फाइल किया ।

तारीख 14 अप्रैल, 2015 को फाइल किए गए वर्ष 2015 के आरोप पत्र सं. 9 में यह कथन किया गया है कि पीड़ित लड़की के फर्दबयान के अनुसार पीड़ित लड़की के साथ शिकायत की तारीख से 5 माह पूर्व लैंगिक मैथुन किया गया था और इस आरोप के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 और 6 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 376(2)(1)/506 के अधीन आरोप विरचित किए गए । उसके पश्चात् पीड़ित लड़की को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध करने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तारीख 6 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत किया गया । उक्त कथन में, पीड़ित लड़की ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसकी बड़ी बहन को यह तथ्य ज्ञात था कि उसे अभियुक्त से प्रेम था । उसने यह भी कहा कि अभियुक्त ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कहा कि उसके अभियुक्त के साथ काफी लंबे समय, अर्थात् एक वर्ष से शारीरिक संबंध हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसने गर्भ धारण किया । उसने यह भी कथन किया कि उसका जीजा निर्दोष था और उसने अपनी बहन को यह बताया था कि वह अपने गर्भ को समाप्त करने की वांछा रखती थी । अंततः, उसने यह कहा कि पुलिस के डर के कारण उसने यह आरोप लगाया है कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्संग किया था और उसने उपरोक्त प्रभाव की कोई भी बात अपने पिता और माता के समक्ष प्रकट नहीं की है । विचारण के दौरान, पीड़ित लड़की (अभि. सा. 2) ने अन्य बातों के साथ, यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि अभियुक्त व्यक्ति ने उसके साथ बलात्संग किया था, किन्तु उसके तुरंत पश्चात् उसने यह भी कथन किया कि उसे बलात्संग किए जाने की तारीख का स्मरण नहीं था । उसने न्यायालय में अभियुक्त की शनाख्त की है । उसने यह भी कथन किया कि चूंकि अभियुक्त ने उसे धमकी दी थी कि इसलिए उसने डर के कारण उसके विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी । पीड़ित लड़की ने यह भी कथन किया कि घटना के पांच माह पश्चात्, जब उसे ज्वर आया था तो उसकी माता और दादी उसे किशोरी नगर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले गए थे जहां डाक्टर ने उसे बताया कि उसे पांच माह का गर्भ था । पीड़ित लड़की ने यह भी कथन किया है कि अपनी माता द्वारा पूछे जाने पर उसने उसे घटना के संबंध में पूर्ण जानकारी दी थी । उसने

यह भी कथन किया है कि उसकी जांच करने वाले डाक्टर ने पुलिस को इस संबंध में सूचित किया था, जिसके पश्चात् पुलिस ने उससे पूछताछ की तथा उसके कथन को लेखबद्ध किया और उसके पश्चात् उसकी चिकित्सा परीक्षा कराई गई । उसने यह भी कथन किया है कि उसके जीजा ने अनेक बार उसके साथ बलात्संग किया था, यद्यपि, उसे उसके साथ किए जाने वाले बलात्संग की तारीखों का स्मरण नहीं था और उसने यह भी कथन किया है कि पहली बार बलात्संग के समय उसकी बड़ी बहन कक्ष के बाहर बैठी थी । प्रतिपरीक्षा के दौरान पीड़ित लड़की ने यह कथन किया कि उसे उस तारीख का स्मरण नहीं था, जिसको वह अपने जीजा के घर गई थी या उसे उस तारीख का भी स्मरण नहीं था जिसको वह वापस अपने पिता के घर आई थी । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शित करता है कि पीड़ित लड़की ने संपूर्ण विचारण के दौरान यही प्रतिवाद किया है कि उसके बालक का जन्म उसके जीजा द्वारा उसके साथ किए गए लैंगिक मैथुन के कारण हुआ है । पीड़ित लड़की की माता (अभि. सा. 1) ने भी उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अपने दामाद को अपनी पुत्री के गर्भ के लिए उत्तरदायी ठहराया है । तथापि, जैसा कि पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उसके द्वारा अपने जीजा के विरुद्ध लगाए आरोप सदैव संगत नहीं थे । उक्त आरोप बलपूर्वक गुस्तर प्रवेशन लैंगिक हमले से आरंभ होकर विवाह के वचन पर विश्वास करते हुए सहमति पूर्वक हुए मैथुन में परिवर्तित हो गया । पीड़ित लड़की ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में यह कहा है कि उसके द्वारा पूर्व में उसके जीजा के विरुद्ध लगाया गया बलात्संग का आरोप दबाव के अधीन लगाया गया था । उसने डर के कारण घटना के तुरंत पश्चात् इस प्रकार सहमतिपूर्ण मैथुन के संबंध में किसी को नहीं बताया था । पीड़ित लड़की की बहन (अभि. सा. 4) विचारण के दौरान पक्षद्रोही हो गई थी और उसने इस प्रभाव का अभिसाक्ष्य दिया कि वह आरोपित घटना से संबंधित किसी भी घटना के प्रति सचेत नहीं है या उसके पास उसके संबंध में कोई जानकारी मौजूद नहीं है । अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान पीड़ित लड़की की बहन ने इस तथ्य से इनकार किया कि उसके पति, अर्थात् अभियुक्त द्वारा उसे धमकी दी जा रही है और उसने यह कथन किया कि वह इस संबंध में कोई टिप्पणी

प्रस्तुत नहीं कर सकती कि क्या पीड़ित लड़की अभियुक्त के साथ लैंगिक मैथुन के परिणामस्वरूप गर्भवती हुई थी अथवा नहीं । पीड़ित लड़की के पिता ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि पीड़ित लड़की प्राय: उसके दामाद के घर जाती थी । उसे डाक्टर की रिपोर्ट से यह तथ्य ज्ञात हुआ कि उसकी छोटी पुत्री गर्भवती हो गई थी और उसके गर्भ के लिए उसका दामाद उत्तरदायी था । अभियोजन के पक्षकथन का मुख्य सार पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 के संदर्भ में साक्ष्य के सटीक मूल्यांकन पर अवलंबित है । यह दलील प्रस्तुत की गई है कि उनकी समुचित संरचना के अनुसार उक्त उपबंधों से यह अभिप्रेत होता है कि वर्तमान मामले में उक्त उपबंधों में अनुबंधित साबित करने का प्रतिलोम भार का अभियुक्त द्वारा निर्वहन किया गया है । अत:, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि निचले न्यायालय ने यह उपधारणा बनाकर तथा अभिनिर्धारित करके कोई त्रुटि नहीं की थी कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित अपराधों के संबध में सुसंगत आपराधिक कार्य और अपराध करने की मानसिकता की उपस्थिति को पीड़ित लड़की के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन, जिसे कोई चुनौती नहीं दी गई है, के आधार पर साबित किया गया है और अत:, अभियुक्त को धारा 5 में उल्लिखित अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया था । कोई कानून, जो किसी अभियुक्त व्यक्ति के आपराधिक कार्य/आपराधिक मानसिक स्थिति से संबंधित प्रतिकूल उपधारणा के माध्यम से साक्ष्यात्मक भार अधिरोपित करता है, केवल यह अपेक्षा करता है कि उसे उपरोक्त प्रभाव की उपधारणा का खंडन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए । अभियुक्त के लिए यह आवश्यक है कि वह यह दर्शित करे कि उपधारणा खंडन किए जाने योग्य है और उसे यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि अपेक्षित आपराधिक कार्य/ आपराधिक मानसिक स्थिति स्थापित नहीं की गई है । यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर ही बना रहेगा कि अपेक्षित आपराधिक कार्य या आपराधिक मानसिक स्थिति को स्थापित किया जाता है । ऐसे किसी मामले में निर्दोषिता की उपधारणा पर प्रहार नहीं किया जाता है, उसे केवल उस समय तक निलंबित रखा जाता है, जब तक कि अभियुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करके ऐसे निलंबन के प्रति आक्षेप प्रस्तुत नहीं कर देता । एक बार इस प्रकार का आक्षेप कर दिए जाने पर, अभियोजन पक्ष इस

प्रकार अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाएगा मानो अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा विद्यमान है और उसे यह साबित करना होगा कि अपराध के घटकों को सभी सुसंगत संदेहों से परे स्थापित कर दिया गया है । विभिन्न प्रमुख निर्णयों के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 निश्चित रूप से अभियुक्त पर यह दर्शित करने का प्रेरक भार अधिरोपित करती हैं कि उसके पास उस अपराध, जिसके लिए उसका अभियोजन किया जा रहा है, करने हेतु आपराधिक मानसिक स्थिति नहीं थी । एक बार इस प्रकार की उपधारणा स्थापित हो जाने पर अभियुक्त किसी विवाद्यक को उठाने के लिए मात्र इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता कि उसके पास आपराधिक मानसिक स्थिति नहीं हो सकती थी अपितु उसे यह साबित करना होगा कि उसके पास कानून के स्पष्ट शब्दों के अनुसार आपराधिक मानसिक स्थिति नहीं थी । यह उपधारणा मानवीय आचरण का प्राकृतिक या तर्कसंगत परिणाम नहीं है, अपितु यह विधि द्वारा की गई घोषणा है । इसके अतिरिक्त, इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि अभियोजन पक्षकथन के आधारभूत तथ्यों को साबित किया गया है ताकि अभियुक्त पर सबूत का प्रतिलोम भार डाला जा सके । यह स्मरण रखना चाहिए कि साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है न कि साक्षियों की संख्या । इस संबंध में परीक्षा यह है कि क्या साक्ष्य सत्य प्रतीत होता है अथवा नहीं या फिर वह अकाट्य, विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक है । पीड़ित लड़की के एकमात्र चाक्षुश परिसाक्ष्य को बलात्संग के किसी मामले में अभियुक्त व्यक्ति की दोषसिद्धि करने के लिए उस समय विचार में लिया जा सकता है, यदि पीड़ित लड़की का कथन अन्यथा विश्वसनीय है और न्यायिक मस्तिष्क को सत्य प्रतीत होता है । इस तथ्य को भी स्मरण करना होगा कि पीड़ित लड़की घटना के समय बालिका थी और अपराध करने वाला व्यक्ति उसका बहनोई था । पीड़ित लड़की और अभियुक्त के कुटुम्बों के बीच में किसी प्रकार की दुर्भावना या शत्रुता विद्यमान नहीं है । पीड़ित लड़की ने संपूर्ण विचारण के दौरान सतत् रूप से इस प्रभाव का कथन किया है कि उसके और उसके बहनोई के बीच लैंगिक मैथुन हुआ था और ऐसा लैंगिक मैथुन समयावधि के दौरान अनेक बार हुआ था । जब किसी पीड़ित बालिका पर बलात्संग का अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पीड़ित लड़की के एकमात्र

परिसाक्ष्य का अवलंब लेकर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है । हमें इस तथ्य को भी भूलना नहीं होगा कि वर्तमान अभियुक्त पीड़ित लड़की का बहनोई है । अपने बहनोई के विरुद्ध पीड़ित लड़की द्वारा इस प्रकृति की शिकायत दर्ज कराना सुगम नहीं है, इससे पीड़ित लड़की पर भी सामाजिक कलंक लगने का जोखिम है, जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अभी भी हमारे समाज में प्रचलित है । उपरोक्त प्रकृति की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने का निर्णय उस समय असंभव तो नहीं अपितु और अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जब अपराधी कुटुम्ब का ही एक सदस्य हो । यह गंभीर मौन और तटस्थ चुप्पी पीड़ित लड़की को और अधिक कष्ट पहुंचाती है । अंततोगत्वा, ऐसी किसी परिस्थिति में न केवल कुटुम्ब का सम्मान दांव पर लग जाता है अपितु उसके कारण अन्य नातेदार भी रुष्ट हो जाते हैं । अब यह भलीभांति स्थापित है कि लैंगिक अपराध के मामलों में पीड़ित लड़की का परिसाक्ष्य महत्वपूर्ण है और जब तक अत्यंत बाध्यकारी कारण विद्यमान न हों, जो साक्ष्य की संपुष्टि को अनिवार्य बनाते हों, न्यायालय को बिना किसी हिचकिचाहट के लैंगिक हमले की पीड़ित लड़की के परिसाक्ष्य को स्वीकार करना चाहिए और केवल उसके आधार पर अभियुक्त को सिद्धदोष किया जाना चाहिए । इस संबंध में न्यायालय से केवल इस सावधानी को बरतने की अपेक्षा की जाती है कि पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य न्यायालय में विश्वास का संचार करता हो । इसलिए इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी को वर्तमान मामले में फंसाया गया है । इसके अतिरिक्त्, यद्यपि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और अभिसाक्ष्य में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि बलात्संग का अपराध पांच माह पूर्व किया गया था, पीड़ित लड़की के कथनों में यह भी उल्लेख है कि उसके साथ लैंगिक मैथुन कई बार किया गया था । वस्तुत:, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन में यह आरोप लगाया है कि एक लंबी समयावधि के दौरान पीड़ित लड़की और अभियुक्त के बीच लैंगिक मैथुन की क्रिया चलती रही थी । अत:, यह निष्कर्ष निकालना कि अपराध की तारीख को अगस्त/सितम्बर, 2014 तक निर्बंधित किया जाए, साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए असत्य प्रतीत होता है । प्रतिरक्षा पक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं रहा है, जिसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकें कि अपराध की तारीख को

अगस्त/सितम्बर, 2014 तक निर्बंधित किया जाना चाहिए । वर्तमान मामले में, डीएनए परीक्षण कराए जाने में असमर्थ रहना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है क्योंकि पीड़ित लड़की ने एक से अधिक कारणों से ऐसा कोई परीक्षण कराने के प्रति सहमति नहीं दी होगी । वर्तमान विचारण में हम बालक के पितृत्व के विवाद्यक पर विचार नहीं कर रहे हैं । पीड़ित लड़की विचारण के दौरान प्रवेशनात्मक लैंगिक हमले के तथ्य को स्थापित करने में सफल रही है । अत:, पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और धारा 30 के अधीन उपधारणा को प्रवर्तित करने के लिए अपेक्षित आधारभूत तथ्यों को स्थापित कर दिया गया है । इस प्रकार वर्तमान मामले में सबूत का भार पूर्णतया अभियुक्त/अपीलार्थी पर था तथा उसके लिए यह अपेक्षित था कि वह संभाव्यताओं के संतुलन पर उक्त उपधारणाओं का खंडन करे किन्तु वह उक्त भार का निर्वहन करने के लिए साक्ष्य पर कुछ भी सारवान् प्रस्तुत करने में असफल रहा है तथा श्री इलांगो द्वारा प्रस्तुत तर्क भी सफल सिद्ध नहीं हो सके हैं । पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए विद्वान् विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि की जाती है और अपील खारिज की जाती है । (पैरा 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 98, 115, 123, 124, 125 और 126)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2020] (2020) 3 एस. सी. सी. 443 =
ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 985 :
संतोष प्रसाद उर्फ **संतोष कुमार** बनाम **बिहार राज्य** ; 22

[2019] (2019) 3 क्रिमिनल (कलकत्ता) 331 :
सुब्रत बिस्वास और अन्य बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ; 29

[2018] 2018 क्रिमिनल ला जर्नल 3393 :
नवीन धनीराम बरायी बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 120

[2017] (2017) 4 एस. सी. सी. 393 =
ए. आई. आर. ऑनलाइन 2016 एस. सी. 199 :
सुनील बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 124

[2017] (2017) 3 कलकत्ता एल. टी. 243 =
2018 क्रिमिनल ला जर्नल (एनओसी) 44 (कलकत्ता) :
शाहिद हुसैन विस्वास बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ; 119

[2017] (2017) 2 एस. सी. सी. 51 =
ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 835 :
भूपिन्दर शर्मा बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ; 123

[2017] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 4594 :
मैसर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम **कंचन मेहता** ; 83

[2012] (2012) 13 एस. सी. सी. 375 =
2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3468 :
लक्ष्मी डाइकेम बनाम **गुजरात राज्य** ; 83

[2012] (2012) 8 एस. सी. सी. 21 =
ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3157 :
राय संदीप उर्फ **दीपू** बनाम
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र ; 24,47

[2011] (2011) 7 एस. सी. सी. 130 =
ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2877 :
कृष्ण कुमार मलिक बनाम **हरियाणा राज्य** ; 25,47

[2010] (2010) 8 एस. सी. सी. 191 =
2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5510 :
विजय उर्फ **चिन्नी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 35

[2010] (2010) 2 एस. सी. सी. 9 =
ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1 :
वाहिद खान बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 46

[2009] (2009) 73 ए. आई. सी. 730 (केरल) :
रामचंद्रन बनाम **केरल राज्य** ; 84

[2008] (2008) 16 एस. सी. सी. 417 =
ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 852 :
नूर आगा बनाम **पंजाब राज्य** ; 93,94,116

[2008] (2008) 15 एस. सी. सी. 133 =
ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 858 :
राजू बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 23

[2008] (2008) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 2582 :
रजि. बनाम **झीटा** ; 109

[2005] ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1248 =
2004 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6563 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **पप्पू** उर्फ **युनूस और अन्य** ; 38

[2004] (2004) यू. के. एच. एल. 43 =
(2005) 1 आल ई आर 237 :
शेलड्रेक बनाम **डी.पी.पी.** ; 97

[2002] ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1963 :
उड़ीसा राज्य बनाम **ठाकरा बेसरा और अन्य** ; 44

[2002] (2002) 2 ए. सी. 545 :
रजि. बनाम **लैम्बर्ट** ; 107

[2000] (2000) 2 ए. सी. 326 :
रजि. बनाम **डी.पी.पी., एकपक्षीय कैबलिन और अन्य** ; 96

[2000] ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 821 =
2000 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 375 :
अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी बनाम **गुजरात राज्य** ; 114,121

[1996] ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1393 =
1996 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 998 :
पंजाब राज्य बनाम **गुरमीत सिंह और अन्य** ; 40

[1993] (1993) 2 एस. सी. सी. 622 =
ए. आई. आर. ऑनलाइन 1993 एस. सी. 1 :
हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **रघुबीर सिंह** ; 45

[1990] ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 658 =
1990 क्रिमिनल ला जर्नल 889 :
महाराष्ट्र राज्य बनाम **चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन** ; 36

[1980] (1980) 1 एस. सी. सी. 30 = मनु./एस. सी./
0275/1979 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1848 :
सय्यद अकबर बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 101

[1977] ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 183 :
नारायण गोविंद गवाटे और अन्य बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 95

[1964] (1964) 1 क्रिमिनल ला जर्नल 437 :
धनवंतराय बलवंतराय देसाई बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 103

[1952] ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 54 :
रामेश्वर बनाम **राजस्थान राज्य** ; 46

[1943] ए. आई. आर. 1943 पी. सी. 211 :
ओटो जार्ज गफेलर बनाम **द किंग** ; 104

[1935] (1935) ए. सी. 462 :
वूलमिंग्टन बनाम **लोक अभियोजन निदेशक** ; 85

[1928] (1928) जे. सी. 94 :
स्लेटर बनाम **एच. एम. एडवोकेट** । 86

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 15.

वर्तमान अपील को विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्टब्लेयर द्वारा वर्ष 2015 के विशेष मामला सं. 17 के सेशन विचारण में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल किया गया है ।

अपीलार्थी की ओर से श्री डी. इलांगो

प्रत्यर्थी की ओर से श्री ए. एस. जीनू

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी ने दिया ।

न्या. चौधरी – वर्तमान अपील को विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्टब्लेयर द्वारा वर्ष 2015 के विशेष मामला सं. 17 के सेशन विचारण में बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात्

संक्षेप में 'पॉक्सो अधिनियम' कहा गया है) की धारा 6 के अधीन पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल किया गया है ।

2. तारीख 13 जनवरी, 2015 को पीड़िता/अभियोक्त्री ने किशोरी नगर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में ड्यूटी पर तैनात कार्मिक के समक्ष एक कथन प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ उसने यह कहा कि कथन किए जाने की तारीख को वह राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पश्चिम सागर में कक्षा 8 की छात्रा थी और उक्त विद्यालय कालीघाट पुलिस थाने की अधिकारिता के भीतर आता है । इसके अतिरिक्त, यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त अर्थात् स्वपन मोंडल, जो उसकी बड़ी बहन पूर्णिमा मोंडल का पति है, शिकायत दर्ज कराने की तारीख से लगभग पांच माह पूर्व उसके घर आया था और उसने उसे यह अनुरोध किया था कि चूंकि वह मछली पकड़ने समुद्र में जा रहा था इसलिए वह उसके घर में अपनी बड़ी बहन के साथ निवास करे । उक्त रात्रि के दौरान अभियोक्त्री ने अपनी बड़ी बहन के साथ निवास किया । देर रात्रि अभियुक्त स्वपन मोंडल अत्यधिक नशे में धुत घर लौटा तथा उसने बलपूर्वक उसके साथ बलात्संग किया । उसकी बड़ी बहन ने अपने पति के इस कृत्य का विरोध किया किन्तु अपराधी ने उस पर हमला किया और उसने दोनों बहनों को यह चेतावनी दी कि उन्हें इसका बुरा परिणाम भोगना होगा । उक्त घटना के पश्चात् ऊपर नामित अपराधी ने उसे दूष्परिणामों की धमकी देते हुए अनेक बार अभियोक्त्री पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया । जिसके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री गर्भवती हो गई । तारीख 13 जनवरी, 2015 को अभियोक्त्री अपने बड़े जीजा कौशिक सरकार के साथ किशोरी नगर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में चिकित्सा जांच हेतु गई थी । डाक्टर ने उसका निदान किया और उसे यह सूचित किया कि अभियोक्त्री गर्भवती थी और उसके गर्भ में पांच माह का बालक था । पूछे जाने पर अभियोक्त्री ने उपरोक्त घटना को अपनी माता के समक्ष प्रकट किया । अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए उक्त कथन के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा

376(2)(i)/506 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के अधीन तारीख 30 जनवरी, 2015 को कालीघाट पुलिस थाना के मामला सं. 5 को रजिस्टर किया ।

3. ऊपर संख्यांकित पुलिस थाना मामले का अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी स्वपन मोंडल के विरुद्ध एक आरोप पत्र फाइल किया गया । चूंकि यह मामला अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए उक्त मामले को विचारण हेतु पोर्टब्लेयर स्थित विद्वान् विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुपुर्द किया गया ।

4. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ञ)(ii)(ठ)(ढ)/6 के अधीन आरोप विरचित किए । जब अभियुक्त को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया गया तथा उसके संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया तो उसने अपने दोषी न होने का अभिवाक् किया । अतः, इस प्रकार मामले का विचारण प्रारंभ हुआ ।

5. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल 10 साक्षियों की परीक्षा की । दस्तावेजों की श्रृंखला को प्रदर्शों के रूप में चिह्नित किया गया, जिन्हें हम निर्णय में इसके पश्चात् निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव करते हैं ।

6. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् अभियुक्त स्वपन मोंडल को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ठ) के अधीन अपराध करने का दोषी पाया । तद्नुसार, अभियुक्त स्वपन मोंडल को दोषसिद्धि ठहराते हुए उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया और साथ ही उस पर 10,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए छह मास का अतिरिक्त साधारणा कारावास भोगना होगा ।

7. विद्वान् विचारण न्यायाधीश के उपरोक्त निर्णय तथा दोषसिद्धि के आदेश को वर्तमान अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है ।

8. विचारण के दौरान वास्तविक शिकायतकर्ता ने अभि. सा. 1 के रूप में अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया । उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया कि किशोरी नगर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने से लगभग पांच माह पूर्व अपीलार्थी ने एक रात्रि में बलपूर्वक अपने घर में उसके साथ बलात्संग किया था । बलात्संग किए जाने के समय उसकी बड़ी बहन पूर्णिमा मोंडल कक्ष के बाहर बैठी थी । उसने यह भी कथन किया कि उसके जीजा ने अनेक अवसरों पर उसके साथ बलात्संग किया है । तथापि, वह इस प्रकार अपराध किए जाने की तारीखों के संबंध में निश्चित नहीं थी ।

9. अभियोक्त्री की माता (अभि. सा. 1) द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि वह एक दिन अपनी छोटी पुत्री को प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले गई थी क्योंकि उसकी छोटी पुत्री को बुखार था । उसकी चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् डाक्टर ने उसे यह बताया कि उसकी पुत्री गर्भवती थी । अपनी पुत्री से इस संबंध में पूछे जाने पर उसकी पुत्री ने उसके समक्ष इस तथ्य को प्रकट किया कि अपीलार्थी उसकी पुत्री को गर्भवती बनाने के लिए उत्तरदायी था । उसने यह भी कथन किया कि पीड़िता ने अपनी चिकित्सा परीक्षा की तारीख से लगभग 5 माह पूर्व एक पुत्री को जन्म दिया था । बासुदेव बनर्जी (अभि. सा. 3) अभियोक्त्री का पिता है और उसने स्वयं द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य में अभि. सा. 1 के कथन की पुष्टि की है ।

10. अभि. सा. 4, श्रीमती पूर्णिमा मोंडल अपीलार्थी की पत्नी है । उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और उसने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान यह कथन किया था कि उसे इस तथ्य के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी कि क्या उसके पति ने पीड़िता पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया था अथवा नहीं । अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 4 को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया । अभि. सा. 5, डा. फैलिसिटस तारीख 30 जनवरी, 2015 को किशोरी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात थे । उक्त डाक्टर ने शपथ पर यह कथन किया है कि उसने तारीख 30 जनवरी, 2015 को पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा की थी और यह पाया था कि उस समय उसे पांच मास का गर्भ था । अभि. सा. 5

द्वारा तैयार की गई चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट को मामले के विचारण के दौरान प्रदर्श-3 के रूप में चिह्नित किया गया था । अभि. सा. 6, सी. जी. किंडो सुसंगत समय बिन्दु पर पुलिस थाना कालीघाट का हेड कांस्टेबल था । उसके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य से यह तथ्य सामने आया है कि यूसेन केरकेटा (अभि. सा. 7) ने किशोरी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत कथन को लेखबद्ध किया था और उसे पुलिस थाना कालीघाट को अग्रेषित किया गया था । उक्त कथन के आधार अभि. सा. 6 ने पुलिस थाना कालीघाट का वर्ष 2015 का अपराध मामला सं. 5 रजिस्ट्रीकृत किया । उसने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को साबित किया है, जिसे विचारण के दौरान प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नित किया गया था । अभि. सा. 8, डा. निताई मोंडल ने अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा की थी । अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट को प्रदर्श-5 के रूप में चिह्नित किया गया है । अभि. सा. 10 शबाना हनीफ मामले की अन्वेषण अधिकारी है, जिसने मामले का अन्वेषण कार्य पूरा होने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था ।

11. विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने पीड़ित लड़की द्वारा प्रारंभ में पुलिस के समक्ष किए गए कथन, जिसे उसके द्वारा की गई शिकायत के रूप में माना गया था तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए पीड़ित लड़की के कथन के आधार पर अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (ढ) के अधीन अपराध करने के लिए दोषी पाया । विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने अपनी यह राय भी व्यक्त की है कि पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत चश्मदीद साक्ष्य किसी भी अन्य वैज्ञानिक परीक्षा रिपोर्ट पर अभिभावी होगा क्योंकि ऐसी वैज्ञानिक परीक्षा रिपोर्ट की प्रकृति पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में है । विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय और अकाट्य है तो केवल पीड़ित लड़की के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश पारित किया जा सकता है । ऐसे किसी मामले में वैज्ञानिक परीक्षा रिपोर्ट आवश्यक नहीं है ।

12. श्री डी. इलांगो, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के मामले में अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्य से संबंधित विधिक सिद्धांत को स्वीकार करते हुए इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि अभियुक्त को एकमात्र अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है, किन्तु उसके साथ ही उन्होंने जोर-शोर से इस बात पर भी बल दिया कि किसी दांडिक विचारण में साक्ष्यों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता का महत्व होता है । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील प्रस्तुत की है कि केवल पीड़ित लड़की के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य है बशर्ते उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ठोस, अकाट्य और विश्वसनीय है तथा किसी भी प्रकार के विरोधाभास से मुक्त है तथा उसमें किसी प्रकार का कोई दोष विद्यमान नहीं है । जब कभी पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अपराध को किए जाने या उन परिस्थितियों, जिनके अधीन अपराध किया गया था, से संबंधित कोई विसंगति विद्यमान होती है तो न्यायालय को उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य हेतु पुष्टिकारक साक्ष्य को विचार में लेना चाहिए और ऐसी स्थिति में अभियुक्त को पीड़ित लड़की के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता ।

13. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, श्री डी. इलांगो द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई है कि पीड़ित लड़की ने अभिकथित घटना के संबंध में तीन प्रकार के कथन प्रस्तुत किए हैं । पहला कथन उसने अपनी शिकायत के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने यह कहा है कि कथन किए जाने की तारीख से लगभग 5 माह पूर्व अभियुक्त स्वपन मोंडल उसके घर आया था और उसने उससे अपने घर में अपनी बड़ी बहन के साथ निवास करने का अनुरोध किया था क्योंकि उसे रात्रि में मछली पकड़ने हेतु समुद्र में जाना था । इसलिए, पीड़ित लड़की स्वपन मोंडल के घर में उसकी बड़ी बहन के साथ निवास करने हेतु गई थी । रात्रि में स्वपन मोंडल मदिरा के नशे में धुत स्थिति में अपने घर वापस आया और उसने उसके पश्चात् पीड़ित लड़की के साथ बलात्संग

किया । स्वपन मोंडल की बड़ी बहन ने स्वपन मोंडल को रोकने का प्रयास किया किन्तु स्वपन मोंडल ने उस पर भी हमला किया तथा उसने दोनों को अत्यंत दुष्परिणाम भुगतने की धमकी दी थी । उसके पश्चात्, उसने उसके द्वारा दी गई धमकी के प्रभाव में उसके साथ लैंगिक मैथुन भी किया जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई तथा उसकी चिकित्सा परीक्षा की तारीख अर्थात् तारीख 30 जनवरी, 2015 को उसे पांच मास का गर्भ था ।

14. उसके पश्चात् श्री डी. इलांगो ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन तारीख 6 फरवरी, 2015 को लेखबद्ध किए गए पीड़ित लड़की के कथन को निर्दिष्ट किया जिसमें पीड़ित लड़की ने यह कथन किया है कि वह अपने जीजा के साथ प्रेम संबंधों में थी । उसके जीजा ने उसके समक्ष विवाह करने का प्रस्ताव रखा था और उसने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था । उसके पश्चात् उसने लगभग एक वर्ष तक अपने जीजा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन पीड़ित लड़की ने यह भी कथन किया है कि उसका जीजा निर्दोष है । उसने केवल भयवश पुलिस के समक्ष यह कथन किया था कि उसके जीजा ने उसके साथ बलात्संग किया था ।

15. उसके पश्चात् श्री डी. इलांगो ने पीड़ित लड़की की माता (अभि. सा. 1) द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को निर्दिष्ट किया । अभि. सा. 1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य सामने आता है कि पीड़ित लड़की ने अपनी माता के समक्ष यह कथन किया था कि अपीलार्थी ने केवल एक बार उसके साथ उस समय बलात्संग किया था जब वह अपनी बड़ी बहन के साथ उसके घर में निवास कर रही थी ।

16. उपरोक्त विरोधाभासों को निर्दिष्ट करते हुए अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील प्रस्तुत की है कि जब पीड़ित लड़की ने समय के भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर घटना के संबंध में भिन्न-भिन्न वर्णनों को प्रस्तुत किया है तो ऐसी स्थिति में उसके किसी भी कथन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने पीड़ित लड़की द्वारा अन्वेषण के दौरान समय के

भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर प्रस्तुत किए गए ऐसे विरोधाभासी कथनों के आधार पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ढ) के अधीन अपराध करने के लिए अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित करके गंभीर त्रुटि कारित की है ।

17. इसके अतिरिक्त, श्री डी. इलांगो द्वारा यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि अभि. सा. 5, डा. फलिसिटस के अनुसार, जिसने तारीख 30 जनवरी, 2015 को पीड़ित लड़की का चिकित्सीय उपचार किया था, पीड़ित लड़की को पांच माह का गर्भ था । अतः, इस प्रकार यह आशयित था कि पीड़ित लड़की उस उपचार के 280 दिनों के पश्चात् किसी शिशु को जन्म देगी और यदि जन्म दिए जाने की प्रत्याशित तारीख की गणना की जाए तो पीड़ित लड़की को वर्ष 2015 के जून मास में किसी समय किसी शिशु के जन्म देना चाहिए था किन्तु पीड़ित लड़की ने तारीख 28 जुलाई, 2015 को एक शिशु को जन्म दिया है ।

18. यदि यह सत्य है तो विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करके त्रुटि की है कि पीड़ित लड़की को तारीख 20 जनवरी, 2015 से लगभग पांच माह पूर्व लैंगिक हमले का सामना करना पड़ा था और यदि लैंगिक मैथुन के परिणामस्वरूप गर्भ धारण करने की तारीख की संगणना पीड़ित लड़की द्वारा शिशु को जन्म दिए जाने की तारीख से की जाए तो न्यायालय को निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकालना चाहिए था कि अभिकथित घटना की तारीख को अभियुक्त ने पीड़ित लड़की के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए थे और अभियोजन पक्ष की संपूर्ण कहानी मिथ्या और मनगढ़ंत है ।

19. श्री डी. इलांगो ने यह भी वर्णन किया है कि अभियोजन पक्षकथन में पूर्वोक्त दोष के साथ यह दोष भी मौजूद है कि पीड़ित लड़की ने अपने शिशु के पितृत्व को सुनिश्चित करने हेतु डीएनए प्रोफाइल परीक्षण के लिए अपने रक्त का नमूना देने से इनकार कर दिया था । इस प्रकार श्री डी. इलांगो के अनुसार विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त को उपरोक्त प्रकार का अपराध करने के लिए दोषी अभिनिर्धारित करके गंभीर त्रुटि की है, इसलिए अभियुक्त को सम्मानपूर्वक उस पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।

20. दूसरी ओर, सुश्री ए. एस. जीनू, प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील प्रस्तुत की है कि अभियुक्त पीड़ित लड़की की बड़ी बहन का पति है । विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि वह अभिलेख से परे बहस नहीं कर सकती तथा वह इस तथ्य से असहमत नहीं हो सकती कि पीड़ित लड़की ने समय के भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर घटना के संबंध में भिन्न-भिन्न कहानी प्रस्तुत की है । किन्तु उक्त कहानियों में एक भाग अत्यंत सतत् और संगत रूप से प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने ही पीड़ित व्यक्ति के साथ बलात्संग का अपराध किया था । सुसंगत समय पर पीड़ित लड़की की आयु लगभग 15 वर्ष थी । यदि इस बात को मान भी लिया जाए कि पीड़ित लड़की किसी भांति से अपने जीजा के प्रति आसक्ति रखती थी, फिर भी अभियुक्त को उसकी इस कमजोरी का फायदा उठा कर उसके साथ लैंगिक मैथुन नहीं करना चाहिए था । यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध कराए गए पीड़ित लड़की के कथन में उसके द्वारा वर्णित कहानी पर विश्वास कर लिया जाए तो भी चूंकि पीड़ित लड़की अप्राप्तवय है इसलिए अभियुक्त के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए दी गई उसकी सहमति महत्वहीन है । पीड़ित लड़की ने अभियुक्त के अलावा कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को उसके विरुद्ध उपरोक्त प्रभाव का अपराध करने हेतु नामित नहीं किया । इसलिए विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने एकमात्र रूप से पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य को विचार में लिया था और निचले विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ढ) के अधीन अपराध करने के लिए दोषी अभिनिर्धारित करके कोई त्रुटि नहीं की है ।

21. सुश्री जीनू द्वारा यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति के कारण डीएनए प्रोफाइल परीक्षण को सर्वाधिक विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य माना जाता है । किन्तु किसी मामले में डीएनए प्रोफाइल परीक्षण की अनुपस्थिति किसी अभियुक्त को लैंगिक हमले के आरोप से दोषमुक्त किए जाने हेतु हकदार नहीं बनाती । इस प्रकार विद्वान् अधिवक्ता ने विशेष न्यायाधीश

द्वारा वर्ष 2015 के सेशन विचारण सं. 17 में पारित आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है ।

22. **संतोष प्रसाद** उर्फ **संतोष कुमार** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में दिए अपने निर्णय में इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या किसी मामले में, ऐसी परिस्थितियों में जहां न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट में पीड़िता के पेटीकोट पर मौजूद रक्त और शुक्राणु के परीक्षण के उपरांत भी कोई निर्णायक राय व्यक्त नहीं की गई है, केवल एकमात्र अभियोक्त्री के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया जा सकता है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय के पैरा 6 में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है :–

> "6. अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य का परिशीलन तथा उस पर विचार किए जाने के उपरांत हमने यह पाया है कि उसमें सारवान् विसंगतियां विद्यमान हैं । उपरोक्त अभिसाक्ष्य में न केवल सारवान् विसंगतियां मौजूद हैं, अपितु अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी के अनुसार उस रीति, जिसमें अभिकथित घटना घटित हुई थी, पर भी विश्वास करना कठिन है । अभियोक्त्री ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्त ने घर की चारदीवारी को फांदने के पश्चात् घर के भीतर प्रवेश किया और उसके पश्चात् अभियुक्त ने उसके साथ बलात्संग किया । उसने यह भी कथन किया है कि उसने मोबाइल की टार्च लाइट की रोशनी में अभियुक्त की शनाख्त की थी । तथापि, किसी भी मोबाइल की बरामदगी नहीं की गई है । यहां तक कि अभिलेख पर टूटी हुई चारदीवारी के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि प्रात: लगभग 10.00 बजे वह पुलिस थाने गई थी और उसने पुलिस थाने में अपनी मौखिक शिकायत प्रस्तुत की थी । तथापि, अन्वेषण अधिकारी के अनुसार एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी ।

---

[1] (2020) 3 एस. सी. सी. 443 = ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 985.

यह उल्लेख करना भी अपेक्षित है कि सायं 4.00 बजे तक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी रजिस्टर कर दी गई थी । अपने अभिसाक्ष्य में अभियोक्त्री ने शांति देवी, अभि. सा. 1 और अन्यों को निर्दिष्ट किया है । तथापि, शांति देवी ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । अतः, जब हमने अभि. सा. 5 – अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत कहानी की परीक्षा की तो दुर्भाग्यवश उक्त साक्षी, 'ठोस साक्षी' की किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असफल रहा है । उसने अपने कथन में शिकायत प्रस्तुत किए जाने संबंधी कहानी को भी वर्णित किया है । इसके अतिरिक्त, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में भी विलंब हुआ है । चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं करती है । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं करती है । जैसाकि स्वीकार किया गया है, दोनों पक्षकारों के बीच किसी भू-खंड के संबंध में दुश्मनी/विवाद विद्यमान था । वह रीति विश्वास करने योग्य नहीं है, जिसमें अभिकथित रूप से घटना के घटित होने का वर्णन किया गया है । अतः, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोक्त्री – अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत एकमात्र परिसाक्ष्य को प्रथमदृष्ट्या पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता और किसी अन्य पुष्टिकारक/समर्थनकारी साक्ष्य की अनुपस्थिति में अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता तथा वर्तमान मामले में अभियुक्त संदेह का लाभ दिए जाने का हकदार है ।"

23. **राजू** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 11 और 12 में निम्नानुसार संप्रेक्षण किए हैं तथा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

"11. इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि बलात्संग किसी पीड़िता के लिए अत्यधिक अवसाद और अपमान का कारक

[1] (2008) 15 एस. सी. सी. 133 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 858.

बनता है किन्तु उसी समय बलात्संग का मिथ्या अभिकथन अभियुक्त को भी समान रूप से अवसादग्रस्त तथा अपमानित कर सकता है और उसे क्षति पहुंचा सकता है । अभियुक्त को किसी भी मिथ्या रूप से फंसाए जाने की संभावना के प्रति संरक्षित किया जाना अनिवार्य है, विशिष्ट रूप से उस समय जब घटना में अभियुक्त बड़ी संख्या में संलिप्त हो । इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्यापक सिद्धांत यह है कि जिस समय घटना घटित हुई थी, उस समय वहां एक आहत साक्षी उपस्थित था और सामान्य रूप से ऐसा कोई साक्षी वास्तविक हमलावरों के संबंध में असत्य नहीं कहेगा, किन्तु इस प्रकार की अवधारणा करने या ऐसा कोई अनुमान लगाने का आधार विद्यमान नहीं है कि ऐसे किसी साक्षी द्वारा प्रस्तुत कथन सदैव सत्य होता है और उसमें कोई अलंकरण या बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात मौजूद नहीं होती है ।

12. **गुरमीत सिंह** [(1996) 2 एस. सी. सी. 384 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1393 = (1996) ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 998 = (1996) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 316] वाले मामले में दंड संहिता की धारा 375 और 376 में वर्ष 1983 में किए गए उन संशोधनों को निर्दिष्ट किया गया है, जिनके द्वारा बलात्संग से संबंधित शास्तिक उपबंधों को और अधिक कठोर बनाया गया था और साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 114क को भी निर्दिष्ट किया गया है, जो किसी अभिकथित बलात्संग के मामले में सहमति से किए गए लैंगिक मैथुन के अभिकथनों के संबंध में उठाई जाने वाली उपधारणा से संबंधित है । तथापि, यह महत्वपूर्ण है कि साक्ष्य अधिनियम में धारा 113क और धारा 113ख को भी समान संशोधन द्वारा अंत:स्थापित किया गया था, जिसके द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आत्महत्या को उकसाने तथा दहेज-मृत्यु के मामलों में कतिपय उपधारणाओं को उठाया गया है । इस प्रकार, स्पष्ट रूप से इन दोनों धाराओं में अभियोजन के पक्ष में स्पष्ट

उपधारणाओं को सम्मिलित किया गया है, किन्तु धारा 114क के अधीन उपबंधित उपधारणा की परिकल्पना बलात्संग की दशा में समान प्रबलता वाली उपधारणा के रूप में नहीं की गई है क्योंकि उक्त उपधारणा उसे लागू किए जाने में अत्यंत निर्बंधित हैं । इससे स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि जहां तक बलात्संग के आरोपों का संबंध है, किसी अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य की परीक्षा ऐसे आहत साक्षी के रूप में की जानी चाहिए जिसकी घटनास्थल पर उपस्थिति संभाव्य है किन्तु यह उपधारणा नहीं बनाई जा सकती कि उसके द्वारा प्रस्तुत कथन को बिना किसी अपवाद के पूर्ण सत्य माना जाएगा । इसके अतिरिक्त, सर्वोत्तम रूप से अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत कथन की परीक्षा इस सिद्धांत के आधार पर की जानी चाहिए कि सामान्यत: कोई भी आहत साक्षी असत्य वचन नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को मिथ्या रूप से फंसाएगा । हमें यह विश्वास है कि इन सिद्धांतों के अधीन वर्तमान मामले और अन्य ऐसे मामलों की परीक्षा की जानी चाहिए ।"

24. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राय संदीप** उर्फ **दीपू** बनाम **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र**[1] वाले मामले में दिए गए एक पश्चात्वर्ती निर्णय में इस बात पर विचार किया कि किस व्यक्ति को 'महत्वपूर्ण और वास्तविक साक्षी' माना जा सकता है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार संप्रेक्षण और अभिनिर्धारित किया :–

"22. हमारी सुविचारित राय में कोई 'महत्वपूर्ण और वास्तविक साक्षी' एक उच्च गुणवत्ता तथा सामर्थ्य वाला साक्षी होना चाहिए जिसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर हमला न किया जा सके । ऐसे किसी साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने वाले न्यायालय को इस स्थिति में होना चाहिए कि वह ऐसे साक्षी द्वारा कही गई बात पर बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी वास्तविकता पर विश्वास कर सके । ऐसे किसी साक्ष्य की गुणवत्ता की परीक्षा करने के लिए साक्षी की हैसियत सारवान् नहीं होगी और उसके संबंध में

[1] (2012) 8 एस. सी. सी. 21 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3157.

उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन की सत्यता ही एकमात्र संगत कारक होगा । किसी भी साक्षी की गुणवत्ता की परीक्षा करने के लिए आरंभिक बिन्दु से लेकर अंत तक उसके कथन का संगत बने रहना सर्वाधिक सुसंगत तथ्य है, अर्थात् उक्त साक्षी द्वारा प्रस्तुत किया गया कथन उस समय बिन्दु, जब ऐसे साक्षी ने सर्वप्रथम अपना प्रारंभिक कथन प्रस्तुत किया था, से लेकर अंततोगत्वा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बिन्दु तक संगत बना रहे । यह, जहां तक अभियुक्त का संबंध है अभियोजन पक्षकथन के साथ पूर्णरूपेण प्राकृतिक और संगत होना चाहिए । ऐसे किसी साक्षी द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए । साक्षी को इस स्थिति में होना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की लंबी और कड़ी प्रतिपरीक्षा का सामना कर सके और किसी भी परिस्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत घटना से संबंधित तथ्यों, घटना में संलिप्त व्यक्तियों और साथ ही घटना की श्रृंखला के संबंध में किसी प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए । ऐसे किसी कथन को प्रत्येक अन्य समर्थनकारी सामग्रियों, जैसेकि की गई बरामदगियों, प्रयुक्त हथियारों**,** अपराध कारित करने की रीति**,** वैज्ञानिक साक्ष्य तथा विशेषज्ञ राय आदि के साथ प्राकृतिक रूप से सामंजस्य में होना चाहिए । यह भी कथन किया जा सकता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की दशा में लागू की जाने वाली परीक्षा को उत्तीर्ण करने के योग्य होना चाहिए और अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपित किए गए अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने हेतु परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी कड़ी गायब नहीं होनी चाहिए । इसलिए यदि ऐसे किसी साक्षी द्वारा प्रस्तुत कथन उपरोक्त परीक्षा और साथ ही अन्य समान प्रकार की परीक्षाओं को अर्हरित करता है तो ही ऐसे साक्षी को 'महत्वपूर्ण और वास्तविक साक्षी' कहा जा सकता है, जिसके द्वारा प्रस्तुत कथन को न्यायालय द्वारा बिना किसी पुष्टिकारक साक्ष्य के स्वीकार किया जा सकेगा और उसके आधार पर दोषी को दंडादिष्ट किया जा सकता है । और अधिक सटीक शब्दों में, उक्त साक्षी द्वारा प्रस्तुत

कथन, जहां तक वह अपराध के मूल कारकों से संबंधित है, अक्षुण्ण बना रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्रियों, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और सारवान् वस्तुओं को उक्त कथन के, उसकी सभी सारवान् विशिष्टियों के संबंध में समतुल्य होना चाहिए जिससे अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अभियुक्त को उसके विरुद्ध अभिकथित आरोप का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए अन्य समर्थनकारी सामग्रियों से उसकी मूल भावना का अवलंब लेने में समर्थ हो सके ।"

25. **कृष्ण कुमार मलिक** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है कि निस्संदेह रूप से, यह सत्य है कि किसी अभियुक्त को बलात्संग के अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित करने हेतु अभियोक्त्री का एकमात्र साक्ष्य पर्याप्त है, बशर्ते वह विश्वासोत्पादक हो तथा नितांत रूप से विश्वसनीय, अदूषित प्रतीत होना चाहिए और साथ ही अत्यंत महत्वपूर्ण और वास्तविक गुणवत्ता वाला हो ।

26. हम सचेत रूप से यह उल्लिखित करने की वांछा करते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114क, जिसे वर्ष 2013 के संशोधनकारी अधिनियम के माध्यम से अंत:स्थापित किया गया है, बलात्संग से संबंधित कतिपय अभियोजन पक्षकथनों में सहमति की अनुपस्थिति से संबंधित उपधारणा का नियम अधिकथित करती है । पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 उपधारणा के संबंध में एक विशेष उपबंध अधिकथित करती है जो निम्नानुसार है :–

"29. **कतिपय अपराधों के संबंध में उपधारणा** – जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने यथास्थिति, वह अपराध किया है या दुष्प्रेरण किया है या उसको

[1] (2011) 7 एस. सी. सी. 130 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2877.

करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है ।"

27. पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 में प्रयुक्त "जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है" शब्दों का संबंध है, उसमें अभियोजन की ओर से विचारण के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों, जो तत्संबंधी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उपवर्णित मुख्य आरोपों से संबंधित हैं, को साबित करने के लिए की जाने वाली संपूर्ण कार्यवाही सम्मिलित है, जो निस्संदेह रूप से एक सुदृढ़ पक्षकथन स्थापित किए जाने के अधीन रहते हुए उस समय खंडनीय है, जब प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियोजन द्वारा स्थापित पक्षकथन के विपरीत साबित कर दिया जाता है । जब पीड़िता/अभियोक्त्री द्वारा विचारण के दौरान ऐसी कोई कहानी प्रस्तुत की जाती है, जो अभियोजन के पक्षकथन में प्रस्तुत की गई कहानी के प्रतिकूल है और अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत उक्त कहानी की पुष्टि पीड़िता/अभियोक्त्री के निकट नातेदारों द्वारा की जाती है तो उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में युक्तियुक्त रूप से यह उपधारणा की जाती है कि अभियोजन पक्ष, उसे अपना पक्षकथन साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने के बावजूद प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथित शिकायत से संबंधित घटना को स्थापित करने में असफल रहा है ।

28. सबूत के प्रतिलोम भार से संबंधित अवधारणा को केवल ऐसे किसी मामले में लागू किया जा सकता है, जहां अभियोजन पक्ष ने शिकायत किए गए अपराध के संबंध में पहले ही सारवान् साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है । पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 को प्रत्यक्ष रूप से लागू किए जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है, ऐसे किसी मामले में भी नहीं जहां अभियोजन पक्ष द्वारा आधारभूत साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है ।

29. इस विवाद्यक पर इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा **सुब्रत**

बिस्वास और अन्य बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले में विचार किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रवेशनात्मक लैंगिक हमले का सबूत, पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 की धारा के अधीन उपलब्ध उपधारणा को लागू किए जाने संबंधी आवेदन को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व एक आवश्यक शर्त के रूप में माना जाना चाहिए ।

30. वर्तमान मामले में इसी प्रकार की विधिक स्थिति विद्यमान है इसलिए अभियोजन पक्ष पर प्राथमिक रूप से यह भार है कि वह अकाट्य, विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक साक्ष्य प्रस्तुत करके मामले के आधारभूत तथ्यों को साबित करे । पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 प्रत्यक्ष और स्वत: रूप से लागू नहीं होती है और किसी विशिष्ट मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के मानकों पर ध्यान नहीं दिया जाता है । इस प्रकार पॉक्सो अधिनियम के अधीन किसी मामले में आधारभूत साक्ष्य के सबूत के प्रतिलोम भार को साबित करने का दायित्व प्रवर्तन में नहीं आता है । अत:, कानूनी उपधारणा को आत्यंतिक रूप से विचार में नहीं लिया जा सकता ।

31. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम को, बालकों को लैंगिक हमलों, लैंगिक उत्पीड़न तथा कामोद्दीपक चित्रों से संरक्षण प्रदान करने तथा ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों को स्थापित करने और उससे संबद्ध या अनुषंगी मामलों के बारे में उपबंध करने के लिए विशेष अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अधीन सांविधानिक आज्ञा को स्थापित करने हेतु अधिनियमित किया गया है । अधिनियम के उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह कथन करते हैं कि किसी बालक के समुचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी निजता के अधिकार और गोपनीयता को सभी व्यक्तियों द्वारा तथा सभी माध्यमों से संरक्षित और साथ ही न्यायिक प्रक्रिया, जिसमें कोई बालक संलिप्त हो, के सभी प्रक्रमों के माध्यम से निर्बंधित किया जाए । अत:, दंड संहिता की धारा 375 और 376 और अंतर्विष्ट शास्तिक उपबंधों के

[1] (2019) 3 क्रिमिनल (कलकत्ता) 331.

अतिरिक्त इस अधिनियम को न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के हित और कल्याण से संबंधित सुरक्षोपायों पर सम्यक् रूप से ध्यान देते हुए बालकों को लैंगिक हमलों, लैंगिक उत्पीड़न तथा कामोद्दीपक चित्रों से संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है ।

32. हमने उक्त अधिनियम की धारा 29 में अंतर्विष्ट कतिपय अपराधों के संबंध में उपधारणा के मुद्दे पर पहले ही विचार कर लिया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष अपराध के आधारिक तथ्यों को सभी सुसंगत संदेहों से परे साबित करे और केवल ऐसा करने के पश्चात् ही धारा 29 के अधीन उपधारणा उपलब्ध हो सकेगी । वर्तमान मामले में प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान् काउंसेल ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि पीड़ित लड़की और उसकी माता द्वारा प्रस्तुत कथनों में अनेक विसंगतियां विद्यमान हैं, हालांकि पीड़ित लड़की ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने अनेक अवसरों पर उसके साथ लैंगिक मैथुन किया था, किन्तु उसकी माता ने यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि वर्तमान घटना लैंगिक मैथुन का केवल इकलौता मामला है । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने यह आरोप लगाया है कि पीड़ित लड़की ने अभिकथित रूप से उसकी बड़ी बहन के पति द्वारा उस पर किए गए गुरुतर लैंगिक हमले के परिणामस्वरूप एक बालक को जन्म दिया है और इस तथ्य को सुगमता से बालक और उसकी बड़ी बहन के पति के डीएनए प्रोफाइल परीक्षण के माध्यम से साबित किया जा सकता है । तथापि, याची ने स्वयं और अपने बालक का डीएनए परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है । इस प्रकार इनकार किए जाने से यह सुझाव प्राप्त होता है कि अपीलार्थी पीड़ित लड़की पर गुरुतर लैंगिक हमला करने के लिए उत्तरदायी नहीं है जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है ।

33. हमने इस मामले पर अत्यंत सावधानीपूर्वक विचार किया है । हमारा यह मत है कि यह मामला किसी बालक के पितृत्व को स्थापित करने का मामला नहीं है । वस्तुत: यह एक ऐसा मामला है, जहां

वास्तविक शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि उसकी अप्राप्तवय पुत्री पर उसकी बड़ी पुत्री के पति द्वारा लैंगिक हमला किया गया था । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पीड़ित लड़की की बड़ी बहन मामले के विचारण के दौरान किसी प्रकार का कोई अभिसाक्ष्य देने के लिए आगे नहीं आई है । पीड़ित लड़की ने अपना और अपने बालक का डीएनए परीक्षण कराने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि वह अपनी बड़ी बहन के पारिवारिक संबंधों को नष्ट नहीं करना चाहती । यह कोई असामान्य तथ्य नहीं है कि अप्राप्तवय लड़कियों पर परिवार के भीतर निकट नातेदारों द्वारा लैंगिक हमला करने, अभद्र/अशोभनीय प्रस्तावों से संबंधित अनेक घटनाएं और आवंटित रूप से उनकी लज्जा भंग करने के अनेक मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं ताकि परिवार के भीतर अपराधियों के संभाव्य अपमान की संभावना को समाप्त किया जा सके । वर्तमान मामले में पीड़ित लड़की स्पष्ट रूप से अपनी बड़ी बहन के पारिवारिक संबंधों को नष्ट नहीं करना चाहती । अतः, उसने अपने बालक का डीएनए परीक्षण कराने से इनकार किया है । उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षण अभियुक्त के विरुद्ध एक अकाट्य साक्ष्य सिद्ध हो सकता था ।

34. इस प्रक्रम पर इस प्रश्न का न्यायनिर्णयन आवश्यक हो जाता है कि क्या अभियोजन के पक्षकथन को केवल इस आधार पर पूर्णरूपेण नकार देना चाहिए कि पीड़ित लड़की ने डीएनए परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है ।

35. **विजय** उर्फ **चिन्नी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में पैरा 9 से 14 में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है :–

*** *** ***

36. **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि महिला, जो किसी लैंगिक हमले की पीड़िता है, अपराध की सहभागी नहीं है,

---

[1] (2010) 8 एस. सी. सी. 191 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5510.

[2] ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 658 = 1990 क्रिमिनल ला जर्नल 889.

अपितु वह किसी अन्य व्यक्ति की वासना की पीड़िता है और इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की परीक्षा उसी मात्रा के संदेह के आधार पर नहीं की जा सकती जैसेकि अपराध के किसी सहभागी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर संदेह किया जाता है । इस संबंध में, न्यायालय ने निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है :–

37. "किसी लैंगिक अपराध की अभियोक्त्री को अपराध की सहभागी नहीं माना जा सकता । वस्तुतः, वह अपराध की पीड़िता है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यह कथन नहीं है कि पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि सारवान् विशिष्टियों में उसकी पुष्टि न हो जाए । निस्संदेह रूप से, वह धारा 118 के अधीन एक सक्षम साक्षी है और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को उतना ही बल प्रदान किया जाना चाहिए जितना कि शारीरिक हिंसा के मामलों में किसी आहत साक्षी के साक्ष्य को दिया जाता है । लैंगिक अपराध की पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय उसी मात्रा की सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए जितनी कि किसी आहत शिकायतकर्ता या साक्षी की दशा में बरती जाती है न कि उससे अधिक । यहां यह आवश्यक है कि न्यायालय इस तथ्य के प्रति सचेत हो कि वह ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य का मूल्यांकन कर रहा है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में हितबद्ध है । यदि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है और उसका यह समाधान हो जाता है कि वह अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित विधि का कोई नियम या व्यवहार, जो धारा 114 के दृष्टांत (ख) के समान हो, पुष्टि की अपेक्षा नहीं करता है । यदि किसी कारणवश न्यायालय अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य का स्पष्ट अवलंब लेने में हिचकिचा रहा है तो वह ऐसे साक्ष्यों को विचार में ले सकता है जो किसी सहभागी के मामले में अपेक्षित पुष्टि से कमतर उसके परिसाक्ष्य के संबंध में संदेहों को दूर करने के लिए पर्याप्त हों । अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य को आश्वस्त करने के लिए प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है । किन्तु यदि अभियोक्त्री वयस्क और समझ में परिपूर्ण है तो न्यायालय

तब तक उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए हकदार है, जब तक कि उसे अपुष्ट अविश्वसनीय के रूप में दर्शित नहीं किया जाता है । यदि मामले के अभिलेख पर दर्शायी गई परिस्थितियों की सकलता से यह प्रकट होता है कि अभियोक्त्री के पास आरोपित व्यक्ति को मिथ्या रूप से फंसाए जाने का कोई सुदृढ़ हेतुक नहीं है तो न्यायालय को सामान्य रूप से उसके साक्ष्य को स्वीकार करने से कोई हिचिकचाहट नहीं होनी चाहिए ।"

38. **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **पप्पू** उर्फ **युनूस और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे किसी मामले में जहां यह दर्शित किया जाता है कि मामले में संलिप्त लड़की, ढीले चरित्र वाले लड़की है अथवा ऐसी लड़की है जो लैंगिक मैथुन की आदी है, वहां यह तथ्य अभियुक्त को बलात्संग के आरोप से निर्मुक्त करने के लिए मान्य आधार नहीं होगा । यह स्थापित करना अनिवार्य है कि किसी विशिष्ट लैंगिक मैथुन के संबंध में उसकी सहमति थी । अभियोक्त्री के शरीर पर किसी चोट/क्षति का न पाया जाना ऐसा मान्य कारक नहीं होगा जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय अभियुक्त को निर्मुक्त कर सकेगा । इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है और उस दशा में, जहां न्यायालय अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत कथन से संतुष्ट नहीं है, वहां वह ऐसा अन्य साक्ष्य, चाहे वह प्रत्यक्ष साक्ष्य हो अथवा पारिस्थितिकीय साक्ष्य, की ईप्सा कर सकता है, जिसके माध्यम से वह अभियोक्त्री द्वारा परिसाक्ष्य की पुष्टि कर सकेगा । इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :–

> 39. "यह सुस्थापित है कि बलात्संग के अपराध की पीड़िता होने के संबंध में शिकायत करने वाली अभियोक्त्री उक्त अपराध की सहभागी नहीं है । विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य पर, उसकी सारवान् विशिष्टियों की पुष्टि किए बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती । वस्तुतः,

[1] ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1248 = 2004 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6563.

अभियोक्त्री को किसी आहत साक्षी से ऊपर के पायदान पर रखना होगा । पश्चात्वर्ती मामले में शारीरिक रूप से क्षति कारित की गई है, जबकि पूर्ववर्ती मामले में क्षति शारीरिक और मानसिक और साथ ही भावनात्मक भी है । तथापि, यदि तथ्यों का न्यायालय अभियोक्त्री के कथन को जस का तस स्वीकार करने में असमर्थ है तो वह ऐसे साक्ष्य, चाहे वह प्रत्यक्ष हो अथवा पारिस्थितिकीय, की ईप्सा कर सकेगा जो उसके परिसाक्ष्य को पुष्टि प्रदान करेगा । ऐसी स्थिति में, पुष्टि से कमतर आश्वासन, जैसाकि अपराध के सहभागी के संदर्भ में समझा गया, पर्याप्त होगा ।"

40. **पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि लैंगिक उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि को अंतर्वलित करने वाले मामलों में कोई न्यायालय कर्तव्यबद्ध है कि वह ऐसे मामलों के संबंध में अत्यधिक संवेदनशीलता बरते । अभियोक्त्री के कथनों में लघु विरोधाभास या अमहत्वपूर्ण विसंगतियों को किसी अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन पक्षकथन को परित्यक्त करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए । लैंगिक हमले की पीड़ित लड़की का साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त है और उसके लिए तब तक किसी अन्य पुष्टि की आवश्यकता नहीं है जब तक कि पुष्टि की ईप्सा करने हेतु कोई ठोस कारण विद्यमान न हो । न्यायालय न्यायिक विवेक को संतुष्ट करने के लिए उसके कथन के संबंध में कतिपय आश्वासनों की ईप्सा कर सकता है । अभियोक्त्री का कथन किसी आहत साक्षी से अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि वह अपराध की सहभागी नहीं है । न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि लैंगिक अपराध के लिए प्रथम इतिला रिपोर्ट फाइल करने में हुए विलंब को, चाहे उसे समुचित रूप से स्पष्ट न भी किया गया हो, यदि उसे प्राकृतिक पाया जाता है तो उसका फायदा अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता । माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :–

41. "न्यायालय ने ऐसी परिस्थिति की परिकल्पना की है

---

[1] ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1393 = 1996 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 998.

जिसमें कोई गरीब असहाय अप्राप्तवय लड़की स्वयं को तीन कामातुर युवा पुरुषों के सानिध्य में पाती है जो उसे धमकी दे रहे थे तथा उसे किसी प्रकार की चीख-पुकार उठाने से रोक रहे थे । पुन:, यदि अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण का संचालन समुचित रूप से नहीं किया था या वह कार के चालक का पता लगाने में लापरवाह रहा था तो यह समझना मुश्किल है कि यह अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए परिसाक्ष्य को परित्यक्त करने का आधार कैसे बन सकता है ?

42. अभियोक्त्री का अन्वेषण अभिकरण पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा किसी अन्वेषण अधिकारी की लापरवाही अभियोक्त्री की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती ..... न्यायालय को किसी साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि बलात्संग के किसी मामले में कोई भी स्वाभिमानी औरत अपने सम्मान के विरुद्ध अपमानजनक कथन करने के लिए न्यायालय में इस दावे के साथ आगे नहीं आएगी कि उसके साथ बलात्संग किया गया है । लैंगिक छेड़छाड़ के मामलों को संलिप्त करने वाले मामलों में माने जाने वाली उपधारणाओं, जिनका अभियोजन के पक्षकथन की प्रमाणिकता पर कोई सारवान् प्रभाव नहीं है या अभियोक्त्री के कथन में विद्यमान किन्हीं विसंगतियों, जो घातक प्रकृति की हैं, को भी अभियोजन के अन्यथा विश्वसनीय पक्षकथन को परित्यक्त करने के लिए तब तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि ..... एक नियम के रूप में, किसी अभियोक्त्री के कथन का अवलंब लेने से पूर्व उसकी पुष्टि की ईप्सा करना इस प्रकार है मानो क्षति में अपमान का तड़का लगा दिया गया हो ..... अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य के संबंध में न्यायिक अवलंब लिए जाने के लिए एक शर्त के रूप में पुष्टि को रखना विधि की अपेक्षा नहीं है अपितु मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन विवेक का मार्गदर्शन मात्र है ।

43. ..... न्यायालय को किसी मामले में विद्यमान व्यापक संभावनाओं की परीक्षा करनी चाहिए तथा अभियोक्त्री के कथन में

विद्यमान लघु विरोधाभासों या अमहत्वपूर्ण विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, चाहे वे घातक प्रकृति की भी हों और उनसे प्रभावित होकर अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन के पक्षकथन को परित्यक्त नहीं करना चाहिए । यदि अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होता है तो सारवान् विशिष्टियों में उसके कथन की पुष्टि की ईप्सा किए बिना उसका अवलंब लिया जाना चाहिए । यदि किसी कारणवश न्यायालय उसके परिसाक्ष्य पर स्पष्ट रूप से अवलंब रखना कठिन पाता है तो वह ऐसे साक्षियों पर, जो उसके परिसाक्ष्य को आश्वासन प्रदान करते हों, विचार कर सकता है, किन्तु उपरोक्त आश्वासन अपराध के किसी सहभागी की दशा में अपेक्षित पुष्टि से कमतर होना चाहिए । किसी अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य का मूल्यांकन संपूर्ण मामले की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए तथा विचारण न्यायालय को अपने इस उत्तरदायित्व के प्रति सचेत होना चाहिए तथा उसे लैंगिक छेड़छाड़ को अंतर्वलित करने वाले मामलों के संबंध में कार्यवाही करते समय अत्यधिक संवेदनशील होना चाहिए ।"

44. **उड़ीसा राज्य** बनाम **ठाकरा बेसरा और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि बलात्संग केवल शारीरिक हमला मात्र नहीं है, अपितु वह प्रायः पीड़िता के संपूर्ण व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है । बलात्संग करने वाला व्यक्ति असहाय महिला की आत्मा तक को अपमानित करता है और नीचा दिखाता है और इसलिए अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य का मूल्यांकन संपूर्ण मामले की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए तथा ऐसे मामलों में अन्य साक्षियों की परीक्षा न लिया जाना भी अभियोजन के पक्षकथन के लिए कोई गंभीर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां साक्षियों ने अपराध को कारित होते हुए नहीं देखा था ।

45. **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **रघुबीर सिंह**[2] वाले मामले में

---

[1] ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1963.

[2] (1993) 2 एस. सी. सी. 622 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 1993 एस. सी. 1.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दोषसिद्धि के आदेश को अभिलिखित करने से पूर्व अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य की पुष्टि करने के लिए अन्य साक्ष्य की अपेक्षा करना कोई विधिक अनिवार्यता नहीं है । साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए न कि उसकी गणना । दोषसिद्धि को अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर उस समय अभिलिखित किया जा सकता है, यदि उसका अभिसाक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होता है और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं, जो उसके द्वारा प्रस्तुत कथन को संदेह के घेरे में लाती हैं ।

46. माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी प्रकार का मत **वाहिद खान** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में भी अपनाया था, जिसमें उस न्यायालय ने पूर्व में **रामेश्वर** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] वाले मामले में दिए गए अपने निर्णय को दोहराया था ।

47. **कृष्ण कुमार मलिक** बनाम **हरियाणा राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण और अभिनिर्धारित किया है कि किसी अभियुक्त को बलात्संग के अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए एकमात्र अभियोक्त्री का अभिसाक्ष्य पर्याप्त है, बशर्ते ऐसा साक्ष्य विश्वासोत्पादक हो तथा नितांत रूप से विश्वसनीय और संदेहों से मुक्त हो और साथ ही वह उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए । हमने पहले ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राय संदीप** उर्फ **दीपू** (उपरोक्त) वाले मामले में इस बिन्दु पर किए गए संप्रेक्षणों को लेखबद्ध किया है कि किसे प्रबल/ठोस साक्षी कहा जा सकता है ।

48. पीड़ित लड़की (अभि. सा. 2) द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किए जाने पर हमें उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से संगत प्रतीत होता है । चिकित्सा परीक्षा के समय, पीड़ित लड़की को पांच माह का गर्भ था । पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सभी सारवान् विशिष्टियों में उसके

---

[1] (2010) 2 एस. सी. सी. 9 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1.

[2] ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 54.

द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए कथन की पुष्टि करता है, जिसके आधार पर याची के विरुद्ध मामला आरंभ किया गया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में पीड़ित लड़की ने अभियुक्त को आपराधिक घटना में संलिप्त करते हुए उसी घटना को ब्यौरेवार वर्णित किया है । पीड़ित लड़की ने सफलतापूर्वक प्रतिरक्षा द्वारा की गई कड़ी प्रतिपरीक्षा की परीक्षा को भी उत्तीर्ण किया है । उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पुष्टि उसके माता-पिता द्वारा भी की गई है ।

49. पीड़ित लड़की के माता-पिता को यह तथ्य ज्ञात है कि यदि अभियुक्त को अपनी साली अर्थात् उनकी पुत्री पर गुरुतर लैंगिक हमला करने के अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे कारावास से दंडादिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार उनकी बड़ी पुत्री का पारिवारिक जीवन संकट में आ जाएगा । उक्त तथ्य के बावजूद उन्होंने पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य का समर्थन किया है ।

50. मामले की इस प्रकार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा दृढ़ मत यह है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता कि पीड़िता ने अपने बालक का डीएनए परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा इस मुद्दे पर निर्दिष्ट विसंगतियां कि क्या पीड़िता पर केवल एक बार लैंगिक हमला किया गया था अथवा अनेक बार, कोई महत्वपूर्ण या सारवान् विसंगतियां नहीं हैं और विद्वान् विचारण न्यायालय ने उपरोक्त विसंगतियों की अनदेखी करके कोई त्रुटि नहीं की है ।

50.1 उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमें विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता है । तद्नुसार, वर्तमान अपील असफल होती है । तथापि, लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

51. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्टब्लेयर द्वारा वर्ष 2015 के विशेष मामला सं. 17 में उक्त अधिनियम की

धारा 6 के अधीन पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की पुष्टि की जाती है ।

52. चूंकि अपीलार्थी जमानत पर कारावास से बाहर है, इसलिए इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए उसे यह निदेश दिया जाता है कि वह इस आदेश की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्टब्लेयर के न्यायालय के समक्ष समर्पण करे जिसमें असफल रहने पर विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपीलार्थी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

53. इस निर्णय की एक प्रति सदस्य-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा तुरंत अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जाए जिससे वह विधिक सेवा सहायता प्राप्त कर सके ।

54. सदस्य-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को यह निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा इस प्रभाव का अनुरोध किए जाने पर, वह अपीलार्थी को सभी प्रकार की आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराए क्योंकि वर्तमान में अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व श्री डी. इलांगो, अधिवक्ता द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया है ।

न्यायमूर्ति श्री सोमेन सेन

55-56. मैंने अपने विद्वान् दोस्त न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी द्वारा दिए गए निर्णय का परिशीलन किया है और मैं माननीय न्यायमूर्ति चौधरी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से पूर्णत: सहमत हूं । तथापि, मैं माननीय न्यायमूर्ति चौधरी द्वारा दिए गए कारणों को पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और धारा 30 के निर्वचन के आधार पर संपूरित करने की वांछा करता हूं ।

57. पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 को निर्दिष्ट करने से पूर्व यह अनिवार्य है कि संक्षिप्तता हेतु कतिपय ऐसे सुसंगत तथ्यों को विचार में लिया जाए, जिनको पहले ही विद्वान् न्यायमूर्ति चौधरी द्वारा ब्यौरेवार वर्णित तथा अत्यंत दक्षतापूर्वक विचार में लिया गया है ।

58. अभिकथित घटना के समय पीड़ित लड़की की आयु लगभग 15 वर्ष थी ।

59. संक्षेप में तारीख 30 जनवरी, 2015 को फाइल की गई शिकायत इस प्रकार थी कि पांच माह पूर्व, एक दिन पीड़ित लड़की के जीजा (अभियुक्त/अपीलार्थी) ने पीड़ित लड़की से यह अनुरोध किया कि चूंकि वह मछली पकड़ने हेतु जा रहा था और पीड़ित लड़की की बहन घर पर अकेली थी इसलिए वह रात भर के लिए उसके घर में निवास करे । यह आरोप लगाया गया था कि उस दिन अभियुक्त मदिरा के नशे में चूर घर लौटा और उसने पीड़ित लड़की के साथ बलपूर्वक 'गलत कार्य' किया । इसके अतिरिक्त, यह भी आरोप लगाया गया था कि पीड़ित लड़की की बहन ने उसका विरोध किया तो अभियुक्त ने अपनी पत्नी पर हमला किया और उसने उन दोनों बहनों को यह धमकी दी कि यदि पीड़ित लड़की ने इस घटना को किसी अन्य व्यक्ति या अपने माता-पिता के समक्ष प्रकट किया तो वह उन दोनों को जान से मार देगा । शिकायत में यह भी कथन किया गया था कि कुछ समय पश्चात् जब पीड़ित लड़की को ज्वर हुआ तो वह अपनी माता और बड़े जीजा के साथ उपचार हेतु किशोरी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गई । उक्त चिकित्सा केन्द्र में उसे यह बताया गया कि उसे पांच माह का गर्भ था, जो कि अभिकथित रूप से अभियुक्त द्वारा उसके साथ किए गए 'गलत कार्य', जिसे अनेक बार दोहराया गया था, के परिणामस्वरूप हुआ था ।

60. पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत किए गए उक्त कथन के आधार पर पुलिस ने तारीख 30 जनवरी, 2015 को कालीघाट पुलिस थाने में वर्ष 2015 का अपराध मामला सं. 5 को रजिस्टर किया और एक आरोप पत्र फाइल किया । तारीख 14 अप्रैल, 2015 को फाइल किए गए वर्ष 2015 के आरोप पत्र सं. 9 में यह कथन किया गया है कि पीड़ित लड़की के फर्दबयान के अनुसार पीड़ित लड़की के साथ शिकायत की तारीख से 5 माह पूर्व लैंगिक मैथुन किया गया था और इस आरोप के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 और 6 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 376(2)(1)/506 के अधीन आरोप विरचित किए गए ।

61. उसके पश्चात् पीड़ित लड़की को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध करने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तारीख 6 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत किया गया । उक्त कथन में, पीड़ित लड़की ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसकी बड़ी बहन को यह तथ्य ज्ञात था कि उसे अभियुक्त से प्रेम था । उसने यह भी कहा कि अभियुक्त ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कहा कि उसके अभियुक्त के साथ काफी लंबे समय, अर्थात् एक वर्ष से शारीरिक संबंध हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसने गर्भ धारण किया । उसने यह भी कथन किया कि उसका जीजा निर्दोष था और उसने अपनी बहन को यह बताया था कि वह अपने गर्भ को समाप्त करने की वांछा रखती थी । अंततः, उसने यह कहा कि पुलिस के डर के कारण उसने यह आरोप लगाया है कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्संग किया था और उसने उपरोक्त प्रभाव की कोई भी बात अपने पिता और माता के समक्ष प्रकट नहीं की है ।

62. विचारण के दौरान, पीड़ित लड़की (अभि. सा. 2) ने अन्य बातों के साथ, यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि अभियुक्त व्यक्ति ने उसके साथ बलात्संग किया था, किन्तु उसके तुरंत पश्चात् उसने यह भी कथन किया कि उसे बलात्संग किए जाने की तारीख का स्मरण नहीं था । उसने न्यायालय में अभियुक्त की शनाख्त की है । उसने यह भी कथन किया कि चूंकि अभियुक्त ने उसे धमकी दी थी कि इसलिए उसने डर के कारण उसके विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी । पीड़ित लड़की ने यह भी कथन किया कि घटना के पांच माह पश्चात्, जब उसे ज्वर आया था तो उसकी माता और दादी उसे किशोरी नगर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले गए थे जहां डाक्टर ने उसे बताया कि उसे पांच माह का गर्भ था । पीड़ित लड़की ने यह भी कथन किया है कि अपनी माता द्वारा पूछे जाने पर उसने उसे घटना के संबंध में पूर्ण जानकारी दी थी । उसने यह भी कथन किया है कि उसकी जांच करने वाले डाक्टर ने पुलिस को इस संबंध में सूचित किया था, जिसके पश्चात् पुलिस ने उससे पूछताछ की तथा उसके कथन को लेखबद्ध किया और उसके पश्चात् उसकी चिकित्सा परीक्षा कराई गई । उसने यह भी कथन किया है कि उसके

जीजा ने अनेक बार उसके साथ बलात्संग किया था, यद्यपि, उसे उसके साथ किए जाने वाले बलात्संग की तारीखों का स्मरण नहीं था और उसने यह भी कथन किया है कि पहली बार बलात्संग के समय उसकी बड़ी बहन कक्ष के बाहर बैठी थी ।

63. प्रतिपरीक्षा के दौरान पीड़ित लड़की ने यह कथन किया कि उसे उस तारीख का स्मरण नहीं था, जिसको वह अपने जीजा के घर गई थी या उसे उस तारीख का भी स्मरण नहीं था जिसको वह वापस अपने पिता के घर आई थी । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त उसके पड़ोसियों के घर से 50 हाथ की दूरी के भीतर निवास करता है और उसके माता-पिता भी उसके साथ निवास करते हैं । उसने यह कथन किया कि उसने डर के कारण अपने जीजा के माता-पिता को उसके साथ हुई बलात्संग की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी । उसने यह भी कथन किया कि यह सत्य नहीं था कि उसने किसी अन्य लड़के के कारण गर्भ धारण किया था ।

64. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शित करता है कि पीड़ित लड़की ने संपूर्ण विचारण के दौरान यही प्रतिवाद किया है कि उसके बालक का जन्म उसके जीजा द्वारा उसके साथ किए गए लैंगिक मैथुन के कारण हुआ है ।

65. पीड़ित लड़की की माता (अभि. सा. 1) ने भी उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अपने दामाद को अपनी पुत्री के गर्भ के लिए उत्तरदायी ठहराया है । पीड़िता की माता के अनुसार पीड़ित लड़की लगभग 1 वर्ष और एक माह पूर्व, अर्थात् अक्तूबर, 2014 के आस-पास अभियुक्त के घर गई थी और उसने अभि. सा. 1 की बड़ी पुत्री अर्थात् अपनी बड़ी बहन, जिसका विवाह अभियुक्त से हुआ था, के घर रात गुजारी थी । दोनों घरों के बीच दूरी को तीस मिनट की अवधि में तय किया जा सकता है । इस संबंध में यह भी कथन किया गया है कि अपीलार्थी के घर के समीप कोई घर स्थित नहीं था ।

66. तथापि, जैसा कि पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उसके द्वारा अपने जीजा के विरुद्ध लगाए आरोप सदैव संगत नहीं थे । उक्त आरोप बलपूर्वक गुरुत्तर प्रवेशन

लैंगिक हमले से आरंभ होकर विवाह के वचन पर विश्वास करते हुए सहमति पूर्वक हुए मैथुन में परिवर्तित हो गया । पीड़ित लड़की ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में यह कहा है कि उसके द्वारा पूर्व में उसके जीजा के विरुद्ध लगाया गया बलात्संग का आरोप दबाव के अधीन लगाया गया था । उसने डर के कारण घटना के तुरंत पश्चात् इस प्रकार सहमतिपूर्ण मैथुन के संबंध में किसी को नहीं बताया था । पीड़ित लड़की की बहन (अभि. सा. 4) विचारण के दौरान पक्षद्रोही हो गई थी और उसने इस प्रभाव का अभिसाक्ष्य दिया कि वह आरोपित घटना से संबंधित किसी भी घटना के प्रति सचेत नहीं है या उसके पास उसके संबंध में कोई जानकारी मौजूद नहीं है ।

67. अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान पीड़ित लड़की की बहन ने इस तथ्य से इनकार किया कि उसके पति, अर्थात् अभियुक्त द्वारा उसे धमकी दी जा रही है और उसने यह कथन किया कि वह इस संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं कर सकती कि क्या पीड़ित लड़की अभियुक्त के साथ लैंगिक मैथुन के परिणामस्वरूप गर्भवती हुई थी अथवा नहीं ।

68. पीड़ित लड़की के पिता ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि पीड़ित लड़की प्राय: उसके दामाद के घर जाती थी । उसे डाक्टर की रिपोर्ट से यह तथ्य ज्ञात हुआ कि उसकी छोटी पुत्री गर्भवती हो गई थी और उसके गर्भ के लिए उसका दामाद उत्तरदायी था । उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसके पुत्रों के विवाह के दौरान वित्तीय रूप से उसकी सहायता की थी । उसने इस तथ्य से भी इनकार किया कि पीड़ित लड़की किसी अन्य व्यक्ति के संग मैथुन के परिणामस्वरूप गर्भवती हुई थी ।

69. अभियुक्त की संक्षिप्त परीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया है कि उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी कि पीड़िता को ज्वर के कारण किसी डाक्टर के पास उपचार हेतु ले जाया गया था जहां उसके द्वारा गर्भ धारण किए जाने के संबंध में ज्ञात हुआ । उसने पीड़ित लड़की की माता द्वारा दिए गए इस प्रभाव के साक्ष्य, जो प्रत्यक्ष रूप से

पीड़ित लड़की के गर्भधारण के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराता है, के संबंध में यह भी कथन किया कि उसे ऐसी किसी घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी । अभियुक्त ने यह कथन किया कि पीड़ित लड़की प्राय: उसके घर आती थी, किन्तु उसने इस बात से इनकार किया कि उसने उसके साथ बलात्संग किया था और उसने इस तथ्य से भी इनकार किया था कि उसने पीड़िता या उसकी बहन को किसी प्रकार की कोई धमकी दी थी । उसने पीड़ित लड़की के गर्भ के लिए उत्तरदायी होने से इनकार किया और यह कथन किया कि उस पर लगाया गया यह आरोप मिथ्या था कि उसने अनेक बार पीड़ित लड़की के साथ बलात्संग किया था ।

70. विचारण न्यायालय ने तारीख 28 अगस्त, 2019 को आक्षेपित निर्णय पारित किया । विचारण न्यायालय ने पीड़ित लड़की, अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का संक्षिप्त विवरण तैयार किया । दोनों पक्षों के तर्कों के लेखबद्ध करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने यह कथन किया कि उसे पीड़ित लड़की की बहन (अभि. सा. 4) द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास नहीं था । उसने यह कथन किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए पीड़ित लड़की के कथन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि उसके साथ उस समय लैंगिक मैथुन किया गया था जब उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी, इसका तात्पर्य यह है कि उसकी सहमति सारवान् नहीं थी । उसके पश्चात् उसने पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 का प्रतिनिर्देश दिया और यह कथन किया कि वह यह उपधारणा बना सकता था कि अभियुक्त द्वारा अभिकथित अपराध किया गया है और अभियुक्त के पास उपरोक्त अपराध करने हेतु आपराधिक मानसिक दशा मौजूद थी । उसने यह भी निष्कर्ष निकाला कि पीड़ित लड़की द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध कराए गए कथन को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए उसने अभियुक्त को इस आधार पर उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का दोषी ठहराया कि अभियुक्त व्यक्ति उसके विरुद्ध की गई उपधारणा को नकारने में

असफल रहा था और इस प्रकार उसने धारा 29 और 30 के अधीन साबित किए जाने के विलोम भार का निर्वहन नहीं किया था ।

71. हमारे सामने प्रस्तुत की गई दलीलों और उक्त दलीलों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए निर्दिष्ट निर्णयों के संबंध में माननीय न्यायमूर्ति चौधरी द्वारा ब्यौरेवार चर्चा की गई है और मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा । किन्तु मैं विधिक संदर्भ के समुचित मूल्यांकन के लिए दलीलों का एक संक्षिप्त पर्यावलोकन प्रस्तुत करने की ईप्सा करता हूं ।

72. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री डी. इलांगो ने यह दलील प्रस्तुत की है कि आक्षेपित निर्णय पारित करते समय विद्वान् विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया था कि पीड़ित लड़की के बालक की डीएनए परीक्षा रिपोर्ट अभिप्राप्त नहीं की गई थी, यद्यपि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53क में तारीख 23 जून, 2006 को किए गए संशोधन के पश्चात् यथा संशोधित उक्त धारा के निबंधनानुसार ऐसा करना आज्ञापक था । श्री इलांगो के अनुसार अभियोजन पक्ष पीड़ित लड़की के कथन को साबित करने तथा पीड़ित लड़की के बालक की जन्म की घटना को बलात्संग के अपराध के साथ जोड़ने में असफल रहा है क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए वह कोई भी डीएनए रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा था । श्री इलांगो ने यह उल्लेख किया है कि अपीलार्थी की पत्नी विचारण के दौरान पक्षद्रोही हो गई थी ।

73. श्री इलांगो ने यह भी कथन किया है कि पीड़ित लड़की ने तारीख 28 जून, 2015 को एक बालक को जन्म दिया था, जबकि अभियुक्ति व्यक्ति के विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों से यह उपदर्शित होता है कि उसने उक्त अपराध जुलाई/अगस्त, 2014 माह के दौरान कारित किया था । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई है कि यदि हम इस तथ्य को मान लें कि अपराध अगस्त, 2014 माह के दौरान कारित किया गया था तो बालक का जन्म अप्रैल, 2015 के अंत तक हो जाना चाहिए था । श्री इलांगो ने यह भी उल्लेख किया है कि पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा के दिन डाक्टर ने यह कथन

किया था कि उसका गर्भ 20 से 24 सप्ताह का था, जिसका तात्पर्य यह है कि उसने अगस्त, 2014 के दौरान किसी समय गर्भधारण किया था, जबकि पीड़ित लड़की अभियुक्त व्यक्ति के घर उसके बीमार पड़ने से केवल एक माह पूर्व अर्थात् नवम्बर, 2014 के अंत में या दिसम्बर, 2014 के आरंभ में गई थी । विद्वान् काउंसेल के अनुसार यह तथ्य अभिकथित अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उसे गर्भवती किए जाने के संबंध में गंभीर और वास्तविक संदेह उत्पन्न करता है । यह दलील भी दी गई है कि उक्त तथ्य के परिणामस्वरूप अभियुक्त को मिथ्या रूप से इस मामले में फंसाए जाने का विवाद्यक भी उद्भूत होता है ।

74. मेरी सूचना में यह तथ्य भी आया है कि अपील के प्रक्रम पर, जब अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए जमानत के अनुरोध पर विचार किया गया था तो समन्वय न्यायपीठ ने निम्नानुसार संप्रेक्षण किया था :–

> "दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसलों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात् हमारा प्रथमदृष्ट्या मत यह है कि पीड़ित लड़की द्वारा डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए नमूना एकत्रित किए जाने से इनकार किया जाना ऐसी परिस्थिति है, जिसे न्यायालय को दंडादेश को निलंबित किए जाने की अनुरोध पर विचार करते समय ध्यान में रखना होगा । अपीलार्थी/आवेदक को उसकी दोषसिद्धि के पश्चात् निर्दोषित की उपधारणा उपलब्ध न होने के बावजूद, हम आरोप पत्र फाइल किए जाने से पूर्व उसके आचार/आचरण और साथ ही इस तथ्य पर कि वह इन द्वीप समूहों का स्थायी निवासी है और उसका एक परिवार भी है जिसकी उसे देखभाल भी करनी है, विचार करने के पश्चात् उसके द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करने हेतु उद्धत हैं । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी/आवेदक की पत्नी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर भी इस न्यायालय द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया गया है । हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि उसके द्वारा अपने पति की संरक्षा करने का प्रयास किया जा सकता है किन्तु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पीड़ित लड़की भी उसकी छोटी बहन है ।"
>
> (बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

75. अपील की सुनवाई के दौरान हमने बालक के डीएनए प्रोफाइल के संबंध में पीड़ित लड़की के मतों को अभिनिश्चित करने के लिए तारीख 21 फरवरी, 2021 को एक आदेश पारित किया था । उक्त आदेश को नीचे उद्धृत किया गया है :–

> "हमने दोनों पक्षकारों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसलों को सुना । पूर्व में इस मामले को स्थगित किया गया था, जिससे अभियोजन पक्ष पीड़ित लड़की से उसके बालक, स्वयं पीड़ित लड़की तथा अभियुक्त के डीएनए प्रोफाइलिंग के संबंध में आवश्यक अनुदेश अभिप्राप्त करने में समर्थ हो सके ।
>
> अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने डीएनए प्रोफाइलिंग के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की है । विद्वान् विशेष लोक अभियोजक ने यह दलील प्रस्तुत की है कि अन्वेषण अधिकारी से संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका था । संबद्ध पुलिस अधीक्षक, पूर्वी और मध्य अंडमान को यह निदेश दिया जाता है कि वह <u>आस्थगित तारीख को या उससे पूर्व पीड़ित लड़की या बालक की डीएनए प्रोफाइलिंग के संबंध में पीड़ित लड़की की वांछा को अभिप्राप्त करे ।</u>"
>
> (बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

76. अभियोजन पक्ष के विद्वान् काउंसेल ने पीड़ित लड़की से प्राप्त संसूचना को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें यह कथन किया गया है कि यद्यपि प्राधिकारी ने पीड़ित लड़की के समक्ष डीएनए प्रोफाइल की आवश्यकता को स्पष्ट किया था किन्तु पीड़ित लड़की ने अपने और अपने बालक के डीएनए प्रोफाइल तैयार किए जाने के संबंध में अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया है ।

77. अभियोजन के पक्षकथन का मुख्य सार पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 के संदर्भ में साक्ष्य के सटीक मूल्यांकन पर अवलंबित है । यह दलील प्रस्तुत की गई है कि उनकी समुचित संरचना के अनुसार उक्त उपबंधों से यह अभिप्रेत होता है कि वर्तमान मामले में उक्त उपबंधों में अनुबंधित साबित करने का प्रतिलोम भार का अभियुक्त

द्वारा निर्वहन किया गया है । अत:, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि निचले न्यायालय ने यह उपधारणा बनाकर तथा अभिनिर्धारित करके कोई त्रुटि नहीं की थी कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित अपराधों के संबध में सुसंगत आपराधिक कार्य और अपराध करने की मानसिकता की उपस्थिति को पीड़ित लड़की के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन, जिसे कोई चुनौती नहीं दी गई है, के आधार पर साबित किया गया है और अत:, अभियुक्त को धारा 5 में उल्लिखित अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया था ।

78. इस पृष्ठभूमि में दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और आदेश का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है । न्यायमूर्ति चौधरी, साक्षियों और पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में विद्यमान विसंगतियों को अत्यंत सावधानीपूर्वक सामने लाए हैं । अत:, मैं इसकी पुनरावृत्ति करने का कोई प्रयास नहीं करुंगा, सिवाय उनके, जिन्हें मैंने ऊपर अभिलिखित अपने संप्रेक्षणों में उपदर्शित किया है । तथापि, मैं साबित करने के प्रतिलोम भार के संबंध में अपने मत प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

79. पॉक्सो अधिनियम एक विशेष कानून है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बालक कमजोर और असुरक्षित स्थिति में होता है और उसे लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न आदि जैसे अपराधों से संरक्षित किया जाना अपेक्षित है, आंग्ल – सेक्सोन न्यायशास्त्र में निर्दोषिता की उपधारणा, पॉक्सो अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन तब तक किसी अपराध को करने या उसका दुष्प्रेरण करने या अपराध करने का प्रयास करने की उपधारणा से प्रतिस्थापित हो जाती है, जब तक कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 द्वारा "प्रतिकूल रूप से साबित न कर दिया जाए" ।

80. इसी प्रकार, धारा 30 यह उपबंध करती है कि विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त के पास उस समय पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराध करने हेतु अपेक्षित "आपराधिक मानसिक स्थिति" है, जब उसे उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी मानसिक स्थिति की अपेक्षा करने वाले किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है । तथापि, धारा 30 अभियुक्त को यह अनुमति प्रदान करती है कि वह

इस तथ्य को साबित करके अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत कर सकता है कि पॉक्सो अधिनियम के अधीन उस पर आरोपित कृत्य का अपराध किए जाने के संबंध में मानसिक स्थिति विद्यमान नहीं थी । धारा 30 का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि "आपराधिक मानसिक स्थिति" में आशय, हेतुक, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य पर विश्वास या किसी तथ्य पर विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण अंतर्विष्ट है ।

81. सुगम संदर्भ के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 को यहां नीचे उद्धृत किया गया है :–

> '29. कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा – जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या उसका दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है, वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, उसका दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है ।
>
> 30. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा – (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने की प्रतिरक्षा उपलब्ध होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी ।
>
> (2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्तियुक्त संदेह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता के द्वारा स्थापित होती है ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में "आपराधिक मानसिक दशा" के अंतर्गत आशय, हेतुक, किसी तथ्य का बयान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किए जाने का कारण भी है ।'

82. कोई उपधारणा इस प्रभाव का विधिक निष्कर्ष या अवधारणा है कि कोई तथ्य या विधिक परिणाम, किसी अन्य तथ्य या तथ्यों के समूह के विद्यमान होने की जानकारी या उनकी साबित विद्यमानता के आधार पर विद्यमान है । अधिकांश उपधारणाएं साक्ष्य के ऐसे नियम हैं, जो किसी विशिष्ट मामले में तब तक कतिपय परिणाम की अपेक्षा करते हैं, जब तक कि अन्य पक्षकार, जो प्रतिकूल रूप से उससे प्रभावित हुए हैं, उसे निष्फल करने के लिए अन्य साक्ष्य सामने नहीं लाते हैं । कोई उपधारणा उस समय किसी विरोधी पक्षकार पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार या उसे स्थापित करने का भार अंतरित करती है, जो उक्त उपधारणा को निष्फल करने का प्रयास कर सकता है । अन्य शब्दों में, यह साबित करने के भार को प्रतिलोम कर देती है । किसी तथ्य या विधि के संबंध में किसी विशिष्ट उपधारणा की सुदृढ़ता या कमजोरी मामले की परिस्थितियों तथा वैकल्पिक स्पष्टीकरण की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करती है ।

83. कुछ ऐसे कानून विद्यमान हैं, जो सबूत के प्रतिलोम भार का सृजन करते हैं । ऐसे कानूनों में विद्यमान सुसंगत धारा स्पष्ट रूप से कतिपय ऐसे तथ्यों की विद्यमानता के संबंध में उपधारणा करती है, जिनका खंडन अभियुक्त द्वारा किया जाना अपेक्षित है – ऐसे कानून के अधीन इस आधार पर कार्यवाही की जाती है मानो तथ्यों की एक विशिष्ट परिस्थितिजन्य श्रृंखला विद्यमान है और यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है कि ऐसे तथ्य या तो विद्यमान नहीं है या उनकी विद्यमानता संभाव्य नहीं है । इसके दृष्टांतस्वरूप परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 138 को निर्दिष्ट किया जा सकता है । उक्त उपबंध के उद्देश्य के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वह शास्तिक और साथ ही प्रतिकरात्मक प्रकृति का उपबंध है । अपराध को एक विनियामक अपराध के रूप में विचार में लिया गया था और उक्त अधिनियम की धारा 139 के अधीन

उपधारणा को ध्यान में रखते हुए साबित करने का भार अभियुक्त पर था तथा अभियुक्त द्वारा दिए जाने वाले सबूत का मानक संभावनाओं की प्रबलता पर आधारित था । (**मैसर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य** बनाम **कंचन मेहता**[1] वाले मामले में निर्णय का पैरा 18) । इस प्रभाव की उपधारणा किया जाना अपेक्षित है कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत किसी प्रतिफल के लिए तैयार या आहरित की गई थी और उसे किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन हेतु निष्पादित किया गया था तथा ऐसी परक्राम्य लिखत का निष्पादन या तो साबित किया जाता है अथवा उसे स्वीकृत किया जाता है । जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, यह उपधारणा किया जाना अपेक्षित है कि किसी परक्राम्य लिखत का धारक, सम्यक् अनुक्रम में उसे धारण करने वाला व्यक्ति है । (**लक्ष्मी डाइकेम** बनाम **गुजरात राज्य**[2], पैरा 24-25 देखें) ।

84. इस प्रकार, कोई 'उपधारणा' एक संभाव्य परिणाम है, जिसे अधिकथित तथ्य की सत्यता से संबंधित तथ्यों के आधार पर निकाला गया है तथा कोई 'तथ्य की उपधारणा' ऐसा निष्कर्ष है, जिसे अन्य तथ्यों (चाहे वे निश्चित हों या उन्हें प्रत्यक्ष परिसाक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया हो) से अधिकथित तथ्य को सत्य मानते हुए उस तथ्य की विद्यमानता के आधार पर निकाला गया है । (**रामचंद्रन** बनाम **केरल राज्य**[3], रिपोर्ट का पृष्ठ 732-733 देखें) ।

85. जैसा कि पहले ही ऊपर कथन किया गया है यह प्रतिलोम भार आंग्ल-सेक्सोन न्यायशास्त्र में अधिकथित निर्दोषित की उपधारणा का अपवाद है, जिसका तात्पर्य यह है कि अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जा सकता है, जब तक कि सभी सुसंगत तथ्यों से परे यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि अभियुक्त ने अपराध को किया है । **वूलमिंग्टन** बनाम **लोक अभियोजन निदेशक**[4] वाले मामले में श्री विस्काउंट सैंकी, एलसी द्वारा कहे गए निम्नलिखित शब्द (रिपोर्ट का पृष्ठ 84 देखें) अत्यधिक प्रसिद्ध हैं :–

---

[1] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 4594.

[2] (2012) 13 एस. सी. सी. 375 = 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3468.

[3] (2009) 73 ए. आई. सी. 730 (केरल).

[4] (1935) ए. सी. 462.

"अंग्रेजी दांडिक विधि के संपूर्ण तंत्र में एक स्वर्णिम सिद्धांत सदैव चमकता है, जिसमें यह अनुबंधित है कि अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह कैदी के दोष को मेरे द्वारा पहले से ऊपर कथित तथ्य के अधीन रहते हुए तथा किसी अन्य कानूनी अपवाद के अधीन रहते हुए साबित करे ।'

86. **स्लेटर** बनाम **एच. एम. एडवोकेट**[1] वाले मामले में न्यायपालिका के स्कॉटिश उच्च न्यायालय ने क्रिमिनल अपील (स्कॉटलैंड) ऐक्ट, 1926 के अधीन न्यायालय के समक्ष की जाने वाली प्रथम अपील में निम्नानुसार कथन (रिपोर्ट का पृष्ठ 105 देखें) किया :–

"निर्दोषिता की उपधारणा दांडिक अपराध से आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को सटीक रूप से उस रीति में लागू होती है और उसे केवल, उस पर आरोपित अपराध को उसके द्वारा किए जाने से संबंधित सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करके निष्फल किया जा सकता है । निर्दोषित की उपधारणा दांडिक अभियोजन की संपूर्ण प्रणाली का मूलभूत सिद्धांत है और यह सुझाव देना आमूलचूल रूप से त्रुटिपूर्ण है कि अपीलार्थी के पास उक्त उपधारणा उतनी प्रबलता से मौजूद नहीं थी जितनी कि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के पास ।"

87. पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 उस समय दोषी होने की उपधारणा का सृजन करती है, जब किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन कोई अपराध करने के लिए अभियोजित किया जाता है । यह उपधारणा की जाती है कि उक्त व्यक्ति ने, :–

(i) यथास्थिति, अभिकथित अपराध किया है, या

(ii) या उसका दुष्प्रेरण किया है, या

(iii) या अपराध करने का प्रयत्न किया है ।

इस प्रकार की गई उपधारणा "जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं कर दिया जाता है", प्रबल और सतत बनी रहेगी ।

---

[1] (1928) जे. सी. 94.

88. सबूत के साक्ष्य संबंधी भार तथा सबूत के विधिक भार को अभियोजन पक्ष से अभियुक्त पर अंतरित किए जाने के बीच अंतर को प्रोफेसर ग्रैनविल विलियम्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द प्रूफ ऑफ गिल्ट' (तृतीय संस्करण) में पृष्ठ 185 से 186 पर, एक ओर अपने पक्षकथन के समर्थन में 'साक्ष्य संबंधी भार' या 'साक्ष्य को प्रस्तुत किए जाने के भार' के रूप में तथा दूसरी ओर उसके दोषी या निर्दोष होने के संबंध में अधिनिर्णय देने के लिए 'प्रेरक भार' या 'प्रेरित करने के भार' के रूप में वर्णित किया है ।

89. सबूत का प्रेरक भार अभियुक्त से यह साबित करने की आशा करता है कि वह किसी ऐसे तथ्य, जो उसके दोष या निर्दोषिता को अवधारित करने के लिए अनिवार्य है, को संभावनाओं के तराजू पर स्थापित किया जाए । कोई साक्ष्य संबंधी भार केवल यह अपेक्षा करता है कि अभियुक्त, मामले में तथ्यों में से एक का अवधारणा करने के लिए उसके समक्ष उठाए गए विवाद्यकों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करे । अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करे, इसलिए अभियुक्त, यदि वह किसी विवाद्यक को इंगित करने की वांछा करता है तो उसे अनिवार्य रूप से इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ।

90. कानूनी उपधारणा, जो अभियुक्त पर साक्ष्य संबंधी भार डालती है, अभियुक्त से यह अपेक्षा करती है कि वह केवल पक्षकथन के संबंध में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करे, जिससे उसके पक्ष में उपलब्ध निर्दोषित की उपधारणा भंग न हो । परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के अधीन चैक के धारक व्यक्ति के पक्ष में सृजित हुई उपधारणा के संबंध में यही सिद्धांत लागू होगा ।

91. कानूनी उपधारणा, जो प्रेरक भार को अभियुक्त पर अंतरित करती है, की परीक्षा किया जाना अपेक्षित है । यह सामान्य विधि साक्ष्य संबंधी उपधारणा के साथ समन्वयन में है और साक्ष्य के विषय में अभियुक्त तथा अभियोजक के बीच निष्पक्षता के संतुलन को परिरक्षित करने के लिए भागत: आवश्यक है ।

92. क्या हमें अपराध के अनिवार्य घटक के संबंध में दोष की

आज्ञापक उपधारणा के रूप में धारा 29 को विचार में लेना चाहिए ? तथापि, ऐसी आज्ञापक उपधारणा को लागू करने के लिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ऐसी किसी उपधारणा को इस प्रकार लागू किया जाता है कि तथ्यों के वे आधार, जिनका अवलंब लेकर उक्त उपधारणा को बनाया गया है, स्थापित कर दिए गए हैं । अन्य शब्दों में, उपधारणा की प्रकृति पर ध्यान न देते हुए हम इस तथ्य पर विचार कर सकते हैं कि अभियोजन पक्ष को इस प्रकार की उपधारणा का फायदा प्राप्त करने के लिए तथ्यों के आधार को नींव के रूप में तैयार करना होगा और ऐसे तथ्यों के आधार पर, जो कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना, स्वत: ही अपराध के कारण को साबित करके दोष की उपधारणा को प्रस्तुत करते हैं, आज्ञापक उपधारणा को लागू किया जा सकता है । इस प्रकार के आधारिक तथ्यों के बिना, साक्ष्यों की खोखली नींव पर बने भवन का गिरना तय है और ऐसी परिस्थितियों में किसी अभियुक्त को यह साबित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जा सकता कि उसने अपराध नहीं किया है । किसी भी मामले के लिए यह प्राथमिक अपेक्षा है कि ऐसा व्यक्ति, जो किसी विवाद्यक को उठाता है, उसे न्यायालय का सर्वप्रथम यह समाधान करना होगा कि उसके पक्षकथन को साबित करने के लिए सामग्री और/या आवश्यक तथ्य और साक्ष्य विद्यमान हैं या संभाव्य हैं । तथापि, ऐसे मामलों में जहां सबूत का प्रतिलोम भार विद्यमान है, वहां अभियोजन पक्ष पर सबूत के भार की गहनता और जटिलता पर्याप्त रूप से इस कारणवश कम हो जाती है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 में विद्यमान स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए विधि में जो उपधारणा की गई है वह अभियोजन पक्ष द्वारा किसी अपराध को साबित करने के लिए अपेक्षित कर्तव्य के निर्वहन को बड़ी सीमा तक कम कर देती है । जहां किसी आधारिक तथ्य को साबित करने या स्वीकार करने के लिए विधि की अकाट्य उपधारणा को लागू किया जाता है वहां एक अन्य तथ्य के संबंध में भी उपधारणा की जाएगी और दूसरे पक्षकार को ऐसी उपधारणा का खंडन करने के लिए किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने से वर्जित किया जाएगा । जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, धारा 29 इस

तथ्य को स्पष्ट करती है कि किसी अन्य तथ्य की विद्यमानता की उपधारणा करने के लिए एक आधारिक तथ्य या मूलभूत तथ्य का सबूत प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

93. **नूर आगा** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 54 और 53क के साथ पठित धारा 35 के संदर्भ में सबूत के प्रतिलोम भार के प्रश्न पर विचार किया था । माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात को मान्यता प्रदान की है कि निर्दोषिता की उपधारणा किसी व्यक्ति का एक मूल्यवान अधिकार है, किन्तु यह "कतिपय मूलभूत तथ्यों को स्थापित करने और कतिपय सीमा तक सबूत का भार अभियुक्त पर रखा जा सकता है" (निर्णय का पैरा 35 देखें), के सिद्धांत के अधीन रहते हुए है । निर्दोष समझे जाने की उपधारणा से संबंधित अधिकार, निस्संदेह रूप से यह मूल्यवान अधिकार है, किन्तु विधानमंडल द्वारा सबूत के भार से संबंधित कतिपय मूलभूत तथ्यों को स्थापित कर दिए जाने के उपरांत सबूत के प्रतिलोम भार का उपबंध किया जाता है तो अभियुक्त से यह अपेक्षित होगा कि ऐसे प्रतिलोम भार का निर्वहन करे । प्रतिलोम भार से संबंधित उपबंध न केवल विशेष अधिनियमों, जैसे कि एन.डी.पी.एस अधिनियम, एन. आई अधिनियम और वर्तमान अधिनियम में उपबंधित किए गए हैं, अपितु उन्हें साधारण कानूनों के अंतर्गत भी रखा गया है । भारतीय दंड संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) कतिपय मामलों में अभियुक्त पर इस प्रकार का प्रतिलोम भार रखे जाने का उपबंध करते हैं, उदाहरणार्थ धारा 113क और 113ख के अधीन ।

94. इस प्रकार के सभी विधानों का सांविधानिक रूप से उत्तम रीति में निर्वचन किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में सर्वाधिक सुसंगत परीक्षण को, जिसे ऐसे कानूनी उपबंधों, जो सबूत के प्रतिलोम भार को परिकल्पित करते हैं, को उत्तीर्ण करना होगा, अनुपातिक परीक्षण में संविधान के प्रतिकूल माना जाता है । इस विषय में **नूर आगा** (उपरोक्त)

[1] (2008) 16 एस. सी. सी. 417 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 852.

वाले मामले में दिए गए निर्णय में न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा के संप्रेक्षण को निम्नानुसार उद्धृत किया जा सकता है :–

> "55. इस प्रकार किसी अभियुक्त पर सबूत का भार रखने वाले किसी शास्तिक उपबंध की सांविधानिक विधिमान्यता का परीक्षण राज्य के निर्दोष नागरिकों को संरक्षित करने के उत्तरदायित्व की तुलना में किया जा सकता है ।
>
> 56. न्यायालय को ऐसे अधिकार के महत्व का मूल्यांकन करना चाहिए, जो हमारे समाज तक सीमित है और उसकी तुलना परिसीमा के प्रयोजन के प्रति की जानी चाहिए । परिसीमा का प्रयोजन वह कारण है, जिसके आधार पर विधि या आचार किसी अधिकार को सीमित करता है ।
>
> *** *** ***
>
> 86. क्या अभियुक्त पर इस प्रकार रखे जाने वाला भार कोई विधिक भार है अथवा वह एक साक्ष्यात्मक भार है, इस प्रश्न का उत्तर कानून पर निर्भर करता है । ऐसे कानून के प्रयोजन और उद्देश्य को ऐसे किसी प्रश्न का अवधारण करने के लिए विचार में अवश्य लिया जाना चाहिए । उसे आनुपातिकता के सिद्धांत के परीक्षण को उत्तीर्ण करने में सक्षम होना चाहिए । कतिपय मामलों में अभियोजन के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है कि अभियुक्त पर रखा गया भार केवल एक विधिक भार मात्र नहीं है, अपितु वह एक साक्ष्यात्मक भार है । विचारण को निष्पक्ष होना चाहिए । अभियुक्त को स्वयं की प्रभावी रूप से प्रतिरक्षा करने के लिए सभी अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिएं ।
>
> यह अवधारण करने के लिए कि क्या प्रतिलोम भार निर्दोषिता की उपधारणा से मेल खाता है अथवा नहीं, लागू किए जाने वाले सिद्धांतों को प्रत्येक मामले में, उसमें अंतर्वलित कानूनी उपबंधों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए ।"
>
> (बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

95. सबूत के साक्ष्यात्मक भार और सबूत के प्रेरक भार के बीच अंतर उनकी शब्द व्युत्पत्ति में है, यह टिप्पण न्यायमूर्ति बेग (जैसे कि महामहिम उस समय आसीन थे) ने **नारायण गोविंद गवाटे और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में निर्णय (माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीश की खंडपीठ का निर्णय देते हुए) में उल्लिखित किया था और इसे रिपोर्ट के पैरा 16 पर निम्नानुसार उद्धृत किया गया है :–

> "16. फिप्सन ऑन एविडेंस (11वां संस्करण) नामक पुस्तक (पृष्ठ 40, पैरा 92 में) में सिद्धांतों को ऐसी रीति में अधिकथित किया गया है, जो हमारे साक्ष्य अधिनियम में अंतर्विष्ट सुसंगत उपबंधों के अर्थान्वयन पर समुचित प्रकाश डालते हैं :–
>
> > 'सबूत के भार' पद, जैसा कि वह न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में लागू किया जाता है, के दो सुभिन्न तथा प्राय: भ्रमित करने वाले अर्थ हैं – (1) विधि के विषय के रूप में सबूत का भार तथा अभिवचन – भार, जैसा कि उसे सामान्य रूप से नामित किया जाता है, किसी मामले को स्थापित करने के लिए, चाहे ऐसा साक्ष्य के बाहुल्य से किया जाए अथवा सुसंगत संदेहों को दूर करके किया जाए ; और (2) साक्ष्य प्रस्तुत करने की भावना में सबूत का भार ।"

96. सबूत के साक्ष्यात्मक भार तथा सबूत के प्रेरक भार के बीच अंतर को समझने के लिए हम **रजि.** बनाम **डी.पी.पी., एकपक्षीय कैबलिन और अन्य**[2] वाले मामले में लॉर्ड होप ऑफ क्रेगहेड द्वारा दिए गए सिद्धांत पर विचार किया जा सकता है, जिसे रिपोर्ट के पृष्ठ 378एच-379ए से निम्नानुसार उद्धृत किया गया है :–

> 'सर्वप्रथम सबूत के भार को अभियोजन पक्ष से अभियुक्त को अंतरित किए जाने के बीच अंतर करना आवश्यक है और इसे ग्लेनविल विलियम्स द्वारा पृष्ठ 185-186 पर "साक्ष्यात्मक भार" या एक ओर अपने पक्षकथन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के

---

[1] ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 183.

[2] (2000) 2 ए. सी. 326.

भार और "प्रेरक भार" या दूसरी ओर जूरी को उसके दोष या निर्दोषिता के संबंध में संतुष्ट करने के भार के रूप में वर्णित किया गया है । सबूत का "प्रेरक भार" अभियुक्त से संभाव्यताओं के संतुलन पर ऐसे किसी तथ्य को साबित करने की अपेक्षा करता है, जो उसके दोष या निर्दोषिता का अवधारण करने के लिए अनिवार्य है । यह सबूत के भार को, उसे अभियोजन पक्ष से हटा कर तथा अभियुक्त पर अंतिरत करते हुए उसे प्रतिलोम बनाता है । कोई "साक्ष्यात्मक भार" केवल यह अपेक्षा करता है कि अभियुक्त को उसके समक्ष विद्यमान विवाद्यकों में से किसी एक ऐसे विवाद्यक को उठाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए, जिसे मामले के तथ्यों में से एक के रूप में अवधारित किया जाना है । अभियोजन पक्ष को इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए यदि अभियुक्त विवाद्यक के बिन्दु को साबित करना चाहता है तो उसे इस संबंध में सबूत प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है । किन्तु यदि उसे विवाद्यक का भाग बनाया जाता है तो सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर ही रहता है । अभियुक्त को केवल अपने दोष के संबंध में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करने की आवश्यकता है ।'

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

97. लार्ड होप के विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि कोई साक्ष्यात्मक भार अनिवार्य रूप से आक्षेप प्रस्तुत करने का भार है । जैसा कि लार्ड बिंघम द्वारा **शेलड्रेक** बनाम **डी.पी.पी.**[1] वाले मामले में कथन किया गया है, जिसे निर्णय के पैरा 1 में सम्मिलित किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

"कोई साक्ष्यात्मक भार प्रत्यक्ष रूप से सबूत का भार नहीं हो सकता है । यह किसी मामले में साक्ष्य पर ऐसा कोई विवाद्यक उठाने का भार है, जो तथ्य के अधिकरण द्वारा विचार हेतु उचित प्रश्न माना जाता है । यदि किसी विवाद्यक को समुचित रूप से

[1] (2004) यू. के. एच. एल. 43 = (2005) 1 आल ई आर 237.

उठाया जाता है तो यह अभियोजक का कर्तव्य है कि वह उसे सुसंगत संदेह से परे साबित करे और निर्मुक्ति के लिए इस आधार का फायदा प्रत्यर्थी द्वारा नहीं लिया जा सकता ।"

98. कोई कानून, जो किसी अभियुक्त व्यक्ति के आपराधिक कार्य/आपराधिक मानसिक स्थिति से संबंधित प्रतिकूल उपधारणा के माध्यम से साक्ष्यात्मक भार अधिरोपित करता है, केवल यह अपेक्षा करता है कि उसे उपरोक्त प्रभाव की उपधारणा का खंडन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए । अभियुक्त के लिए यह आवश्यक है कि वह यह दर्शित करे कि उपधारणा खंडन किए जाने योग्य है और उसे यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि अपेक्षित आपराधिक कार्य/आपराधिक मानसिक स्थिति स्थापित नहीं की गई है । यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर ही बना रहेगा कि अपेक्षित आपराधिक कार्य या आपराधिक मानसिक स्थिति को स्थापित किया जाता है । ऐसे किसी मामले में निर्दोषिता की उपधारणा पर प्रहार नहीं किया जाता है, उसे केवल उस समय तक निलंबित रखा जाता है, जब तक कि अभियुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करके ऐसे निलंबन के प्रति आक्षेप प्रस्तुत नहीं कर देता । एक बार इस प्रकार का आक्षेप कर दिए जाने पर, अभियोजन पक्ष इस प्रकार अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाएगा मानो अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा विद्यमान है और उसे यह साबित करना होगा कि अपराध के घटकों को सभी सुसंगत संदेहों से परे स्थापित कर दिया गया है ।

99. इसके विपरीत, सबूत के प्रेरक भार, जब कभी उसे किसी कानून द्वारा अभियुक्त व्यक्ति पर अधिरोपित किया जाता है, द्वारा अभियुक्त व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वास्तविक रूप से यह दर्शित करे कि उस अपराध के घटक, जिसके संबंध में उस पर आरोप लगाए गए हैं, साबित नहीं हो सके हैं । वह केवल साक्ष्य प्रस्तुत करके उपरोक्त प्रभाव की उपधारणा का खंडन करने की ईप्सा नहीं कर सकता, उसे इस प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे कि वह न्यायालय का इस संबंध में समाधान कर सकता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है ।

100. अन्य शब्दों में, सबूत के प्रेरक भाग की अपेक्षा करने वाला कोई कानूनी उपबंध दोष की उपधारणा करता है और वह केवल उस समय ऐसे किसी उपधारणा को परित्यक्त करता है, जब अभियुक्त व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसने अपराध नहीं किया है । जबकि, सबूत के साक्ष्यात्मक भार की अपेक्षा करने वाला कोई कानूनी उपबंध केवल निर्दोषिता की उपधारणा को निलंबित करता है और यदि अभियुक्त स्वयं के दोषी न होने को पूर्णरूपेण स्थापित करने की बजाय केवल यह दर्शित करता है कि वह दोषी नहीं है तो उसकी निर्दोषिता की उपधारणा स्वयमेव पुनर्जीवित हो जाती है ।

101. मैं इन निष्कर्षों के संबंध में आगे और समर्थन हेतु **सय्यद अकबर** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में न्यायमूर्ति सरकारिया (उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय देते हुए) द्वारा दिए गए निर्णय को उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें महामहिम न्यायमूर्ति ने "स्वयं प्रमाण" के सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए साक्ष्य की विधि में पाए जाने वाली विभिन्न उपधारणाओं पर विचार-विमर्श (एस. सी. सी. रिपोर्ट का पैरा 21 से 23 देखें) किया है जिन्हें यहां नीचे प्रस्तुत किया गया है (साथ ही – क्रास ऑन एविडेंस (10वां संस्करण) – पृष्ठ 7250 और फिप्सन ऑन एविडेंस (19वां संस्करण) – पैरा 6 से 18 भी देखें :–

> '21. ..... उपधारणाएं तीन प्रकार की हैं –
>
> (i) अनुज्ञेय उपधारणाएं या तथ्य की उपधारणाएं ।
>
> (ii) अनिवार्य उपधारणाएं या विधि की उपधारणाएं (खंडनीय)
>
> (iii) विधि की अखंडनीय उपधारणाएं या निर्णायक सबूत ।
>
> उपरोक्त खंड (i), (ii) और (iii) को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के क्रमश: खंड (1), (2) और (3) के रूप में उपदर्शित किया गया है । <u>"तथ्य की उपधारणा" कतिपय तथ्य के संबंधित निष्कर्ष हैं जिन्हें प्रकृति के सामान्य</u>

[1] (1980) 1 एस. सी. सी. 30 = मनु./एस. सी./0275/1979 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1848.

अनुक्रम, मानवीय मस्तिष्क की संरचना, मानवीय कार्यों के प्रवाह, समाज के आचरण और आदतों तथा मानवीय कार्यों के साधारण अनुक्रम से निकाले गए पैटर्न के आधार पर निकाला गया है । धारा 114 एक साधारण धारा है, जो इस प्रकार की उपधारणाओं से संबंधित है । न्यायालय के लिए यह आबद्धकर नहीं है कि वह तथ्य की उपधारणा निकाले । ऐसी उपधारणाओं के संबंध में, अधिनियम न्यायालय को प्रत्येक मामले में यह विनिश्चय करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है कि क्या ऐसा तथ्य, जिसके संबंध में धारा 114 के अधीन उपधारणा की जानी है, उस उपधारणा के कारण साबित हुआ है अथवा नहीं । (कृपया ओटो जार्ज का संदर्भ लें) ।

22. "विधि की उपधारणा" की दशा में न्यायालय के विवेकाधिकार पर कुछ नहीं छोड़ा जाता और न्यायालय के लिए यह आबद्धकर है कि वह इस तथ्य को तब तक साबित होने के रूप में उपधारित करे, जब तक कि हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसका खंडन करने या उसके असत्य होने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है । इस प्रकार की उपधारणाओं का दृष्टांत साक्ष्य अधिनियम की धारा 79, 80, 81, 83, 85, 89 और 105 के अधीन पाया जाता है ।

23. सबूत के भार से संबंधित पहली और दूसरी प्रकार की उपधारणाओं के प्रभाव के बीच अंतर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है । तथ्य की उपधारणा (अर्थात् अभियुक्त पर सबूत का साक्ष्यात्मक भार डाले जाने संबंधी उपधारणा) केवल "साक्ष्य के साथ कार्यवाही आगे बढाने के भार" को प्रभावित करती है । तथापि, "विधि की उपधारणा" (अर्थात् सबूत के प्रेरक भार को डालने वाली उपधारणा) सबूत के विधिक भार को अंतरित करने की सीमा तक जाती है जिससे कि संभाव्यता के संतुलन के संबंध में खंडन किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य की अनुपस्थिति में, कोई निर्णय निदिष्ट किया जा सके (फ्लेमिंग) ।'

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

102. इस प्रश्न का समाधान करने के लिए कि क्या पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 अभियुक्त पर सबूत का साक्ष्यात्मक भार डालती है अथवा प्रेरक भार, यह आवश्यक होगा कि ऐसे मामलों को विचार में लिया जाए, जहां न्यायालयों में पूर्णत: समतुल्य कानूनी उपबंधों के अधीन सबूत के दो भारों के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है । यद्यपि, इस विवाद्यक पर अनेकों निर्णय विद्यमान हैं, मैं केवल कुछ निर्णयों का प्रतिनिर्देश करना चाहता हूं, जिससे संक्षिप्तता को बनाए रखते हुए उक्त निर्णयों में अंतर्विष्ट उच्चतर सिद्धांतात्मक व्याख्या को विचार में लिया जा सके ।

103. मैं सर्वप्रथम **धनवंतराय बलवंतराय देसाई** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले को प्रतिनिर्दिष्ट करना चाहूंगा । इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2) की धारा 4(1) के निर्वचन संबंधी विवाद्यक पर विचार किया गया था । उक्त उपधारा में निम्नानुसार उपबंधित है :–

> "जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 161 या धारा 165 के अधीन दंडनीय अपराध के विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से, स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण (किसी विधि पारिश्रमिक से भिन्न) या कोई अन्य मूल्यवान वस्तु स्वीकार या अभिप्राप्त की है या स्वीकार करने के लिए सहमति दी है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि जब तक कि इसके प्रतिकूल को साबित नहीं कर दिया जाता कि उसने, यथास्थिति उक्त परितोषण या मूल्यवान वस्तु को यथास्थिति, उक्त धारा 161 में यथाउल्लिखित हेतुक या पुरस्कार के रूप में अथवा बिना प्रतिफल के या किसी ऐसे प्रतिफल के जिसके संबंध में उसे यह ज्ञात है कि वह अपर्याप्त है, स्वीकार किया है या अभिप्राप्त किया है अथवा स्वीकार करने हेतु सहमति दी है अथवा अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है ।"
>
> (बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

[1] (1964) 1 क्रिमिनल ला जर्नल 437.

104. माननीय उच्चतम न्यायालय की एक पांच न्यायाधीशों वाली खंडपीठ के समक्ष यह प्रतिवाद किया गया था कि उक्त धारा का निर्वचन इस प्रकार किया जा सकता था कि उससे यह अभिप्रेत हो कि केवल इसी धन की प्राप्ति मात्र से ही इस उपधारणा को उठाया जाना न्यायोचित नहीं है और अपराध को साबित करने हेतु केवल धन की प्राप्ति से अधिक साबित किया जाना अपेक्षित है । इसके पश्चात् यह भी प्रतिवाद किया गया था कि अभियुक्त व्यक्ति कोई युक्तियुक्त और संभाव्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके उक्त उपधारा के अधीन उद्भूत होने वाली उपधारा का खंडन कर सकता है । यह भी प्रतिवाद किया गया था कि यदि कोई उपधारणा मानव कार्य के सामान्य अनुक्रम से उद्भूत होती है या किसी कानून से उद्भूत होती है, इस तथ्य का उस रीति पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, जिसमें उक्त उपधारणा का खंडन किया जा सकता है । जहां तक अंतिम बिन्दु का संबंध है, **ओटो जार्ज गफेलर** बनाम **द किंग**[1] वाले मामले में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया था ।

105. न्यायमूर्ति मुधोलकर (उच्चतम न्यायालय की एक पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ का निर्णय देते हुए) ने निम्नलिखित शब्दों, जो रिपोर्ट के पैरा 12 और 13 में अंतर्विष्ट है, इन प्रतिवादों का खंडन किया :–

> "12. ऊपर निर्दिष्ट निर्णय में प्रिवी काउंसिल, नाइजिरिया से एक मामले पर कार्यवाही करते हुए, ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यदि ऐसा कोई स्पष्टीकरण दिया गया था, जिसे जूरी युक्तियुक्त रूप से सही मानती है और जो निर्दोषिता की उपधारणा से संगत है, तो यद्यपि, वे उसकी सत्यता के संबंध में निश्चित नहीं थे, फिर भी अभियुक्त व्यक्ति ऐसे किसी मामले में निर्मुक्ति का हकदार होगा क्योंकि अभियोजन पक्ष जूरी का अभियुक्त के दोष के संबंध में सुसंगत संदेह से परे समाधान करने में असफल रहा है और इस प्रकार वह उस पर अधिरोपित कर्तव्य का निर्वहन

[1] ए. आई. आर. 1943 पी. सी. 211.

करने में असमर्थ रहा है । तथापि, यह एक ऐसा मामला था, जहां जूरी के समक्ष विचारार्थ यह प्रश्न आया था कि क्या भारत में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन उठाई जाने वाली प्रकृति की उपधारणा को हाल ही में चोरी हुए मालों के कब्जे के तथ्य के आधार पर उठाया जा सकता है और यह कथन किया जा सकता है कि मालों को कब्जे में रखने वाला व्यक्ति या तो चोर है अथवा चुराई गई संपत्ति का प्रापक है । तथापि, हमारे समक्ष विद्यमान मामले में उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन उद्भूत नहीं होती है, अपितु यह उपधारणा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन उद्भूत होती है । इस संबंध में हमें यह तथ्य ध्यान में रखना होगा कि यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन न्यायालय के पास यह विवेकाधिकार है कि वह किसी अन्य तथ्य को साबित किए जाने के आधार पर किसी विशिष्ट तथ्य की विद्यमानता के संबंध में उपधारणा को स्वीकार करे अथवा नहीं, और न्यायालय के लिए यह आबद्धकर नहीं है कि वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उक्त प्रभाव की उपधारणा को स्वीकार करे, तथापि, यदि किसी कतिपय तथ्य को साबित किया जाता है, अर्थात् जहां यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से कोई परितोषण (विधिक परितोषण से भिन्न) या कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त की है तो न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह इस उपधारणा को स्वीकार करे कि उस व्यक्ति ने उक्त परितोषण या वस्तु पुरस्कार के उस हेतुक के रूप में स्वीकार किया है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 161 में उल्लिखित किया गया है । अतः, यदि एक बार यह स्थापित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने ऐसी कोई धनराशि प्राप्त की है, जो उसे किसी विधिक पारिश्रमिक के रूप में शोध्य नहीं थी तो न्यायालय के पास इस मामले में कोई अन्य विकल्प नहीं है । निस्संदेह रूप से, ऐसे व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वह यह दर्शित कर सकता है कि यद्यपि, उक्त धनराशि उसे किसी विधिक पारिश्रमिक

के रूप में शोध्य नहीं थी, फिर भी किसी अन्य रीति में वह उसे विधिक रूप से शोध्य थी या उसने उक्त धनराशि को ऐसे किसी संव्यवहार या ठहराव, जो विधिपूर्ण था, के अधीन प्राप्त किया था । ऐसे किसी मामले में अभियुक्त व्यक्ति पर रखा गया सबूत का भार उतना न्यून नहीं होगा जितना कि उस समय होता है, जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन किसी उपधारणा को उठाया जाता है तथा ऐसे मामले में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि केवल इस तथ्य के कारण उस भार का निर्वहन हो गया है कि अभियुक्त द्वारा प्रस्थापित स्पष्टीकरण युक्तियुक्त और संभाव्य है । इसके अतिरिक्त, यह दर्शित किया जाना आवश्यक है कि प्रस्थापित स्पष्टीकरण सत्य है । इस उपबंध में आने वाले 'जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है' शब्द स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा करते हैं कि उपधारणा का खंडन सबूत द्वारा किया जाएगा और न कि केवल ऐसे किसी स्पष्टीकरण द्वारा, जो मात्र संभाव्य प्रतीत होता है । किसी तथ्य के संबंध में उस समय यह माना जाता है कि उसे साबित कर दिया गया है, जब उसकी विद्यमानता को प्रत्यक्ष रूप से स्थापित कर दिया जाता है या न्यायालय उसके समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि उसकी विद्यमानता की संभावना इतनी प्रबल है कि 'कोई प्रज्ञावान व्यक्ति यह मानकर कार्य करेगा कि वह विद्यमान है' । अतः, जब तक कि स्पष्टीकरण को किसी सबूत द्वारा समर्थन प्राप्त न हो, उपबंध द्वारा सृजित उपधारणा के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उसका खंडन कर दिया गया है ।

13. इस न्यायालय ने मद्रास राज्य **बनाम** ए. वैद्यनाथ अय्यर (1) वाले मामले में इस प्रश्न पर विचार किया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन किस प्रकार उस भार, जिसे अभियुक्त पर अंतरित किया गया था, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसका निर्वहन हो गया है । उक्त मामले में यह संप्रेक्षण किया गया है कि –

"अतः, जहां यह साबित कर दिया जाता है कि किसी परितोषण को स्वीकार किया गया है, तो उक्त धारा के अधीन तुरंत उपधारणा का सृजन हो जाता है । यह इस साधारण नियम के एक अपवाद को पुरःस्थापित करती है कि दांडिक मामलों में सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और इस प्रकार वह इस भार को अभियुक्त पर अंतरित करती है । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विधान मंडल ने 'उपधारणा करेगा' शब्दों को उपबंध में सम्मिलित किया है न कि 'उपधारणा की जा सकेगी' शब्दों को, इनमें से प्रथम उपधारणा विधि की एक उपधारणा है तथा पश्चात्वर्ती उपधारणा, तथ्य की उपधारणा है । इन दोनों पदों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित किया गया है, निस्संदेह रूप से उस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, किन्तु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4 को, जो सामग्री में साक्ष्य अधिनियम के अनुरूप है क्योंकि वह साक्ष्य की विधि की एक शाखा अर्थात् उपधारणाओं से संबंधित है और इसलिए उसका समान अर्थान्वयन किया जाना चाहिए । 'उपधारणा करेगा' शब्दों को साक्ष्य अधिनियम द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किया गया है –

> "जब कभी इस अधिनियम द्वारा यह निदिष्ट किया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा तो वह तब तक ऐसे तथ्यों को ध्यान में रखेगा, जिन्हें साबित कर दिया गया है, जब तक कि उन्हें असत्य साबित न कर दिया गया हो ।"

<u>यह विधि की उपधारणा है और इसलिए न्यायालय के लिए यह आबद्धकर है कि वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के अधीन लाए गए प्रत्येक मामले में इस उपधारणा को सृजित करे क्योंकि तथ्य की उपधारणा के मामलों के विपरीत, विधि की उपधारणा न्यायशास्त्र की एक शाखा का गठन करती है ।"</u>

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

106. ऊपर उद्धृत पैराओं में न्यायमूर्ति मुधोलकर द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त उपधारा न्यायालयों से उस दशा में, जहां इस तथ्य को स्थापित कर दिया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी परितोषण को स्वीकार या अभिप्राप्त किया है या स्वीकार या अभिप्राप्त करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है, यह उपधारणा करने की अपेक्षा करती है कि अभियुक्त के पास पुरस्कार संबंधी हेतुक मौजूद था । महामहिम न्यायमूर्ति ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इस उपधारणा का खंडन केवल उस समय किया जा सकता है जब अभियुक्त द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उसके प्रतिकूल साबित कर दिया जाता है । माननीय न्यायाधीश ने उनके द्वारा अभिनिर्धारित किए गए निष्कर्षों को इस तर्क पर आधारित किया है कि उक्त उपधारा के अधीन की जाने वाली उपधारणा विधि की उपधारणा है और न कि तथ्य की उपधारणा । वह ऊपर उपरोक्त प्रभाव के निष्कर्षों को अभिनिर्धारित करते हुए विद्वान् न्यायाधीश **ओटो जार्ज** (उपरोक्त) द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से अंतर करते हुए यह कथन करते हैं कि वह मामला साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 से संबंधित है, जिसके अनुसरण में विधि के अनुसार न्यायालय के लिए कोई उपधारणा करना आज्ञापक नहीं है, जबकि धारा 4(1) के अधीन न्यायालय द्वारा आज्ञापक रूप से यह अपेक्षित है कि वह तब तक सुसंगत हेतुक की विद्यमानता के संबंध में उपधारणा करे जब तक कि तथ्य (तथ्यों) की विद्यमानता को प्रत्यक्ष रूप से स्थापित करके उसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता ।

107. इसी प्रकार का और हाल ही में किया गया अभिनिर्धारण **केबिलेन** (उपरोक्त) द्वारा व्यक्त किया गया है, साथ ही **रजि.** बनाम **लैम्बर्ट**[1] वाला मामला भी देखें, जिसमें लार्ड होप ने हमें सबूत के साक्ष्यात्मक भार और सबूत के प्रेरक भार के बीच अंतर के संबंध में गहन विश्लेषण उपलब्ध कराया है । इस मामले में, ब्रिटिश प्रीवेंशन आफ टेरोरिज्म (टेम्परेरि प्रोविजन्स) ऐक्ट, 1989 की धारा 16क पर विचार किया गया था । उक्त धारा में निम्नानुसार उपबंध किया गया है :–

[1] (2002) 2 ए. सी. 545.

"(1) कोई व्यक्ति उस समय किसी अपराध का दोषी है, जब उसके पास ऐसी परिस्थितियों में ऐसी कोई वस्तु है और उसने उसे अपने कब्जे में रखा है, जिसके कारण युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है कि उसके कब्जे में मौजूद वस्तु आतंकवाद से संबंधित ऐसी गतिविधियों को किए जाने, उनकी तैयारी करने या उकसाने से संबंधित प्रयोजन के लिए है, जिन्हें यह धारा लागू होती है ।

(2) आतंकवाद से संबंधित गतिविधियां, जिन्हें यह धारा लागू होती है, निम्नानुसार हैं – (क) उत्तरी आयरलैंड के कार्यों से संबंधित आतंकवादी गतिविधियां; और (ख) किसी अन्य वर्णन की आतंकवादी गतिविधियां, सिवाय ऐसी गतिविधियों के, जो यूनाईटेड किंगडम या उत्तरी आयरलैंड से भिन्न यूनाईटेड किंगडम के किसी भाग के कार्यों से एकमात्र रूप से संबंधित है ।

(3) इस धारा के अधीन आरोपित किसी व्यक्ति के लिए यह एक विधिपूर्ण प्रतिरक्षा है कि वह यह साबित करे कि अभिकथित अपराध किए जाने के समय प्रश्नगत वस्तु ऐसे किसी प्रयोजन, जो ऊपर उपधारा (1) में उल्लिखित है, के लिए उसके कब्जे में नहीं थी ।

(4) जहां किसी व्यक्ति पर इस धारा के अधीन कोई आरोप लगाया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि अभिकथित अपराध के समय – (क) वह तथा उक्त वस्तु, दोनों किसी परिसर में एक साथ मौजूद थे ; या (ख) वस्तु ऐसे किसी परिसर में मौजूद थी, जिसका अधिभोगी आरोपित व्यक्ति है या आम जनता के किसी सदस्य के रूप से भिन्न अन्यथा वह परिसर प्रायिक रूप से उसके द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, तो न्यायालय तब तक इसे पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए इस तथ्य को साबित तथ्य के रूप में स्वीकार कर सकेगा कि प्रश्नगत वस्तु अपराध किए जाने के समय आरोपित व्यक्ति के कब्जे में थी, जब तक कि यह और साबित नहीं कर दिया जाता कि उसे अपराध के समय प्रश्नगत वस्तु के उपरोक्त परिसर में मौजूद होने के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था या

यदि उसे इस संबंध में जानकारी थी तो उसका ऐसी वस्तु पर कोई नियंत्रण नहीं था ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

108. अन्य बातों के साथ, उपरोक्त मामले में हाउस ऑफ लार्ड्स के समक्ष यह विवाद्यक उद्भूत हुआ था कि क्या धारा 16क यूरोपियन कन्वेंशन फार द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल्स फ्रीडम, जैसाकि उन्हें यूनाईटेड किंगडम में ह्यूमन राइट्स ऐक्ट, 1998 में समाविष्ट किया गया है, के अनुच्छेद 6(2) के अनुकूल है । हेडली के लार्ड स्लीन तथा लार्ड स्टेन ने इस विवाद्यक के संबंध में कोई राय प्रस्तुत नहीं की, वहीं लार्ड होप, थॉर्नडॉन के लार्ड कुक तथा वूडबरो के लार्ड ऑफ हाउस ने धारा 16क को शिथिल करते हुए यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद 6(2) के अनुसार साक्ष्यात्मक भार अभियुक्त पर था । तथापि, सभी तीनों महामहिम न्यायमूर्ति इस बात पर सहमत थे कि समुचित रूप से पठन पर उपरोक्त धारा 16क अभियुक्त पर प्रेरक भार डालती थी । इस संबंध में लार्ड होप द्वारा प्रस्तुत किया गया निष्कर्ष (पृष्ठ 381एफ-382डी) हमारे प्रयोजनों हेतु संगत है और उसे संक्षिप्त किए जाने का कोई प्रयास किए बिना नीचे उद्धृत किया गया है ताकि विद्वान् न्यायमूर्ति की राय को पूर्ण परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके, –

'धारा 16क एक अपराध का गठन करती है, जिसे संदेहास्पद आतंकवादी प्रयोजनों के लिए वस्तुओं के कब्जे के रूप में पार्श्व टिप्पण में वर्णित किया गया है । यह धारा 6 उपधाराओं से मिलकर बनती है, जिनमें से धारा (1), (3) और (4) कन्वेंशन के अनुच्छेद 6(2) द्वारा उठाए गए विवाद्यकों से सुसंगत हैं । उपधारा (1) अपराध का गठन करती है । यह सुसंगत संदेह पर आधारित है । इस संबंध में अभियोजन पक्ष को केवल यह साबित करना है कि अभियुक्त के कब्जे में ऐसी परिस्थितियों के अधीन प्रश्नगत वस्तु थी, जो इस सुसंगत संदेह को उद्भूत करती हैं कि ऐसी वस्तु को आतंकवाद से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए कब्जे में रखा गया था । यद्यपि, अपराध का सार आतंकवाद से संबंधित किसी

प्रयोजन के लिए वस्तु को कब्जे में रखा जाना है, फिर भी अभियोजन पक्ष पर इस तथ्य को साबित करने का भार नहीं है कि वह वस्तुत: उक्त प्रयोजन के लिए कब्जे में रखी गई थी । अत: उक्त धारा के अधीन इस उपधारणा का उपबंध किया गया है कि वस्तु को उपरोक्त प्रयोजन के लिए कब्जे में रखा गया था । यह उपधारणा उस समय प्रभावी होती है, जब उन परिस्थितियों को साबित कर दिया जाता है जो सुसंगत संदेह को जन्म देती हैं ।

इस दृष्टिकोण की गंभीरता को उपधारा (3) द्वारा बाधित किया गया है । उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि अभियुक्त के लिए यह साबित करना विधिपूर्ण प्रतिरक्षा है कि उपरोक्त वस्तु किसी आतंकवादी प्रयोजन के लिए उसके कब्जे में नहीं थी सबूत के भार या मानक के संबंध में अभिव्यक्त रूप से कुछ भी कथन नहीं किया गया है । किन्तु श्री पन्निक ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि संरचना के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, इस उपबंध के प्रभावस्वरूप सबूत का भार, जहां तक उसका संबंध उस प्रयोजन से है, जिसके लिए उक्त वस्तु अभियुक्त के कब्जे में मौजूद थी अंतरित हो जाता है । यह कब्जे के प्रश्न से संबंधित है । किसी सामान्य मामले में, ज्ञान और नियंत्रण ऐसे अनिवार्य घटक हैं जिन्हें किसी अभियोजक द्वारा यह दर्शित करने हेतु साबित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त व्यक्ति के कब्जे में वस्तु मौजूद थी । यह उपधारा न्यायालय को ऐसे तथ्यों को साबित किए जाने की अपेक्षा करने हेतु समर्थ बनाती है कि साक्ष्य द्वारा इस तथ्य को स्थापित किया जाए कि अभियुक्त और वस्तु, दोनों एक साथ किसी परिसर में मौजूद थे या वस्तु किसी ऐसे परिसर में मौजूद थी, जिसका अधिभोगी आरोपित व्यक्ति है या अन्यथा आम जनता के किसी सदस्य के रूप से भिन्न वह परिसर प्रायिक रूप से उसके द्वारा उपयोग में लाया जा रहा था, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि उसे वस्तु के परिसर में मौजूद होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी या यदि उसे जानकारी थी तो उक्त वस्तु पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था । जानकारी न होने या नियंत्रण न होने के तथ्य को स्थापित करने का भार अभियुक्त पर है । किन्तु

न्यायालय को केवल यह कहा जा सकता है कि वह निष्कर्ष निकाल "सकेगा" और न कि उसे अनिवार्य रूप से इस प्रभाव का निष्कर्ष निकालना है । "परिसर" पद के किए गए व्यापक अर्थान्वयन को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न कि क्या न्यायालय के लिए उपधारा (4) में वर्णित साक्ष्य का पर्याप्त साक्ष्य के रूप में अवलंब लेना विधिपूर्ण है अथवा नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा ।

ऊपर मेरे द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार धारा 16क की उपधारा (3) संभावनाओं के संतुलन के आधार पर अभियुक्त पर सबूत का प्रेरक भार अधिरोपित करती है कि वस्तु आतंकवाद से जुड़े किसी प्रयोजन के लिए उसके कब्जे में नहीं थी । यदि इस भार का निर्वहन नहीं किया जाता है, या अभियुक्त इसके संबंध में वचनबद्ध करने का विकल्प नहीं लेता है तो उपधारा (1) में आज्ञापक उपधारणा अंतर्विष्ट है ।'

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

109. ऊपर उल्लिखित मामले **रजि.** बनाम **झीटा**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय से प्रतिकूल हैं । उस मामले में, अन्य बातों के साथ, ब्रिटिश सेक्सुअल ऑफेंस ऐक्ट, 2003 की धारा 75 पर विचार किया गया । धारा 75 में निम्नानुसार उपबंधित है :–

"1. यदि ऐसे किसी अपराध, जिसे यह धारा लागू होती है, से संबंधित कार्यवाहियों में यह साबित कर दिया जाता है – (क) कि प्रत्यर्थी ने सुसंगत कार्य किया था .... शिकायतकर्ता के संबंध में तब तक यह माना जाएगा कि उसने सुसंगत कार्य के प्रति अपनी सहमति नहीं दी थी, जब तक कि इस प्रभाव का विवाद्यक उठाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता कि क्या उसने सहमति दी थी और प्रत्यर्थी के पास सुसंगत रूप से यह विश्वास करने का कारण था कि शिकायतकर्ता ने सहमति दी है, जब तक कि इस प्रभाव का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, जिसके आधार पर यह विवाद्यक उठाया जा सके कि क्या उसे युक्तियुक्त रूप से उपरोक्त प्रभाव का विश्वास था ।'

[1] (2008) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 2582.

110. न्यायाधीश सर आइगोर, प्रेजिडेंट ऑफ क्वीन्स बेंच डिवीजन (जो उसके पश्चात् इंग्लैंड के वेल्स के लार्ड चीफ जस्टिस थे), ने अपील न्यायालय में आसीन होकर यह संप्रेक्षण किया था कि धारा 25 साक्ष्यात्मक उपधारणा उठाती है, जो अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा करेगी कि वे उस समय, जब विवाद्यक उठाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो सहमति को असत्य सिद्ध करे । विद्वान् न्यायाधीश के शब्दों को यहां नीचे पुन: उद्धृत किया गया है :–

> "हमारे विश्लेषण का आरंभिक बिन्दु इस बात को अभिस्वीकृत किया जाना है कि अधिकांश मामलों में सहमति अनुपस्थित होती है और प्रत्यर्थी की उपयुक्त मानसिक दशा को साक्ष्यात्मक या निर्णायक उपधारणा को प्रतिनिर्दिष्ट किए बिना साबित किया जाएगा । जब धारा 75 और 76 को लागू किया जाता है तो उन्हें अभिकथित लैंगिक अपराधों के संबंध में सहमति की अनुपस्थिति को साबित करने की प्रक्रिया के संबंध में लागू किया जाता है । वे सहमति की परिभाषा की बजाय उपधारणाओं पर ध्यान केन्द्रित करती हैं । <u>धारा 75 में विद्यमान साक्ष्यात्मक उपधारणाएं सतत् रूप से अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा करती हैं कि वह उस समय सहमति को असत्य सिद्ध करे, जब धारा में परिभाषित परिस्थितियों में विवाद्यक को उठाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है । यह उपधारणाएं निर्णायक नहीं हैं, अपितु वे साक्ष्यात्मक मात्र हैं</u> ।"
>
> (बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

111. सर आइगोर के निर्णय में प्रमुख शब्द वे हैं जो अभियोजन पक्ष से सहमति को असत्य सिद्ध करने की अपेक्षा करते हैं । विद्वान् न्यायाधीश यह कथन करते हैं कि यदि इस संबंध में कि क्या धारा 75 के अधीन सुसंगत कार्य के लिए सहमति प्रदान की गई थी अथवा नहीं, कोई विवाद्यक उठाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो सबूत का भार पुन: अभियोजन पक्ष पर अंतरित हो जाएगा, जिसे उस दशा में सुसंगत संदेह से परे यह साबित करना होगा कि सुसंगत कार्य के संबंध में कोई सहमति विद्यमान नहीं थी । इससे पूर्व चर्चा किए गए

कानूनी उपबंधों के विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् सबूत का भार अंतरित नहीं होता है तथा यह साबित करने की उपधारणा लागू नहीं होती है, का भार सुदृढ़ रूप से ऐसे व्यक्ति पर बना रहता है, जिसे उपधारणा लागू की जाती है ।

112. इन महत्वपूर्ण निर्णयों में एक समान महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी कानून के अधीन विद्यमान कोई सबूत का प्रेरक भार अभियुक्त से यह अपेक्षा करता है कि वह उस कानून के अधीन विद्यमान उपधारणा का खंडन करने हेतु आवश्यक तथ्यों को साबित करे (और न कि केवल साक्ष्य प्रस्तुत करे) यह महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि पूर्वोक्त मामलों के माध्यम से निर्वचन किए गए उपबंध अभियोजन पक्ष से किसी उपधारणा को लागू करने से पूर्व कतिपय तथ्य साबित करने की अपेक्षा करते हैं और उसके पश्चात् सबूत का भार प्रतिलोम हो जाता है । यह केवल तभी उपयुक्त प्रतीत हो सकता है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा आरोपित होने या उसे अभियोजित किए जाने मात्र से यह मान लिया जाए कि न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह इस प्रभाव की उपधारणा बनाए कि उक्त व्यक्ति ने अभिकथित अपराध किया है, तो विस्काउंट सैंकी का दांडिक न्यायशास्त्र के अधीन दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने की उपधारणा किए जाने का स्वर्णिम सिद्धांत निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा । अंततः, यह भी स्पष्ट है कि पूर्वोक्त कानून के अधीन विद्यमान उपधारणा एक ऐसी उपधारणा है जो विधि के प्रवर्तन द्वारा लागू की जाती है और वह कोई तथ्य की उपधारणा नहीं है और ऐसी किसी उपधारणा को मानवीय प्रकृति के तार्किक या कारण और प्रभाव की सामान्य समझ के रूप में लागू नहीं किया जा सकता, अपितु उसे विधि के परिणामस्वरूप यह मानते हुए लागू किया जा सकता है कि किसी एक तथ्य को साबित किए जाने से न्यायालय किसी अन्य तथ्य के विद्यमान होने की उपधारणा करेगा ।

113. तथापि, जब सबूत का प्रेरक भार अभियुक्त पर होता है तो आवश्यक तथ्यों को साबित करने के लिए अपेक्षित सबूत का मानक, जैसाकि ऊपर निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा प्रकटन किया गया है, संभावनाओं के संतुलन पर निर्भर करता है । जब तक कि कानून स्पष्ट

रूप से इस प्रभाव का कथन न करे, जैसेकि उदाहरण हेतु स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'एनडीपीएस' अधिनियम कहा गया है) की धारा 35(2) का स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से यह कथन करता है कि उसमें अंतर्विष्ट सबूत के प्रतिलोम भार का निर्वहन अभियुक्त द्वारा सभी सुसंगत संदेहों से परे किया जाएगा, तब तक यह भार अभियोजन पक्ष के तत्समान नहीं है । उक्त धारा 35 को यहां नीचे उद्धृत किया गया है :–

> "35. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा – (1) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के किसी अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की मानसिक दशा अपेक्षित है, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त की ऐसी मानसिक दशा है किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करना एक प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के बारे में उसकी वैसी मानसिक दशा नहीं थी ।
>
> **स्पष्टीकरण** – इस धारा में "आपराधिक मानसिक दशा" के अंतर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या उस पर विश्वास करने का कारण है ।
>
> (2) इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई तथ्य केवल तभी साबित किया गया कहा जाता है जब न्यायालय युक्तियुक्त संदेह से परे यह विश्वास करे कि वह तथ्य विद्यमान है और केवल इस कारण नहीं कि उसकी विद्यमानता अधिसंभाव्यता की प्रबलता के कारण सिद्ध होती है ।"

114. तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी **अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में इस स्पष्टीकरण को पूर्ण बल से कुंद करने का प्रयास किया है, जबकि न्यायाधीश थॉमस (उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ का निर्णय सुनाते हुए) यह कथन (रिपोर्ट का पैरा 22) किया है कि :–

> "22. धारा 35 के अधीन अभियुक्त पर अधिरोपित सबूत के

[1] ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 821 = 2000 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 375.

भार का निर्वहन विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से किया जा सकता है । इनमें से एक पद्धति यह है कि वह अभियोजन साक्ष्य में उपलब्ध सामग्रियों का अवलंब ले सकता है । एक अन्य पद्धति यह भी है कि उपरोक्त के अतिरिक्त वह ऐसे किसी संदेह का निवारण करने के लिए प्रतिपरीक्षा के माध्यम से अभियोजन साक्षियों से उत्तर प्राप्त कर सकता है । वह उस समय अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकता है, जब उससे अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए ।"

अन्य शब्दों में, यदि अभियोजन पक्षकथन अथवा अभियोजन साक्ष्य में उपदर्शित परिस्थितियां ऐसी हैं, जिससे न्यायालय को युक्तियुक्त रूप से यह आश्वासन प्राप्त होता है कि अपीलार्थी के पास जानकारी या अपेक्षित आशय नहीं हो सकता था तो अधिनियम की धारा 35 के अधीन उस पर अधिरोपित भार समाप्त हो जाएगा और ऐसा उस समय भी होगा यदि उसने स्वयं की ओर से उस समय कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जब उससे अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था ।

115. विभिन्न प्रमुख निर्णयों के परिशीलन से मुझे यह तथ्य स्पष्ट हो गया है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 निश्चित रूप से अभियुक्त पर यह दर्शित करने का प्रेरक भार अधिरोपित करती हैं कि उसके पास उस अपराध, जिसके लिए उसका अभियोजन किया जा रहा है, करने हेतु आपराधिक मानसिक स्थिति नहीं थी । एक बार इस प्रकार की उपधारणा स्थापित हो जाने पर अभियुक्त किसी विवाद्यक को उठाने के लिए मात्र इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता कि उसके पास आपराधिक मानसिक स्थिति नहीं हो सकती थी अपितु उसे यह साबित करना होगा कि उसके पास कानून के स्पष्ट शब्दों के अनुसार आपराधिक मानसिक स्थिति नहीं थी । यह उपधारणा मानवीय आचरण का प्राकृतिक या तर्कसंगत परिणाम नहीं है, अपितु यह विधि द्वारा की गई घोषणा है । इसके अतिरिक्त, धारा 30 की उपधारा (2), एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35(2) में सम्मिलित किए गए स्पष्टीकरण के समरूप है, जो यह कथन करता है कि उसमें उपबंधित धारणा का खंडन करने के लिए अपेक्षित सबूत का मानक उसे सुसंगत संदेह से परे साबित करना है ।

116. किन्तु ऐसे किसी कानून का कड़ाई से अर्थान्वयन करने के लिए धारा 30 का इस प्रकार निर्वचन करना अपेक्षित है कि ऐसी रीति में सुसंगत संदेह से परे सबूत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जो पूर्णतया किसी सामान्य आपराधिक मामले में अभियोजन की दशा में अभियुक्त का दायित्व है, जिससे वह निश्चित रूप से हमारी विधि प्रणाली में भली-भांति स्थापित निर्दोषिता की उपधारणा को स्थापित कर सके । ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस प्रकार के सबूत की अपेक्षा करना कि किसी व्यक्ति की आपराधिक मानसिक स्थिति नहीं है, निर्दोषिता की बजाय दोष की उपधारणा करने के तत्समान है । यह उस सिद्धांत की पवित्र संरचना को नष्ट करने वाला होगा, जो यह कथन करता है कि संसद् के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि वह विधि के नियम का सम्मान करे और इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से **नूर आगा** (उपरोक्त) वाले मामले के आलोक में व्यष्टियों के मानवाधिकारों का भी सम्मान करे ।

117. यह बिन्दु इस तथ्य को भी लागू होगा कि धारा 29 और 30 किसी उपधारणा को स्थापित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा किसी पूर्ववर्ती तथ्य को स्थापित किए जाने की अपेक्षा नहीं करती है । शाब्दिक रूप से इसका अर्थान्वयन करना इस उपधारणा का उल्लंघन होगा कि संसद् व्यष्टि के अधिकारों का सम्मान करती है ।

118. इसके अतिरिक्त, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35(2) के अधीन सबूत प्रस्तुत किए जाने के प्रतिलोम भार के निर्वहन पर यह तथ्य सामने आता है कि यह अभिनिर्धारित करना पूर्णतया अयुक्तियुक्त होगा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 या 30 की प्रकृति का समान सामग्री संबंधी उपबंध वास्तविक रूप से सुसंगत संदेह से परे सबूत की, उसके संपूर्ण आयाम में अपेक्षा करता है ।

119. इसके परिणामस्वरूप, हमें यह निर्वचन प्राप्त होता है कि अभियोजन पक्षकथन के आधारभूत तथ्यों को, धारा 29 या धारा 30 में अंतर्विष्ट कानूनी उपधारणा को लागू करने के पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करके स्थापित करना आवश्यक है । मैं इस प्रक्रम पर **शाहिद हुसैन बिस्वास** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले में न्यायमूर्ति बागची के निर्णय

[1] (2017) 3 कलकत्ता एल. टी. 243 = 2018 क्रिमिनल ला जर्नल (एनओसी) 44 (कल.)

(रिपोर्ट का पैरा 21-22) को निर्दिष्ट करने की वांछा करता हूं और महामहिम न्यायाधीश द्वारा किए गए विधि के निर्वचन की सटीकता को ध्यान में रखते हुए मैं उसको सारांशित करने का कोई प्रयास नहीं करूंगा । यह कहना आवश्यक नहीं है कि निम्नलिखित सिद्धांत धारा 29 के संबंध में प्रतिपादित किया गया था किन्तु यह यथावश्यक परिवर्तनों सहित, धारा 30 को भी लागू होता है । सुसंगत भाग निम्नानुसार है :–

> '21. ..... मैं पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अधीन किसी मामले में अभियोजन पक्ष को उपलब्ध कानूनी उपधारणा से अनभिज्ञ नहीं हूं । उक्त अधिनियम की धारा 29 निम्नानुसार है –
>
> > "29. **कतिपय अपराधों के संबंध में उपधारणा** – जहां किसी व्यक्ति का, इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 9 के अधीन कोई अपराध करने या उसका दुष्प्रेरण करने या अपराध करने का प्रयास करने के लिए अभियोजन किया जाता है, वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति उक्त अपराध किया है या उसका दुष्प्रेरण या करने का प्रयास किया है जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है ।"
>
> 22. अत:, विधि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 9 के अधीन अभियोजन में अभियुक्त पर प्रतिलोम भार का उपबंध करती है । कानूनी उपधारणा, किसी आपराधिक विचारण में किसी अभियुक्त को उपलब्ध निर्दोषिता की उपधारणा से संबंधित सामान्य नियम के अपवाद का सृजन करती है तथा यह भार अभियुक्त पर डालती है कि वह ऐसी उपधारणा का खंडन करे और अपनी निर्दोषिता को स्थापित करे । <u>निर्दोषिता की उपधारणा वह मूलभूत मानवाधिकार है, जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा तथा सिविल और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं) जैसे अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों में अधिविष्ट निष्पक्ष विचारण अधिकारों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, किन्तु यह भारत के संविधान के भाग 3 के अधीन मूलभूत</u>

अधिकार नहीं है । [नूर आगा **बनाम** पंजाब राज्य (उपरोक्त) वाला मामला देखें] । हाल ही में, निर्दोषिता की उपधारणा से संबंधित अवधारणा को साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क, 113ख या 114क के अधीन कानूनी उपधारणाओं का सृजन करके अनेक परिस्थितियों में अभियुक्त पर यह भार डालकर अंतरित किया गया है कि वह अपनी निर्दोषिता को साबित करे । पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 भी निर्दोषिता की उपधारणा के सामान्य नियम का एक अपवाद है और पॉक्सो अधिनियम के अधीन किसी विचारण में अभियोजन साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय इसे ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है । पूर्वोक्त उपबंध में "उपधारणा करेगा" तथा "जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता" पद अभियुक्त पर इस प्रभाव का प्रतिलोम भार का सृजन करते हैं कि वह दोषमुक्ति का आदेश प्राप्त करने हेतु अपनी निर्दोषिता को साबित करे और उसे सुसंगत संदेह से परे दोषी साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर डाले । कोई अभियुक्त किस प्रकार इस भार का निर्वहन कर सक्ता है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 निम्नानुसार "सिद्ध", "असिद्ध" और "सिद्ध नहीं होगा" पदों को परिभाषित करती हैं :–

धारा 3, –

"सिद्ध" – कोई तथ्य तब सिद्ध हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष उपस्थित विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करता है कि वह विद्यमान है या वह उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझता है कि किसी विवेकशील व्यक्ति को, उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों के अधीन, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि वह विद्यमान है ।

"असिद्ध" – किसी तथ्य को तब असिद्ध कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष मामले पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करता है कि वह अस्तित्व में नहीं है, या उसके अस्तित्व में न होने को

इतना सम्भाव्य समझता है कि किसी विवेकशील व्यक्ति को, उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों के अधीन, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि वह अस्तित्व में नहीं है ।

"सिद्ध नहीं हुआ" – किसी तथ्य को तब सिद्ध नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो सिद्ध हो और न ही असिद्ध ।

धारा 4, –

"उपधारणा करेगा" – जब कभी इस अधिनियम द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, तब वह ऐसे तथ्य को सिद्ध मानेगा, जब तक कि वह असत्यापित न कर दिया जाए ।

23. ऊपर उल्लिखित परिभाषाओं के आलोक में कानूनी उपबंधों का सम्मिलित पठन यह दर्शित करेगा कि पॉक्सो अधिनियम के अधीन किसी अभियोजन में अभियुक्त को "प्रतिकूल" साबित करना होगा, अर्थात् उसे यह साबित करना होगा कि उसने अपराध नहीं किया और वह निर्दोष है । [सेठ ताराजी खिम चंद **बनाम** येलामार्टि सत्यम (1972) 4 एस. सी. सी. 562 = ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1865, पैरा 15 देखें ।] किसी प्रतिकूल तथ्य को साबित करने के लिए, सर्वप्रथम ऐसे तथ्य, जिसके प्रतिकूल तथ्य को साबित किया जाना है, को प्रस्थापित किया जाना चाहिए । अत:, यह एक ऐसी अनिवार्य अध्यापेक्षा है कि पूर्वोक्त कानूनी उपधारणा लागू करने तथा परिणामत: उसके प्रतिकूल साबित करने का भार अभियुक्त पर अंतरित करने के लिए अभियोजन पक्षकथन के आधारभूत तथ्यों को स्थापित किया जाए ।

24. विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियोजन पक्षकथन के आधार को स्थापित करने के बाद अभियुक्त के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करके स्थापित करे

कि उसने अपराध नहीं किया है या किसी विशिष्ट मामले की परिस्थितियों से ठोस रूप से यह दर्शित करे कि सामान्य विवेक वाला कोई व्यक्ति संभाव्य रूप से उसके पक्ष में निर्दोषिता का निष्कर्ष निकालेगा । अभियुक्त इस प्रकार का परिणाम प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करके या प्रभावी प्रतिपरीक्षा के माध्यम से अभियोजन साक्षियों की विश्वसनीयता को भंग करके या मामले की विशिष्टियों के विश्लेषण के माध्यम से उनके कथनों में विद्यमान अंतर्निहित विसंगतियों या विरोधाभासों को सामने लाकर प्राप्त कर सकता है । तथापि, पूर्वोक्त कानूनी उपधारणा का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी को प्रत्येक मामले में पूर्ण सत्य के रूप में माना जाएगा । यह उपधारणा न्यायालय के किसी विशिष्ट मामले के विशेष कारकों के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के अनिवार्य कर्तव्य को समाप्त नहीं कर सकता, उदाहरणार्थ इस बात का निर्णय लेने के लिए कि क्या अभियुक्त ने मामले के तथ्यों में बताए गए अनुसार अपने भार का निर्वहन किया है और अपनी निर्दोषिता को साबित किया है अथवा नहीं, न्यायालय को अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत कथन में विद्यमान अंतर्निहित विसंगतियों या विरोधाभासों या अभियुक्त तथा पीड़ित के बीच विद्यमान दुश्मनी के तथ्य की विवक्षा, जो अभियोजन पक्षकथन के संबंध में अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाए जाने के निष्कर्ष की ओर संकेत करती है, का विश्लेषण करने से निवारित नहीं होना चाहिए । अन्यथा अभिनिर्धारित करने हेतु न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी को यांत्रिक रूप से स्वीकार करने हेतु मजबूर होगा और इस प्रकार न्यायालय को प्रत्येक अभियोजन को न्यायिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक मुहर के रूप में कार्य करना होगा, चाहे अभियोजन पक्षकथन अंतर्निहित रूप से कितना भी मूर्खतापूर्ण या असंभाव्य प्रतीत हो ।'

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया है ।)

120. इस संबंध में **नवीन धनीराम बरायी** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में न्यायमूर्ति पिताले द्वारा दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसमें इस तथ्य को दोहराया गया है कि अभियुक्त पर सबूत का प्रतिलोम भार डालने से पूर्व यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्षकथन के आधारभूत तथ्यों को स्थापित किया जाए । उक्त मामले में दिए गए निर्णय के सुसंगत भाग (रिपोर्ट का पैरा 23) को नीचे अधिकथित किया गया है :–

> "23. .... यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि उपबंध यह कथन करता है कि न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त ने वह अपराध किया है, जिसके लिए उसे पॉक्सो अधिनियम के अधीन आरोपित किया गया है, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, किन्तु यह उपधारणा केवल तब प्रवर्तन में आएगी जब अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आधारभूत तथ्यों को सुसंगत संदेह से परे स्थापित कर देता है । जब तक अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम के अधीन लगाए गए आरोपों के संबंध में आधारभूत तथ्यों को साबित करने में समर्थ नहीं होता है, उक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन विद्यमान उपधारणा अभियुक्त के विरुद्ध प्रवर्तन में नहीं आएगी । यदि अभियोजन पक्ष ऐसे तथ्यों को साबित कर देता है और अभियुक्त के विरुद्ध इस उपधारणा को प्रवर्तन में लाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त उक्त उपधारणा का अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के माध्यम से उनके साक्ष्यों के प्रति संदेह उत्पन्न करके या यह प्रदर्शित करके कि अभियोजन पक्षकथन असंभाव्य या त्रुटिपूर्ण है, उक्त उपधारणा का खंडन किया जा सकता है या अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा को साबित करने के लिए अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है ताकि उक्त उपधारणा का खंडन किया जा सके । किसी भी दशा में, अभियुक्त से यह अपेक्षित है कि वह संभाव्यता की प्रबलता के प्रतिमान पर उपधारणा का खंडन करे ।"

---

[1] 2018 क्रिमिनल ला जर्नल 3393.

121. जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि धारा 30 के अधीन सबूत के भार का निर्वहन किस प्रकार किया जाना है, मैं **अब्दुल राशिद** (उपरोक्त) वाले मामले का एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35(2) के संबंध में अनुसरण करना चाहूंगा और यह अभिनिर्धारित करुंगा कि सबूत के इस प्रकार के भार का निर्वहन करने के लिए अभियुक्त के लिए मात्र इतना आवश्यक है कि वह अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में विसंगतियों को दर्शित करके या उसे असिद्ध करके अभियोजन पक्षकथन के प्रति गंभीर संदेह उत्पन्न करे । यह कार्य या तो स्वयं द्वारा ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करके किया जा सकता है, जो अभियोजन पक्षकथन के विरोधाभासों को दर्शित करता हो या उसे प्रतिपरीक्षा के माध्यम से अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के प्रति युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करके किया जा सकता है । अपेक्षा यह नहीं होगी कि मामले के संबंध में ऐसा कोई स्पष्ट या अकाट्य सबूत प्रस्तुत किया जाए, जो वैकल्पिक तथ्यों को स्थापित करता हो, अपितु इस तथ्य का सबूत पर्याप्त है कि अभियोजन पक्षकथन के असत्य होने की संभावना है ।

122. श्री इलांगो ने यह ईप्सित किया है कि अभियुक्त के अभिसाक्ष्य और पीड़ित लड़की द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध कराए गए अपने कथन में विरोधाभासों और विसंगतियों को इंगित करके पीड़ित लड़की के साक्ष्य पर प्रहार किया जाए । विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया है कि अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए डीएनए रिपोर्ट आज्ञापक है । विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि यदि हम इस बात को विचार में लें कि अपराध को अंतिम बार अगस्त, 2014 मास में किया गया था तो पीड़ित लड़की के बालक का जन्म अप्रैल, 2015 के अंत तक हो जाना चाहिए था, जबकि बालक का जन्म तारीख 28 जून, 2015 को हुआ है ।

123. वर्तमान मामले में, इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि अभियोजन पक्षकथन के आधारभूत तथ्यों को साबित किया गया है ताकि अभियुक्त पर सबूत का प्रतिलोम भार डाला जा सके । यह स्मरण रखना चाहिए कि साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है न कि साक्षियों की संख्या । इस संबंध में परीक्षा यह है कि क्या साक्ष्य सत्य प्रतीत होता है अथवा नहीं या फिर वह अकाट्य, विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक है ।

पीड़ित लड़की के एकमात्र चाक्षुश परिसाक्ष्य को बलात्संग के किसी मामले में अभियुक्त व्यक्ति की दोषसिद्धि करने के लिए उस समय विचार में लिया जा सकता है, यदि पीड़ित लड़की का कथन अन्यथा विश्वसनीय है और न्यायिक मस्तिष्क को सत्य प्रतीत होता है । इस तथ्य को भी स्मरण करना होगा कि पीड़ित लड़की घटना के समय बालिका थी और अपराध करने वाला व्यक्ति उसका बहनोई था । पीड़ित लड़की और अभियुक्त के कुटुम्बों के बीच में किसी प्रकार की दुर्भावना या शत्रुता विद्यमान नहीं है । पीड़ित लड़की ने संपूर्ण विचारण के दौरान सतत् रूप से इस प्रभाव का कथन किया है कि उसके और उसके बहनोई के बीच लैंगिक मैथुन हुआ था और ऐसा लैंगिक मैथुन समयावधि के दौरान अनेक बार हुआ था । जब किसी पीड़ित बालिका पर बलात्संग का अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पीड़ित लड़की के एकमात्र परिसाक्ष्य का अवलंब लेकर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है । हमें इस तथ्य को भी भूलना नहीं होगा कि वर्तमान अभियुक्त पीड़ित लड़की का बहनोई है । अपने बहनोई के विरुद्ध पीड़ित लड़की द्वारा इस प्रकृति की शिकायत दर्ज कराना सुगम नहीं है, इससे पीड़ित लड़की पर भी सामाजिक कलंक लगने का जोखिम है, जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अभी भी हमारे समाज में प्रचलित है । उपरोक्त प्रकृति की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने का निर्णय उस समय असंभव तो नहीं अपितु और अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जब अपराधी कुटुम्ब का ही एक सदस्य हो । यह गंभीर मौन और तटस्थ चुप्पी पीड़ित लड़की को और अधिक कष्ट पहुंचाती है । अंततोगत्वा, ऐसी किसी परिस्थिति में न केवल कुटुम्ब का सम्मान दांव पर लग जाता है अपितु उसके कारण अन्य नातेदार भी रुष्ट हो जाते हैं । अब यह भलीभांति स्थापित है कि लैंगिक अपराध के मामलों में पीड़ित लड़की का परिसाक्ष्य महत्वपूर्ण है और जब तक अत्यंत बाध्यकारी कारण विद्यमान न हों, जो साक्ष्य की संपुष्टि को अनिवार्य बनाते हों, न्यायालय को बिना किसी हिचकिचाहट के लैंगिक हमले की पीड़ित लड़की के परिसाक्ष्य को स्वीकार करना चाहिए और केवल उसके आधार पर अभियुक्त को सिद्धदोष किया जाना चाहिए । इस संबंध में न्यायालय से केवल इस सावधानी को बरतने की अपेक्षा की जाती है कि पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य न्यायालय में विश्वास का संचार करता हो । माननीय

उच्चतम न्यायालय द्वारा **भूपिन्दर शर्मा** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 31 में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया गया है :–

> "ऐसे मामलों में नियम के रूप में किसी कथन का अवलंब लेने से पूर्व उसकी संपुष्टि की अपेक्षा करने का अर्थ यह है कि क्षति में अपमान को जोड़ दिया जाए । इस प्रकार अभियोक्त्री के अभिसाक्ष्य को उसके पूर्ण रूप में विचारार्थ लिया जाना चाहिए । यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि बलात्संग की पीड़ित लड़की अपराध की सहभागी नहीं है और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का, बगैर किसी संपुष्टि के अवलंब लिया जा सकता है । वह किसी आहत साक्षी से अधिक महत्वपूर्ण साक्षी की भूमिका निभाती है । यदि न्यायालय उसके द्वारा प्रस्तुत कथन को स्वीकार करना कठिन समझता है तो वह उसके कथन के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने के लिए अन्य साक्षियों से उसकी पुष्टि कर सकता है । किन्तु, अत्यधिक अपवादिक मामलों के सिवाय पीड़ित लड़की की साक्ष्य की संपुष्टि पर जोर देना ऐसा है, जो पीड़ित लड़की को अपराध का सहभागी बना देता है और उसे वासना की पुजारी के रूप में अभियुक्त के बराबर खड़ा कर देता है तथा उसके स्त्रीत्व का अपमान करता है । किसी महिला को यह कहना उसकी क्षति में अपमान जोड़ने के समान है कि उसके द्वारा लगाए गए बलात्संग के दावे पर तब तक विश्वास नहीं किया जाएगा, जब तक कि सारवान् विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं हो जाती, जैसा कि अपराध के किसी सहभागी की दशा में किया जाता है । किसी ऐसी लड़की या महिला जो बलात्संग या लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत करती है, द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को संदेह, अविश्वास या शक से भरे चश्मे की सहायता से देखना कहां तक उचित है । संपुष्टि न होने संबंधी अभिवाक् अर्थहीन है ।"

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए श्री इलांगो द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी को वर्तमान मामले में फंसाया गया है ।

---

[1] (2017) 2 एस. सी. सी. 51 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 835.

इसके अतिरिक्त्, यद्यपि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और अभिसाक्ष्य में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि बलात्संग का अपराध पांच माह पूर्व किया गया था, पीड़ित लड़की के कथनों में यह भी उल्लेख है कि उसके साथ लैंगिक मैथुन कई बार किया गया था । वस्तुतः, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन में यह आरोप लगाया है कि एक लंबी समयावधि के दौरान पीड़ित लड़की और अभियुक्त के बीच लैंगिक मैथुन की क्रिया चलती रही थी । अतः, यह निष्कर्ष निकालना कि अपराध की तारीख को अगस्त/सितम्बर, 2014 तक निर्बंधित किया जाए, साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए असत्य प्रतीत होता है ।

124. प्रतिरक्षा पक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं रहा है, जिसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकें कि अपराध की तारीख को अगस्त/सितम्बर, 2014 तक निर्बंधित किया जाना चाहिए । जहां तक डीएनए रिपोर्ट के संबंध में उठाए गए विवाद्यक का संबंध है, माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने **सुनील** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में स्पष्ट रूप से अपने निर्णय के पैरा 3 में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है :–

> "संहिता की धारा 53क के उपबंधों और साथ ही इस न्यायालय द्वारा **कृष्ण कुमार** [(2011) 7 एस. सी. सी. 130 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2877] वाले मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि अभियुक्त से लिए गए नमूनों का डीएनए परीक्षण कराने में असमर्थ रहना या वर्तमान मामले के तत्समान डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट को साबित करने में असफल रहने का आवश्यक रूप से यह परिणाम नहीं हो सकता कि अभियोजन पक्षकथन असफल रहा है । जैसाकि **कृष्ण कुमार** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 44 में अभिनिर्धारित किया गया है कि वास्तविक रूप में धारा 53क 'अभियोजन पक्ष के लिए अपने पक्षकथन को साबित करने को सुकर बनाती है' । डीएनए परीक्षण का सकारात्मक परिणाम अभियुक्त के विरुद्ध एक अकाट्य साक्ष्य का गठन करता है,

[1] (2017) 4 एस. सी. सी. 393 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2016 एस. सी. 199.

तथापि, यदि डीएनए परीक्षण का परिणाम नकारात्मक है, अर्थात् अभियुक्त के पक्ष में है या यदि किसी मामले में डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं की गई है तो भी अभिलेख पर विद्यमान अन्य सारवान् सामग्री तथा महत्वपूर्ण साक्ष्य को विचार में लिया जाएगा तथा उनका सम्यक् मूल्यांकन किया जाएगा । वर्तमान मामले में, हम अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर रखी गई अन्य सामग्रियों पर विचार करेंगे ।"

125. वर्तमान मामले में, डीएनए परीक्षण कराए जाने में असमर्थ रहना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है क्योंकि पीड़ित लड़की ने एक से अधिक कारणों से ऐसा कोई परीक्षण कराने के प्रति सहमति नहीं दी होगी । वर्तमान विचारण में हम बालक के पितृत्व के विवाद्यक पर विचार नहीं कर रहे हैं । पीड़ित लड़की विचारण के दौरान प्रवेशनात्मक लैंगिक हमले के तथ्य को स्थापित करने में सफल रही है । अत:, पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और धारा 30 के अधीन उपधारणा को प्रवर्तित करने के लिए अपेक्षित आधारभूत तथ्यों को स्थापित कर दिया गया है । इस प्रकार वर्तमान मामले में सबूत का भार पूर्णतया अभियुक्त/अपीलार्थी पर था तथा उसके लिए यह अपेक्षित था कि वह संभाव्यताओं के संतुलन पर उक्त उपधारणाओं का खंडन करे किन्तु वह उक्त भार का निर्वहन करने के लिए साक्ष्य पर कुछ भी सारवान् प्रस्तुत करने में असफल रहा है तथा श्री इलांगो द्वारा प्रस्तुत तर्क भी सफल सिद्ध नहीं हो सके हैं ।

126. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए विद्वान् विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि की जाती है और अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

(2023) 1 दा. नि. प. 89 **गुवाहाटी**

अलबिश बांदा उर्फ लाकरा

बनाम

असम राज्य

(2021 की दांडिक जेल अपील सं. 42)

तारीख 26 सितंबर, 2024

न्यायमूर्ति माइकल जोथंखुमंद और न्यायमूर्ति (श्रीमती) मिताली ठकुरिया

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य की विश्वसनीयता – अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा 7 वर्ष के बालक पर दाव से हमला किया जाना – मृतक के कई अंगों पर क्षति कारित होना – अप्राप्तवय बच्चों द्वारा अपीलार्थी को छेड़े जाने का अभिकथन किया जाना – प्रतिरक्षा में अपीलार्थी द्वारा अचानक प्रकोपन का अभिवाक् किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य से चिकित्सीय साक्ष्य की संपुष्टि होना – मृतक अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था और तभी अपीलार्थी ने मृतक के नाजुक अंग यानी गर्दन और करोटि पर दाव से क्षति पहुंचा कर उसकी हत्या की है, इस स्थिति में बच्चों द्वारा साधारण रूप से चिढ़ाने को गंभीर और अचानक प्रकोपन नहीं माना जा सकता, अतः अपीलार्थी को अचानक प्रकोपन के अपवाद का लाभ नहीं दिया जा सकता, इसलिए विचारण न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय न्यायोचित है ।

इस मामले में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि 5 मार्च, 2019 को, उदय एक्का, ग्राम – उत्तर दिरिंगापुर ने पुलिस थाना बरबारी के प्रभारी के समक्ष एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें यह अभिकथन किया गया कि उसी दिन, लगभग 2.30 बजे, जब उनका अप्राप्तवय बेटा- राजेन एक्का, आयु लगभग 7 (सात) वर्ष, स्कूल से लौटने के बाद पास के अपने घर के दरवाजे पर खेल रहा था, उसी ग्राम का अभियुक्त अलबिश बांदा अचानक आया और उसे दाव से काटकर मार डाला । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने पर, पुलिस थाना

बरबारी के प्रभारी अधिकारी ने बरबारी पुलिस थाना मामला संख्या 14/2019 के अधीन दंड संहिता की धारा 302 के अधीन एक मामला रजिस्ट्रीकृत किया और एस.आई. समीरन दास को जांच करने के लिए सौंप दिया । अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया, रेखाचित्र तैयार किया, साक्षियों के बयान अभिलिखित किए और अभियुक्त/अपीलार्थी को गिरफ्तार भी किया । अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन बयान अभिलिखित कराने के लिए विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष भी पेश किया गया जहां उसने अपना अपराध संस्वीकृत कर लिया । इसके पश्चात्, जांच पूरी होने पर, अन्वेषण अधिकारी ने वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन तारीख 30 अप्रैल, 2019 को आरोपपत्र संख्या 16/2019 विद्वान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बक्सा, मुशालपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया और तदनुसार, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया और मामले को विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बक्सा, मुशालपुर के न्यायालय के समक्ष सौंप दिया, क्योंकि आरोपित अपराध दंड संहिता की धारा 302 विशेष रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है । तदनुसार, विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बक्सा ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने और प्रथमदृष्ट्या मामला गठित पाते हुए, वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध उपरोक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया । आरोपों को अभियुक्त/अपीलार्थी को पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया, जिस पर उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण के पश्चात् अभियुक्त को दोषी पाया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त/अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फ़ाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – उपरोक्त साक्षियों की चर्चा से यह सामने आया है कि इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) मृतक का पिता है और अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 अभियोजन पक्ष के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जिन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा मृतक को दाव से क्षति पहुंचाने की घटना देखी थी । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के कथनों का प्रतिरक्षा पक्ष

द्वारा खंडन नहीं किया जा सका और उनके कथन सुसंगत पाए गए । यह भी देखा गया कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 दोनों, जो अभियोजन पक्ष के प्रत्यक्षदर्शी हैं, घटना के समय मृतक के साथ खेल भी रहे थे और वे पेड़ से इमली तोड़ने और खाने में व्यस्त थे, तभी अभियुक्त अचानक वहां आया और उसने मृतक के नाजुक अंग अर्थात् गर्दन और यहां तक कि करोटि और जबड़े पर दाव से वार किया । यह भी देखा गया है कि चीख-पुकार सुनकर अन्य ग्रामवासी तुरंत घटनास्थल पर आ गए और फिर अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया किन्तु ग्रामवासियों ने उसे पकड़ लिया और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया । यह भी देखा गया है कि चिकित्सक (अभि. सा. 2) का साक्ष्य भी मृतक को कारित क्षति के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की पूर्णतः पुष्टि करता है और यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि मृतक की मृत्यु रक्तस्रावी आघात और श्वासावरोध के कारण हुई है क्योंकि मृतक के गले के अन्य नाजुक अंगों अर्थात् रीढ़ की हड्डी, करोटि तथा जबड़े सहित पूरे गले में छिन्न क्षति कारित हुई थी । इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि अभि. सा. 5 अभियुक्त/अपीलार्थी का पड़ोसी होने के साथ-साथ इत्तिलाकर्ता भी है । यद्यपि उसने घटना नहीं देखी, किन्तु उसने मृतक के शरीर पर क्षति चिह्न देखे थे । उसने अभियुक्त को दाव धोते हुए भी देखा था जो हत्या में प्रयुक्त हथियार बताया जा रहा है, यद्यपि वह यह नहीं बता सका कि अभियुक्त दाव क्यों धो रहा था । उसने अभियुक्त को दाव को एक गड्ढे में फेंकते हुए भी देखा था और ग्राम वालों की निशानदेही पर उसे बरामद किया गया था । इस प्रकार, यह एक ऐसा मामला है जिसमें अभियोजन पक्ष, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4, जो अभियोजन पक्ष के मामले के प्रत्यक्षदर्शी हैं, के साक्ष्य के आधार पर अपना मामला स्थापित कर सकता है । इन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4, जो घटना के समय अप्राप्तवय बच्चे थे और मृतक तथा अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे और इमली खा रहे थे, पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । ऐसा नहीं है कि किसी द्वेष या रंजिश के कारण ये 2 (दो) साक्षी, अर्थात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देंगे । इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना संस्वीकृति कथन भी दिया है और दंड प्रक्रिया संहिता

की धारा 313 के अधीन अभिलिखित उसके कथन से भी यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसका कथन अभिलिखित करने से पहले उसे हर संभव सावधानी और चेतावनी दी थी । इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि उसके संस्वीकृति कथन को आत्मचिंतन के लिए पर्याप्त समय देते हुए अभिलिखित किया गया था । अभियुक्त/अपीलार्थी को 6 मार्च, 2019 को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया और उसे 6 मार्च, 2019 से 8 मार्च, 2019 दोपहर 12.00 बजे तक आत्मचिंतन के लिए जेल प्राधिकारी की निगरानी में रखा गया और उसके बाद ही उसे 8 मार्च, 2019 को अपराह्न लगभग 3.00 बजे विद्वान् मजिस्ट्रेट के कक्ष में लाया गया और उसके बाद, धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसका कथन अभिलिखित करने से पहले अभियुक्त/अपीलार्थी को फिर से सभी चेतावनियां देते हुए, उसका कथन अभिलिखित किया गया । इस प्रकार, यह देखा गया है कि उसका कथन स्वैच्छिक प्रकृति का था और वह 6 मार्च, 2019 से पुलिस अभिरक्षा में नहीं था जब तक कि उसे संस्वीकृति कथन दर्ज करने के लिए विद्वान् मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया गया । इसलिए, यह भी नहीं माना जा सकता है कि पुलिस की धमकी या प्रभाव में अभियुक्त ने अपना संस्वीकृति कथन दिया । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसे धारा 164 के अधीन कथन अभिलिखित करने से पहले विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पर्याप्त समय दिया गया और सावधानी बरती गई थी, किन्तु उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज अपने कथन में बस इतना कहा कि उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के अधीन अभिलिखित संस्वीकृति कथन ऐसा नहीं कहा था । किन्तु इससे प्रतिरक्षा पक्ष को सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि उसने पूरी कार्यवाही के दौरान अपने संस्वीकृति कथन को वापस लेने का कभी प्रयास नहीं किया बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन में उसने यह स्वीकार किया है कि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन अभिलिखित करने से पहले चिंतन करने और सावधानी बरतने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था । इस प्रकार, यह देखा गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने 7 (सात) वर्षीय अप्राप्तवय बच्चे की हत्या कर दी और उसके शरीर के नाजुक अंग पर दाव से 2-3 वार किए जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो

गई । अप्राप्तवय के माता-पिता को भी अपने अप्राप्तवय पुत्र को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने का भी समय नहीं मिला क्योंकि उसकी घटना-स्थल पर ही मृत्यु हो गई । अभियोजन पक्ष ने चिकित्सीय तथा प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर भी मामला सिद्ध किया और जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 3 तथा अभि. सा. 4 के प्रत्यक्ष साक्ष्य का खंडन नहीं किया जा सका है जो विश्वसनीय तथा भरोसेमंद है । वर्तमान मामले में, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना के सुसंगत समय पर, मृतक बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था और इमली तोड़ रहा था, जब अभियुक्त एक दाव लेकर वहां पहुंचा और प्रतिरक्षा पक्ष का यह कहना है कि बच्चों ने उसे चिढ़ाना आरंभ कर दिया और जिसके लिए उसने मृतक के नाजुक अंग यानी गर्दन और करोटि पर दाव से क्षति पहुंचाई । किन्तु कुछ अप्राप्तवय बच्चों द्वारा साधारण चिढ़ाने को गंभीर और अचानक उकसावे के रूप में नहीं माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने बहुत क्रूर तरीके से काम किया और अनुचित लाभ भी उठाया, जबकि मृतक केवल 7 (सात) वर्ष का बच्चा था । इस प्रकार, यह माना जा सकता है कि अभियुक्त ने अप्राप्तवय मृतक की आयु का अनुचित लाभ उठाया और उसके नाजुक अंग पर क्षति पहुंचाकर क्रूर तरीके से वार किया, जिससे अप्राप्तवय बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गई । यह हो सकता है कि अभियुक्त के मन में बच्चे को मारने की कोई पूर्व योजना न हो, क्योंकि बच्चे या उसके परिवार के सदस्यों के साथ किसी पूर्व रंजिश या शत्रुता का कोई सबूत नहीं है, किन्तु जिस तरह से उसने बच्चे पर हमला किया वह बहुत क्रूर प्रकृति का है और साथ ही, उसने मृतक की आयु का अनुचित लाभ उठाया, जो केवल 7 (सात) वर्ष का था । यहां इस मामले में, यह देखा गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने मृत बच्चे पर न केवल एक वार किया, बल्कि शरीर के महत्वपूर्ण अंगों, यानी गर्दन, जबड़े और करोटि पर 3-4 वार किए, जिससे अप्राप्तवय बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गई । किसी बच्चे/बच्चों को चिढ़ाने और ताना मारने पर, वह बच्चों का पीछा कर सकता था या बच्चे पर शारीरिक हमला करके प्रतिक्रिया दे सकता था । किन्तु, जिस तरह से अभियुक्त ने मृतक के नाजुक अंगों पर, वह भी दाव से, क्षति पहुंचाई है, उससे यह माना जा सकता है कि वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता की धारा

300 के अपवाद 4 के अंतर्गत नहीं आता है । (पैरा 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44 और 46)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2024]	[2024] 4 एस. सी. आर. 94 : **चंदन** बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)** ;	12
[2023]	(2023) 2 टी. एल. एन. जे. 597 : **अनिल कुमार** बनाम **केरल राज्य** ;	42
[2014]	दांडिक अपील जे सं. 93/2014 : **मोहम्मद जैनुल उद्दीन लश्कर** उर्फ **जैनुल अबिदीन** बनाम **असम राज्य** ;	13
[2006]	(2006) 11 एस. सी. सी. 323 = 2007 (1) ए. आई. आर. झार. आर. 340 (एस. सी.) : **भीमप्पा चंदप्पा होसामनी और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	11
[2004]	(2004) 11 एस. सी. सी. 395 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 4100 : **श्रीधर भुइयां** बनाम **उड़ीसा राज्य** ;	9
[1962]	[1962] (सप्ली.) 1 एस. सी. आर. 567 = ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 605 : **के. एम. नानाबती** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ।	45

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक जेल अपील सं. 42.

2019 के सेशन मामला सं. 114 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बक्सा, मुशालपुर, बीटीएडी, असम द्वारा तारीख 24 फरवरी, 2021 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — डॉ. बी एन गोगोई (न्याय मित्र)

प्रत्यर्थी की ओर से — श्री जे दास एच महमूद (लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) मिताली ठकुरिया ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) ठाकुरिया – अपीलार्थी की ओर से विद्वान् न्यायमित्र डॉ. बी.एन. गोगोई की सुनवाई की गई है । राज्य प्रतिवादी की ओर से विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल एवं विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री बी. भुयान और प्रतिवादी सं. 2 (इत्तिलाकर्ता) की ओर से विद्वान् न्यायमित्र श्री एस. एच. महमूद को भी सुना गया है ।

2. यह जेल अपील, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन, विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बक्सा, मुशालपुर, बीटीएडी, असम द्वारा तारीख 24 फरवरी, 2021 को सेशन मामला सं. 114/2019 में पारित उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास से और 10,000/- (दस हजार रुपए) के जुर्माने से जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर 1 (एक) वर्ष के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

3. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि 5 मार्च, 2019 को, उदय एक्का, ग्राम- उत्तर दिरिंगापुर ने पुलिस थाना बरबारी के प्रभारी के समक्ष एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें यह अभिकथन किया गया कि उसी दिन, लगभग 2.30 बजे, जब उनका अप्राप्तवय बेटा- राजेन एक्का, आयु लगभग 7 (सात) वर्ष, स्कूल से लौटने के बाद पास के अपने घर के दरवाजे पर खेल रहा था, उसी ग्राम का अभियुक्त अलबिश बांदा अचानक आया और उसे दाव से काटकर मार डाला । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने पर, पुलिस थाना बरबारी के प्रभारी अधिकारी ने बरबारी पुलिस थाना मामला संख्या 14/2019 के अधीन दंड संहिता की धारा 302 के अधीन एक मामला रजिस्ट्रीकृत किया और एस.आई. समीरन दास को जांच करने के लिए सौंप दिया ।

4. अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया, रेखाचित्र तैयार किया, साक्षियों के बयान अभिलिखित किए और अभियुक्त/अपीलार्थी को गिरफ्तार भी किया । अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन बयान अभिलिखित कराने के लिए

विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष भी पेश किया गया जहां उसने अपना अपराध संस्वीकृत कर लिया ।

5. इसके पश्चात्, जांच पूरी होने पर, अन्वेषण अधिकारी ने वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन तारीख 30 अप्रैल, 2019 को आरोपपत्र संख्या 16/2019 विद्वान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बक्सा, मुशालपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया और तद्नुसार, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया और मामले को विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बक्सा, मुशालपुर के न्यायालय के समक्ष सौंप दिया, क्योंकि आरोपित अपराध दंड संहिता की धारा 302 विशेष रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है । तद्नुसार, विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बक्सा ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने और प्रथमदृष्ट्या मामला गठित पाते हुए वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध उपरोक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया । आरोपों को अभियुक्त/अपीलार्थी को पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया, जिस पर उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

6. मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अन्वेषण अधिकारी और मृतक की शवपरीक्षा करने वाले चिकित्सा अधिकारी सहित 6 (छह) साक्षियों से पूछताछ की । विद्वान् मजिस्ट्रेट, जिन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी का संस्वीकृति कथन अभिलिखित किया था, की भी न्यायालय साक्षी-1 के रूप में परीक्षा कराई गई । अभियुक्त से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी पूछताछ की गई । तत्पश्चात्, विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बक्सा ने पक्षों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के बाद, सेशन मामला सं. 114/2019 में तारीख 24 फरवरी, 2021 के निर्णय और आदेश के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी ठहराया और उसे उपरोक्त रूप में दंडादिष्ट किया ।

7. सेशन मामला सं. 114/2019, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बक्सा, मुशालपुर, बीटीएडी, असम द्वारा पारित तारीख 24 फरवरी, 2021 के उपरोक्त आक्षेपित

निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होने पर, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा जेल से वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है ।

8. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् न्यायमित्र श्री गोगोई ने यह दलील दी है कि यद्यपि घटना वाले दिन अपीलार्थी एक दाव लेकर घटनास्थल पर गया था, किन्तु वह वहां केवल कुछ खट्टे फल (टेंगा) लेने गया था । और जब मृतक ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे ताना मारना आरंभ किया तो वह इस तरह के उकसावे से क्रोधित हो गया और तद्नुसार उसने मृतक पर दाव से वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई । अपीलार्थी का अप्राप्तवय बच्चे पर हमला करने और उसकी हत्या करने का कोई पूर्व निर्धारित चिंतन नहीं किया था बल्कि उपरोक्त स्थिति और परिस्थितियों के कारण ही उसने मृतक पर वार किया जिससे उसे क्षति पहुंची और उसकी मृत्यु हो गई । तथापि, श्री गोगोई ने यह स्वीकार किया कि घटना के दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, यानी अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4, और अभियुक्त/अपीलार्थी ने 7 (सात) वर्ष के अप्राप्तवय बच्चे की हत्या के संबंध में अपना संस्वीकृति कथन भी दिया है । वह खट्टे फल लेने के लिए अपने साथ एक दाव लेकर जा रहा था और जब मृतक और अन्य लोगों द्वारा ताना मारे जाने पर वह क्रोधित हो गया, तो उसने दाव से वार करके मृतक की हत्या कर दी । इस प्रकार, यह धारा 300 दंड संहिता के अपवाद 4 के अंतर्गत मामला बन सकता है और अभियुक्त अधिक से अधिक भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के अधीन दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि घटना किसी पूर्व-निर्धारित चिंतन के बिना अचानक उकसावे के कारण घटित हुई थी ।

9. इस संदर्भ में, श्री गोगोई ने **श्रीधर भुइयां** बनाम **उड़ीसा राज्य**[1] वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय को भी निर्दिष्ट किया और इस निर्णय के पैरा सं. 8 और 9 पर बल दिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर चर्चा की थी कि किन परिस्थितियों में कोई मामला दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद IV के अंतर्गत आ सकता है । उक्त निर्णय के पैरा सं. 8 और 9 इस प्रकार हैं :–

[1] (2004) 11 एस. सी. सी. 395 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 4100.

8. भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का चौथा अपवाद अचानक झगड़े में किए गए कार्यों को सम्मिलित करता है । यह अपवाद अभियोजन के ऐसे मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के अंतर्गत नहीं आता, जिसके पश्चात् इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता है । यह अपवाद भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वचिंतन का अभाव है । किन्तु जहां अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण अभाव है, वहीं अपवाद 4 के मामले में, केवल आवेश की वह तीव्रता है जो लोगों के विवेक को धुंधला कर देती है और उन्हें ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते । अपवाद 4 में भी अपवाद 1 की तरह ही उकसावे की स्थिति है; किन्तु की गई क्षति उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है । वास्तव में, अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें भले ही विवाद के मूल में या किसी भी तरह से झगड़े की आरंभ में कोई प्रहार किया गया हो, या कोई उकसावे की स्थिति दी गई हो, फिर भी दोनों पक्षों का बाद का आचरण उन्हें समान स्तर पर दोषी ठहराता है । अचानक लड़ाई का अर्थ है आपसी उकसावे और दोनों पक्षों के बीच मारपीट । तब स्पष्ट रूप से की गई हत्या एकपक्षीय उकसावे से जुड़ी नहीं होती, और न ही ऐसे मामलों में सारा दोष किसी एक पक्ष पर डाला जा सकता है । क्योंकि अगर ऐसा होता, तो अपवाद 1 अधिक उपयुक्त रूप से लागू होता । लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं होता । लड़ाई अचानक आरंभ हो जाती है जिसके लिए दोनों पक्ष कम या अधिक दोषी होते हैं । हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे आरंभ किया हो, किन्तु अगर दूसरे ने अपने आचरण से इसे और नहीं बढ़ाया होता, तो यह इतना गंभीर रूप नहीं लेता । तब आपसी प्रकोपन और तनाव बढ़ जाता है और झगड़ा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति में दोष को विभाजित करना कठिन हो जाता है । अपवाद 4 की का अवलंब तब लिया जा सकता है यदि मृत्यु (क) पूर्वचिंतन के बिना, (ख) अचानक लड़ाई में; (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किए बिना; और (घ) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई हो । अपवाद 4 के अधीन मामला लाने के लिए इसमें उल्लिखित सभी

सामग्री मिलनी चाहिए । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली लड़ाई दंड संहिता में परिभाषित नहीं है । लड़ाई करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है । जुनून की गर्मी के लिए आवश्यक है कि भावनाओं को शांत होने का समय न हो और इस मामले में, पक्षकारों ने आरंभ में मौखिक विवाद के कारण स्वयं क्रोध में काम किया है । एक लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लड़ाई है, चाहे हथियारों के साथ हो या उनके बिना । अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा, इसके बारे में कोई सामान्य नियम बताना संभव नहीं है । यह तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक हुआ है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है । अपवाद 4 के लागू होने के लिए, यह दर्शाना पर्याप्त नहीं है कि झगड़ा अचानक हुआ था और कोई पूर्व-चिंतन नहीं था । इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाना होगा कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया है । उपबंध में प्रयुक्त "असम्यक लाभ" अभिव्यक्ति का अर्थ अनुचित लाभ है ।

9. तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ऊपर वर्णित विधिक सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत नहीं आता है । धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं । दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-I में परिवर्तित किया जाता है । 10 वर्ष के कारावास का दंड न्याय के हित में होगा ।

10. राज्य प्रतिवादी की विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल एवं अपर लोक अभियोजक सुश्री भुयान ने यह दलील दी कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अर्थात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 हैं, जिन्होंने यह घटना देखी थी और घटना के समय मृतक के साथ खेल भी रहे थे । उन्होंने आगे यह दलील दी है कि अभियुक्त ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन स्वैच्छिक संस्वीकृति कथन दिया है, जिसमें उसने यह स्वीकार किया है कि उसने मृतक की गर्दन पर दाव

से वार करके उसकी हत्या की थी । उन्होंने आगे यह दलील दी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन से यह पता चलता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी का बयान धारा 164 के अधीन दर्ज करने से पहले विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक सावधानियां बरती गई थीं और उनकी संतुष्टि के बाद ही विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त/अपीलार्थी का बयान दोबारा अभिलिखित किया, तथापि, उसने कहा कि उसने विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा लिखे गए बयान जैसा कुछ नहीं कहा । किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किए गए संस्वीकृति कथन की स्वैच्छिकता के बारे में उसकी ओर से कोई इनकार नहीं है । इसके अतिरिक्त, उसने यह दलील दी है कि घटना के दिन, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 दोनों घटनास्थल पर मृतक के साथ मौजूद थे और स्कूल से आने के बाद खेल रहे थे और इमली खा रहे थे, जब उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी को मृतक की गर्दन पर क्षति पहुंचाते देखा और जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई । तद्नुसार, उन्होंने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के कथनों पर अविश्वासनीय नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उनके कथन सुसंगत, विश्वासप्रद और भरोसेमंद हैं । उन्होंने आगे यह दलील दी है कि मृतक सहित कुछ बच्चों द्वारा छेड़खानी किए जाने को, मृतक के शरीर के नाजुक अंग पर अचानक वार करने के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता जबकि घटना के समय मृतक की आयु केवल 7 (सात) वर्ष थी ।

11. सुश्री भुयान ने **भीमप्पा चंदप्पा होसामनी और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी निर्दिष्ट किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि "...किसी अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए हेतु साबित करना आवश्यक नहीं है । हेतु का अस्तित्व अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखने योग्य परिस्थितियों में से केवल एक है । यदि साक्षियों का साक्ष्य सत्य और विश्वसनीय प्रतीत होता है तो हेतु साबित करने में

[1] (2006) 11 एस. सी. सी. 323 = 2007 (1) ए. आई. आर. झार. आर. 340 (एस. सी.).

विफलता अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है । इस पहलू पर विधि सुस्थापित है ।"

12. प्रतिवादी सं. 2/इत्तिलाकर्ता के विद्वान् न्यायमित्र श्री एस. एच. महमूद ने इस संबंध में यह भी प्रस्तुत किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने 7 (सात) वर्षीय बालक की हत्या उसके नाजुक अंग अर्थात् बच्चे की गर्दन पर दाओ से क्षति पहुंचाकर की और चूंकि अभियोजन पक्षकथन को साबित करने के लिए प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं इसलिए इस मामले में, हेतु सुसंगत नहीं है । तद्नुसार, श्री महमूद ने **चंदन** बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)**[1] [दांडिक अपील संख्या 788/2012] वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए एक निर्णय को निर्दिष्ट किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि जब प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य विश्वासोत्पादक होता है तो अभियोजन पक्ष को हेतु साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है । इस प्रकार, जब अभियोजन पक्ष के मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मौजूद हो जो विश्वसनीय और भरोसेमंद हो तो हेतु असुसंगत हो जाता है । उन्होंने मूलतः निर्णय के पैरा संख्या 5 और 6 को निर्दिष्ट किया जो इस प्रकार है :–

> "5. प्रतिरक्षा पक्ष का यह तर्क कि अभियोजन पक्ष इस नृशंस कृत्य के लिए अभियुक्त का कोई हेतु साबित नहीं कर पाया है, वास्तव में सत्य तो है किन्तु चूंकि यह एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का मामला है जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को अविश्वासनीय ठहराने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हेतु अपने आप में बहुत कम सुसंगत है । इस पहलू पर कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार हैं –
>
> > 'शिवाजी गेनु मोहिते **बनाम** महाराष्ट्र राज्य, (ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 55) में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आपराधिक न्यायशास्त्र में यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जब प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य न्यायालय का विश्वास जगाता है तो अभियोजन पक्ष को हेतु साबित करने की आवश्यकता नहीं होती । केवल हेतु का अभाव किसी विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी के

[1] [2024] 4 एस. सी. आर. 94.

साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा । पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में विचारण किए जाने के लिए हेतु एक महत्वपूर्ण कारक है । किन्तु जब प्रत्यक्ष प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मौजूद हो, तो हेतु महत्वपूर्ण नहीं होता । आगे निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया –

> 'यदि अभियोजन पक्ष किसी प्रेरक हेतु का पता लगाने में सक्षम नहीं है तो इसे एक विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की विश्वसनीयता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । हेतु के रूप में साक्ष्य, निस्संदेह, पारिस्थितिक साक्ष्य पर पूरी तरह निर्भर मामलों में पर्याप्त रूप से सहायक होगा । इस तरह के साक्ष्य ऐसे मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला की एक कड़ी बनेंगे। किन्तु उन मामलों में ऐसा नहीं होगा जहां विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, तथापि, ऐसे मामलों में भी यदि हेतु ठीक से साबित हो जाता है तो ऐसा सबूत अभियोजन पक्ष के मामले को प्रबलित करेगा और न्यायालय को उसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायक होगा । किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि यदि हेतु साबित नहीं होता है तो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाता है ।' यह सिद्धांत कि हेतु की कमी या अनुपस्थिति, ऐसे मामले में जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य अपराध को स्थापित करता है, असुसंगत हो जाता है, इस बात को इस न्यायालय ने बिकाऊ पांडे **बनाम** बिहार राज्य, [(2003) 12 एस. सी. सी. 616 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 997]; राजगोपाल **बनाम** मुथुपंडी, [(2017) 11 एस. सी. सी. 120 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 1230]; योगेश सिंह **बनाम** महावीर सिंह, [(2017) 11 एस. सी. सी. 195 = ए. आई. आर. 2016 एस. सी. (क्रिमिनल) 1521] में दोहराया है ।

6. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, हमें विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए अपील खारिज की जाती है । अपीलार्थी को जमानत देने वाला तारीख 9 मई, 2012 का अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है । अपीलार्थी, जो वर्तमान में जमानत पर है, को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करने का निदेश दिया जाता है । इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को भेजी जाए ताकि अपीलार्थी द्वारा दंड का शेष भाग भोगे जाने को सुनिश्चित किया जा सके ।"

13. उन्होंने आगे यह दलील दी है कि मृतक को कारित क्षति के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य से प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का भी समर्थन होता है । इस संदर्भ में, उन्होंने **मोहम्मद जैनुल उद्दीन लश्कर** उर्फ **जैनुल अबिदीन** बनाम **असम राज्य**[1] वाले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को भी निर्दिष्ट किया । तद्नुसार, प्रतिवादी सं. 2/इत्तिलाकर्ता के विद्वान् न्यायमित्र श्री महमूद ने कहा कि अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध हत्या का स्पष्ट साक्ष्य है और पूरी घटना 2 (दो) प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, यानी अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के सामने घटित हुई थी, और इस प्रकार, इन 2 (दो) प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं हो सकता, जो घटना के सुसंगत समय पर मृतक के साथ मौजूद थे । उन्होंने तद्नुसार यह प्रस्तुत किया कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य का आंकलन करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सही ढंग से निर्णय और आदेश पारित किया है और इस प्रकार, विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं हो सकता ।

14. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गहन विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी अवलोकन किया है ।

15. अन्य अभियोजन पक्ष के साक्षियों का विश्लेषण करने या

[1] दांडिक अपील (जे) सं. 93/2014.

किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले, आइए हम पहले चिकित्सक के चिकित्सा साक्ष्य पर विचार करें ।

16. चिकित्सक (अभि. सा. 2) के साक्ष्य के अनुसार, जब वह तारीख 5 मार्च, 2019 को मृतक के शव की शव-परीक्षा कर रहा था तब उन्होंने निम्नलिखित क्षतियां पाईं :–

(i) गर्दन पर 15 सेमी x 4 सेमी माप का गहरा छिन्न घाव है । गले में कटाव लगने से हाइओइड क्षतिग्रस्त हो गया है ।

(ii) बाएं चेहरे पर 20 सेमी x 5 सेमी माप का गहरा छिन्न घाव जो बाएं कान के 1/3 भाग से बाएं जबड़े के शाफ्ट तक फैला हुआ है ।

(iii) पश्चकपाल क्षेत्र पर करोटि पर 15 सेमी x 3 सेमी माप का छिन्न घाव है । पश्चकपाल क्षेत्र पर करोटि पर कपाल और रीढ़ की अस्थि पर छिन्न घाव पाया गया है जो 15 सेमी x 3 सेमी का है ।

17. उपरोक्त के अतिरिक्त, चिकित्सक ने स्टर्नोक्लेडोमासेटोएड मांसपेशी और मैसेटर मांसपेशी में भी छिन्न घाव पाया । उनके अनुसार, सभी क्षतियां मृत्यु-पूर्व प्रकृति की थीं और मृत्यु प्रतिरोधी श्वासावरोध के साथ रक्तस्रावी आघात के कारण हुई थी । तद्नुसार, उन्होंने शव-परीक्षा रिपोर्ट को प्रदर्श-1, अपने हस्ताक्षर को प्रदर्श-1(1), जांच रिपोर्ट को प्रदर्श-2 और शव चालान को प्रदर्श-3 के रूप में प्रस्तुत किया ।

18. अतः, चिकित्सक द्वारा बताई गई क्षतियों से यह स्पष्ट है कि मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी, जो गर्दन, चेहरे, सिर के पिछले हिस्से, रीढ़ की हड्डी और करोटि पर कारित कटाव की क्षतियों के बाद रक्तस्राव के आघात और श्वासावरोध के कारण हुई थी । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मृतक को न केवल गर्दन पर एक क्षति कारित हुई थी बल्कि उसके चेहरे, सिर के पिछले हिस्से, रीढ़ की हड्डी और करोटि पर भी 3-4 और क्षतियां आई थीं ।

19. अब प्रश्न यह उठता है कि मृतक की मृत्यु किसने कारित की ?

अभियोजन पक्ष का यह तर्क है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने मृतक की गर्दन पर दाव से क्षति पहुंचाई जिससे मृतक की तत्काल मृत्यु हो गई ।

20. अतः, आइए अब हम अभियोजन के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले साक्षियों के अन्य साक्ष्यों पर भी विचार करें ।

21. अभि. सा. 1 इस मामले का इत्तिलाकर्ता अर्थात मृतक का पिता है और उसने कथन किया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब उसका बेटा/मृतक अपने कुछ दोस्तों के साथ घर के पास सड़क पर खेल रहा था, अभियुक्त आया और दाव से उसकी गर्दन पर क्षति पहुंचाई । उस समय वह अपने धान के खेत में था, किन्तु अन्य ग्रामवासी चीख-पुकार सुनकर घटनास्थल पर पहुंच गए थे और अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया था । किन्तु बाद में, स्थानीय लोगों ने अभियुक्त को पकड़ लिया । उसने अपने मृत पुत्र की गर्दन पर क्षति के चिह्न देखे, जिसकी तुरंत मृत्यु हो गई थी । बाद में उसने पुलिस को सूचना दी, जिसने उसके मृत पुत्र के शव की जांच की और शव को शव-परीक्षा के लिए भेज दिया । पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए हथियार यानी दाव को भी बरामद कर लिया ।

22. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने बताया कि उसे घटना की सही तारीख याद नहीं है और यह कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी किन्तु उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की विषयवस्तु पता है । उसकी प्रतिपरीक्षा से यह भी पता चलता है कि घटना वाले दिन, उसका पुत्र (मृतक) उसके दो अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था । उसने आगे यह भी साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ उसका कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था और न ही उसके साथ पहले से कोई दुश्मनी थी ।

23. अभि. सा. 3 इसहाक लाकरा है, जो स्वयं को अभियोजन पक्ष के मामले का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताता है । उसके अनुसार, घटना वाले दिन, दोपहर लगभग 2.30 बजे, वह स्कूल से आकर अन्य साथियों के साथ इमली के पेड़ के पास गया, तभी अभियुक्त अचानक वहां आया और मृतक की गर्दन पर दाव से वार कर दिया । डर के मारे वह

घटनास्थल से भाग गया और अभियुक्त भी घटनास्थल से फरार हो गया । फिर उसने रिमीश लाकरा नामक व्यक्ति को घटना की जानकारी दी ।

24. इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा से यह स्पष्ट है कि रिमीश लाकरा पहले घटनास्थल पर आया और उसके बाद अन्य ग्रामवासी भी वहां पहुंचे ।

25. अभियोजन पक्ष के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से अभि. सा. 4 एक ऐसा साक्षी है जो घटना के समय अन्य बच्चों और मृतक के साथ खेल रहा था । उसने यह साक्ष्य दिया है कि घटना के समय वह पेड़ की चोटी पर इमली तोड़ रहा था और जब उसने देखा कि उसके कुछ दोस्त इमली के पेड़ से भाग रहे हैं और तभी उसने यह भी देखा कि अभियुक्त मृतक को दाव से क्षति पहुंचा रहा है । तब उसने शोर मचाया और कई लोग घटनास्थल की ओर दौड़े । इसके पश्चात् वह पेड़ से नीचे उतरा और मृतक के सिर और गर्दन पर कटी हुई क्षतियां देखीं । कुछ देर बाद उसके पिता भी घटनास्थल पर पहुंच गए । अभि सा. 4 के अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा किए गए प्रहार के तुरंत बाद मृतक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई ।

26. इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा से यह स्पष्ट है कि घटना के समय, चूंकि वह पेड़ के ऊपर था, इसलिए उसके लिए यह देखना आसान नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ था । किन्तु उसकी प्रतिपरीक्षा से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त के घटनास्थल से भाग जाने के बाद वह पेड़ से नीचे उतरा था । जब उससे यह कहा गया कि उसने घटना नहीं देखीं तो उसने इस बात से भी इनकार किया ।

27. अभि. सा. 5, जहान लाकरा के अनुसार, घटना के समय, जब वह दोपहर का भोजन करने के लिए अपने घर आ रहा था तब उसने रोने की आवाज सुनी और तदनुसार वह वहां गया और मृतक का शव आंगन में देखा और उसने अभियुक्त को अपने आंगन में दाव धोते हुए भी देखा । उसने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त का, इत्तिलाकर्ता का और उसका घर एक-दूसरे के निकट स्थित हैं । उसने अभियुक्त को पास के गड्ढे में दाव फेंकते हुए देखा था और स्थानीय लोगों के निर्देशानुसार

उसने उक्त दाव को उस गड्ढे से बरामद कराया जिससे अभियुक्त/अपीलार्थी ने मृतक की हत्या की थी । बाद में पुलिस आई और दाव को अभिगृहीत कर लिया गया ।

28. उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखीं है और उसे यह भी नहीं पता कि अभियुक्त दाव क्यों धो रहा था । किन्तु उसने अभियुक्त को दाव धोते और उसे गड्ढे में फेंकते हुए देखा था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा मृतक की हत्या की घटना के बारे में उसने स्थानीय लोगों से ही सुना था ।

29. अभि. सा. 6 इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है और उसने कथन किया कि घटना वाले दिन, इत्तिलाकर्ता ने थाने में आकर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके आधार पर, पुलिस थाना बरबारी में मामला सं. 14/2019 दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभिलिखित किया गया । उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मामला दर्ज होने से पहले, पुलिस चौकी बरबारी के प्रभारी पुलिस उपनिरीक्षक प्रणव बैश्य ने उसे टेलीफोन पर सूचित किया कि उत्तर धींगापुर ग्राम में एक हत्या हुई है । इसके पश्चात्, प्रभारी अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय उसके साथ गए और घटनास्थल का दौरा किया और साक्षियों की उपस्थिति में कच्चा नक्शा तैयार किया, घटनास्थल पर उपलब्ध साक्षियों के बयान अभिलिखित किए और मृतक के शव की मृत्युसमीक्षा सर्कल अधिकारी, बागानपाड़ा द्वारा की गई । तत्पश्चात्, शव को शव-परीक्षा के लिए भेज दिया गया । घटनास्थल पर शव के पास ही अपराध में प्रयुक्त दाव भी पड़ा हुआ पाया गया और मृतक के पिता ने भी अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार (दाव) की शनाख्त की । तद्नुसार, उन्होंने घटनास्थल पर साक्षियों की उपस्थिति में अभिग्रहण सूची तैयार करके दाव को अभिगृहीत कर लिया । उक्त दाव को न्यायालय में साक्षियों को भी दिखाया गया और तद्नुसार उसे एम. प्रदर्श-1 के रूप में प्रदर्शित किया गया । अभियुक्त को ग्रामवासियों ने पकड़ लिया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके संस्वीकृति कथन को अभिलिखित करने के लिए न्यायालय भेज दिया गया । तद्नुसार, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त का संस्वीकृति कथन अभिलिखित

किया । किन्तु, अपने स्थानांतरण के बाद, उन्होंने केस डायरी पुलिस थाना बरबारी के प्रभारी अधिकारी को सौंप दी और उनके उत्तराधिकारी बिजॉय दास ने मृतक की शव-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की और तद्नुसार वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

30. अपनी प्रतिपरीक्षा में, जब यह सुझाव दिया गया कि बिना किसी आक्षेपजनक सामग्री के, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया है, जो निर्दोष है और कथित अपराध से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है, तो उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि ग्रामवासियों ने पूर्व रंजिश के कारण अभियुक्त/अपीलार्थी को पकड़ लिया और असली अपराधी को अपराध के दायित्व से बचा लिया ।

31. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने विद्वान् मजिस्ट्रेट की भी परीक्षा न्यायालय साक्षी-1 के रूप में कराई जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी का संस्वीकृति कथन अभिलिखित किया था । तद्नुसार, विद्वान् मजिस्ट्रेट (न्यायालय साक्षी-1) ने यह कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी जिसे उनके समक्ष पेश किया गया था, का संस्वीकृति कथन सभी उपबंधों को समझाने और अभियुक्त/अपीलार्थी को आवश्यक चेतावनी देने के बाद ही अभिलिखित किया था । अभियुक्त को यह भी समझाया गया था कि वह संस्वीकृति कथन देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो इसे मुकदमे के दौरान उसके विरुद्ध सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है । किन्तु, इस तरह के स्पष्टीकरण और सावधानी के बावजूद, अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और तद्नुसार, उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी का बयान अभिलिखित किया ।

32. मजिस्ट्रेट (न्यायालय साक्षी-1) के अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपना कथन इस प्रकार दिया:–

> "पिछले मंगलवार, यानी 5 मार्च, 2019 को, यह घटना दोपहर लगभग 2.30 बजे घटित हुई । मैं अपने ग्राम के एक स्थान से टेंगा (खट्टा फल) लेने गया था । उस स्थान पर, कुछ लड़के और लड़कियां खेल रहे थे । उनमें से कुछ ने मुझे ताना मारना आरंभ कर दिया । मुझे गुस्सा आ गया । मैंने अपने हाथ में रखे दाव से

रंजन एक्का की गर्दन पर वार कर दिया । वह तुरंत गिर पड़ा । बाद में उसकी मृत्यु हो गई ।"

33. विद्वान् मजिस्ट्रेट (न्यायालय साक्षी-1) ने भी यह सुझाव दिए जाने पर इनकार कर दिया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उनके समक्ष कोई संस्वीकृति कथन नहीं दिया था ।

34. अतः, उपरोक्त साक्षियों की चर्चा से यह सामने आया है कि इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) मृतक का पिता है और अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 अभियोजन पक्ष के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जिन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा मृतक को दाव से क्षति पहुंचाने की घटना देखीं थी । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के कथनों का प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा खंडन नहीं किया जा सका और उनके कथन सुसंगत पाए गए । यह भी देखा गया कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 दोनों, जो अभियोजन पक्ष के प्रत्यक्षदर्शी हैं, घटना के समय मृतक के साथ खेल भी रहे थे और वे पेड़ से इमली तोड़ने और खाने में व्यस्त थे, तभी अभियुक्त अचानक वहां आया और उसने मृतक के नाजुक अंग अर्थात् गर्दन और यहां तक कि करोटि और जबड़े पर दाव से वार किया । यह भी देखा गया है कि चीख-पुकार सुनकर अन्य ग्रामवासी तुरंत घटनास्थल पर आ गए और फिर अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया किन्तु ग्रामवासियों ने उसे पकड़ लिया और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया ।

35. यह भी देखा गया है कि चिकित्सक (अभि. सा. 2) का साक्ष्य भी मृतक को कारित क्षति के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की पूर्णतः पुष्टि करता है और यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि मृतक की मृत्यु रक्तस्रावी आघात और श्वासावरोध के कारण हुई है क्योंकि मृतक के गले के अन्य नाजुक अंगों अर्थात् रीढ़ की हड्डी, करोटि तथा जबड़े सहित पूरे गले में छिन्न क्षति कारित हुई थी ।

36. इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि अभि. सा. 5 अभियुक्त/अपीलार्थी का पड़ोसी होने के साथ-साथ इत्तिलाकर्ता भी है । यद्यपि उसने घटना नहीं देखीं, किन्तु उसने मृतक के शरीर पर क्षति चिह्न देखें थे । उसने अभियुक्त को दाव धोते हुए भी देखा था जो

हत्या में प्रयुक्त हथियार बताया जा रहा है, यद्यपि वह यह नहीं बता सका कि अभियुक्त दाव क्यों धो रहा था । उसने अभियुक्त को दाव को एक गड्ढे में फेंकते हुए भी देखा था और ग्राम वालों की निशानदेही पर उसे बरामद किया गया था ।

37. इस प्रकार, यह एक ऐसा मामला है जिसमें अभियोजन पक्ष, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4, जो अभियोजन पक्ष के मामले के प्रत्यक्षदर्शी हैं, के साक्ष्य के आधार पर अपना मामला स्थापित कर सकता है । इन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4, जो घटना के समय अप्राप्तवय बच्चे थे और मृतक तथा अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे और इमली खा रहे थे, पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । ऐसा नहीं है कि किसी द्वेष या रंजिश के कारण ये 2 (दो) साक्षी, अर्थात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देंगे।

38. इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना संस्वीकृति कथन भी दिया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित उसके कथन से भी यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसका कथन अभिलिखित करने से पहले उसे हर संभव सावधानी और चेतावनी दी थी । इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि उसके संस्वीकृति कथन को आत्मचिंतन के लिए पर्याप्त समय देते हुए अभिलिखित किया गया था । अभियुक्त/अपीलार्थी को 6 मार्च, 2019 को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया और उसे 6 मार्च, 2019 से 8 मार्च, 2019 दोपहर 12.00 बजे तक आत्मचिंतन के लिए जेल प्राधिकारी की निगरानी में रखा गया और उसके बाद ही उसे 8 मार्च, 2019 को अपराह्न लगभग 3.00 बजे विद्वान् मजिस्ट्रेट के कक्ष में लाया गया और उसके बाद, धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसका कथन अभिलिखित करने से पहले अभियुक्त/अपीलार्थी को फिर से सभी चेतावनियां देते हुए, उसका कथन अभिलिखित किया गया । इस प्रकार, यह देखा गया है कि उसका कथन स्वैच्छिक प्रकृति का था और वह 6 मार्च, 2019 से पुलिस अभिरक्षा में नहीं था जब तक कि उसे संस्वीकृति कथन दर्ज करने के

लिए विद्वान् मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया गया । इसलिए, यह भी नहीं माना जा सकता है कि पुलिस की धमकी या प्रभाव में अभियुक्त ने अपना संस्वीकृति कथन दिया । इसके अतिरिक्त, उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसे धारा 164 के अधीन कथन अभिलिखित करने से पहले विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पर्याप्त समय दिया गया और सावधानी बरती गई थी, किन्तु उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज अपने कथन में बस इतना कहा कि उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के अधीन अभिलिखित संस्वीकृति कथन ऐसा नहीं कहा था । किन्तु इससे प्रतिरक्षा पक्ष को सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि उसने पूरी कार्यवाही के दौरान अपने संस्वीकृति कथन को वापस लेने का कभी प्रयास नहीं किया बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन में उसने यह स्वीकार किया है कि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन अभिलिखित करने से पहले चिंतन करने और सावधानी बरतने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था । इस प्रकार, यह देखा गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने 7 (सात) वर्षीय अप्राप्तवय बच्चे की हत्या कर दी और उसके शरीर के नाजुक अंग पर दाव से 2-3 वार किए जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई । अप्राप्तवय के माता-पिता को भी अपने अप्राप्तवय पुत्र को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने का भी समय नहीं मिला क्योंकि उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । अभियोजन पक्ष ने चिकित्सीय तथा प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर भी मामला सिद्ध किया और जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 3 तथा अभि. सा. 4 के प्रत्यक्ष साक्ष्य का खंडन नहीं किया जा सका है जो विश्वसनीय तथा भरोसेमंद है ।

39. अब प्रतिरक्षा पक्ष की एकमात्र दलील यह है कि घटना केवल गंभीर और अचानक उकसावे के कारण हुई थी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आती है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त/अपीलार्थी का अप्राप्तवय बच्चे, जो घटना के समय 7 (सात) वर्ष का था, की हत्या करने का कोई हेतु नहीं था और अभियोजन पक्ष भी हत्या का कोई हेतु सिद्ध नहीं कर सका है । आगे यह दलील दी गई है कि घटना केवल गंभीर और अचानक उकसावे के कारण हुई थी क्योंकि मृतक और अन्य बच्चे जो इमली तोड़ने के लिए घटनास्थल पर

पहुंचे थे, अभियुक्त/अपीलार्थी को चिढ़ा रहे थे और ताना मार रहे थे ।

40. दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद 4 इस प्रकार है :–

> "अपवाद 4 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अपराईक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो ।"

41. धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए, 4 (चार) अपेक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्; (i) यह एक अचानक लड़ाई थी, (ii) कोई पूर्वचिंतन नहीं था, (iii) कार्य आवेग की तीव्रता में किया गया था, (iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया या क्रूर तरीके से काम नहीं किया । घटना के दौरान कारित क्षतियों की संख्या निर्णायक कारक नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह देखीं जाती है कि घटना अचानक और बिना सोचे-समझे हुई हो और अपराधी ने क्रोध में आकर ऐसा किया हो । साथ ही अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया हो या क्रूरता से काम नहीं किया हो ।

42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अनिल कुमार** बनाम **केरल राज्य**[1] (दांडिक अपील सं. 2697/2023) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "अपवाद के अधीन स्पष्ट शब्दों में यह उपबंध किया गया है कि यह तब लागू होगा जब सदोष हत्या न केवल पूर्वनियोजित मन से अचानक लड़ाई या झगड़े में की गई हो बल्कि अपराधी द्वारा स्थिति का "अनुचित लाभ" भी न उठाया गया हो ।"

43. वर्तमान मामले में, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्री से यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना के सुसंगत समय पर, मृतक बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था और इमली तोड़ रहा था, जब अभियुक्त एक दाव लेकर वहां पहुंचा और प्रतिरक्षा पक्ष का यह कहना है कि बच्चों ने उसे चिढ़ाना आरंभ कर दिया और जिसके लिए उसने मृतक के नाजुक

---

[1] (2023) 2 टी. एल. एन. जे. 597.

अंग यानी गर्दन और करोटि पर दाव से क्षति पहुंचाई । किन्तु कुछ अप्राप्तवय बच्चों द्वारा साधारण चिढ़ाने को गंभीर और अचानक उकसावे के रूप में नहीं माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने बहुत क्रूर तरीके से काम किया और अनुचित लाभ भी उठाया, जबकि मृतक केवल 7 (सात) वर्ष का बच्चा था । इस प्रकार, यह माना जा सकता है कि अभियुक्त ने अप्राप्तवय मृतक की आयु का अनुचित लाभ उठाया और उसके नाजुक अंग पर क्षति पहुंचाकर क्रूर तरीके से वार किया, जिससे अप्राप्तवय बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गई ।

44. यह हो सकता है कि अभियुक्त के मन में बच्चे को मारने की कोई पूर्व योजना न हो, क्योंकि बच्चे या उसके परिवार के सदस्यों के साथ किसी पूर्व रंजिश या शत्रुता का कोई सबूत नहीं है, किन्तु जिस तरह से उसने बच्चे पर हमला किया वह बहुत क्रूर प्रकृति का है और साथ ही, उसने मृतक की आयु का अनुचित लाभ उठाया, जो केवल 7 (सात) वर्ष का था ।

45. **के. एम. नानाबती** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपवाद लागू करने के लिए जिन शर्तों को पूरा करना होगा वे इस प्रकार हैं : (क) मृतक ने अभियुक्त को अवश्य ही प्रकोपित किया होगा, (ख) प्रकोपन गंभीर होना चाहिए (ग) प्रकोपन अचानक होना चाहिए ।

46. यहां इस मामले में, यह देखा गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने मृत बच्चे पर न केवल एक वार किया, बल्कि शरीर के महत्वपूर्ण अंगों, यानी गर्दन, जबड़े और करोटि पर 3-4 वार किए, जिससे अप्राप्तवय बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गई । किसी बच्चे/बच्चों को चिढ़ाने और ताना मारने पर, वह बच्चों का पीछा कर सकता था या बच्चे पर शारीरिक हमला करके प्रतिक्रिया दे सकता था । किन्तु, जिस तरह से अभियुक्त ने मृतक के नाजुक अंगों पर, वह भी दाव से, क्षति पहुंचाई है, उससे यह माना जा सकता है कि वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत नहीं आता है ।

---

[1] [1962] (सप्ली.) 1 एस. सी. आर. 567 = ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 605.

47. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध सभी उचित संदेहों से परे मामला साबित करने में सक्षम रहा है और इसलिए, हमारा यह निष्कर्ष है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी ठहराने में कोई त्रुटि या भूल नहीं की है और इसलिए, हमें सेशन मामला सं. 114/2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत, विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बक्सा, मुशालपुर, बीटीएडी, असम द्वारा तारीख 24 फरवरी, 2021 को पारित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है इसलिए इसे तद्नुसार कायम रखा जाता है । परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है ।

48. इस मामले से निवृत होने से लेने से पहले, हम अपीलार्थी के विद्वान् न्यायमित्र डॉ. बी. एन. गोगोई तथा इत्तिलाकर्ता (प्रतिवादी सं. 2) के विद्वान् न्यायमित्र श्री एस. एच. महमूद द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं तथा हम अनुशंसा करते हैं कि वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भुगतान की जाने वाली अधिसूचित दर के अनुसार शुल्क के हकदार हैं ।

49. इस निर्णय और आदेश की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाए ।

50. उपर्युक्त के अनुसार, यह दांडिक अपील निपटाई जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

महेंद्र महतो

बनाम

झारखंड राज्य

(2019 की दांडिक अपील सं. 654)

तारीख 9 सितंबर, 2024

न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 201 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 118] – हत्या – अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या किया जाना और शव का छिपाया जाना – साक्षियों ने अपीलार्थी को एक अत्याचारी पति के रूप में पेश किया है, जिसने मृतका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा और यह कि उसकी नजर अपनी पत्नी के नाम की उस बीमा पॉलिसी पर भी थी, जिसमें वह एकमात्र नामनिर्देशिती था, अपीलार्थी की ऐसी विषैली तस्वीर बाद में गढ़ी गई प्रतीत होती है क्योंकि इन साक्षियों ने यह भी बताया है कि अपीलार्थी उन्हें प्रायः विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों और धार्मिक यात्राओं पर ले जाता था, यदि अपीलार्थी ऐसा व्यक्ति था जैसा कि साक्षियों ने दर्शाया है और जो लगातार पैसे और भूमि की मांग करता था तो उसकी पत्नी और ससुराल वालों के साथ ऐसी यात्राओं का कोई औचित्य नहीं था, अपीलार्थी ने मृतका के लिए एक स्कूटी और एक ऑटो-रिक्शा खरीदा था, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विवाह के इतने वर्षों के दौरान कहीं भी कोई शिकायत नहीं की गई जिससे अपीलार्थी और मृतका के बीच चलने वाले विवाद की कहानी और भी निर्बल हो जाती है, एक साक्षी के अनुसार, मृतका के बीमा के कागजात अपीलार्थी के पास थे जिनमें नामनिर्देशिती के रूप में केवल उसके पिता का नाम है, अपीलार्थी का नहीं, जो अपीलार्थी के हेतु को और भी निर्बल बनाता है और इसके विपरीत इत्तिलाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के अन्यथा आचरण को उजागर करता है, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 और 201 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 118] – हत्या – बाल साक्षी का परिसाक्ष्य – घटना की तारीख से अपने नाना-नानी के घर पर रह रहा है और कम आयु का होने के कारण उसके सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना सदैव बनी रहेगी, सभी साक्षियों ने एक स्वर में उल्लेख किया है, उनके साक्ष्यों और बाल साक्षी के साक्ष्य में मुश्किल से ही कोई अंतर है और इस कहानी के बनाने में भी इतनी एकरूपता, संदिग्ध प्रतीत होती है, अपीलार्थी के मोबाइल की सी. डी. आर. के अनुसार टावर लोकेशन निश्चित रूप से यह संकेत नहीं देती है कि अपीलार्थी ट्रेन से उतरा था और हत्या करने के बाद अपने नियत स्थान पर जाने के लिए परिवहन का कोई अन्य साधन लिया था, अपीलार्थी के मोबाइल की सी. डी. आर. एक अस्पष्ट तस्वीर पेश करती है और मोबाइल का तकनीकी मूल्यांकन अभियोजन पक्ष के मामले से मेल नहीं खाता है, अतः अपीलार्थी को हत्या के अपराध से संबद्ध नहीं किया जा सकता और निचले न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता ।

इस मामले में अभियोजन पक्ष का मामला कालीचरण महतो की लिखित रिपोर्ट से उद्भूत हुआ है जिसमें कहा गया है कि उसकी बहिन शीला देवी का विवाह लगभग बारह वर्ष पूर्व महेंद्र महतो (अपीलार्थी) के साथ हुआ था और इस विवाह से दो पुत्र उत्पन्न हुए । महेंद्र महतो सेना में कार्यरत है और मनाली सेसे में तैनात है । इत्तिलाकर्ता की बहिन बी. आई. टी. मेसरा (बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा) में प्रयोगशाला/रसायन विज्ञान विभाग में कार्यरत थी । यह अभिकथन किया गया है कि महेंद्र महतो कभी-कभी उसकी बहिन को प्रताड़ित करता था और उसकी हत्या की धमकी देता था । महेंद्र महतो कभी-कभी उसकी बहिन पर हमला भी किया करता था और घटना से लगभग दो दिन पहले उसने उसकी बहिन को एक चलती गाड़ी के आगे धकेल दिया था, किन्तु वह बच गई । यह कथन किया गया है कि इत्तिलाकर्ता और अन्य लोग महेंद्र महतो और उसकी पत्नी के बीच बिगड़े रिश्ते को शांत किया करते थे । यह अभिकथन किया गया है कि महेंद्र महतो ने घर बनाने के लिए इत्तिलाकर्ता के परिवार पर एक भूखंड देने के लिए दबाव डाला और

करीब दो वर्ष पहले इत्तिलाकर्ता की बहिन के नाम पर पांच डेसिमल भूमि की रजिस्ट्री की गई थी । महेंद्र महतो ने उस भूखंड पर अपना घर बनाना आरंभ किया और इत्तिलाकर्ता के माता-पिता से 2,00,000/- रुपए की मांग की । यह कहा गया है कि इत्तिलाकर्ता की बहिन ने 20,00,000/- रुपए की बीमा पॉलिसी में निवेश किया था और घटना के कुछ दिन पहले महेंद्र महतो ने अपनी पत्नी के नाम पर 10,00,000/- रुपए की बीमा पॉलिसी ली थी और सभी बीमा पॉलिसियों में महेंद्र महतो नामनिदेशती था । यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 3 जुलाई, 2015 को उनकी बहिन ने जम्मू तवी एक्सप्रेस में सवार होने के लिए महेंद्र महतो को दोपहर 3.00 बजे रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था क्योंकि उसे अपने तैनाती स्थल पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी (कार्यभार ग्रहण करना था) । इत्तिलाकर्ता की बहिन अपने घर वापस लौट आई किन्तु प्रातःकाल पता चला कि उसकी बहिन घर पर नहीं है और उसकी गहन खोज की गई, किन्तु उसका पता नहीं चल सका । यह अभिकथन किया गया है कि पूजा कक्ष में एक बड़े सन्दूक में उसकी बहिन के बाल देखे जा सकते थे और सन्दूक का ताला तोड़ने पर उसकी बहिन का शव मिला जिसके शरीर पर मारपीट के चिह्न थे । इत्तिलाकर्ता की बहिन के गुप्तांगों पर भी क्षति के चिह्न थे । इस बीच, भीड़ जमा हो गई थी । यह अभिकथन किया गया है कि महेंद्र महतो से उनके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, किन्तु मोबाइल बंद पाया गया । अभिकथन यह भी किया गया है कि 2,00,000/- रुपए की मांग पूरी न होने पर और जिस बीमा पॉलिसी में वह नामनिदेशती था, उसकी राशि का दावा करने के लिए महेंद्र महतो अपने अज्ञात साथियों के साथ रांची रेलवे स्टेशन से वापस आया और अपनी पत्नी की हत्या कर शव को एक सन्दूक में छिपा दिया । उपरोक्त आरोपों के आधार पर सदर (मेसरा) थाना मामला संख्या 332/2015, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/201/34 के अंतर्गत महेंद्र महतो एवं अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभिलिखित किया गया । मामले का अन्वेषण पूरा होने पर महेंद्र महतो के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और संज्ञान लिए जाने के बाद मामला सेशन न्यायालय को सौंप दिया गया जहां इसे सेशन विचारण सं.

595/2015 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/201 के अधीन आरोप विरचित किया गया जिसे पढ़कर सुनाया गया और अभियुक्त को हिंदी में समझाया गया । अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए विचारण किए जाने की मांग की । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को हत्या का दोषी पाया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील फ़ाइल की । अपील मंजूर करते हुए

अभिनिर्धारित – तारीख 4 जुलाई, 2015 की प्रातःकाल मृतका शीला देवी के लापता होने के बाद उसकी खोजबीन तेज हो गई और चूंकि सभी नातेदारों ने इस बात से इनकार कर दिया कि शीला देवी के उनके घर आई थी, इसलिए तलाशी घर तक ही सीमित रह गई, किन्तु अभि. सा. 3, अभि. सा. 6, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 10 के अनुसार, बाबू लाल महतो (प्रतिरक्षा साक्षी 7) ने उन्हें घर में घुसने से रोका । अभि. सा. 4 ने बाबू लाल महतो द्वारा चारपाई के नीचे पत्थर रखे जाने कि बात कही है, किन्तु अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 11) ने इस तथ्य को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्हें चारपाई के नीचे कोई पत्थर नहीं मिला था । इतने प्रतिरोध के बावजूद, साक्षियों ने घर में प्रवेश किया और तलाशी लेने पर एक सन्दूक मिला जिसमें से कुछ बाल निकल रहे थे और शीला देवी का शव सन्दूक के अंदर पाया गया जिसके पूरे शरीर पर क्रूरता कारित किए जाने के चिह्न थे जिसमें गुप्तांग भी सम्मिलित थे । शव-परीक्षा रिपोर्ट में धारदार काटने वाले नुकीले हथियार से कई क्षतियां पाई गई हैं । शीला देवी के शरीर पर की गई हिंसा से प्रतिशोध या क्रोधपूर्ण कृत्य साबित होता है । यह हमें अपीलार्थी और उसकी पत्नी के बीच उसकी मृत्यु से पहले मौजूद रिश्ते के प्रश्न पर लाता है । शीला देवी का विवाह अपीलार्थी के बड़े भाई शिव प्रकाश महतो के साथ हुआ था किन्तु शिव प्रकाश महतो की असामयिक मृत्यु के कारण, दोनों पक्षों की सहमति से शीला देवी का विवाह अपीलार्थी के साथ कर दिया गया । अपने पहले पति की मृत्यु के बाद, शीला देवी को उसकी ससुराल में पूरी गरिमा और सम्मान के साथ रखा गया था जैसा कि मृतका की मां (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है । मृतका के नातेदारों के साक्ष्य के

अनुसार, विवाह के आरंभ से ही अपीलार्थी, जब भी छुट्टी पर घर आता था, मृतका को प्रताड़ित करता था । ऐसा कहा जाता है कि हत्या से कुछ दिन पहले, अपीलार्थी ने शीला देवी को राजमार्ग पर एक चलती गाड़ी के आगे धक्का दे दिया था, किन्तु वह बच गई थी । इसलिए, साक्षियों ने अपीलार्थी को एक अत्याचारी पति के रूप में पेश किया है, जिसने मृतका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा और उसकी नजर अपनी पत्नी के नाम की उस बीमा पॉलिसी पर भी थी, जिसमें वह एकमात्र नामनिर्देशिती था । अपीलार्थी की यह विषैली तस्वीर बाद में गढ़ी गई प्रतीत होती है क्योंकि इन साक्षियों ने यह भी बताया है कि अपीलार्थी उन्हें प्रायः विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों और धार्मिक यात्राओं पर ले जाता था । यदि अपीलार्थी ऐसा व्यक्ति था जैसा कि साक्षियों ने दर्शाया है और जो लगातार पैसे और भूमि की मांग करता था, तो उसकी पत्नी और ससुराल वालों के साथ ऐसी यात्राओं का कोई औचित्य नहीं था । अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने मृतका के लिए एक स्कूटी और एक ऑटो-रिक्शा खरीदा था । उसके पिता भी मृतका को नियमित रूप से पैसे भेजते थे । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विवाह के इतने वर्षों के दौरान कहीं भी कोई शिकायत नहीं की गई जिससे अपीलार्थी और मृतका के बीच चलने वाले विवाद की कहानी और भी निर्बल हो जाती है । अभि. सा. 9 के अनुसार, मृतका के बीमा के कागजात उसके पास हैं, साथ ही मृतका शीला देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी है, जिस पर केवल उसके पिता का नाम है, अपीलार्थी का नहीं, जो अपीलार्थी के हेतु को और भी निर्बल बनाता है और इसके विपरीत इत्तिलाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के अन्यथा आचरण को उजागर करता है । अभियोजन पक्ष का पूरा मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और हत्या में अपीलार्थी की संलिप्तता को दर्शाने वाली परिस्थितियां बाल साक्षी अभि. सा. 4 के साक्ष्य से उद्भूत होती हैं । अभि. सा. 4 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह वर्णन किया है कि उसके पिता का उसकी मां को फोन आया था जिसमें उसके पिता ने वापस लौटने की बात कही थी क्योंकि उन्होंने घर पर कुछ सामान छोड़ दिया था । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने एक

अलग कहानी दी है कि रात के खाने के बाद उन्होंने अपने पिता से बात की थी । उन्होंने यह नहीं कहा है कि उनके पिता ने उन्हें यह बताया था कि वह अपने घर वापस आ रहे हैं । अभि. सा. 4 के बयान का सी. डी. आर. द्वारा भी खंडन किया गया है क्योंकि यह मृतका ही थी जिसने अपीलार्थी को सायं 7.39 बजे फोन किया था जिसकी अवधि 64 सेकंड थी । अभि. सा. 4 ने यह भी कहा है कि रात का खाना खाने के बाद वह सोने चला गया और उसे उसकी मां ने जगाया और वह अपनी मां के साथ गेट खोलने गया और उसके बाद वह फिर से सो गया । यहां यह ध्यान देने योग्य है कि अभि. सा. 4 की आयु घटना के समय 10 वर्ष थी और यह समझना मूर्खता की कोटि में आएगा कि मृतका, जिसे एक सभ्य महिला बताया गया है और जिसकी पुष्टि अपीलार्थी ने अपने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन में भी की है, सो रही बच्ची को जगाएगी और उसके साथ दरवाजा खोलने जाएगी । अभि. सा. 4 के साक्ष्य में एक और विशेषता जो ध्यान देने योग्य है, यह है कि उसने यह नहीं कहा था कि उसने अपने पिता को दरवाजा खोलते हुए देखा था । यह अनुमानित साक्ष्य प्रतीत होता है कि यह अपीलार्थी था जो दरवाजे पर खड़ा था । अभि. सा. 4 के साक्ष्य में की यह निर्बलता अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 11) के साक्ष्य में भी निहित है, जिसने यह प्रमाणित किया है कि अभि. सा. 4 ने अपने बयान में घर वापस आने की बात तो कही है, किन्तु यह नहीं बताया कि उसने उस व्यक्ति की पहचान अपने पिता के रूप में की थी या नहीं । दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति की पहचान संबंधी सबूत का एक लेशमात्र भी न होने के बावजूद यह अनुमान लगाया गया कि वह अपीलार्थी था । मामले की एक और दिलचस्प विशेषता जो अभि. सा. 4 के साक्ष्य पर आधारित है, यह है कि अन्य साक्षियों द्वारा निरंतर यह कहा जाना कि अपीलार्थी रात में अपने घर वापस लौट आया था, अभि. सा. 4 के अभिकथित वर्णन के आधार पर है । यहां भी अभि. सा. 11 का साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभि. सा. 4 ने उसके सामने यह नहीं बताया था कि उसने अपने नाना-नानी, मामा-मामी और मौसियों को अपीलार्थी के रात में अपने घर वापस आने के बारे में बताया था और यह तथ्य अभि.

सा. 3, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 9 के साक्ष्य से और प्रबलित हो जाता है । ऐसा लगता है कि यह तथ्य बाद में विकसित किया गया है क्योंकि लिखित रिपोर्ट में भी अभि. सा. 4 के खुलासे का उल्लेख नहीं किया गया है । चूंकि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला मुख्यतः बाल साक्षी के साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए बाल साक्षी के कथन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों, चाहे वह सत्य हो या असत्य, पर विचार किया जाना आवश्यक है । (पैरा 30 और 31)

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अभि. सा. 4 घटना की तारीख से अपने नाना-नानी के घर पर रह रहा है और कम आयु का होने के कारण उसके सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना सदैव बनी रहेगी और जो कहानी हमारे सामने आई है, उससे इस तरह के सिखाए-पढ़ाए जाने के बारे में पता चलता है । अपीलार्थी द्वारा मृतका पर बार-बार किए जाने वाले अत्याचारों का अभि. सा. 4 और उसके ननिहाल पक्ष के सभी साक्षियों ने एक स्वर में उल्लेख किया है । उनके साक्ष्यों और अभि. सा. 4 के साक्ष्य में मुश्किल से ही कोई अंतर है और इस कहानी के बनाने में भी इतनी एकरूपता, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, कि संदिग्ध प्रतीत होती है । पृष्ठभूमिक तथ्यों में अभि. सा. 4 का साक्ष्य "विश्वसनीयता" और "सत्यता" की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है क्योंकि यह स्पष्ट है कि वह एक सिखाया-पढ़ाया साक्षी है । अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई दूसरी परिस्थिति अपीलार्थी के मोबाइल की टावर लोकेशन है । अपीलार्थी के मोबाइल की सी. डी. आर. के अनुसार टावर लोकेशन निश्चित रूप से यह संकेत नहीं देती है कि अपीलार्थी ट्रेन से उतरा था और हत्या करने के बाद अपने नियत स्थान पर जाने के लिए परिवहन का कोई अन्य साधन लिया था । अभि. सा. 11 ने भी अपने साक्ष्य में ऐसा कहा है । अपीलार्थी के मोबाइल की सी. डी. आर. एक अस्पष्ट तस्वीर पेश करती है और मोबाइल का तकनीकी मूल्यांकन अभियोजन पक्ष के मामले से मेल नहीं खाता है । अभियोजन पक्ष के अनुसार, हत्या घर के अंदर हुई थी, जो किसी भी सबूत के अभाव में बेहद असंभव प्रतीत होती है क्योंकि हत्या अत्यंत क्रूरता से की गई है और वह भी तब जब मृतका के बच्चे घर के अंदर मौजूद थे । सन्दूक के अंदर से रक्त

से सने कुछ पहने हुए कपड़े और चादरें तो बरामद की गईं किन्तु आश्चर्यजनक रूप से, अपीलार्थी द्वारा मृतका पर धारदार, नुकीले हथियार से किए गए इतने सारे वारों के बावजूद रक्त से लथपथ कुछ नहीं मिला । (पैरा 32 और 33)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2023] 2023 लाइव लॉ (एस. सी.) 501 =
ए. आई. आर. ऑनलाइन 2023 एस. सी. 514 :
प्रदीप बनाम **हरियाणा राज्य** ; 31

[1984] (1984) 4 एस. सी. सी. 116 =
ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 :
शरद बिरधीचंद सारदा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 34

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 654.

2015 के सेशन विचारण मामला सं. 595 में अपर न्यायिक आयुक्त-XIII, रांची द्वारा तारीख 4 जून, 2019 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री वी. राम त्रिपाठी (वरिष्ठ अधिवक्ता)

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री निहाला शरमिन (विशेष लोक अभियोजक)

इत्तिलाकर्ता की ओर से श्री विजयन्त वर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायामूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय ने दिया ।

न्या. मुखोपाध्याय – अपीलार्थी की ओर से विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री बी. एम. त्रिपाठी और राज्य की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक श्रीमती नेहाला शर्मिन तथा इत्तिलाकर्ता की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री विजयंत वर्मा को सुना गया है ।

2. यह अपील श्री सहमतव आनंद, विद्वान् अपर न्यायिक आयुक्त-XIII, रांची द्वारा सेशन विचारण सं. 595/2015 में तारीख 4 जून, 2019 को पारित उस निर्णय और आदेश (तारीख 7 जून, 2019 को पारित दंडादेश) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके अधीन अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और दंड संहिता की धारा 302 के

अधीन अपराध के लिए 50,000/- रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास से और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास से और दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए 25,000/- रुपए के जुर्माने के साथ तीन वर्ष के कारावास से और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर छह मास के अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया है । दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का आदेश किया गया है ।

3. अभियोजन पक्ष का मामला कालीचरण महतो की लिखित रिपोर्ट से उद्भूत हुआ है जिसमें कहा गया है कि उसकी बहिन शीला देवी का विवाह लगभग बारह वर्ष पूर्व महेंद्र महतो (अपीलार्थी) के साथ हुआ था और इस विवाह से दो पुत्र उत्पन्न हुए । महेंद्र महतो सेना में कार्यरत है और मनाली सेसे में तैनात है । इत्तिलाकर्ता की बहिन बी. आई. टी. मेसरा (बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा) में प्रयोगशाला/रसायन विज्ञान विभाग में कार्यरत थी । यह अभिकथन किया गया है कि महेंद्र महतो कभी-कभी उसकी बहिन को प्रताड़ित करता था और उसकी हत्या की धमकी देता था । महेंद्र महतो कभी-कभी उसकी बहिन पर हमला भी किया करता था और घटना से लगभग दो दिन पहले उसने उसकी बहिन को एक चलती गाड़ी के आगे धकेल दिया था, किन्तु वह बच गई । यह कथन किया गया है कि इत्तिलाकर्ता और अन्य लोग महेंद्र महतो और उसकी पत्नी के बीच बिगड़े रिश्ते को शांत किया करते थे । यह अभिकथन किया गया है कि महेंद्र महतो ने घर बनाने के लिए इत्तिलाकर्ता के परिवार पर एक भूखंड देने के लिए दबाव डाला और करीब दो वर्ष पहले इत्तिलाकर्ता की बहिन के नाम पर पांच डेसिमल भूमि की रजिस्ट्री की गई थी । महेंद्र महतो ने उस भूखंड पर अपना घर बनाना आरंभ किया और इत्तिलाकर्ता के माता-पिता से 2,00,000/- रुपए की मांग की । यह कहा गया है कि इत्तिलाकर्ता की बहिन ने 20,00,000/- रुपए की बीमा पॉलिसी में निवेश किया था और घटना के कुछ दिन पहले महेंद्र महतो ने अपनी पत्नी के नाम पर 10,00,000/- रुपए की बीमा पॉलिसी ली थी और सभी बीमा पॉलिसियों में महेंद्र महतो नामनिदेशती था । यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 3 जुलाई, 2015 को उनकी बहिन ने जम्मू तवी एक्सप्रेस में सवार होने के लिए महेंद्र महतो को दोपहर 3.00 बजे रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था क्योंकि उसे अपने तैनाती स्थल पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी (कार्यभार ग्रहण

करना था) । इत्तिलाकर्ता की बहिन अपने घर वापस लौट आई किन्तु प्रातःकाल पता चला कि उसकी बहिन घर पर नहीं है और उसकी गहन खोज की गई, किन्तु उसका पता नहीं चल सका । यह अभिकथन किया गया है कि पूजा कक्ष में एक बड़े सन्दूक में उसकी बहिन के बाल देखे जा सकते थे और सन्दूक का ताला तोड़ने पर उसकी बहिन का शव मिला जिसके शरीर पर मारपीट के चिह्न थे । इत्तिलाकर्ता की बहिन के गुप्तांगों पर भी क्षति के चिह्न थे । इस बीच, भीड़ जमा हो गई थी । यह अभिकथन किया गया है कि महेंद्र महतो से उनके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, किन्तु मोबाइल बंद पाया गया । अभिकथन यह भी किया गया है कि 2,00,000/- रुपए की मांग पूरी न होने पर और जिस बीमा पॉलिसी में वह नामनिदेशती था, उसकी राशि का दावा करने के लिए महेंद्र महतो अपने अज्ञात साथियों के साथ रांची रेलवे स्टेशन से वापस आया और अपनी पत्नी की हत्या कर शव को एक सन्दूक में छिपा दिया ।

उपरोक्त आरोपों के आधार पर सदर (मेसरा) थाना मामला संख्या 332/2015, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/201/34 के अंतर्गत महेंद्र महतो एवं अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभिलिखित किया गया । मामले का अन्वेषण पूरा होने पर महेंद्र महतो के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और संज्ञान लिए जाने के बाद मामला सेशन न्यायालय को सौंप दिया गया जहां इसे सेशन विचारण सं. 595/2015 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/201 के अधीन आरोप विरचित किया गया जिसे पढ़कर सुनाया गया और अभियुक्त को हिंदी में समझाया गया । अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए विचारण किए जाने की मांग की ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में बारह साक्षियों की परीक्षा कराई है ।

5. विजय महतो (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि घटना 3 जुलाई, 2015 की है और वह खेत में बीज छिड़क रहा था जब उसके चाचा आए और उन्होंने बताया कि शीला का पता नहीं चल रहा है और उन्होंने उससे शीला के घर जाने का अनुरोध किया । इसके पश्चात् वह अपने चाचा के साथ मोटरसाइकिल पर शीला के घर गया । जब वह होम्बाई ग्राम में उसके घर पहुंचा तो वहां पहले से ही एक बड़ी भीड़ जमा

थी जो शीला को ढूंढने का प्रयास कर रही थी । शीला की ननद कासो देवी और मामा मंशा महतो घर के अंदर ढूंढ रहे थे । उस समय शीला का शव एक सन्दूक के अंदर से बरामद हुआ था जिसके शरीर पर छिन्न घाव थे । इसके पश्चात् पुलिस आ गई थी और वह अपने घर चला गया था ।

प्रतिपरीक्षा में उसने कथन किया है कि अभियुक्त रिश्ते में उसका भतीजा है । शीला देवी का विवाह अभियुक्त के बड़े भाई के साथ तय हुआ था, किन्तु उसकी अचानक मृत्यु हो जाने पर शीला देवी का विवाह अभियुक्त से कर दिया गया । उसके शीला देवी के घर पहुंचने से पहले ही मुखिया के साथ-साथ अलीम अंसारी, मंशा महतो, मृतका की बहिन कासो देवी और अन्य लोग पहले से ही मौजूद थे । उसने कथन किया कि मंशा महतो और कासो देवी यह कहते हुए बाहर आईं कि सन्दूक में शव है ।

6. आशा कुमारी (अभि. सा. 2), शीला देवी की बहिन है जिसने बताया है कि शीला देवी का विवाह वर्ष 2004 में महेंद्र महतो के साथ हुआ था । विवाह के बाद से ही महेंद्र महतो उसकी बहिन को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था । जब भी वह शराब पीकर छुट्टी पर घर आता था, तो उसकी बहिन के साथ मारपीट करता था । महेंद्र महतो सदैव अपनी ससुराल वालों से पैसे और भूमि की मांग करता था और उनके साथ कभी भी ठीक से व्यवहार नहीं करता था । अक्तूबर, 2014 में महेंद्र महतो उसे और उसकी बहिन और बच्चों को मनाली ले गया और वहां भी उसने उसकी बहिन पर हमला किया और उसकी बहिन को उसकी हत्या करने की धमकी दी । उसने यह कथन किया है कि महेंद्र महतो को उसकी ससुराल वालों ने पैसे और भूमि दी थी । उसने चलती गाड़ी के सामने शीला देवी को धक्का दे दिया था किन्तु किसी तरह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका । उसकी बहिन महेंद्र महतो का सम्मान करती थी और इस वजह से उसने उक्त घटना के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई । तारीख 3 जुलाई, 2015 को, उसकी बहिन ने महेंद्र महतो को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था । महेंद्र महतो चला गया था किन्तु वह रात में वापस आ गया जब उसकी बहिन अकेली थी और उसे बेरहमी से मारने के बाद उसके शरीर को एक सन्दूक में डाल

दिया । उसकी बहिन के दो बच्चे हैं और दोनों अपने मामा के घर पर रहते हैं । जब यह घटना घटित हुई थी उस समय दोनों बच्चे अपनी मां के साथ थे ।

प्रतिपरीक्षा में इस महिला ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह घटनास्थल पर प्रातःकाल 7.30 बजे पहुंच गई थी । उसके पहुंचने से पहले महेंद्र महतो के पिता, उनके भाई बाबू लाल महतो और अगमलाल महतो घटनास्थल पर पहुंच चुके थे । उसकी मां 10-15 मिनट बाद पहुंची । उसने यह कथन किया कि विवाह के बाद महेंद्र महतो वर्ष में 3-4 बार अपने घर आते थे । 2008 के बाद महेंद्र महतो कभी-कभी अपनी पत्नी को घुमाने ले जाते थे । मनाली ले जाने के बाद, जहां वे महेंद्र महतो के क्वार्टर में रहे, उन्हें शिमला ले जाया गया जहां वे एक दिन रुके । पूरे दौरे में उसे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा । उसका विवाह के दौरान महेंद्र महतो ने केवल औपचारिकताएं पूरी की थीं । उसकी बहिन शीला देवी के पास 40,00,000/- रुपए की बीमा पॉलिसी थी । वर्ष 2012 में महेंद्र महतो उसे और उसके परिवार के सदस्यों को वैष्णो देवी, जम्मू, स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर ले गया था । शव की खोज सबसे पहले उसके मामा मंशा महतो और मौसी राधो देवी ने की थी । विवाह के बाद, शीला देवी को एक महीने भी ठीक से नहीं रखा गया । उसने कथन किया है कि शीला देवी के पास एक ऑटो-रिक्शा था जिसे उसने किराए पर दे रखा था ।

7. लीलावती कुमारी (अभि. सा. 3) मृतका शीला देवी की बहिन है, जिसने यह कथन किया है कि उसकी बहिन का विवाह वर्ष 2001 में शिव प्रसाद महतो के साथ हुई थी लेकिन फिर भी शिव प्रसाद महतो के माता-पिता शीला देवी का विवाह महेंद्र महतो के साथ करना चाहते थे, किन्तु उनकी तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली । तथापि, जब उनकी बहिन को 2003 से पेंशन मिलना आरंभ हुआ और बी. आई. टी. मेसरा में नौकरी भी मिल गई, तो महेंद्र महतो लालच में आ गए और उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए । विवाह के बाद, शीला देवी को महेंद्र महतो द्वारा प्रताड़ित किया गया और उन्हें एक-दो बार गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया गया । इस साक्षी ने यह कथन

किया है कि महेंद्र महतो ने शीला देवी के नाम पर एक पॉलिसी ली थी और उनके पास जो भी पैसे थे, उसने निकाल लिए थे । वह घर बनाने के लिए पैसे और भूमि की मांग करता था । धोखाधड़ी करके वह भूमि हड़पने में प्राप्त करने में कामयाब हो गया और एक घर का निर्माण आरंभ कर दिया । महेंद्र महतो विभिन्न तरीकों से शीला देवी को प्रताड़ित करता था और ग्राम की अन्य महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ भी करता था । उसकी बहिन ने तारीख 2 जुलाई, 2015 को उसे बताया था कि तारीख 1 जुलाई, 2015 को महेंद्र महतो ने उसे एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने धक्का दे दिया था किन्तु किसी तरह वह बच गई थी । तारीख 3 जुलाई, 2015 को उसकी बहिन ने ऑफिस से छुट्टी ली थी क्योंकि महेंद्र महतो को अपने कार्यस्थल पर वापस जाना था । महेंद्र महतो को मनाली जाना था किन्तु उसने केवल इलाहाबाद का टिकट खरीदा था । अपनी पत्नी की हत्या करने की योजना को अंजाम देने के लिए उसने अपनी छुट्टी तीन बार बढ़ाई थी । उसने यह कथन किया है कि तारीख 3 जुलाई, 2015 को ड्यूटी के बाद वह अपनी बहिन के घर गई थी जिसने बताया कि उसने महेंद्र को स्टेशन पर छोड़ दिया है और वापस आ गई है । उसके बाद वह अपने घर वापस चली गई और तारीख 4 जुलाई, 2015 को उसकी मां ने उसे फोन किया और उसे बताया कि उसकी बहिन घर पर नहीं है उसे शक था कि महेंद्र ने उसकी बहिन का अपहरण कर लिया है या उसे लापता करवा दिया है । गहन तलाशी ली गई तो गेट के पास बालों के गुच्छे और उसकी हेयर-क्लिप मिली । जब घर के अंदर तलाशी ली गई तो महेंद्र महतो के बड़े भाई बाबू लाल महतो ने इसका विरोध किया । तलाशी के दौरान, उसके मामा मंशा महतो को एक सन्दूक मिला जिसमें बालों के कुछ चिह्न थे और उसके बाद सन्दूक के अंदर उसकी बहिन का शव मिला । सूचना मिलने पर पुलिस आई और शव को बाहर निकाला, जिस पर हत्या की क्रूरता के चिह्न पाए गए थे । तारीख 4 जुलाई, 2015 को सायं लगभग 6.00-7.00 बजे मामला अभिलिखित किया गया । मामला दर्ज होते ही महेंद्र ने बाबू लाल को उसके मोबाइल पर कॉल की और वापस आने में असमर्थता व्यक्त की और दाह संस्कार करवाना चाहा । उसने यह कथन किया है कि महेंद्र ने उसके भाई कालीचरण महतो को फोन करके

धमकाया था । अगले दिन जब महेंद्र महतो लौट रहा था तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया । उसने रक्त से सनी चादरों की अभिग्रहण सूची में अपने हस्ताक्षर की पहचान की है जिसे प्रदर्श-2 के रूप में चिह्नित किया गया है । उसने चूड़ियों, हेयर-क्लिप आदि की अभिग्रहण सूची में भी अपने हस्ताक्षर की पहचान की है जिसे प्रदर्श-3 के रूप में चिह्नित किया गया है । उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में अपने हस्ताक्षर साबित किए हैं जिसे प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नित किया गया है । उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को शीला देवी अपने बच्चों के साथ सो रही थी और उसने अपने पति के अतिरिक्त किसी और के लिए दरवाजा नहीं खोला था, जिससे हत्या में महेंद्र महतो की संलिप्तता और बढ़ जाती है ।

प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि महेंद्र महतो लगभग 20-25 दिन पहले छुट्टी पर आया था और इस दौरान उसकी बहिन का विवाह तय हुई थी और महेंद्र महतो ने विवाह में सक्रिय रूप से भाग लिया था । स्कूटी और टेम्पो महेंद्र महतो ने अपने नाम पर खरीदे थे, किन्तु दोनों का इस्तेमाल उसकी बहिन करती थी । उसने यह कथन किया है कि वर्ष 2014 में भूमि शीला देवी के नाम पर रजिस्ट्रीकृत हुई थी और 2015 में निर्माण आरंभ हुआ था और सिर्फ़ फिनिशिंग का काम बाकी था, तभी उसकी बहिन की मृत्यु हो गई । शीला देवी के बीमे के कागजात अब उनके पास हैं । शीला देवी के पास दो मोबाइल थे, जो अब पुलिस के पास हैं । महेंद्र महतो का मनाली वापस जाने का ट्रेन का टिकट शीला देवी ने ही बुक किया था । शव सबसे पहले उसके मामा और उसकी चचेरी बहिन रीता देवी ने देखा था ।

8. शिवम कुमार महतो (अभि. सा. 4) ने बताया है कि घटना तारीख 3 जुलाई, 2015 की है और वह अपने घर के सामने खेल रहा था । उसकी मां उसके पिता को स्टेशन छोड़कर वापस आ गई थी । उसके नाना-नानी मौजूद थे जो अपने दादा-दादी को खाना देने के लिए नए घर गया था । उसकी मां को उसके पिता का फोन आया था, जिन्होंने बताया कि वह वापस आ रहा है क्योंकि उसका कुछ सामान घर में छूट गया है । इसके पश्चात् वह और उसकी मां उसकी नानी को

उनके घर छोड़ने गए, वापस आकर खाना खाया और सो गए । उसकी मां ने उसे जगाया और कहा कि वह उसके साथ गेट तक आए क्योंकि उसके पिता आ गए हैं । गेट खोला गया और वह वापस सो गया । प्रातःकाल जब वह सो कर उठा तो उसे अपने माता-पिता नहीं मिले और वह उन्हें ढूंढ़ते हुए अपने चाचा के घर गया । इसके पश्चात् उसने अपने नाना-नानी को फोन किया और बताया कि उसकी मां नहीं मिल रही है और कुछ देर बाद उसकी मौसी, नाना-नानी, चाचा और अन्य लोग आए और उसकी मां की तलाश आरंभ कर दी । उसके चाचा ने दूसरों से कहा कि वे नातेदारों के घर में ढूंढ़ें क्योंकि घर के अंदर कुछ नहीं मिल रहा है । इसके पश्चात् उसके चाचा ने एक बड़ा पत्थर लिया और उसे बिस्तर के नीचे रख दिया । इससे संदेह पैदा हुआ और उसके नाना-नानी ने घर के अंदर ढूंढ़ना आरंभ कर दिया । वहां एक बड़ा सन्दूक था जिसमें से उसकी मां के बाल देखे जा सकते थे और उस सन्दूक के अंदर उसकी मां मृत पड़ी थीं, उनके शरीर पर घाव थे । उसने बताया कि उसके पिता ने कई बार उसकी मां के साथ मारपीट की थी । उसे और उसके भाई को भी पीटा जाता था, डांटा जाता था और सोने के लिए मजबूर किया जाता था । उसके पिता उसकी मां को घर से पैसे लाने के लिए मजबूर करते थे ।

प्रतिपरीक्षा में उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके पिता वर्ष में एक बार लगभग एक महीने के लिए आते थे । उसके पिता उसे, उसके भाई, मां और मौसी को मनाली, आगरा और अन्य धार्मिक स्थलों पर ले जाते थे । कुछ समय पहले उसके पिता ने उसकी मां के लिए एक टेम्पो और एक स्कूटी खरीदी थी । उसने बताया कि घटना के दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके पिता स्टेशन के लिए निकल चुके थे । रात का खाना खाने के बाद उसने अपने पिता से ही बात की, किसी और से नहीं । रात का खाना खाने के बाद वह सो गया और जब उठा तो उसने दरवाजा खोला । घटना के बाद से वह अपने दादा-दादी और मामा के साथ रह रहा है । वह अपने नाना मंशा महतो और मामा कालीचरण महतो और मामी आशा के साथ अपना साक्ष्य देने न्यायालय आया है । साक्ष्य देने से पहले उन्होंने उनसे मामले के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी ।

9. साखो देवी (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि घटना के दिन वह अपने घर में थी जब उसकी बहिन कासो देवी ने उसे फोन करके बताया कि शीला देवी लापता है । इस सूचना पर वह अपने बड़े भाई मंशा महतो के साथ होमबाई से शीला देवी के घर के लिए रवाना हुई थी । जब वह शीला देवी के घर पहुंची तो बाबू लाल की पत्नी उसे एक ओझा के घर ले गई । कुछ देर बाद रीता देवी ने उसे फोन करके बताया कि पूजा कक्ष में रखे एक सन्दूक के अंदर से शीला का मृत शरीर बरामद किया गया है । जब वह वापस आई तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी और पुलिस ने शव को सन्दूक से बाहर निकाल लिया था । उसने यह कथन किया है कि जब भी वह शीला देवी से उसका हालचाल पूछती थी तो वह बताती थी कि महेंद्र जब भी छुट्टी पर आता था तो उसके साथ मारपीट करता था और उसे हत्या करने की धमकी देता था । महेंद्र महतो की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उसने शीला देवी से विवाह कर लिया था ।

प्रतिपरीक्षा में उसने कथन किया है कि उसने शीला देवी का शव देखा था । उसे नहीं पता कि महेंद्र महतो ने कितनी बार विवाह की थी ।

10. कांसो देवी (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि घटना के दिन वह गोदाम में काम करने के बाद अपने पति के साथ शीला के नए घर गई थी जहां प्लास्टर का काम चल रहा था । वह महेंद्र के माता-पिता से मिली जिन्होंने कहा कि महेंद्र अपने कार्यस्थल के लिए निकल जाएगा और वे शीला के घर जाकर रात में वहीं रुक सकते हैं । इसके पश्चात् वह अपने पति के साथ अपनी पुत्री के घर चली गई । उसकी पुत्री ने बताया कि वह महेंद्र को छोड़कर घर वापस आ गई है । उसकी पुत्री ने खाना पैक किया था और अपने पति से कहा था कि वह उसे अपने सास-ससुर तक पहुंचा दे । जब उसका पति खाना पहुंचाने के लिए चला गया तो वह वहीं रुक गई । लगभग 8.00 बजे रात को महेंद्र ने शीला को फोन किया और पूछने पर शीला ने बताया कि महेंद्र वापस आ रहा है क्योंकि उसने गलती से अपना कुछ सामान घर में छोड़ दिया था । जब उसे पता चला कि महेंद्र वापस आ रहा है तो उसने शीला से

कहा कि वह उसे अपने घर छोड़ दे और तद्नुसार शीला और उसके दोनों बच्चों ने ऐसा ही किया । उसने यह कथन किया है कि प्रातःकाल 6.30 बजे वह अपने आंगन की सफाई कर रही थी जब महेंद्र का भाई आया और बताया कि शीला घर में नहीं है और दोनों बच्चे परेशान हैं । वह अपने भतीजे के साथ शीला के घर के लिए रवाना हुई और उसने बाबू लाल से अपनी पुत्री के बारे में प्रश्न किया जिस पर बाबू लाल ने उसे नातेदारों के घर में खोजने की सलाह दी । जब उसने और अन्य लोगों ने घर में प्रवेश करने का प्रयास किया तो बाबू लाल ने उन्हें रोक दिया और वह एक पत्थर के साथ एक सन्दूक के पास खड़ा हो गया । बाबू लाल के इस कृत्य से संदेह पैदा हुआ और प्रवेश द्वार की दहलीज से सन्दूक में बालों के कुछ गुच्छे देखे जा सकते थे । जब उसके भाई मंशा महतो ने सन्दूक खोला तो उसकी पुत्री का शव कई क्षतियों के चिह्न के साथ मिला । घटना से पहले महेंद्र महतो द्वारा उसकी पुत्री के साथ नियमित रूप से झगड़ा और मारपीट किया जाता था । लगभग एक वर्ष पहले महेंद्र महतो ने उसकी पुत्री पर बेल्ट से बेरहमी से हमला किया था और उसे उसके घर छोड़ दिया था । उसने आगे बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसका बयान भी दोबारा अभिलिखित किया गया था ।

प्रतिपरीक्षा में, उसने यह कथन किया है कि शीला देवी को उसके पहले पति की मृत्यु के बाद उसकी ससुराल में पुत्री की तरह रखा गया था । एक बार महेंद्र महतो उसे एक धार्मिक यात्रा पर ले गए थे और उनके साथ उसकी पुत्री शीला और आशा भी थीं, जो शीला और लालका महतो की संतानें हैं । शीला और महेंद्र के बीच वैवाहिक विवाद को लेकर कभी कोई शिकायत या पंचायत नहीं हुई । उसने अपनी पुत्री के पूजा कक्ष में टूटी हुई चूड़ियां देखी थीं । जब वह शीला देवी के घर में थी तो उसने शीला देवी को महेंद्र से केवल एक बार बात करते सुना था ।

11. रीता कुमारी (अभि. सा. 7) ने बताया है कि घटना 4 जुलाई, 2015 की रात्रि की है और वह टाटी ग्राम स्थित अपनी ससुराल में थी । प्रातःकाल उसकी मौसी साखो देवी ने उससे पूछा था कि क्या शीला घर पर है । नकारात्मक उत्तर देने पर साखो देवी ने बताया था कि शीला

नहीं मिल रही है । इस सूचना पर वह और उसके पति मोटरसाइकिल से शीला देवी के घर होमबाई गए । वहां पहुंचने पर उसने पाया कि उसकी मां पहले से ही वहां मौजूद थी और उसकी मां ने यह बताया कि बाबू लाल उसे घर के अंदर घुसने से रोक रहा है । इसके पश्चात् वह, उसके मामा मंशा महतो, उसकी मां और बहिन आशा घर के अंदर गए और जब मंशा महतो ने शोर मचाया तो वह सन्दूक के पास पहुंची और अंदर शीला का शव देखा । पुलिस के आने पर उन्होंने सन्दूक खोला और शव बाहर निकाला । लगभग दो वर्ष पहले जब वह अपनी बहिन के घर गई थी, तो उसने महेंद्र द्वारा मारपीट के कारण उसके शरीर पर बेल्ट के चिह्न देखे थे । उसकी बहिन महेंद्र द्वारा उसकी हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त किया करती थी ।

प्रतिपरीक्षा में, उसने यह कथन किया कि उसकी बहिन लीलावती ने महेंद्र महतो के मोबाइल पर एक संदेश भेजकर शीला देवी की हत्या की सूचना दी थी । महेंद्र के साथ उसके मधुर संबंध थे और दोनों परिवारों का एक-दूसरे के घर आना-जाना था । शीला और महेंद्र के बीच झगड़े के कारण कोई मामला दर्ज नहीं किया गया । उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि दो वर्ष पहले महेंद्र ने शीला देवी को उसकी हत्या की धमकी दी थी । उसने पुलिस को यह भी नहीं बताया कि महेंद्र प्रायः शीला देवी पर हमला करता था ।

12. डॉ. ज्योतिष गुरिया (अभि. सा. 8) एफ.एम.टी. विभाग, रिम्स, रांची में जूनियर रेजिडेंट चिकित्सक के रूप में तैनात थे और तारीख 4 जुलाई, 2015 को उन्होंने शीला देवी के शव की शव-परीक्षा की थी और निम्नलिखित :–

"(i) बाह्य निष्कर्ष:

1. शरीर औसत दर्जे का था । पूरे शरीर में अकड़न थी । पेट फूला हुआ था । नाखून नीले पड़ गए थे और चेहरा रूखा था ।

2. क्षतियां:– छिन्न घाव –

(1) 5 सेमी x 1 सेमी x दाहिनी बांह के निचले हिस्से के सामने के नर्म ऊतकों और रक्त वाहिकाओं में कटाव ।

(2) 6 सेमी x 1/2 सेमी x बाईं बांह के सामने के नर्म ऊतकों पर नर्म ऊतकों और रक्त वाहिकाओं को काटने के साथ ।

(3) 5 सेमी x 1/2 सेमी x गर्दन के मध्य भाग के सामने के नर्म ऊतकों पर नर्म ऊतकों की रक्त वाहिकाओं को काटने और श्वासनली को आंशिक रूप से काटने के साथ ।

(4) 5 सेमी x 1/2 सेमी x बड़े लेबिया के बाईं ओर के नर्म ऊतकों पर और 6 सेमी x 1/2 सेमी x बड़े लेबिया के बाईं ओर के नर्म ऊतकों पर ।

(5) 4 सेमी x 1/4 सेमी और 5 सेमी x 1/2 सेमी x बड़े लेबिया के दाईं ओर के नर्म ऊतकों पर। x 1/2 सेमी x पीछे के नर्म ऊतकों पर ।

(6) 3 सेमी x 1/2 सेमी x लेबिया मेजोरा और पेरिनियम का अंतिम पश्च भाग में नर्म ऊतक ।

(7) 5 सेमी x 1 सेमी x दाहिने पैर के निचले हिस्से के पीछे के नर्म ऊतकों और रक्त वाहिकाओं में कटाव ।

(ii) रेखीय कटाव :

6 सेमी x 4 सेमी, 5 सेमी x 1/2 सेमी, 4 सेमी x 4 सेमी और गर्दन के मध्य भाग के सामने 3 सेमी x 1/2 सेमी ।

(iii) रगड़ :

(1) 10 सेमी x 4 सेमी, 10 सेमी x 1/2 सेमी और 8 सेमी x 4 सेमी दाएं पार्श्व वक्ष के निचले हिस्से पर ।

(2) 30 सेमी x 4 सेमी और 25 सेमी x 1/2 सेमी दाएं जांघ के पार्श्व भाग पर ।

(3) 20 सेमी x 1/2 सेमी और 25 सेमी x 4 सेमी दाएं जांघ के पीछे ।

(iv) आंतरिक

(1) मस्तिष्क के बाएं ललाटीय क्षेत्र में फैली हुई क्षति और

पतले सबड्यूरल रक्त और रक्त के थक्के मौजूद हैं । आंतरिक अंग पीले पड़ गए हैं ।

(v) राय:

(1) उपर्युक्त क्षतियां मृत्युपूर्व प्रकृति की हैं । (2) छिन्न घाव और रेखीय कटाव तेज धार वाले और नुकीले हथियार से कारित हुए हैं और नुकीले हथियार से खरोंच और आंतरिक क्षतियां कठोर और कुंद वस्तु के कारण हुई हैं । (3) मृत्यु सिर की क्षति और रक्तस्रावी सदमे के संयुक्त प्रभाव के कारण हुई है । (4) मृत्यु के बाद का समय शव-परीक्षा जांच के समय से दिन के 12:00 बजे से रात के 24:00 बजे तक है । (5) योनिक स्वैब से बनाई गई दो स्लाइडों को शुक्राणुओं, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए पैथोलॉजी विभाग रिम्स रांची भेजा जा रहा है ।

उन्होंने शव-परीक्षा रिपोर्ट को प्रमाणित किया है जिसे प्रदर्श-5 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

प्रतिपरीक्षा में, उसने यह साक्ष्य दिया है कि शव-परीक्षा के समय उसे शरीर में बाल, त्वचा आदि जैसे कोई बाहरी कण नहीं मिले थे । हत्या के समय एक से ज़्यादा हथियारों के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता ।

13. अभि. सा. 9 (कालीचरण महतो) इत्तिलाकर्ता है जिसने बताया है कि तारीख 3 जुलाई, 2015 को वह हजारीबाग में था और तारीख 4 जुलाई, 2015 को प्रातःकाल 6.00 बजे उसकी मां ने उसे आने को कहा क्योंकि उसकी बहिन शीला देवी लापता थी । इसके पश्चात् वह अपनी पत्नी के साथ अपनी बहिन के घर चला गया और वहां पहुंचने पर उसने अपनी मां, मौसी शंको देवी, अपनी बहनों लीला, रीता, आशा और मौसी सागो और साखो को पाया साथ ही मामा मंशा महतो भी वहां मौजूद थे । उन्हें तुरंत सूचित किया गया कि उनकी बहिन शीला देवी की हत्या कर दी गई है और उसका शव एक सन्दूक में रखा गया है । जब वह अंदर गए, तो उन्होंने अपनी बहिन का शव सन्दूक के अंदर पाया जिसके

शरीर पर मारपीट के चिह्न थे । उन्होंने फोन पर महेंद्र महतो से संपर्क करने का प्रयास किया, किन्तु वह बंद मिला । इसके पश्चात् उन्हें घटना के बारे में सूचित करते हुए एक एसएमएस भेजा गया । तथापि इसका कोई जवाब नहीं मिला । पुलिस को महेंद्र का मोबाइल नंबर दिया गया और सत्यापन करने पर पुलिस को उसका लोकेशन "गया" शहर में मिला । उसने पुलिस को बताया था कि 3 तारीख को लगभग 7.00-8.00 बजे सायं को उसने अपनी बहिन शीला से फोन पर बात की थी और शीला ने उसे बताया था कि महेंद्र दोपहर 3.00 बजे रेलवे स्टेशन पर उतर गया है उसने बताया था कि महेंद्र गलती से अपना कुछ सामान घर पर भूल गया था और वह उसे लेने आ रहा है । उसने महेंद्र से फोन पर बात होने की बात भी स्वीकार की थी । उसने बताया था कि महेंद्र उनसे पैसे की मांग करता था और उसकी बहिन को प्रताड़ित भी करता था । घटना से लगभग एक-दो दिन पहले महेंद्र ने जानबूझकर उसकी बहिन को चलती गाड़ी के सामने धक्का दे दिया था, किन्तु वह किसी तरह बच गई । एक बार महेंद्र ने शीला देवी पर बेल्ट से बेरहमी से हमला किया था । यद्यपि वे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराना चाहते थे, किन्तु शीला देवी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वह एक बहुत ही सभ्य महिला थी । महेंद्र महतो द्वारा अपनी बहिन को दी गई यातनाओं और धमकियों के कारण, उन्हें मजबूरन महेंद्र महतो को पांच डेसिमल भूमि देनी पड़ी । उसने बताया था कि महेंद्र महतो ने अपनी पत्नी के नाम पर 30,00,000/- रुपए का बीमा कराया था और वह उसमें नामांकित व्यक्ति था ताकि शीला देवी की मृत्यु के बाद उसे पैसे मिल जाएं और उसके बाद वह दूसरी विवाह कर ले । महेंद्र महतो ने योजनाबद्ध तरीके से शीला देवी की हत्या की थी । महेंद्र महतो और शीला देवी का विवाह के बाद यह बात सामने आई कि महेंद्र का कई महिलाओं के साथ संबंध था । उसने अपना व्यवहार नहीं बदला और जब भी घर आता, शराब पीकर शीला देवी को प्रताड़ित करता था । उसने लिखित रिपोर्ट में अपने हस्ताक्षर भी अभिलिखित कराए हैं जिसे प्रदर्श-1 के रूप में अंकित किया गया है । उसने लिखित रिपोर्ट पर अपनी बहिन लीलावती के हस्ताक्षर की पहचान की है, जिसे प्रदर्श-6 के रूप में अंकित

किया गया है । उसने अभिग्रहण सूची में भी अपने हस्ताक्षर सिद्ध किए हैं, जिन्हें प्रदर्श-2/1 और 3/1 के रूप में अंकित किया गया है । उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज अपने बयान में भी अपने हस्ताक्षर सिद्ध किए हैं, जिसे प्रदर्श-7 के रूप में अंकित किया गया है । उसने यह कथन किया है कि जैसे ही महेंद्र को पता चला कि उसके विरुद्ध मामला अभिलिखित किया गया है, उसने अपना मोबाइल चालू किया और उसे फोन पर धमकाया ।

प्रतिपरीक्षा में, उसने कथन किया है कि वह अपनी बहिन के घर लगभग रात 9.00-10.00 बजे पहुंचा था । लिखित रिपोर्ट उसके परिवार के सभी सदस्यों से विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई थी । वह घटना से लगभग एक महीने पहले रांची आया था और एक सप्ताह तक रुका था और इस दौरान उसने कई बार महेंद्र महतो से मुलाकात और बातचीत की थी तथा उसके साथ खाना भी खाया था । उसने कथन किया है कि लिखित रिपोर्ट लगभग सायं 7.00-8.00 बजे दी गई थी और जो कुछ भी उसे पता चला था, वह लिखित रिपोर्ट से परिलक्षित है । उसने शीला देवी के बीमे के कागजात देखे थे और वे दस्तावेज अब उसके पास हैं । डाकघर में उसकी बहिन द्वारा बीमा कराने से संबंधित कागजात भी उसके पास हैं । अपनी बहिन की मृत्यु के बाद और महेंद्र महतो के जेल जाने के बाद, उसने अपनी बहिन का मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त किया था जिसमें उसके पति के नाम के बजाय उसके पिता का नाम था । महेंद्र महतो ने शीला देवी की मृत्यु के बाद उनके विरुद्ध दस्तावेज और अन्य कीमती सामान छीनने का मामला दर्ज कराया था जिसमें वह जमानत पर हैं । उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने और अन्य लोगों ने रंजिश के चलते शीला की हत्या की थी ।

14. मंशा महतो (अभि. सा. 10) ने बताया है कि तारीख 4 जुलाई, 2015 को प्रातः 6.00 बजे उसकी बड़ी बहिन साखो देवी ने उसे फोन पर सूचना दी कि शीला देवी का कोई पता नहीं चल रहा है । इस पर वह टाटीसिलवे मानकीढेपा गया और वहां से साखो देवी को लेकर अपनी मोटरसाइकिल से पंचाली ग्राम अपनी बहिन काशो देवी के घर गया, उसके बाद अपनी दूसरी बहिन सागो देवी के घर गया और फिर सभी

शीला देवी के घर गए । जब वह शीला देवी के घर पहुंचा तो उसने महेंद्र के दोनों भाइयों को वहां पाया । शीला देवी का बेटा सिद्धार्थ कुमार भी मौजूद था और उसने बताया कि कल उसकी मां उसके पिता को छोड़ने रेलवे स्टेशन गई थी और रात को उसके पिता घर आए थे । उसने और उसकी मां ने गेट खोला था और उसके बाद वह सो गया था । सिद्धार्थ ने आगे बताया कि जब वह प्रातःकाल उठा तो उसने अपने माता-पिता को वहां नहीं पाया और जब उसने अपने चाचा बाबू लाल से पूछा तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया । उसने यह कथन किया है कि जब उसने महेंद्र को बुलाने का प्रयास किया तो बाबू लाल महतो ने उसे रोक दिया । बाबू लाल महतो ने भी महेंद्र महतो के घर की ओर जाने पर आक्षेप जताई । कुछ देर बाद कई लोग आंगन में इकट्ठा हो गए । उसकी बड़ी बहिन सागो देवी ने उसे गहनता से खोजने के लिए कहा और उसके बाद उसने उत्साह से खोजना आरंभ कर दिया । जब वह शीला देवी के पूजा कक्ष में गया तो उसे एक बड़ा सन्दूक मिला जो बंद था और उस सन्दूक से उसे कुछ बाल निकले हुए दिखाई दिए । जब उसने अपना हाथ सन्दूक के अंदर डाला तो उसे अंदर किसी की उपस्थिति का आभास हुआ । वह बाहर आया और दूसरों को सूचित किया और जब सन्दूक का ऊपरी हिस्सा हटाया गया तो शीला देवी का मृत शरीर मिला । उन्होंने बताया कि महेंद्र महतो जब भी घर आता था तो शीला देवी पर अत्याचार करता था ।

प्रतिपरीक्षा में, उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने पुलिस को सिद्धार्थ और सत्यम से मिलने के बारे में नहीं बताया था । उसने पुलिस को सिद्धार्थ द्वारा किए गए खुलासे या महेंद्र द्वारा शीला देवी पर बेल्ट से हमला करने और उन्हें क्षति पहुंचाने के बारे में भी नहीं बताया था ।

15. आनंद किशोर प्रसाद (अभि. सा. 11) मेसरा ओ.पी. में प्रभारी पदाधिकारी के रूप में तैनात थे और औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज की गई थी । उन्होंने लिखित रिपोर्ट में सदर थाने के प्रभारी सरयू आनंद की लिखावट और हस्ताक्षर की पहचान की है जिसे प्रदर्श-6/1 के रूप में चिह्नित किया गया है । उन्होंने अग्रेषित रिपोर्ट को

साबित कर दिया है जिसे प्रदर्श-6/2 के रूप में चिह्नित किया गया है । उन्होंने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी । उन्होंने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को साबित कर दिया है जिसे प्रदर्श-8 के रूप में चिह्नित किया गया है । उन्होंने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट की कार्बन कॉपी को भी साबित कर दिया है जिसे प्रदर्श-9 के रूप में चिह्नित किया गया है । उन्होंने शव को शव-परीक्षा के लिए भेज दिया था । उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया था जो कि होमबाई ग्राम में शीला देवी के ईंटों और एस्बेस्टस से बने घर में है । मुख्य दरवाजा लोहे का है और उसमें एक कुंडी लगी हुई है जहां ताला लगाया जा सकता है । घर में पांच कमरे, एक रसोईघर, एक स्नानघर, एक बिना दरवाजे वाला स्टोर रूम और एक पूजा कक्ष है । पूजा कक्ष में एक संदूक रखा है जिसमें शीला देवी का शव मिलने की बात कही गई है । उन्होंने लीलावती कुमारी, केसो देवी और शिवम कुमार का बयान अभिलिखित किया था, जिन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया था । शिवम कुमार ने कहा था कि जब उसके पिता रात को आए तो उसकी मां ने उसे जगाया था और गेट खोलने पर उसके पिता अंदर आ गए और उसकी मां ने उसे सोने के लिए भेज दिया । जब वह प्रातःकाल उठा तो उसने अपने माता-पिता को नहीं पाया और यह बात उसके नातेदारों को बताई गई, जो आए और उनकी तलाश करने लगे । शिवम ने यह भी खुलासा किया था कि उसके पिता छोटी-छोटी बातों पर उसकी मां के साथ मारपीट करते थे । उसे और उसके भाई को उसके पिता ने पीटा और सोने के लिए मजबूर किया । उन्होंने दो अभिग्रहण सूची तैयार की है; पहली अभिगृहीत सन्दूक के अंदर रक्त से सनी चादर की है और दूसरी भूमि से रक्त से सनी चादर की है, जबकि सन्दूक की दूसरी अभिग्रहण सूची में एक रक्त से सने बच्चे के कपड़े, साड़ी, पायजामा, चादर, पेटीकोट, नाइटी, शर्ट, बैग और एक गद्दा सम्मिलित हैं जो सभी रक्त से सने थे । तीसरी अभिग्रहण सूची तारीख 5 जुलाई, 2015 को सायं 5.40 बजे एक जियोनी स्मार्ट फोन और एक पहचान पत्र के अभिगृहीत किए जाने के कारण तैयार की गई थी । सभी अभिगृहीत सूचियों को साबित कर दिया गया है और प्रदर्श-10, प्रदर्श-10/1 और प्रदर्श-10/2 के रूप में चिह्नित किया गया है । इसके पश्चात्

उन्होंने इत्तिलाकर्ता की बहाली दर्ज की, जिसने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया था । इत्तिलाकर्ता ने कहा था कि महेंद्र महतो नियमित रूप से अपनी बहिन शीला देवी के साथ मारपीट करता था जांच के दौरान उन्होंने साखो देवी, आशा कुमारी, रीता कुमारी और मंशा महतो का बयान अभिलिखित किया था । इत्तिलाकर्ता के परिचित महेश नारायण ने खुलासा किया था कि महेंद्र महतो ने उन्हें प्रातःकाल 11-12 बजे फोन किया था और अपना अपराध स्वीकार करते हुए मामला संभालने को कहा था । उन्होंने विजय महतो का बयान भी अभिलिखित किया था, जिन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया था । उन्होंने महेंद्र महतो और शीला देवी का मोबाइल नंबर इत्तिलाकर्ता से प्राप्त कर लिया था और सी. डी. आर. (कॉल डीटेल रेकॉर्ड) के लिए उन्होंने तकनीकी सेल को नंबर भेजा । उन्होंने महेंद्र महतो को गिरफ्तार किया और उसका संस्वीकृति कथन अभिलिखित किया, जिस पर आक्षेप प्रदर्श-11 अंकित है । उन्होंने मोबाइल नंबर 8863899704 और 8894540778 की सी.डी.आर. प्राप्त की और पाया कि तारीख 3 जुलाई, 2015 को 04.39.46 पर शीला देवी ने अपने मोबाइल से महेंद्र महतो से बातचीत की थी । महेंद्र महतो का टावर लोकेशन बरलंगा दिखा रहा था । उन्होंने महेंद्र महतो के मोबाइल नंबर 8863899704 का सी.डी.आर. प्राप्त किया था और तारीख 3 जुलाई, 2015 को 20.21.25 पर उसका टावर लोकेशन छितरपुर रामगढ़, तारीख 4 जुलाई, 2015 को 14.20.00 बजे अन्नपूर्णा होटल एलएस लेन, स्टेशन रोड, गया स्टेशन के पास और तारीख 4 जुलाई, 2015 को 21.52.00 बजे मनोज कुमार केशरवानी, मुट्ठीगंज इलाहाबाद में था । उन्होंने भारती एयरटेल लिमिटेड से मोबाइल नंबर 8894540778 का सी.डी.आर. प्राप्त किया था जिसे कंपनी के नोडल अधिकारी ने प्रमाणित किया है । उन्होंने आक्षेप के साथ प्रदर्श-12 के रूप में चिह्नित प्रमाण पत्र को साबित कर दिया है । उन्होंने मोबाइल नंबर 8863899704 का सी. डी. आर. साबित कर दिया है जिसे प्रदर्श-13 के रूप में चिह्नित किया गया है । इसके पश्चात् वे बरकाखाना रेलवे स्टेशन गए जहां स्टेशन अधीक्षक ने खुलासा किया कि "गया" स्टेशन जम्मू तवी एक्सप्रेस के रूट में नहीं पड़ता है । उन्होंने इस

आशय का एक आवेदन प्रस्तुत किया था जो सिद्ध हो चुका है और आक्षेप के साथ प्रदर्श-14 के रूप में अंकित है । उन्होंने फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय, गांधी नगर, गुजरात से महेंद्र महतो की पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त की थी जो सिद्ध हो चुकी है और आक्षेप के साथ प्रदर्श-15 के रूप में अंकित है । जांच के दौरान उन्होंने कालीचरण महतो, शिवम कुमार, सत्यम और लीलावती के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन न्यायालय में अभिलिखित कराए थे । अभिगृहीत किए गए पहने हुए कपड़ों को न्यायालयिक प्रयोगशाला, रांची भेजा गया और एक रिपोर्ट प्राप्त की गई । घटना को सत्य पाए जाने पर महेंद्र महतो के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जांच लंबित रखी गई । जिओनी मोबाइल को सामग्री प्रदर्श-I, महेंद्र महतो के पहचान पत्र को सामग्री प्रदर्श-II, चादरों को सामग्री प्रदर्श-III और IV तथा सन्दूक को सामग्री प्रदर्श-V के रूप में चिह्नित किया गया है ।

प्रतिपरीक्षा में उसने कथन किया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो भारी भीड़ पहले ही जमा हो चुकी थी । आरंभ के चरण में ही उन्होंने इत्तिलाकर्ता कालीचरण महतो, मृतका की बहनों, मृतका की मां, मृतका के बच्चों और मृतका की मौसी से मुलाकात की थी । डॉग स्क्वायड घटनास्थल पर आया था, किन्तु वह हत्या के अपराधियों के बारे में कोई सुराग नहीं ढूंढ सका । उन्हें घटनास्थल पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी । उनके पास कोई सबूत नहीं था कि तारीख 3 जुलाई, 2015 को महेंद्र महतो ने रांची से इलाहाबाद तक जम्मू तवी एक्सप्रेस से यात्रा नहीं की थी । उन्होंने तारीख 3 जुलाई, 2015 से तारीख 4 जुलाई, 2015 तक सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के लिए किसी भी स्टेशन में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया था । अभियुक्तों के दोनों मोबाइलों में अलग-अलग टावर लोकेशन दिखाई दे रहे थे । वह यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं जुटा सके कि तारीख 3 जुलाई, 2015 से तारीख 4 जुलाई, 2015 की प्रातःकाल तक महेंद्र महतो घटनास्थल पर थे । किसी भी व्यक्ति ने उन्हें महेंद्र महतो को घटनास्थल पर वापस आते हुए देखने के बारे में नहीं बताया था । उन्हें इत्तिलाकर्ता से पता चला था कि

मामले की जानकारी मिलने पर महेंद्र महतो आए और जैसे ही वह पहुंचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तारी के समय उनके मोबाइल भी अभिगृहीत कर लिए गए थे । उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि रांची स्टेशन से लेकर इलाहाबाद स्टेशन तक हर जगह सीसीटीवी लगे हैं । जांच के दौरान, वह इस बारे में कोई सबूत नहीं जुटा सके कि महेंद्र महतो किस जगह ट्रेन से उतरे और किस जगह ट्रेन पकड़ी । तारीख 3 जुलाई, 2015 को दोपहर 3.45 बजे से तारीख 4 जुलाई, 2015 को प्रातःकाल 4.35 बजे तक घटनास्थल के आस-पास रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने महेंद्र महतो को न तो आते देखा था और न ही घटनास्थल से जाते । घटनास्थल के आस-पास रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने घरेलू विवाद को घटना का कारण बताते हुए अपना बयान देने से इनकार कर दिया । उन्होंने लीलावती का बयान तारीख 4 जुलाई, 2015 को दोपहर 1.30 बजे से पहले अभिलिखित किया था और लीलावती ने कभी यह नहीं बताया था कि शिवम ने उसे बताया था कि उसके पिता रात में घर लौट आए थे । उन्होंने कासो देवी का बयान अभिलिखित किया था, जिन्होंने भी शिवम द्वारा अपने पिता के रात में घर लौटने की बात नहीं बताई थी । अपने बयान में शिवम ने अपने पिता के रात में घर लौटने की बात अपने नाना-नानी, मामा और मौसी को न बताने का उल्लेख नहीं किया था । शिवम ने अपने बयान में अपने पिता के घर आने की बात बताई थी किन्तु उसने यह नहीं बताया था कि उसने अपने पिता को पहचाना था या नहीं । उसने यह भी नहीं बताया था कि उसका सामान उसके पास है या नहीं । उसने कहा था कि उसके चाचा एक बड़ा पत्थर लाकर बिस्तर के नीचे रख गए थे किन्तु जांच के दौरान उसे ऐसा कोई पत्थर नहीं मिला । कालीचरण महतो ने अपने बयान में यह नहीं कहा था कि शिवम ने उसे यह बताया था कि उसके पिता उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को उसके घर वापस आए थे । उसने अभियुक्त की अग्रेषण रिपोर्ट साबित कर दी है जिसे प्रदर्श-बी के रूप में चिह्नित किया गया है । अभियुक्त को रिमांड पर लेने के लिए उसका आवेदन साबित हो गया है और उसे प्रदर्श-सी के रूप में चिह्नित किया गया है । अहमदाबाद में अभियुक्त का पॉलीग्राफी परीक्षण कराने की अनुमति के

लिए न्यायालय में दिए गए आवेदन को प्रदर्श-डी के रूप में चिह्नित किया गया है । उसने तारीख 9 सितंबर, 2015 को शिवम कुमार का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किए जाने हेतु आवेदन किया था और अपने बयान में उसने पहली बार रात में हुई घटना के बारे में खुलासा किया था । उसने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 3 जुलाई, 2015 को मृतका के मोबाइल से मोबाइल नंबर 8894540778 पर 19.39 बजे 64 सेकंड के लिए कॉल आया था । मोबाइल नंबर 8894540778 महेंद्र महतो का है । मृतका ने महेंद्र महतो को कॉल किया था । 20.09 पर मोबाइल नंबर 9771458402 और 7870002379 के बीच बातचीत हुई थी और कॉल 439 सेकंड के लिए थी । वह मोबाइल नंबर 9771458402 के मालिक को नहीं जानता है, तथापि, दूसरा मोबाइल मृतका का है । केस डायरी (रोज़नामचा) देखने के बाद उसने यह कथन किया है कि मोबाइल नंबर 9771458402 इत्तिलाकर्ता का है । जांच के दौरान उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि महेंद्र महतो ने तारीख 3 जुलाई, 2015 को मृतका को फोन किया था । शीला देवी के नाम 5,00,000/- रुपए के दो पी.एल.आई. (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव) थे, जिनमें शिवम कुमार महतो को नामनिर्देशिती दिखाया गया था । उसने अभियुक्त के घर में ताला लगा दिया था । बाद में उसने शीला देवी के नाम पर एक भूमि का दस्तावेज इत्तिलाकर्ता को दिया था । बीमा पॉलिसी की मूल प्रति इत्तिलाकर्ता को नहीं दी गई थी । साक्षी आशा कुमारी ने यह नहीं बताया था कि तारीख 3 जुलाई, 2015 को मृतका ने महेंद्र महतो को रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था और वह रात में वापस आया था और शीला देवी की हत्या करने के बाद उसे एक सन्दूक में डाल दिया था । साक्षी लीलावती ने उसके सामने यह नहीं कहा था कि अभियुक्त ने मृतका को उसकी हत्या करने के लिए मनाली बुलाया था और योजना विफल हो गई क्योंकि आशा भी मृतका के साथ गई थी । साक्षी साखो देवी ने उसके सामने कभी नहीं कहा था कि अभियुक्त ने एक चार पहिया वाहन और भूमि का एक टुकड़ा मांगा था और पूरा न होने पर वह मृतका की गर्दन काट देगा । इत्तिलाकर्ता कालीचरण महतो ने उसके सामने कहा था कि जैसे ही वह होमबाई

पहुंचा, उसकी मौसी साखो देवी ने उसे बताया कि उसकी बहिन की हत्या कर दी गई है और उसे एक सन्दूक में रखा गया है । साक्षी मंशा महतो ने यह नहीं कहा था कि शीला देवी के पुत्र ने बताया था कि उसके पिता रात में वापस आए थे । पूरी जांच के दौरान एक भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं मिला ।

16. मनोज कुमार शर्मा (अभि. सा. 12) रांची सिविल कोर्ट में न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में तैनात थे और तारीख 9 सितंबर, 2015 को उन्होंने काशो देवी का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 का बयान अभिलिखित किया था । उन्होंने काशो देवी का धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया गया बयान साबित कर दिया है, जिसे प्रदर्श-17 के रूप में अंकित किया गया है । 10 सितंबर, 2015 को उन्होंने शिवम कुमार का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 का बयान अभिलिखित किया था, जो साबित हो गया है और प्रदर्श-17/1 के रूप में अंकित किया गया है । उन्होंने 14 सितंबर, 2015 को लीलावती देवी और कालीचरण महतो का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 का बयान अभिलिखित किया था, जो साबित हो गया है और क्रमशः प्रदर्श-17/2 और प्रदर्श-17/3 के रूप में अंकित किया गया है ।

17. अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन पुनः अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है ।

18. प्रतिरक्षा पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में सात साक्षियों की परीक्षा कराई है ।

19. कृष्ण कुमार (प्रतिरक्षा साक्षी 1) महेंद्र महतो के ग्राम का रहने वाला है और शीला देवी के साथ उसके मधुर संबंध थे । शीला देवी ने अपने पति के साथ किसी भी विवाद के बारे में उसे कभी नहीं बताया था । वह महेंद्र महतो की ससुराल वालों को भी जानता था और उसने महेंद्र महतो के विरुद्ध कभी कोई शिकायत नहीं की थी । वह 15 सितंबर, 2016 तक बी.आई.टी. मेसरा में कार्यरत था । महेंद्र महतो को पुलिस ने चुटुपालू टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया था ।

प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि वह सप्ताह में एक-दो बार महेंद्र महतो के घर आता-जाता था । यह सच नहीं है कि जब भी महेंद्र महतो छुट्टी पर उसके घर आता था, वह शीला देवी के साथ मारपीट करता था ।

20. अगम लाल महतो (प्रतिरक्षा साक्षी 2) महेंद्र महतो का भाई है, जिसने बताया है कि महेंद्र महतो अपने परिवार के साथ पिछले 8-10 वर्षों से अलग रहता था । तारीख 4 जुलाई, 2015 को प्रातःकाल उसे पता चला कि शीला देवी लापता है और यह सूचना शीला देवी के परिवार वालों को प्रातःकाल 7.30 बजे दी गई । ऐसी सूचना मिलने पर महेंद्र की ससुराल वाले घटनास्थल पर आ गए थे । पुलिस प्रातःकाल 8.00-8.30 बजे घटनास्थल पर पहुंच गई थी और पुलिस के पहुंचने से पहले ही महेंद्र की ससुराल वाले पहुंच गए थे । इत्तिलाकर्ता कालीचरण प्रातःकाल 9.30 बजे घटनास्थल पर आ गया था । घटना की जानकारी मिलने पर अभियुक्त रांची के लिए रवाना हो गया था और उसे ओरमांझी टोल प्लाजा के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था । पुलिस ने महेंद्र महतो को अपनी पत्नी का शव देखने की अनुमति नहीं दी । उन्होंने उस विलेख की प्रमाणित प्रति साबित कर दी है जिसके द्वारा महेंद्र महतो ने शीला देवी के नाम पर सात डेसिमल भूमि खरीदी थी जिसमें महेंद्र महतो द्वारा एक घर बनाया जा रहा था और जिसे प्रदर्श-ई के रूप में चिह्नित किया गया है । उन्होंने शीला देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र साबित कर दिया है जिसमें मृतका के पति के बजाय उसके पिता का नाम है और जिसे प्रदर्श-एफ के रूप में चिह्नित किया गया है । किसान विकास पत्र में शीला देवी के नाम पर अर्जित राशि हड़पने के लिए मृतका के पिता का नाम जानबूझकर डाल दिया गया था । महेंद्र महतो का ट्रेन टिकट, जिसमें उनका गंतव्य इलाहाबाद दिखाया गया था, दो वर्ष बाद पुलिस द्वारा उन्हें वापस कर दिया गया था और इसे साबित कर दिया गया है और इसे प्रदर्श-जी के रूप में चिह्नित किया गया है । घटना के बारे में सुनने के बाद 5 अक्तूबर, 2015 को इलाहाबाद से "गया" लौटने वाले महेंद्र महतो के मूल टिकट को साबित कर दिया गया है उन्होंने महेंद्र महतो द्वारा तारीख 18 अप्रैल, 2016 को प्रस्तुत आवेदन को प्रमाणित किया है, जिसमें उन्होंने अभिगृहीत की गई वस्तुओं को वापस करने का

अनुरोध किया था, जिन्हें प्रदर्श-I के रूप में चिह्नित किया गया है । उन्होंने शीला देवी की डायरी की पहचान की है, जिसमें मकान के निर्माण में हुए खर्च का विवरण नोट कर लिया गया था जिसे आक्षेप के साथ प्रदर्श-जे के रूप में अंकित किया गया है । ट्रेन के परिचालन के संबंध में उनके द्वारा तारीख 3/4 जुलाई, 2015 को मांगी गई सूचना रेलवे द्वारा उपलब्ध करा दी गई है और उसे आक्षेप के साथ प्रदर्श-के के रूप में अंकित किया गया है । सीसीटीवी फुटेज पेश करने के आवेदन को, जिसे बाद में डीबीआर में केवल एक महीने के लिए भंडारण होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, आक्षेप के साथ प्रदर्श-एल के रूप में अंकित किया गया है । महेंद्र महतो के रेलवे आरक्षण का रिकॉर्ड मांगने वाले एक अन्य आवेदन को आक्षेप के साथ प्रदर्श-एम के रूप में अंकित किया गया है । उन्होंने सामग्री की प्राप्तियां साबित कर दी हैं, जिसे आक्षेप के साथ प्रदर्श-एन के रूप में अंकित किया गया है । उन्होंने महेंद्र महतो द्वारा मांगे गए बैंक स्टेटमेंट को भी साबित कर दिया है, जिसे आक्षेप के साथ प्रदर्श-ओ के रूप में अंकित किया गया है ।

प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने यह साक्ष्य दिया है कि प्रदर्श-ई से यह पता नहीं चलता कि भूमि महेंद्र महतो ने खरीदी थी । किसान विकास पत्र के नाम पर राशि निकाले जाने के संबंध में उन्होंने यह कहा कि राशि नहीं निकाली गई है, यद्यपि साथ ही उन्होंने यह भी साक्ष्य दिया कि उन्हें नहीं पता कि कोई निकासी हुई थी या नहीं । महेंद्र महतो के रेलवे आरक्षण का रिकॉर्ड दो वर्ष बाद का मांगा गया था क्योंकि टिकट दो वर्ष बाद मिला था ।

21. रानी कुमारी (प्रतिरक्षा साक्षी 3) महेंद्र महतो की भतीजी है, जिसने यह बताया है कि शीला देवी की अंतिम क्रियाएं पूरी होने के बाद शिवम के नाना-नानी उसे अपने घर ले गए थे । स्कूल जाते समय उसकी कभी-कभी शिवम से मुलाक़ात होती है किन्तु उसने कभी भी हत्या में अपने पिता की संलिप्तता के बारे में नहीं बताया । उसके चाचा-चाची के बीच मधुर संबंध थे । उसने अपने चाचा-चाची के बीच कभी कोई झगड़ा होते नहीं देखा ।

प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि उसे वह तारीख याद नहीं है जिस दिन उसके चाचा उसे जम्मू-कश्मीर ले गए थे ।

22. महेश्वर नारायण (प्रतिरक्षा साक्षी 4) ने कथन किया है कि महेंद्र महतो उनके ग्राम का रहने वाला है । घटना के बाद वह मृतका के घर गया था और उस समय मृतका की ससुराल वाले मौजूद नहीं थे । घटना के बाद उसकी महेंद्र महतो से फोन पर बात हुई थी और उसकी सूचना पर महेंद्र महतो घर वापस आ गया था । पुलिस ने कुछ कागज़ों पर उसके हस्ताक्षर तो लिए थे, किन्तु उसका बयान अभिलिखित नहीं किया था । महेंद्र महतो के घर में किसी ने भी यह नहीं कहा था कि हत्या महेंद्र महतो ने की थी । प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया है कि जब वह शीला देवी के घर गया था तो उसका शव सन्दूक के अंदर पड़ा मिला था । जब वह शीला देवी के घर गया था तब वहां कोई मौजूद नहीं था ।

23. फुलिया देवी (प्रतिरक्षा साक्षी 5) महेंद्र महतो की मां है, जिसने बताया है कि उसने अपने पुत्र और बहू के बीच कभी कोई झगड़ा होते नहीं देखा । घटना की सूचना मिलने पर, वह प्रातःकाल 10:00-11:00 बजे घटनास्थल पर पहुंच गईं थीं । पुलिस और मृतका के परिवार के सदस्य वहां मौजूद थे ।

प्रतिपरीक्षा में उसने यह बताया है कि घटना की तारीख पर वह अपने पुराने घर में नहीं थी, बल्कि नए घर में थी जो बन रहा था ।

24. संजय कुमार सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 6) ने यह कथन किया है कि महावीर महतो 14 जनवरी, 2002 को सेना में सम्मिलित हुआ था और प्रशिक्षण पूरा होने पर उसे 65 इंजीनियर रेजिमेंट में तैनात किया गया था । उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर के आदेश पर लॉन्ग रोल प्रस्तुत किया है, जिसे तैनाती होने के बाद भरा गया था और शीला देवी का नाम नामनिर्देशिती के रूप में अभिलिखित किया गया है । आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में शीला देवी 50% राशि की नामनिर्देशिती है, जबकि उसकी मां फुलिया देवी 50% नामनिर्देशिती है । पारिवारिक पेंशन के कॉलम में शीला देवी का नाम डाला गया है । सर्विस बुक में महेंद्र महतो

के बेटों का नाम अंकित है । जेल जाने से पहले महेंद्र महतो के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी । उन्होंने उस पत्र को साबित कर दिया है जिसके आधार पर लॉन्ग रोल कोर्ट में पेश किया गया था और लॉन्ग रोल की फोटो कॉपी वाले एक अन्य लिफाफे को प्रदर्श-आर के रूप में चिह्नित किया गया है । लॉन्ग रोल का वह भाग जिसमें महेंद्र महतो के परिवार के सदस्यों का विवरण है, सिद्ध हो चुका है और उसे प्रदर्श-एस के रूप में चिह्नित किया गया है । उन्होंने उस पत्र को सिद्ध कर दिया है जिसके द्वारा उन्हें न्यायालय में विवरण प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था जिसे प्रदर्श-टी के रूप में चिह्नित किया गया है ।

प्रतिपरीक्षा में उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि महेंद्र महतो की गिरफ्तारी के बाद उन्हें नहीं मालूम कि विभाग ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ।

25. बाबू लाल महतो (प्रतिरक्षा साक्षी 7) महेंद्र महतो का भाई है, जिसने यह कथन किया है कि शिवम ने घटना के संबंध में अपने पिता के बारे में कभी नहीं बताया था ।

प्रतिपरीक्षा में उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना वाले दिन प्रातःकाल 6.30 बजे शिवम और सत्यम ने उसे बताया था कि उसकी मां नहीं मिल रही है । उसने शीला देवी का शव नहीं देखा था, जो एक सन्दूक से बरामद किया गया था ।

26. अपीलार्थी के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री बी.एम. त्रिपाठी ने दलील दी है कि बेशक, घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और पूरा मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । अभियोजन पक्षकथन इस आधार पर टिका है कि अपीलार्थी को स्टेशन पर छोड़े जाने के बाद भी वह एक सोची-समझी योजना के अधीन अपने घर वापस आया, निर्मम हत्या की, शव को एक संदूक में रखा, उसे ताला लगाया और बेपरवाही से चला गया और यह तथ्य की संपुष्टि अभि. सा. 4, जो मृतका और अपीलार्थी का सबसे बड़ा पुत्र है, के साक्ष्य से होती है, किन्तु अभि. सा. 4 का कथन अंतिम संस्कार के बाद अपने नाना-नानी के घर पर रहने के कारण उसका साक्ष्य सिखाए-पढ़ाए जैसा प्रकट होता है, साथ

ही अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 11) के साक्ष्य से भी इस साक्षी का साक्ष्य पूरी तरह से अभिखंडित हो जाता है । श्री त्रिपाठी ने यह कथन किया है कि अभि. सा. 1 और सरकारी साक्षियों को छोड़कर अन्य सभी साक्षी मृतका के निकट नातेदार हैं और अपीलार्थी द्वारा मृतका पर किए गए अत्याचार के संबंध में उनके साक्ष्य में स्वर और स्थिरता से अपीलार्थी के प्रति पूर्वनियोजित पूर्वाग्रह का पता चलता है, जिसका हेतु मृतका से संबंधित कीमती सामान और प्रतिभूतियों को हड़पना है । मामले के अन्वेषण में लापरवाही बरती गई है और कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि मामले के ऐसे कई पहलुओं की पड़ताल नहीं की गई जिनमें उस इत्तिलाकर्ता की भूमिका भी सम्मिलित है जिसके साथ मृतका ने घटना की रात लगभग आठ मिनट तक बात की थी, यद्यपि अपीलार्थी के साथ उसकी लगभग एक मिनट की बात हुई थी । श्री त्रिपाठी ने यह कथन किया है कि सी.डी.आर. ने यह साबित कर दिया कि मृतका ने ही अपीलार्थी को फोन किया था, न कि अपीलार्थी ने, जिससे अभियोजन पक्ष का यह दावा निर्बल हो जाता है कि अपीलार्थी अपने घर वापस आ गया था क्योंकि वह अपना कुछ सामान ले जाना भूल गया था । विद्वान् निचले न्यायालय को प्रतिरक्षा पक्ष के साक्ष्य को भी समान महत्व देना चाहिए था, किन्तु ऐसा लगता है कि उसने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को ही सत्य मान लिया और बताई गई परिस्थितियां अपीलार्थी को अपराध से सम्बद्ध करने की श्रृंखला को पूरा नहीं करती हैं ।

27. राज्य की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक श्री नेहला शर्मिन ने यह दलील दी है कि साक्षियों, विशेषकर अभि. सा. 4, का साक्ष्य उन परिस्थितियों को स्पष्ट करता है जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अपीलार्थी ने चोरी-छिपे अपनी पत्नी की हत्या की है । केवल उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में मृतका से आठ मिनट तक बातचीत करने के आधार पर इत्तिलाकर्ता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भाई-बहिन के बीच एक सामान्य बातचीत थी । अपीलार्थी के मोबाइल फोन की टावर लोकेशन इस दावे को और प्रबलित करती है कि अपीलार्थी रेलगाड़ी से उतर गया था और हमला करने के

बाद एक बहाना बनाते हुए लापता हो गया, जिसे विद्वान् निचले न्यायालय ने सही रूप से खारिज कर दिया है । यह भी दलील दी गई है कि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा बताई गई परिस्थितियों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि वे मामले के अभिलेख पर आधारित हैं ।

28. श्री विजयंत वर्मा, इत्तिलाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने विद्वान् विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को दोहराया है ।

29. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान् काउंसेलों को सुना है तथा विचारण न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है ।

30. तारीख 4 जुलाई, 2015 की प्रातःकाल मृतका शीला देवी के लापता होने के बाद उसकी खोजबीन तेज हो गई और चूंकि सभी नातेदारों ने इस बात से इनकार कर दिया कि शीला देवी उनके घर आई थी, इसलिए तलाशी घर तक ही सीमित रह गई, किन्तु अभि. सा. 3, अभि. सा. 6, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 10 के अनुसार, बाबू लाल महतो (प्रतिरक्षा साक्षी 7) ने उन्हें घर में घुसने से रोका । अभि. सा. 4 ने बाबू लाल महतो द्वारा चारपाई के नीचे पत्थर रखे जाने की बात कही है, किन्तु अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 11) ने इस तथ्य को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्हें चारपाई के नीचे कोई पत्थर नहीं मिला था । इतने प्रतिरोध के बावजूद, साक्षियों ने घर में प्रवेश किया और तलाशी लेने पर एक सन्दूक मिला जिसमें से कुछ बाल निकल रहे थे और शीला देवी का शव सन्दूक के अंदर पाया गया जिसके पूरे शरीर पर क्रूरता कारित किए जाने के चिह्न थे जिसमें गुप्तांग भी सम्मिलित थे । शव-परीक्षा रिपोर्ट में धारदार काटने वाले नुकीले हथियार से कई क्षतियां पाई गई हैं । शीला देवी के शरीर पर की गई हिंसा से प्रतिशोध या क्रोधपूर्ण कृत्य साबित होता है । यह हमें अपीलार्थी और उसकी पत्नी के बीच उसकी मृत्यु से पहले मौजूद रिश्ते के प्रश्न पर लाता है । शीला देवी का विवाह अपीलार्थी के बड़े भाई शिव प्रकाश महतो के साथ हुआ था किन्तु शिव प्रकाश महतो की असामयिक मृत्यु के कारण, दोनों पक्षों की सहमति से शीला देवी का विवाह अपीलार्थी के साथ कर दिया गया । अपने पहले पति की मृत्यु के बाद, शीला देवी को उसकी ससुराल में पूरी

गरिमा और सम्मान के साथ रखा गया था जैसाकि मृतका की मां (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है । मृतका के नातेदारों के साक्ष्य के अनुसार, विवाह के आरंभ से ही अपीलार्थी, जब भी छुट्टी पर घर आता था, मृतका को प्रताड़ित करता था । ऐसा कहा जाता है कि हत्या से कुछ दिन पहले, अपीलार्थी ने शीला देवी को राजमार्ग पर एक चलती गाड़ी के आगे धक्का दे दिया था, किन्तु वह बच गई थी । इसलिए, साक्षियों ने अपीलार्थी को एक अत्याचारी पति के रूप में पेश किया है, जिसने मृतका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा और उसकी नजर अपनी पत्नी के नाम की उस बीमा पॉलिसी पर भी थी, जिसमें वह एकमात्र नामनिर्देशिती था । अपीलार्थी की यह विषैली तस्वीर बाद में गढ़ी गई प्रतीत होती है क्योंकि इन साक्षियों ने यह भी बताया है कि अपीलार्थी उन्हें प्रायः विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों और धार्मिक यात्राओं पर ले जाता था । यदि अपीलार्थी ऐसा व्यक्ति था जैसा कि साक्षियों ने दर्शाया है और जो लगातार पैसे और भूमि की मांग करता था, तो उसकी पत्नी और ससुराल वालों के साथ ऐसी यात्राओं का कोई औचित्य नहीं था । अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने मृतका के लिए एक स्कूटी और एक ऑटो-रिक्शा खरीदा था । उसके पिता भी मृतका को नियमित रूप से पैसे भेजते थे । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि विवाह के इतने वर्षों के दौरान कहीं भी कोई शिकायत नहीं की गई जिससे अपीलार्थी और मृतका के बीच चलने वाले विवाद की कहानी और भी निर्बल हो जाती है । अभि. सा. 9 के अनुसार, मृतका के बीमा के कागजात उसके पास हैं, साथ ही मृतका शीला देवी का मृत्यु प्रमाणपत्र भी है, जिस पर केवल उसके पिता का नाम है, अपीलार्थी का नहीं, जो अपीलार्थी के हेतु को और भी निर्बल बनाता है और इसके विपरीत इत्तिलाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के अन्यथा आचरण को उजागर करता है ।

31. अभियोजन पक्ष का पूरा मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और हत्या में अपीलार्थी की संलिप्तता को दर्शाने वाली परिस्थितियां बाल साक्षी अभि. सा. 4 के साक्ष्य से उद्भूत होती हैं । अभि. सा. 4 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह वर्णन किया है कि उसके

पिता का उसकी मां को फोन आया था जिसमें उसके पिता ने वापस लौटने की बात कही थी क्योंकि उन्होंने घर पर कुछ सामान छोड़ दिया था । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने एक अलग कहानी दी है कि रात के खाने के बाद उन्होंने अपने पिता से बात की थी । उन्होंने यह नहीं कहा है कि उनके पिता ने उन्हें यह बताया था कि वह अपने घर वापस आ रहे हैं । अभि. सा. 4 के बयान का सी.डी.आर. द्वारा भी खंडन किया गया है क्योंकि यह मृतका ही थी जिसने अपीलार्थी को सायं 7.39 बजे फोन किया था जिसकी अवधि 64 सेकेंड थी । अभि. सा. 4 ने यह भी कहा है कि रात का खाना खाने के बाद वह सोने चला गया और उसे उसकी मां ने जगाया और वह अपनी मां के साथ गेट खोलने गया और उसके बाद वह फिर से सो गया । यहां यह ध्यान देने योग्य है कि अभि. सा. 4 की आयु घटना के समय 10 वर्ष थी और यह समझना मूर्खता की कोटि में आएगा कि मृतका, जिसे एक सभ्य महिला बताया गया है और जिसकी पुष्टि अपीलार्थी ने अपने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन में भी की है, सो रही बच्ची को जगाएगी और उसके साथ दरवाजा खोलने जाएगी । अभि. सा. 4 के साक्ष्य में एक और विशेषता जो ध्यान देने योग्य है, यह है कि उसने यह नहीं कहा था कि उसने अपने पिता को दरवाजा खोलते हुए देखा था । यह अनुमानित साक्ष्य प्रतीत होता है कि यह अपीलार्थी था जो दरवाजे पर खड़ा था । अभि. सा. 4 के साक्ष्य में की यह निर्बलता अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 11) के साक्ष्य में भी निहित है, जिसने यह प्रमाणित किया है कि अभि. सा. 4 ने अपने बयान में घर वापस आने की बात तो कही है, किन्तु यह नहीं बताया कि उसने उस व्यक्ति की पहचान अपने पिता के रूप में की थी या नहीं । दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति की पहचान संबंधी सबूत का एक लेशमात्र भी न होने के बावजूद यह अनुमान लगाया गया कि वह अपीलार्थी था । मामले की एक और दिलचस्प विशेषता जो अभि. सा. 4 के साक्ष्य पर आधारित है, यह है कि अन्य साक्षियों द्वारा निरंतर यह कहा जाना कि अपीलार्थी रात में अपने घर वापस लौट आया था, अभि. सा. 4 के अभिकथित वर्णन के आधार पर है । यहां भी अभि. सा. 11 का साक्ष्य महत्वपूर्ण हो

जाता है क्योंकि अभि. सा. 4 ने उसके सामने यह नहीं बताया था कि उसने अपने नाना-नानी, मामा-मामी और मौसियों को अपीलार्थी के रात में अपने घर वापस आने के बारे में बताया था और यह तथ्य अभि. सा. 3, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 9 के साक्ष्य से और प्रबलित हो जाता है । ऐसा लगता है कि यह तथ्य बाद में विकसित किया गया है क्योंकि लिखित रिपोर्ट में भी अभि. सा. 4 के खुलासे का उल्लेख नहीं किया गया है । चूंकि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला मुख्यतः बाल साक्षी के साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए बाल साक्षी के कथन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों, चाहे वह सत्य हो या असत्य, पर विचार किया जाना आवश्यक है । इस संदर्भ में, हम **प्रदीप** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसमें निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "8. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि बाल साक्षी के साक्ष्य की संपुष्टि किया जाना कोई नियम नहीं, बल्कि सावधानी और विवेक का एक उपाय है । कम आयु का बाल साक्षी आसानी से किसी के बहकावे में आ सकता है । यद्यपि, यह अपने आप में बाल साक्षी के साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है । न्यायालय को बाल साक्षी के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए । न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्या बाल साक्षी को बहकाए जाने की संभावना है । इसलिए, न्यायालय द्वारा बाल साक्षी के साक्ष्य की जांच सावधानी और सतर्कता से की जानी आवश्यक है ।"

32. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अभि. सा. 4 घटना की तारीख से अपने नाना-नानी के घर पर रह रहा है और कम आयु का होने के कारण उसके सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना सदैव बनी रहेगी और जो कहानी हमारे सामने आई है, उससे इस तरह के सिखाए-पढ़ाए जाने के बारे में पता चलता है । अपीलार्थी द्वारा मृतका पर बार-बार किए जाने वाले अत्याचारों का अभि. सा. 4 और उसके ननिहाल पक्ष के सभी

---

[1] 2023 लाइव लॉ (एस. सी.) 501 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2023 एस. सी. 514.

साक्षियों ने एक स्वर में उल्लेख किया है । उनके साक्ष्यों और अभि. सा. 4 के साक्ष्य में मुश्किल से ही कोई अंतर है और इस कहानी के बनाने में भी इतनी एकरूपता, जैसाकि हमने ऊपर चर्चा की है, कि संदिग्ध प्रतीत होती है । पृष्ठभूमि तथ्यों में अभि. सा. 4 का साक्ष्य "विश्वसनीयता" और "सत्यता" की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है क्योंकि यह स्पष्ट है कि वह एक सिखाया-पढ़ाया साक्षी है । अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई दूसरी परिस्थिति अपीलार्थी के मोबाइल की टावर लोकेशन है । अपीलार्थी के मोबाइल की सी.डी.आर. के अनुसार टावर लोकेशन निश्चित रूप से यह संकेत नहीं देती है कि अपीलार्थी ट्रेन से उतरा था और हत्या करने के बाद अपने नियत स्थान पर जाने के लिए परिवहन का कोई अन्य साधन लिया था । अभि. सा. 11 ने भी अपने साक्ष्य में ऐसा कहा है । अपीलार्थी के मोबाइल की सी.डी.आर. एक अस्पष्ट तस्वीर पेश करती है और मोबाइल का तकनीकी मूल्यांकन अभियोजन पक्ष के मामले से मेल नहीं खाता है ।

33. अभियोजन पक्ष के अनुसार, हत्या घर के अंदर हुई थी, जो किसी भी सबूत के अभाव में बेहद असंभव प्रतीत होती है क्योंकि हत्या अत्यंत क्रूरता से की गई है और वह भी तब जब मृतका के बच्चे घर के अंदर मौजूद थे । सन्दूक के अंदर से रक्त से सने कुछ पहने हुए कपड़े और चादरें तो बरामद की गईं, किन्तु आश्चर्यजनक रूप से, अपीलार्थी द्वारा मृतका पर धारदार, नुकीले हथियार से किए गए इतने सारे वारों के बावजूद रक्त से लथपथ कुछ नहीं मिला ।

34. पारिस्थितिक साक्ष्य, जैसाकि आमतौर पर होता है, मामले के विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है और सिद्धांतों का विश्लेषण **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले के मामले में अभिनिर्धारित निम्नलिखित शर्त के आधार पर किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

> "153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूर्णतः स्थापित होने से पूर्व निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:–

[1] (1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए ।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने यह इंगित किया था कि संबंधित परिस्थितियां "अवश्य सिद्ध की जानी चाहिए" न कि "उनके सिद्ध किए जाने की केवल संभावना हो"। "साबित किया जा सकता है" और "साबित किया जाना चाहिए" में केवल व्याकरणिक ही नहीं बल्कि विधिक अंतर भी है जैसाकि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [एस. सी. सी पैरा 19, पृष्ठ 807 = एस. सी. सी. (क्रि.) पृष्ठ 1047] वाले मामले में व्यक्त किया था, जहां ये टिप्पणियां की गई थीं: "निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि इससे पहले कि न्यायालय उसे दोषी ठहराए अभियुक्त को "दोषी होना ही चाहिए", न कि केवल यह कि "दोषी हो सकता है"; और 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित किया जाना चाहिए' के बीच मानसिक दूरी बहुत लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है ।"

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त कोई अन्य परिकल्पना न की जा सके,

(3) परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए, और

(5) साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।"

35. जैसाकि हमने ऊपर देखा है, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियां कई संभावनाएं दर्शाती हैं, जिनमें सबसे कम संभावना अपीलार्थी की अपनी पत्नी की हत्या में संलिप्तता की है । वास्तव में, ऐसी घटना में अपीलार्थी के सम्मिलित होने का कोई निर्णायक प्रमाण या दोष का लेशमात्र भी प्रमाण नहीं है । साथ ही, जिस प्रकार से जांच की गई है, उस पर हम अपनी व्यथा व्यक्त करने से नहीं बच सकते और ऐसा प्रतीत होता है कि अन्वेषण इस धारणा पर आगे बढ़ा है कि हत्या के लिए पूरी तरह से अपीलार्थी ही जिम्मेदार है, बिना अन्य पहलुओं की जांच किए, जोकि अगर की गई होती तो अपराधी को पकड़ने की संभावनाओं का एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत किया जा सकता था ।

36. जो भी हो, हमारे द्वारा निकाला किया गया निष्कर्ष अपीलार्थी की निर्दोषिता का संकेत है । अपीलार्थी को अपराध से सम्बद्ध करने में विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा उल्लिखित परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की नहीं हैं और न ही अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का उचित मूल्यांकन और गहन परिशीलन किया गया है ।

37. इसलिए, हमारे द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष के परिणामस्वरूप हम श्री सहमतव आनंद, विद्वान् अपर न्यायिक आयुक्त-XIII, रांची द्वारा सेशन विचारण सं. 595/2015 में तारीख 4 जून, 2019 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और तारीख 7 जून, 2019 को पारित दंडादेश को अपास्त करते हैं ।

38. यह अपील मंजूर की जाती है ।

39. चूंकि अपीलार्थी अभिरक्षा में है, इसलिए उसे तत्काल उन्मुक्त करने का निदेश दिया जाता है, यदि नहीं, तो यह समझा जाएगा कि वह किसी अन्य मामले में वांछित है ।

40. अन्तरिम आवेदन, यदि कोई लंबित है, का भी निपटारा किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

जमील अंसारी

बनाम

झारखंड राज्य

(2017 की दांडिक अपील सं. 654)

तारीख 4 अक्तूबर, 2024

न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 304ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख] – हत्या और दहेज-मृत्यु साक्ष्य की विश्वसनीयता – अभियुक्त/अपीलार्थी और उसके परिजनों द्वारा मृतका का गला घोंटकर हत्या किए जाने का आरोप – दहेज की मांग पूरी न किए जाने को लेकर पारिवारिक विवाद – दहेज मृत्यु की अवधारणा न्यायोचित – अभियोजन पक्ष का साक्ष्य निरंतर इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि विवाह के एक वर्ष बाद दहेज की मांग उठने लगी जो मृतक की गला घोंटकर हत्या किए जाने तक बनी रही और विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृतका की मृत्यु हुई है और सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त कारण से हुई है तथा मृतका के साथ क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ है, अतः अपीलार्थी हत्या का नहीं अपितु दहेज-मृत्यु के अपराध का दोषी है ।

इस मामले में अभियोजन पक्षकथन अफजल अंसारी के फर्दबयान से उद्भूत हुआ है जिसमें यह कहा गया था कि वर्ष 2010 में, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार जमील अंसारी (अपीलार्थी) के साथ किया था । विवाह के बाद, लगभग एक वर्ष तक, उनकी पुत्री को उसके पति ने ठीक से रखा था । किन्तु, एक वर्ष के बाद, जमील अंसारी के माता-पिता, उनके भाई और चाचा किसी न किसी कारण से मानसिक और शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित करने लगे । यह अभिकथन किया गया है कि जमील अंसारी दहेज के रूप में दी गई सीडी-डॉन मोटरसाइकिल के बजाय एक लाख रुपए नकद और एक पल्सर

मोटरसाइकिल लाने के लिए इत्तिलाकर्ता की पुत्री पर दबाव डाल रहा था । इत्तिलाकर्ता की पुत्री, जैसाकि उसके द्वारा कहा गया है, जब अपने मायके आई तो मांग और यातना के कारण मानसिक तनाव में थी । लगभग 2-3 दिन पहले, इत्तिलाकर्ता की पुत्री को उसके भाई के साथ उसकी ससुराल वापस भेज दिया गया था । यह अभिकथन किया गया है कि पिछली रात इत्तिलाकर्ता को पता चला कि उसकी पुत्री की उसके पति व ससुराल वालों ने गला घोंटकर हत्या कर दी है । उपरोक्त आरोपों के आधार पर, जमील अंसारी, इसराइल अंसारी, आयशा खातून और इस्माइल अंसारी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/304ख और 498क/34 के अधीन पुलिस थाना मांडर के अंतर्गत मामला सं. 77/2014 दर्ज किया गया । अन्वेषण पूरा होने पर, जमील अंसारी, इसराइल अंसारी और आयशा खातून के विरुद्ध अलग-अलग आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसके पश्चात् अलग-अलग संज्ञान आदेश पारित किए गए और सेशन न्यायालय में अलग-अलग सुपुर्द किए गए जहां उन्हें सेशन विचारण मामला सं. 56/2015 और सेशन विचारण मामला सं. 57/2015 के रूप में क्रमांकित किया गया । 30 जून, 2015 के आदेश के अधीन, दोनों विचारण मामलों को मिला दिया गया । अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/304ख/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए जिन्हें अभियुक्तों को हिंदी में पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया, जिस पर उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को हत्या और दहेज-मृत्यु दोनों अपराध का दोषी पाया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फ़ाइल की । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को हत्या के अपराध के लिए की गई दोषसिद्धि को खारिज किया और दहेज-मृत्यु के अपराध के लिए की गई दोषसिद्धि को कायम रखते हुए, अपील भागत: मंजूर करते हुए

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष का साक्ष्य निरंतर इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि विवाह के एक वर्ष बाद दहेज की मांग उठने लगी जो मृतक की गला घोंटकर हत्या किए जाने तक बनी रही । पल्सर मोटरसाइकिल की मांग की गई थी क्योंकि अपीलार्थी सीडी-डॉन मोटरसाइकिल (यद्यपि इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 7) के अनुसार, यह एक

सीडी-डीलक्स मोटरसाइकिल थी) से संतुष्ट नहीं था और साथ ही एक लाख रुपए नकद की भी मांग की गई थी । मृतका नसीमा खातून के माता-पिता अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण ऐसी बार-बार की गई मांगों को पूरा नहीं कर सके । मृतका ने यह भी आशंका व्यक्त की थी कि ऐसी मांग पूरी न होने पर उसके पति और ससुराल वालों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी । अभि. सा. 1, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8, यद्यपि मृतका के नातेदार हैं, फिर भी इस बात से उनका साक्ष्य निर्बल नहीं हो सकता क्योंकि उनका साक्ष्य दहेज की मांग के संबंध में सुसंगत है और उन्होंने अपना कथन बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिया है । प्रत्यक्ष साक्ष्य का समर्थन चिकित्सा साक्ष्य से होता है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई है । भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित संघटकों को साबित किया जाना आवश्यक है : (1) विवाह के 7 वर्ष के भीतर महिला की मृत्यु, (2) मृत्यु जलने, शारीरिक क्षति या सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से हुई हो, (3) महिला को उसके पति या उसके पति के किसी संबंधी द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो, (4) क्रूरता या उत्पीड़न का संबंध दहेज की मांग से हो और (5) क्रूरता या उत्पीड़न महिला की मृत्यु से ठीक पहले हुआ हो । अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य निर्विवाद रूप से इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि सभी संघटक, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, पूरे किए गए हैं और इसलिए, यह माना जाएगा कि अपीलार्थी ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन अपनी पत्नी की दहेज मृत्यु कारित की है । मृत्यु का कारण गला दबाने से दम घुटना माना गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि गर्दन के बाएं अग्रभाग पर मृत्युपूर्व की चार रेखीय खरोंच के चिह्न और गर्दन के सामने के दाहिने भाग पर दो रेखीय खरोंच के चिह्न पाए गए । अपनी प्रतिपरीक्षा में, अभि. सा. 9 ने यह बताया है कि कंठिकास्थि, स्वरयंत्र, कंठनाल और श्वासनली आदि सामान्य स्थिति में पाए गए थे और उनमें कोई असामान्यता नहीं पाई गई । गला घोंटने में, अन्य लक्षणों के अतिरिक्त, स्वरयंत्र, थायरॉयड उपास्थि और हायोइड अस्थि के साथ-साथ क्रिकॉइड उपास्थि का फ्रैक्चर

होना चाहिए था । शव-परीक्षा किए जाने पर ऐसा कोई भी लक्षण नहीं पाया गया । मृतक के शरीर में गला घोंटने का संकेत भी मौजूद नहीं था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने, जबकि अभि. सा. 9 के साक्ष्य में अस्पष्टता को महसूस किया है फिर भी उसे अनदेखा कर दिया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई थी । यह निष्कर्ष अभि. सा. 9 के साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए गलत है, इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है कि मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई थी । उपर्युक्त अनुच्छेद में की गई टिप्पणी वर्तमान मामले पर भी लागू होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध बनता है या नहीं । जैसाकि न्यायालय ने ऊपर चर्चा की है, साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा दहेज-मृत्यु की ओर संकेत मिलता है और अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर जब अभियोजन पक्ष द्वारा मृत्यु का कारण निर्णायक रूप से सिद्ध न किया गया हो । इसलिए, न्यायालय ने उपरोक्त चर्चा के आधार पर, दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की, जबकि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंड्नीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को खारिज किया । (पैरा 10, 11, 12, 13, 16 और 17)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2013] (2013) 7 एस. सी. सी 256 =
ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 841 :
जसविंदर सैनी बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार)** ; 14,15

[2010] (2010) 15 एस. सी. सी 116 =
ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 568 :
राजबीर बनाम **हरियाणा राज्य** । 15

अपीली दांडिक अधिकारिता : **2017 की दांडिक अपील सं. 654.**

2015 सेशन विचारण मामला सं. 56 और से 57 में श्री एम. सी. वर्मा, विद्वान् अपर न्यायिक आयुक्त-प्रथम-सह-विशेष न्यायाधीश, रांची द्वारा तारीख 2 मार्च, 2017 को पारित निर्णय और तारीख 10 मार्च, 2017 को पारित दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री ए.के. कश्यप (वरिष्ठ काउंसेल)

प्रत्यर्थी की ओर से श्री सरधु महतो (अपर लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय ने दिया है ।

न्या. मुखोपाध्याय – अपीलार्थीओं के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री ए. के. कश्यप और विद्वान् ए. लोक अभियोजक श्री सरधु महतो को सुना गया ।

2. यह अपील श्री एम. सी. वर्मा, विद्वान् अपर न्यायिक आयुक्त-प्रथम-सह-विशेष न्यायाधीश, रांची द्वारा सेशन विचारण मामला सं. 56/2015 और सेशन विचारण मामला सं. 57/2015 के संबंध में तारीख 2 मार्च, 2017 को पारित उस निर्णय और तारीख 10 मार्च, 2017 को पारित उस दंडादेश के विरुद्ध फ़ाइल की गई है जिसके द्वारा और जिसके अधीन अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 और 304ख के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास और 5,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया है और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त 6 मास के साधारण कारावास से और धारा 304ख के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है । दोनों दंडादेश साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया गया है ।

3. अभियोजन पक्षकथन अफजल अंसारी के फर्द बयान से उद्भूत हुआ है जिसमें यह कहा गया था कि वर्ष 2010 में, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार जमील अंसारी (अपीलार्थी) के

साथ किया था । विवाह के बाद, लगभग एक वर्ष तक, उनकी पुत्री को उसके पति ने ठीक से रखा था । किन्तु, एक वर्ष के बाद, जमील अंसारी के माता-पिता, उनके भाई और चाचा किसी न किसी कारण से मानसिक और शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित करने लगे । यह अभिकथन किया गया है कि जमील अंसारी दहेज के रूप में दी गई सीडी-डॉन मोटरसाइकिल के बजाय एक लाख रुपए नक्द और एक पल्सर मोटरसाइकिल लाने के लिए इत्तिलाकर्ता की पुत्री पर दबाव डाल रहा था । इत्तिलाकर्ता की पुत्री, जैसा कि उसके द्वारा कहा गया है, जब अपने मायके आई तो मांग और यातना के कारण मानसिक तनाव में थी । लगभग 2-3 दिन पहले, इत्तिलाकर्ता की पुत्री को उसके भाई के साथ उसकी ससुराल वापस भेज दिया गया था । यह अभिकथन किया गया है कि पिछली रात इत्तिलाकर्ता को पता चला कि उसकी पुत्री की उसके पति व ससुराल वालों ने गला घोंटकर हत्या कर दी है ।

उपरोक्त आरोपों के आधार पर, जमील अंसारी, इसराइल अंसारी, आयशा खातून और इस्माइल अंसारी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/304ख और 498क/34 के अधीन पुलिस थाना मांडर के अंतर्गत मामला सं. 77/2014 दर्ज किया गया । अन्वेषण पूरा होने पर, जमील अंसारी, इसराइल अंसारी और आयशा खातून के विरुद्ध अलग-अलग आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसके पश्चात् अलग-अलग संज्ञान आदेश पारित किए गए और सेशन न्यायालय में अलग-अलग सुपुर्द किए गए जहां उन्हें सेशन विचारण मामला सं. 56/2015 और सेशन विचारण मामला सं. 57/2015 के रूप में क्रमांकित किया गया । 30 जून, 2015 के आदेश के अधीन, दोनों विचारण मामलों को मिला दिया गया । अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/304ख/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए जिन्हें अभियुक्तों को हिंदी में पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया, जिस पर उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 10 साक्षियों की परीक्षा कराई है –

तनिश अख्तर (अभि. सा.1) मृतका नसीमा खातून के चाचा हैं,

जिन्होंने यह कथन किया है कि नसीमा खातून का विवाह वर्ष 2010 में जमील अंसारी के साथ हुआ था । एक वर्ष तक उसे अच्छी तरह से रखा गया किन्तु उसके बाद 1 लाख रुपए और सीडी-डॉन के बजाय पल्सर मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी । समझौते का प्रयास किया गया और पंचायत भी बैठाई गई और मृतका को उसकी ससुराल वापस भेज दिया गया । तथापि, नसीमा खातून की ससुराल वालों ने झगड़ा करना आरंभ कर दिया और 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग पर अड़े रहे । घटना से लगभग एक सप्ताह पहले, नसीमा अपने पैतृक घर से अपनी ससुराल वापस आई थी । यह रविवार का दिन था जब नसीमा अपनी ससुराल वापस आई थी और अगले दिन उन्हें सूचना मिली कि नसीमा खातून पर पंखा गिरने से क्षतियां आई हैं, इस सूचना पर वह, नसीमा के माता-पिता और भाई के साथ उसकी ससुराल गया, जहां उन्होंने नसीमा खातून को मृत अवस्था में पड़ा हुआ देखा । यद्यपि उसके शरीर पर क्षति के कोई चिह्न नहीं थे, किन्तु गर्दन में पांच उंगलियों के चिह्न थे, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी । पुलिस को सूचित किया गया, जिसने आकर मृतका नसीमा खातून की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उसने साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किए थे । उसने जांच रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर साबित कर दिए हैं जिसे प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि 2011 से 2014 तक दहेज की मांग के संबंध में कहीं कोई शिकायत नहीं की गई । जब वे नसीमा की ससुराल पहुंचे थे और पुलिस आई थी तब जमील अंसारी घर में मौजूद था ।

हसन अंसारी (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि नसीमा लोयो स्थित अपनी ससुराल में रहती थी । प्रातःकाल लगभग 4:00 बजे उसने नसीमा खातून की ससुराल से कुछ चीखपुकार सुनी जिस पर वह उक्त स्थान पर गया जहां उसने नसीमा को मृत पड़ा हुआ देखा । तब तक उक्त स्थान पर कई ग्रामवासी एकत्र हो चुके थे । जब उसने जमील अंसारी से घटना के बारे में पूछा तो उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की है ।

प्रतिपरीक्षा में उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसका घर जमील अंसारी के घर से सटा हुआ है । उसने जमील से दहेज की मांग के बारे में सुना था । जब जमील ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने की बात बताई, तब हकीम भी वहां मौजूद था । जब वह जमील के घर गया तो वहां जमील के अतिरिक्त उसके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था । मृतका नसीमा के माता-पिता और नातेदार तब तक पहुंच चुके थे ।

मोहम्मद खालिद (अभि. सा. 3) ने यह कथन किया है कि उन्हें नहीं मालूम कि नसीमा खातून की मृत्यु कैसे हुई, किन्तु उन्होंने सुना है कि जमील अंसारी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी ।

असलम अंसारी (अभि. सा. 4) ने कथन किया है कि उसकी बहिन नसीमा खातून का विवाह वर्ष 2010 में जमील अंसारी के साथ हुआ था और विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसकी बहिन को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा एक लाख रुपए और एक पल्सर मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित किया जाने लगा । घटना से लगभग एक सप्ताह पहले नसीमा खातून अपने मायके आई थी और उसने अपने पति और ससुराल वालों की मांग के बारे में बताया था । उसे किसी तरह से ससुराल वापस लौटने के लिए मना लिया गया और ससुराल वापस आने के एक दिन बाद ही उसके पति और ससुरालवालों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी । सूचना मिलने पर जब वे उसकी बहिन के मायके गए तो उसे मृत पाया और उसके गले पर क्षतियों के कई चिह्न थे ।

प्रतिपरीक्षा में उसने कथन किया कि मोटरसाइकिल और एक लाख रुपए नकद की मांग के संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया था । ग्राम में पंचायत हुई थी, यद्यपि वह पंचायत में मौजूद नहीं था । पंचायत में कोई दस्तावेज भी तैयार नहीं किया गया था । जब वह अपनी बहिन की मृत्यु की खबर सुनकर उसकी ससुराल पहुंचा, तो अभियुक्त जमील, उसके माता-पिता और भाई घर पर मौजूद थे ।

मियां जान अंसारी (अभि.सा. 5) ने यह कथन किया है कि नसीमा उनकी भतीजी थी, जिसका निकाह वर्ष 2010 में जमील अंसारी के साथ हुआ था । जमील अंसारी ने उसे एकडेढ़ वर्ष तक अच्छी तरह रखा

किन्तु उसके बाद जमील अंसारी और नसीमा खातून के ससुरालवालों ने उसे प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया और एक पल्सर मोटरसाइकिल और एक लाख रुपए नकद की मांग की । इसी बीच, नसीमा खातून अपने मायके आ गई और उसने बताया कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपनी मांग पूरी करे । उसे किसी तरह समझाकर उसके मायके भेज दिया गया । घटना के लगभग तीन दिन पहले वह पुनः अपने माता-पिता के घर आई थी और उसे समझाकर उसे वापस उसके मायके भेज दिया गया और उसका भतीजा उसके साथ गया था । जब उसे वापस भेजा जा रहा था तो वह रो रही थी और यह आशंका व्यक्त कर रही थी कि उसे मार दिया जाएगा । उसने यह कथन किया है कि वापस जाने के तीसरे दिन उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई । उसने फर्द बयान में अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं, जिसे प्रदर्श-2 के रूप में अंकित किया गया है । घटना की खबर सुनकर वह नसीमा खातून के मायके गया था और उसने उसके गले पर पांच अंगुलियों के चिह्न पाए थे । उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अपने हस्ताक्षर की पहचान की है, जिसे प्रदर्श-I/ए के रूप में अंकित किया गया है ।

प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि मृतका विवाह के बाद उसके घर नहीं आती थी । उसकी मृत्यु से पहले दहेज से संबंधित कोई मामला संस्थित नहीं किया गया था । लोयो पंचायत में शिकायत दर्ज कराई गई थी, किन्तु उसके पास इसका कोई सबूत नहीं है । वह मृतका की मृत्यु से पूर्व चार-पांच बार ससुराल गया था । पुलिस प्रातःकाल छह बजे घटनास्थल पर पहुंची थी । मृतका के पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल की है । उसने बताया कि नसीमा खातून पर उसके सामने हमला किया गया था, किन्तु उसने पुलिस को यह बात नहीं बताई ।

हकीम अंसारी (अभि. सा. 6) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया है ।

अफजल अंसारी (अभि. सा. 7) मृतका नसीमा खातून का पिता और इत्तिलाकर्ता है, जिसने बताया है कि उसकी पुत्री का विवाह मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार वर्ष 2010 में जमील अंसारी के साथ हुआ था । एक वर्ष तक उसकी पुत्री को अच्छी तरह से रखा गया और उसके बाद उसके

पति और सास-ससुर ने दहेज में दी गई सीडी-डीलक्स मोटरसाइकिल के बदले एक लाख रुपए और एक पल्सर मोटरसाइकिल की मांग आरंभ कर दी । वे उनकी पुत्री के साथ झगड़ा करने लगे और उसे उसके मायके भेज दिया । उन्होंने अपनी पुत्री को समझा-बुझाकर अपने पुत्र महबूब के साथ ससुराल वापस भेज दिया । उन्होंने बताया है कि उनकी पुत्री को रविवार को भेजा गया था और सोमवार की रात उनकी पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी गई । उनके चचेरे भाई ने उन्हें फोन पर बताया कि नसीमा खातून की हालत गंभीर है और जब वे वहां गए तो नसीमा खातून मृत पाई गई ।

प्रतिपरीक्षा में उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह एक लाख रुपए और एक पल्सर मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं कर सका । उसने यह भी यह साक्ष्य दिया है कि यह पैसा जमील ने ही मांगा था । उसने पुलिस के सामने कथन किया कि जमील ने सबके सामने कबूल किया था कि उसने नसीमा खातून की हत्या की है । अपनी पुत्री की मृत्यु से पहले उसने दहेज की मांग और उस पर अत्याचार के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी ।

महबूब अंसारी (अभि. सा. 8) मृतका का भाई है जिसने यह कथन किया है कि विवाह के बाद एक वर्ष तक उसकी बहिन को ठीक से रखा गया किन्तु उसके बाद उसकी ससुराल वाले एक लाख रुपए और पल्सर मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उससे झगड़ा करने लगे । जब भी वह नसीमा के घर जाता था, तो वह कहती थी कि दहेज की मांग पूरी न करने पर उसे मार दिया जाएगा । अपनी मृत्यु से आठ दिन पहले, नसीमा अपने माता-पिता के घर आई थी और उसे यह समझाने के बाद कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मांग पूरी करना संभव नहीं है, उसे वापस उसकी ससुराल भेज दिया गया । वह उसे उसकी ससुराल ले गया था और उसी दिन वापस आ गया था । लौटने के अगले दिन, अभियुक्त जमील अंसारी के छोटे भाई, शकील अंसारी ने फोन पर बताया कि नसीमा गंभीर रूप से बीमार है । जब वह नसीमा की ससुराल गया तो उसने उसे मृत पाया और उसके गले पर उंगलियों के चिह्न थे । पूछताछ करने पर तीनों अभियुक्तों ने नसीमा की हत्या करने की बात संस्वीकृत कर ली ।

प्रतिपरीक्षा में उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि नसीमा की मृत्यु से पहले पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई थी । यह कहना गलत है कि अभियुक्तों ने यह संस्वीकृत नहीं किया था कि उन्होंने हत्या की है ।

डॉ. ज्योति आशा चंपी (अभि. सा. 9), एफ.एम.टी. विभाग, आर.आई.एम.एस., रांची में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं और तारीख 24 जून, 2014 को उन्होंने नसीमा खातून के शव की शवपरीक्षा की और निम्नलिखित क्षतियां पाईं :–

क. भौतिक परीक्षण में मृतका की आयु 25 वर्ष पाई गई । वह औसत कद-काठी की थी, उसके अगले पैरों में जठर काठिन्य मौजूद था, पेट फूला हुआ था, चेहरा रूखा था, नाखून नीले पड़ गए थे और दोनों नथुनों से रक्त बह रहा था ।

ख. गर्दन के बाएं अग्रभाग से पार्श्व भाग तक, 1 सेमी x सेमी के विभिन्न आकार के चार मृत्युपूर्व के नाखून की खरोंचें । उक्त चार खरोंचों के अतिरिक्त, गर्दन के सामने के दाहिने भाग पर भी दो रेखीय खरोंचें पाई गईं और इन दोनों खरोंचों का आकार ½ सेमी से 1 सेमी था ।

ग. आंतरिक परीक्षण में, गर्दन के दोनों ओर के कोमल ऊतक क्षतिग्रस्त पाए गए । करोटि के बाईं ओर टेम्पोरल मांसपेशियों पर भी एक क्षति पाई गई । फेफड़े अवरुद्ध पाए गए । मस्तिष्क और मस्तिष्क के अन्य अवयव अवरुद्ध पाए गए । यकृत, गुर्दे और तिल्ली भी अवरुद्ध थे । गर्भाशय में भ्रूण पाया गया, जिसमें 29 सेमी लंबा और लगभग छह महीने की आयु का मृत भ्रूण पाया गया ।

मृत्यु का कारण गला घोंटने से दम घुटना बताया गया । सिर पर किसी कठोर और कुंद वस्तु से क्षति कारित हुई थी । उन्होंने शवपरीक्षा रिपोर्ट, जिसे प्रदर्श-9 के रूप में अंकित किया गया है, को प्रमाणित किया है ।

प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि मृतक की गर्दन पर कोई उंगलियों के कोई भी चिह्न नहीं थे ।

नरेंद्र कुमार सिन्हा (अभि. सा. 10) पुलिस थाना मांडर में थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे और 24 जून, 2014 को उन्हें टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि लोयो ग्राम में एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है । वे पुलिस बल के साथ लोयो ग्राम पहुंचे और जमील अंसारी के घर में उन्होंने एक महिला का शव चारपाई पर पड़ा हुआ देखा जिसके गले पर क्षति के चिह्न थे । मृतका के पिता का फर्द बयान अभिलिखित किया गया जो प्रमाणित हो चुका है और प्रदर्श-10/ए के रूप में अंकित है । उन्होंने साक्षियों का बयान अभिलिखित किया था और अभियुक्त जमील अंसारी को गिरफ्तार भी किया था । एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जो प्रमाणित हो चुकी है और प्रदर्श-पी.डब्ल्यू. 10/डी के रूप में अंकित है । जांच के दौरान उन्होंने शवपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

प्रतिपरीक्षा में उन्होंने यह कथन किया है कि इत्तिलाकर्ता पक्ष उनसे पहले घटनास्थल पर पहुंच गया था । जमील अंसारी के अतिरिक्त उनके परिवार का कोई भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं था । उन्होंने घटनास्थल अर्थात लोयो ग्राम में स्थित जमील अंसारी के घर का निरीक्षण किया था । अपनी जांच के पहले दिन उन्होंने कुछ स्वतंत्र साक्षियों के बयान अभिलिखित किए थे ।

5. अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन पुनः अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने नसीमा खातून की मृत्यु में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है ।

6. प्रतिरक्षा पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में एक साक्षी की परीक्षा कराई है :–

> आदिश अंसारी (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने यह कथन किया है कि तारीख 24 जून, 2014 को उसकी भाभी की मृत्यु हो गई थी और सूचना मिलने पर उसके माता-पिता लोयो ग्राम गए थे । पुलिस पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया था ।

प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया है कि वह अपनी भाभी की मृत्यु का कारण नहीं जानता ।

7. अपीलार्थी के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री ए.के. कश्यप ने यह दलील दी है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 304ख अर्थात् दोनों धाराओं के अधीन दोषी ठहराकर गलती की है । यह दलील दी गई है कि अभियोजन पक्ष के पास ऐसे दंड के लिए कोई भी आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं है । घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और केवल पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया है । वैकल्पिक रूप से यह दलील दी गई है कि सबसे खराब स्थिति में भी, अपीलार्थी के विरुद्ध बहुत से बहुत भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन मामला बनता है जबकि विद्वान् निचले न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 304ख, दोनों के अधीन "पूर्वधारणा" लागू करके गलती की है ।

8. विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री सरधू महतो ने यह दलील दी है कि नसीमा खातून की मृत्यु उसकी ससुराल में गला घोंटने के कारण हुई है और दहेज की लगातार मांग की जा रही थी, इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 302 और धारा 304ख के अधीन ठीक ही दोषसिद्धि की गई है ।

9. हमने पक्षकारों के परस्पर विद्वान् काउंसेलों को सुना है तथा विचारण न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है ।

10. अभियोजन पक्ष का साक्ष्य निरंतर इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि विवाह के एक वर्ष बाद दहेज की मांग उठने लगी जो मृतक की गला घोंटकर हत्या किए जाने तक बनी रही । पल्सर मोटरसाइकिल की मांग की गई थी क्योंकि अपीलार्थी सीडी-डॉन मोटरसाइकिल (यद्यपि इत्तिलाकर्त्ता (अभि. सा. 7) के अनुसार, यह एक सीडी-डीलक्स मोटरसाइकिल थी) से संतुष्ट नहीं था और साथ ही एक लाख रुपए नकद की भी मांग की गई थी । मृतका नसीमा खातून के माता-पिता अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण ऐसी बार-बार की गई मांगों को पूरा नहीं कर सके । मृतका ने यह भी आशंका व्यक्त की थी कि ऐसी मांग पूरी न होने पर उसके पति और ससुरालवालों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी । अभि. सा. 1, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8,

यद्यपि मृतका के नातेदार हैं, फिर भी इस बात से उनका साक्ष्य निर्बल नहीं हो सकता क्योंकि उनका साक्ष्य दहेज की मांग के संबंध में सुसंगत है और उन्होंने अपना कथन बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिया है । प्रत्यक्ष साक्ष्य का समर्थन चिकित्सा साक्ष्य से होता है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई है ।

11. भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित संघटकों को साबित किया जाना आवश्यक है :–

1. विवाह के 7 वर्ष के भीतर महिला की मृत्यु ।

2. मृत्यु जलने, शारीरिक क्षति या सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से हुई हो ।

3. महिला को उसके पति या उसके पति के किसी संबंधी द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो ।

4. क्रूरता या उत्पीड़न का संबंध दहेज की मांग से हो ।

5. क्रूरता या उत्पीड़न महिला की मृत्यु से ठीक पहले हुआ हो ।

12. अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य निर्विवाद रूप से इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि सभी संघटक, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पूरे किए गए हैं और इसलिए, यह माना जाएगा कि अपीलार्थी ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन अपनी पत्नी की दहेज मृत्यु कारित की है ।

13. मृत्यु का कारण गला दबाने से दम घुटना माना गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि गर्दन के बाएं अग्रभाग पर मृत्युपूर्व की चार रेखीय खरोंच के चिह्न और गर्दन के सामने के दाहिने भाग पर दो रेखीय खरोंच के चिह्न पाए गए । अपनी प्रतिपरीक्षा में, अभि. सा. 9 ने यह बताया है कि कंठिकास्थि, स्वरयंत्र, कंठनाल और श्वासनली आदि सामान्य स्थिति में पाए गए थे और उनमें कोई असामान्यता नहीं पाई गई । गला घोंटने में, अन्य लक्षणों के अतिरिक्त, स्वरयंत्र, थायरॉयड

उपास्थि और हायोइड अस्थि के साथ-साथ क्रिकॉइड उपास्थि का फ्रैक्चर होना चाहिए था । शवपरीक्षा किए जाने पर ऐसा कोई भी लक्षण नहीं पाया गया । मृतक के शरीर में गला घोंटने का संकेत भी मौजूद नहीं था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने, जबकि अभि. सा. 9 के साक्ष्य में अस्पष्टता को महसूस किया है फिर भी उसे अनदेखा कर दिया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई थी । यह निष्कर्ष अभि. सा. 9 के साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए गलत है, इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है कि मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई थी ।

14. **जसविंदर सैनी** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार)**[1] वाले मामले में, निम्नानुसार माना गया है :–

> "15. यह सर्वमान्य है कि धारा 304ख के अधीन लगाया गया आरोप, धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के आरोप का विकल्प नहीं है । हत्या के मामले की तरह, धारा 304ख के अधीन भी हर मामले में मृत्यु सम्मिलित होती है । यह प्रश्न कि क्या यह धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या है या धारा 304ख के अधीन दंडनीय दहेज मृत्यु, मामले की तथ्यात्मक स्थिति और साक्ष्य पर निर्भर करता है । यदि धारा 302 के अधीन लगाए गए आरोप का प्रथमदृष्ट्या समर्थन करने वाला प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक साक्ष्य मौजूद है, तो निचला न्यायालय धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या का आरोप विरचित कर सकता है और वास्तव में उसे ऐसा करना भी चाहिए, जो तब मुख्य आरोप होगा, न कि कोई वैकल्पिक आरोप, जैसा कि कुछ क्षेत्रों में गलती से मान लिया जाता है । यदि मुकदमे में अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का मुख्य आरोप साबित नहीं होता है तो न्यायालय साक्ष्यों पर विचार करके यह अभिनिर्धारित कर सकता है कि धारा 304ख के अधीन दंडनीय दहेज-मृत्यु का वैकल्पिक आरोप सिद्ध होता है या नहीं । दोनों

[1] (2013) 7 एस. सी. सी. 256 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 841.

अपराधों के संघटक अलग-अलग हैं, इसलिए ऐसे संघटकों से संबंधित परिप्रेक्ष्य से साक्ष्य का मूल्यांकन आवश्यक है । इस दृष्टिकोण से, निचले न्यायालय ने मामले में यंत्रवत् अर्थात् बिना सोचे समझे कार्य किया क्योंकि उसने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर ध्यान दिए बिना और केवल राजबीर **बनाम** हरियाणा राज्य [(2010) 15 एस. सी. सी. 116 = (2013) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 149 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 568] वाले मामले में जारी निदेश के आधार पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन एक अतिरिक्त आरोप विरचित कर दिया । नि:संदेह, उच्च न्यायालय ने **राजबीर** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए निदेशों से स्वतंत्र होकर आरोप विरचित किए जाने को उचित ठहराने का आधा-अधूरा प्रयास किया, किन्तु उच्च न्यायालय की तरह मामले को समर्थन देने के बजाय फिर से आदेश किए जाने के लिए विचारण न्यायालय को वापस भेजना अधिक उचित होता ।

15. यद्यपि संदर्भित मामले में, मुद्दा दहेज-मृत्यु का आरोप लगाने वाले मामले में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए जाने से संबन्धित था, जैसा कि **राजबीर** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] में कहा गया है, किन्तु यह मुद्दा **जसविंदर सैनी** बनाम **राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में यथाउल्लिखित उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर था ।

16. उपर्युक्त अनुच्छेद में की गई टिप्पणी वर्तमान मामले पर भी लागू होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध बनता है या नहीं । जैसाकि हमने ऊपर चर्चा की है, साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा दहेज-मृत्यु की ओर संकेत मिलता है और अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, विशेष कर जब अभियोजन पक्ष द्वारा मृत्यु का कारण निर्णायक रूप से सिद्ध न किया गया हो ।

---

[1] (2010) 15 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 568.

17. इसलिए, हम उपरोक्त चर्चा के आधार पर, दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि करते हैं, जबकि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को खारिज करते हैं ।

18. यह अपील निपटाई जाती है ।

19. अन्तरिम आवेदन, यदि कोई लंबित है, समाप्त किया जाता है ।

तदनुसार अपील भागत: मंजूर की गई ।

अस.

(2023) 1 दा. नि. प. 172 **बम्बई**

महाराष्ट्र राज्य

बनाम

भगवान पांडुरंग पाटिल

(2006 की दांडिक अपील सं. 171)

तारीख 18 जून, 2021

न्यायमूर्ति के. आर. श्रीराम

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) – धारा 7, 13(1)(घ) और धारा 13(2) [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अवैध रिश्वत – शिकायतकर्ता द्वारा सहकारी समिति का गठन किया जाना – लोक निर्माण विभाग के साथ संविदा – समिति द्वारा निर्माण कार्य का समापन किए जाने के बावजूद बिलों का भुगतान न किए जाने का अभिकथन – साक्षियों के कथन में विरोधाभास – अन्वेषण अधिकारी सटीक स्थान बताने में असमर्थ रहा है कि रिश्वत का धन मेज के कोने पर था या मेज के बाईं ओर या दाईं ओर था, साथ ही दो अन्य साक्षियों के साक्ष्य में भी विरोधाभास है और दोषमुक्त

अपीलार्थी को निर्दोषिता की उपधारणा का लाभ भी प्राप्त है, अतः निचले न्यायालय के दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) ने एक सहकारी समिति बनाई थी और सहकारी समिति वाडा खंड में विभिन्न कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग से संविदा कर रही थी । मई, 2001 में समिति को दिए गए कार्य पूर्ण हो चुके थे और बिल लंबित थे । 6 मास पश्चात् जब दोष दायित्व अवधि समाप्त हो गई, तो अभि. सा. 1 ने तारीख 26 दिसंबर, 2001 को प्रातः लगभग 10 बजे अभियुक्त से अपने बिल तैयार करने और उन्हें संदाय के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेजने के लिए संपर्क किया । उस समय अभियुक्त ने कहा कि यह काम हो जाएगा बशर्ते कि अभि. सा. 1 उसे 35,000/- रुपए दे जो कि रिश्वत थी । जब अभि. सा. 1 ने अभियुक्त को बताया कि वह आर्थिक तंगी में है, तो अभियुक्त ने किस्तों में रकम लेने पर सहमति व्यक्त की । अभि. सा. 1 को तारीख 28 दिसंबर, 2001 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 2 बजे के बीच 10,000/- रुपए लाने का निर्देश दिया गया था और आश्वासन दिया गया कि बिलों पर हस्ताक्षर करके मंजूरी हेतु भेज दिया जाएगा बशर्ते कि 10,000/- रुपए की रकम का संदाय कर दिया जाए और संदाय प्राप्त होने के तुरंत पश्चात् शेष राशि का संदाय कर दिया जाए । इसके पश्चात् अभि. सा. 1 ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया और तारीख 28 दिसंबर, 2001 को प्रातः करीब 8 बजे अभि. सा. 1 पंच गवाहों के साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यालय में उपस्थित हुआ । छापा मारने की औपचारिकताएं पूरी की गईं और 500/- रुपए के 20 करेंसी नोटों (चिह्नित करेंसी नोट) से लैस छापा मारने वाली टीम अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 (छाया पंच) के साथ लगभग 12 बजे छापेमारी के लिए निकल पड़ी । यह अभिकथन किया गया है कि जब अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 अभियुक्त के कार्यालय में पहुंचे तो अभि सा. 1 ने अभियुक्त का अभिवादन किया लेकिन अभियुक्त ने, जो अन्य कार्य में व्यस्त था, उसे एक भावशून्य दृष्टि से देखा । इसके पश्चात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 अभियुक्त की मेज के पास पहुंचे, पंच साक्षी (अभि. सा. 2) अभियुक्त की मेज के सामने

वाली कुर्सी पर बैठ गया, जबकि अभि. सा. 1 वहीं खड़ा रहा । अभि. सा. 1 ने लंबित बिलों के विषय में उल्लेख किया और अभियुक्त ने उससे पूछा कि क्या वह अनुदेशित 10,000/- रुपए की राशि लाया है । जब अभि. सा. 1 ने सकारात्मक उत्तर दिया, तो अभियुक्त ने पैसे मांगे । अभि. सा. 1 ने अपनी जेब से चिह्नित करेंसी नोट निकाले और अभियुक्त को सौंप दिए, जिसको उसने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों और अंगूठे के बीच में लिया और मेज पर पड़े एक कागज़ पर रख दिया । इसके पश्चात् अभियुक्त ने उस नोट को दूसरे कागज़ से ढक दिया और फिर उसने बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए । अभि. सा. 1 तुरंत कार्यालय से बाहर गया और उसने सहमत संकेत दिया इसके तुरंत पश्चात् छापा मारने वाला दल अंदर आ गया और अभियुक्त को पकड़ लिया गया । तलाशी लेने पर सफेद कागज की शीट के नीचे मेज पर चिह्नित करेंसी नोट पाए गए । चिह्नित करेंसी नोटों की जांच की गई और छापा मारने से पूर्व पंचनामा से मिलान किया गया और अभियुक्त के दाहिने हाथ की उंगलियों और दाहिने हाथ के अंगूठे की जांच करने के पश्चात् उस पर एंथ्रेसीन पाउडर के निशान पाए गए । इसके उपरांत छापा मारने के बाद की प्रक्रियाएं पूरी की गईं और अपराध रजिस्ट्रीकृत करने के लिए वाडा पुलिस थाने को रिपोर्ट भेजी गई । अपराध रजिस्ट्रीकृत करके अन्वेषण प्रारंभ किया गया । तत्पश्चात् कथन अभिलिखित किए गए तथा मंजूरी मिलने के पश्चात् विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया । अभियुक्त ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । विचारण के पश्चात् अभियुक्त को निर्दोष पाया गया । दोषमुक्ति के इस आदेश से व्यथित होकर राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने यह ध्यान रखा कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने जो कथन किया है, उसमें विरोधाभास है । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि जब वह छापे की तारीख को अभियुक्त के कार्यालय में पहुंचा, तो अभियुक्त मेज पर बैठा अपना कार्य कर रहा था और पंच साक्षी कुर्सी पर बैठ गया जबकि वह मेज के सामने खड़ा था । लेकिन पंच साक्षी अभि. सा. 2 ने यह कहा है कि वे दोनों

अभियुक्त की मेज के सामने कुर्सी पर बैठे थे । अभि. सा. 1 ने यह बताया कि जब उसने अभियुक्त से पूछा कि क्या उसने बिलों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अभियुक्त ने नकारात्मक उत्तर दिया और अभि. सा. 1 से पूछा कि क्या वह बताए अनुसार 10,000/- रुपए लाया है और जब अभि. सा. 1 ने सकारात्मक उत्तर दिया तो अभियुक्त ने कहा कि ठीक है और वह दो दिन पश्चात् देख लेगा । फिर जब अभि. सा. 1 ने अभियुक्त को बताया कि वह आर्थिक तंगी में है, तो अभियुक्त ने कहा कि ठीक है हम देखेंगे और अभि. सा. 1 से 10,000/- रुपए देने को कहा जो वह लाया था । इसके पश्चात् अभि. सा. 1 ने चिह्नित करेंसी नोट निकाले और उन्हें मोड़कर अभियुक्त के समक्ष रखा । अभियुक्त ने उसे अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों और अंगूठे से पकड़ लिया और मेज पर रख दिया । अभियुक्त ने चिह्नित करेंसी नोटों के ऊपर एक कोरा कागज भी रख दिया जिसके पश्चात् अभि. सा. 1 ने छापा मारने वाले दल को संकेत दिया । पंच साक्षी अभि. सा. 2 का कहना है कि जब वे अभियुक्त की मेज पर पहुंचे तो वह और अभि. सा. 1 दोनों कुर्सी पर बैठे हुए थे । उस समय अभियुक्त अपनी मेज की दराज में कुछ खोज रहा था और उसी समय अभि. सा. 1 ने अभियुक्त से पूछा कि उसके काम का क्या हुआ और अभियुक्त ने उत्तर दिया कि साहब ने हस्ताक्षर कर दिए हैं लेकिन उसके अपने हस्ताक्षर रह गए हैं और उसके पश्चात् अभियुक्त ने अभि. सा. 1 से 10,000/- रुपए के विषय में पूछा । अभियुक्त ने अभि. सा. 1 से कहा कि जब तक वह राशि का संदाय नहीं करता है, तब तक अभियुक्त बिल आगे नहीं बढ़ाएगा, यह ऐसी बात है जो अभि. सा. 1 ने नहीं का ही थी । इसके बाद अभियुक्त ने रकम स्वीकार की और उसे मेज पर रखे कागज के पन्ने पर रख दिया और फिर चिह्नित नोटों को दूसरे कागज के पन्ने से ढक दिया और अभि. सा. 1 सहमत संकेत देने के लिए कार्यालय से बाहर चला गया । इसलिए, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्यों में ये दो अलग-अलग वृत्तांत हैं । अभि.सा 1 ने यह कथन किया है कि छापा मारने के पश्चात् उसके बिलों से संबंधित दस्तावेज पर उसके समक्ष ही हस्ताक्षर किए गए थे । अभि. सा 1 ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त ने

अपने बिलों सहित सभी दस्तावेज पर तब हस्ताक्षर किए थे, जब छापा मारने वाले दल ने उसके हाथ खुले छोड़ रखे थे और यह सब उसकी उपस्थिति में हुआ था । यहां तक कि अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 3) ने अपने साक्ष्य में यह बताया है कि छापा पूर्ण होने के पश्चात् जब यह पाया गया कि जो बिल संलग्न किए गए थे, उन पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं थे और पराबैंगनी प्रकाश में अभियुक्त के हाथों की जांच करने के पश्चात् अभियुक्त से हाथ धोने को कहा गया और उसके बाद अभियुक्त ने बिलों पर हस्ताक्षर किए । लेकिन पंच साक्षी (अभि. सा. 2) ने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त ने छापे के पश्चात् बिलों पर हस्ताक्षर किए थे । अभि. सा. 2 ने यह परिसाक्ष्य दिया है कि रिश्वत की राशि स्वीकार करने के बाद अभियुक्त ने बिलों पर हस्ताक्षर किए और फिर अभि. सा. 1 कार्यालय से चला गया । अभि. सा. 2 के अनुसार, अभियुक्त ने चिह्नित करेंसी नोट प्राप्त किए और उन्हें मेज पर रखकर कागज से ढक दिया, लेकिन अभि. सा. 1 ने यह नहीं कहा कि उसे किसी अन्य कागज के पन्ने पर रखा गया और फिर कागज से ढक दिया गया । विद्वान् सहायक लोक अभियोजक ने निष्पक्षता से स्वीकार किया है कि मेज पर रखे कागजों की जांच एन्थ्रेसीन के चिन्हों के लिए नहीं की गई थी । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 3) मेज पर उस स्थान की पहचान करने में भी असमर्थ है जहां चिह्नित करेंसी पाई गई थी और वह मात्र इतना कहना चाहता है कि यह अभियुक्त के समक्ष मेज पर थी । अन्वेषण अधिकारी सटीक स्थान बताने में असमर्थ था कि यह मेज के कोने पर था या मेज के बाईं ओर या दाईं ओर था । अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया है कि मेज पर फाइलों का ढेर था । यह अत्यंत सुसंगत है क्योंकि प्रतिरक्षा पक्ष का पक्षकथन यह है कि अभियुक्त अपने कार्य में व्यस्त था और शिकायतकर्ता ने मेज पर रखे कागजों के नीचे नोट रख दिए होंगे, जबकि अभियुक्त को पता भी नहीं था कि क्या हुआ है । साथ ही यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि अभियुक्त पूरे समय अपने आधिकारिक कार्य में व्यस्त था और उसने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया । अभि. सा. 1 के साक्ष्य में यह भी उल्लेख है कि इससे पहले भी अभियुक्त

द्वारा बिलों का संदाय किया गया है, परन्तु उसने कभी भी किसी भी प्रकार के पैसे की मांग नहीं की । न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय का परिशीलन करके साक्ष्यों पर विचार किया है तथा सुश्री देशमुख की बात भी सुनी है । मुझे आक्षेपित निर्णय में कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से गलत, स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण या प्रमाण्य रूप से असंतुलित नहीं लगता है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप को पुष्ट करने के लिए कुछ भी विद्यमान नहीं है । इस मामले में दोषमुक्ति की गई है और इसलिए अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा है । सर्वप्रथम दांडिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के अधीन अभियुक्त के लिए निर्दोषिता की उपधारणा उपलब्ध है अर्थात् यह कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए । दूसरे, अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा उसकी निर्दोषिता की उपधारणा को और प्रबलित, अभिपुष्ट और मजबूत किया गया है । अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए विचारण न्यायालय ने सही संप्रेक्षण किया है कि अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन साबित करने में विफल रहा है । (पैरा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2006 की दांडिक अपील सं. 171.

विद्वान् विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) ठाणे द्वारा तारीख 28 जुलाई, 2004 को पारित दोषमुक्ति निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री. एम. एम. देशमुख (अपर लोक अभियोजक)

प्रत्यर्थी की ओर से –

न्यायमूर्ति के. आर. श्रीराम – वर्तमान अपील, विद्वान् विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण), ठाणे द्वारा पारित तारीख 28 जुलाई, 2004 के उस आदेश और निर्णय को चुनौती देते हुए फइल की गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7

और 13(1)(घ) सपठित धारा 13(2) के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया था ।

2. शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) ने एक सहकारी समिति बनाई थी और सहकारी समिति वाडा खंड में विभिन्न कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग से संविदा कर रही थी । मई, 2001 में समिति को दिए गए कार्य पूर्ण हो चुके थे और बिल लंबित थे । 6 मास पश्चात् जब दोष दायित्व अवधि समाप्त हो गई, तो अभि. सा. 1 ने तारीख 26 दिसंबर, 2001 को प्रातः लगभग 10 बजे अभियुक्त से अपने बिल तैयार करने और उन्हें संदाय के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेजने के लिए संपर्क किया । उस समय अभियुक्त ने कहा कि यह काम हो जाएगा बशर्ते कि अभि. सा. 1 उसे 35,000/- रुपए दे जो कि रिश्वत थी । जब अभि. सा. 1 ने अभियुक्त को बताया कि वह आर्थिक तंगी में है, तो अभियुक्त ने किस्तों में रकम लेने पर सहमति व्यक्त की । अभि. सा. 1 को तारीख 28 दिसंबर, 2001 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 2 बजे के बीच 10,000/- रुपए लाने का निर्देश दिया गया था और आश्वासन दिया गया कि बिलों पर हस्ताक्षर करके मंजूरी हेतु भेज दिया जाएगा बशर्ते कि 10,000/- रुपए की रकम का संदाय कर दिया जाए और संदाय प्राप्त होने के तुरंत पश्चात् शेष राशि का संदाय कर दिया जाए । इसके पश्चात् अभि. सा. 1 ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया और तारीख 28 दिसंबर, 2001 को प्रातः करीब 8 बजे अभि. सा. 1 पंच गवाहों के साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यालय में उपस्थित हुआ । छापा मारने की औपचारिकताएं पूरी की गईं और 500/- रुपए के 20 करेंसी नोटों (चिह्नित करेंसी नोट) से लैस छापा मारने वाली टीम अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 (छाया पंच) के साथ लगभग 12 बजे छापेमारी के लिए निकल पड़ी ।

3. यह अभिकथन किया गया है कि जब अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 अभियुक्त के कार्यालय में पहुंचे तो अभि. सा. 1 ने अभियुक्त का अभिवादन किया लेकिन अभियुक्त ने, जो अन्य कार्य में व्यस्त था, उसे एक भावशून्य दृष्टि से देखा । इसके पश्चात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 अभियुक्त की मेज के पास पहुंचे पंच साक्षी (अभि. सा. 2) अभियुक्त की मेज के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया, जबकि अभि. सा. 1

वही खड़ा रहा । अभि. सा. 1 ने लंबित बिलों के विषय में उल्लेख किया और अभियुक्त ने उससे पूछा कि क्या वह अनुदेशित 10,000/- रुपए की राशि लाया है । जब अभि. सा. 1 ने सकारात्मक उत्तर दिया, तो अभियुक्त ने पैसे मांगे । अभि. सा. 1 ने अपनी जेब से चिह्नित करेंसी नोट निकाले और अभियुक्त को सौंप दिए, जिसको उसने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों और अंगूठे के बीच में लिया और मेज पर पड़े एक कागज़ पर रख दिया । इसके पश्चात् अभियुक्त ने उस नोट को दूसरे कागज़ से ढक दिया और फिर उसने बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए । अभि. सा. 1 तुरंत कार्यालय से बाहर गया और उसने सहमत संकेत दिया इसके तुरंत पश्चात् छापा मारने वाला दल अंदर आ गया और अभियुक्त को पकड़ लिया गया । तलाशी लेने पर सफेद कागज की शीट के नीचे मेज पर चिह्नित करेंसी नोट पाए गए । चिह्नित करेंसी नोटों की जांच की गई और छापा मारने से पूर्व पंचनामा से मिलान किया गया और अभियुक्त के दाहिने हाथ की उंगलियों और दाहिने हाथ के अंगूठे की जांच करने के पश्चात् उस पर एंथ्रेसीन पाउडर के निशान पाए गए । इसके उपरांत छापा मारने के बाद की प्रक्रियाएं पूरी की गईं और अपराध रजिस्ट्रीकृत करने के लिए वाडा पुलिस थाने को रिपोर्ट भेजी गई । अपराध रजिस्ट्रीकृत करके अन्वेषण प्रारंभ किया गया । तत्पश्चात् कथन अभिलिखित किए गए तथा मंजूरी मिलने के पश्चात् विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फ़ाइल किया गया । अभियुक्त ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । अपनी प्रतिरक्षा में अभियुक्त ने यह कथन किया कि उसने कभी रिश्वत नहीं मांगी थी । अभियुक्त ने कहा कि वास्तव में जब अभियुक्त ने अभि. सा. 1 के कार्यों का निरीक्षण किया तो यह पाया कि कार्य मानक से कम था और अभि. सा. 1 दूसरी सोसाइटी के कार्यों के लिए चैक से आहरण कर रहा था और जब अभियुक्त ने आपत्ति जताई तो अभि. सा. 1 ने उसे फंसाने का निर्णय लिया । छापा मारने वाले दिन जब अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 के साथ उसके कार्यालय में आया तो अभियुक्त ने उसे भी अनदेखा कर दिया और इसलिए अभि. सा. 1 ने अभियुक्त के समक्ष बिल रखे और उससे हस्ताक्षर करने को कहा । अभियुक्त ने कार्य स्थल पर संपन्न हुए कार्यों और उसके दोषों का सत्यापन किए बिना बिलों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया । चूंकि अभियुक्त अन्य कार्यालय फाइलों में व्यस्त

था, इसलिए अभि. सा. 1 ने चुपचाप कागज के नीचे रकम रख दी और कार्यालय से बाहर चला गया । जब छापा मारने वाला दल कार्यालय में आया तो अभियुक्त अपने नियमित कार्य में व्यस्त था और जब उसे छापा मारने वाले दल से रिश्वत के विषय में पता चला तो उसने मेज पर कागजों की तलाशी शुरू कर दी और जिस समय उसने कागज उठाए, तो उसे चिह्नित करेंसी नोट मिले और इसलिए उसके उंगलियों और अंगूठे की नोक पर एंथ्रेसीन पाउडर के निशान पाए गए । अभियुक्त के अनुसार रिश्वत की न तो कोई मांग की गई थी और न ही कोई रिश्वत स्वीकार की गई थी और उसे मिथ्या मामले में फंसाया जा रहा है ।

4. आरोप की संपुष्टि करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 4 साक्षियों की परीक्षा कराई । शिकायतकर्ता सुधाकर पठारे को अभि. सा. 1, छाया साक्षी अफरोज सिद्दीकी को अभि. सा. 2, अन्वेषण अधिकारी ए.वाई. राजेधरके को अभि. सा. 3 और मंजूरी प्राधिकारी नरेंद्र कवाडे को अभि. सा. 4 के रूप में प्रस्तुत किया गया ।

5. यद्यपि प्रतिरक्षा पक्ष ने मंजूरी आदेश में दोषों के बारे में मुद्दे उठाए, लेकिन मंजूरी देने वाले प्राधिकारी (अभि. सा. 4) ने स्वीकार किया कि उन्हें मंजूरी आदेश का मसौदा मिला था जिसमें उन्होंने मात्र हाथ से रिक्त स्थान भरे और उस पर हस्ताक्षर किए थे । विचारण न्यायालय ने ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है कि यह अवैध था । यद्यपि मुझे यह कहना चाहिए कि अभि. सा. 4 ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें मंजूरी आदेश का मसौदा मिला था लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने अन्वेषण के दस्तावेज का अध्ययन किया है तथा दस्तावेज का अध्ययन करने और अपने मस्तिष्क का उपयोग करने के पश्चात् वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह मंजूरी देने के लिए एक उपयुक्त मामला है । प्रतिरक्षा पक्ष ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है ।

6. मुझे यह ध्यान रखना चाहिए कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने जो कथन किया है, उसमें विरोधाभास है । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि जब वह छापे की तारीख को अभियुक्त के कार्यालय में पहुंचा, तो अभियुक्त मेज पर बैठा अपना कार्य कर रहा था और पंच साक्षी कुर्सी पर बैठ गया जबकि वह मेज के सामने खड़ा

था । लेकिन पंच साक्षी अभि. सा. 2 ने यह कहा है कि वे दोनों अभियुक्त की मेज के सामने कुर्सी पर बैठे थे । अभि. सा. 1 ने यह बताया कि जब उसने अभियुक्त से पूछा कि क्या उसने बिलों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अभियुक्त ने नकारात्मक उत्तर दिया और अभि. सा. 1 से पूछा कि क्या वह बताए अनुसार 10,000/- रुपए लाया है और जब अभि. सा. 1 ने सकारात्मक उत्तर दिया तो अभियुक्त ने कहा कि ठीक है और वह दो दिन पश्चात् देख लेगा । फिर जब अभि. सा. 1 ने अभियुक्त को बताया कि वह आर्थिक तंगी में है, तो अभियुक्त ने कहा कि ठीक है हम देखेंगे और अभि. सा. 1 से 10,000/- रुपए देने को कहा जो वह लाया था । इसके पश्चात् अभि. सा. 1 ने चिह्नित करेंसी नोट निकाले और उन्हें मोड़कर अभियुक्त के समक्ष रखा । अभियुक्त ने उसे अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों और अंगूठे से पकड़ लिया और मेज पर रख दिया । अभियुक्त ने चिह्नित करेंसी नोटों के ऊपर एक कोरा कागज भी रख दिया जिसके पश्चात् अभि. सा. 1 ने छापा मारने वाले दल को संकेत दिया । पंच साक्षी अभि. सा. 2 का कहना है कि जब वे अभियुक्त की मेज पर पहुंचे तो वह और अभि. सा. 1 दोनों कुर्सी पर बैठे हुए थे । उस समय अभियुक्त अपनी मेज की दराज में कुछ खोज रहा था और उसी समय अभि. सा. 1 ने अभियुक्त से पूछा कि उसके काम का क्या हुआ और अभियुक्त ने उत्तर दिया कि साहब ने हस्ताक्षर कर दिए हैं लेकिन उसके अपने हस्ताक्षर रह गए हैं और उसके पश्चात् अभियुक्त ने अभि. सा. 1 से 10,000/- रुपए के विषय में पूछा । अभियुक्त ने अभि. सा. 1 से कहा कि जब तक वह राशि का संदाय नहीं करता है, तब तक अभियुक्त बिल आगे नहीं बढ़ाएगा, यह ऐसी बात है जो अभि. सा. 1 ने नहीं कही थी । इसके बाद अभियुक्त ने रकम स्वीकार की और उसे मेज पर रखे कागज के पन्ने पर रख दिया और फिर चिह्नित नोटों को दूसरे कागज के पन्ने से ढक दिया और अभि. सा. 1 सहमत संकेत देने के लिए कार्यालय से बाहर चला गया । इसलिए, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्यों में ये दो अलग-अलग वृत्तांत हैं ।

7. अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि छापा मारने के पश्चात्

उसके बिलों से संबंधित दस्तावेज पर उसके समक्ष ही हस्ताक्षर किए गए थे । अभि. सा 1 ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त ने अपने बिलों सहित सभी दस्तावेज पर तब हस्ताक्षर किए थे, जब छापा मारने वाले दल ने उसके हाथ खुले छोड़ रखे थे और यह सब उसकी उपस्थिति में हुआ था । यहां तक कि अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 3) ने अपने साक्ष्य में यह बताया है कि छापा पूर्ण होने के पश्चात् जब यह पाया गया कि जो बिल संलग्न किए गए थे, उन पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं थे और पराबैंगनी प्रकाश में अभियुक्त के हाथों की जांच करने के पश्चात् अभियुक्त से हाथ धोने को कहा गया और उसके बाद अभियुक्त ने बिलों पर हस्ताक्षर किए । लेकिन पंच साक्षी (अभि. सा. 2) ने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त ने छापे के पश्चात् बिलों पर हस्ताक्षर किए थे । अभि. सा. 2 ने यह परिसाक्ष्य दिया है कि रिश्वत की राशि स्वीकार करने के बाद अभियुक्त ने बिलों पर हस्ताक्षर किए और फिर अभि. सा. 1 कार्यालय से चला गया ।

8. अभि. सा. 2 के अनुसार, अभियुक्त ने चिह्नित करेंसी नोट प्राप्त किए और उन्हें मेज पर रखकर कागज से ढक दिया, लेकिन अभि. सा. 1 ने यह नहीं कहा कि उसे किसी अन्य कागज के पन्ने पर रखा गया और फिर कागज से ढक दिया गया । विद्वान् सहायक लोक अभियोजक ने निष्पक्षता से स्वीकार किया है कि मेज पर रखे कागजों की जांच एन्थ्रेसीन के चिन्हों के लिए नहीं की गई थी ।

9. अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 3) मेज पर उस स्थान की पहचान करने में भी असमर्थ है जहां चिह्नित करेंसी पाई गई थी और वह मात्र इतना कहना चाहता है कि यह अभियुक्त के समक्ष मेज पर थी । अन्वेषण अधिकारी सटीक स्थान बताने में असमर्थ था कि यह मेज के कोने पर था या मेज के बाईं ओर या दाईं ओर था । अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया है कि मेज पर फाइलों का ढेर था । यह अत्यंत सुसंगत है क्योंकि प्रतिरक्षा पक्ष का पक्षकथन यह है कि अभियुक्त अपने कार्य में व्यस्त था और शिकायतकर्ता ने मेज पर रखे कागजों के नीचे नोट रख दिए होंगे, जबकि अभियुक्त को पता

भी नहीं था कि क्या हुआ है । साथ ही यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि अभियुक्त पूरे समय अपने आधिकारिक कार्य में व्यस्त था और उसने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया ।

10. अभि. सा. 1 के साक्ष्य में यह भी उल्लेख है कि इससे पहले भी अभियुक्त द्वारा बिलों का संदाय किया गया है, परन्तु उसने कभी भी किसी भी प्रकार के पैसे की मांग नहीं की ।

11. मैंने आक्षेपित निर्णय का परिशीलन करके साक्ष्यों पर विचार किया है तथा सुश्री देशमुख की बात भी सुनी है । मुझे आक्षेपित निर्णय में कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से गलत, स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण या प्रमाण्य रूप से असंतुलित नहीं लगता है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप को पुष्ट करने के लिए कुछ भी विद्यमान नहीं है ।

12. इस मामले में दोषमुक्ति की गई है और इसलिए अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा है । सर्वप्रथम दांडिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के अधीन अभियुक्त के लिए निर्दोषिता की धारणा उपलब्ध है अर्थात् यह कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए । दूसरे, अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा उसकी निर्दोषिता की धारणा को और प्रबलित, अभिपुष्ट और मजबूत किया गया है । अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए विचारण न्यायालय ने सही संप्रेक्षण किया है कि अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन साबित करने में विफल रहा है ।

13. इन परिस्थितियों में, मेरे विचार में विचारण न्यायालय के अभिनिर्धारण को अवैध या अनुचित या विधि के विपरीत नहीं माना जा सकता है । मेरे विचार में दोषमुक्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

14. अपील खारिज की जाती है ।

15. सरकार/सक्षम प्राधिकारी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को सभी पेंशन या अन्य लाभ/देय राशि का संदाय करेगा जो इस अपील के लंबित रहने के कारण रुकी हुई है । यदि सेवा के दौरान इस मामले को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त की पदोन्नति या वेतन वृद्धि प्रभावित हुई है, तो संबंधित प्राधिकारी/विभाग इस आधार पर संदाय की कार्यवाही करेगा और गणना करेगा कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला कभी अभिलेख पर था ही नहीं तथा अभियुक्त को मिलने वाली सभी पदोन्नति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखेगा और तद्नुसार सभी राशियों का संदाय 30 दिनों के भीतर किया जाएगा ।

30 दिनों के पश्चात् सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा ।

कोई भी प्राधिकारी उपरोक्त निर्देशानुसार लाभ/देय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रमाणित प्रति की मांग नहीं करेगा । सभी को इस आदेश की प्रमाणित प्रति पर कार्य करना है । प्रमाणित प्रति शीघ्र जारी की जाए ।

अपील खारिज की गई ।

जा./अस.

शिवपंडी

बनाम

तमिलनाडु राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक

[2020 की दांडिक अपील (मदुरई न्यायपीठ) सं. 253]

तारीख 1 अक्तूबर, 2024

न्यायमूर्ति सी. वी. कार्तिकेन और न्यायमूर्ति जे. सत्यनारायण प्रसाद

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 304, भाग-II [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 14] – हत्या अथवा हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – ज्ञान और आशय – अभियुक्त और मृतक के बीच अचानक कहासुनी होना – अभियुक्त द्वारा बाज़ार से चाकू खरीदा जाना – चाकू बेचने वाले से चाकू की शनाख्त न कराना – पहले अपीलार्थी पर मृतक द्वारा लाठी से वार किया जाना – मृतक द्वारा अपीलार्थी की गर्दन दबाया जाना – आत्मरक्षा के लिए वार किया जाना – अपीलार्थी का आशय किसी को मारने का नहीं था और जब मृतक ने पीछे मुड़कर अपीलार्थी के शरीर पर दबाव बनाया तब अपीलार्थी की गर्दन पर भी दबाव बन रहा था और इस स्थिति में अपीलार्थी को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि दूसरा वार मृतक की मृत्यु का कारण बनेगा, वास्तव में, मृतक ने उस पर लाठी से हमला किया था और यह मृतक ही था जिसने अपीलार्थी को हाथापाई के लिए ललकारा था और मृतक ही जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ा और इसके पश्चात् अपीलार्थी ने पीठ पर छुरा घोंपा, किन्तु यह क्षति मृत्यु का कारण नहीं थी, अपीलार्थी की गर्दन मृतक ने पकड़ रखी थी और अपीलार्थी को खुद को बचाना पड़ा और चाकू का वार भी इसलिए गहरा था कि अपीलार्थी के हाथ मृतक के शरीर के निकट थे, इस क्षति के कारित होने का एक मात्र कारण ये नहीं हो सकता कि अपीलार्थी द्वारा चाकू से वार किया गया है, इस स्थिति में अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन नहीं अपितु धारा 304, भाग-II के अधीन ही दोषसिद्ध किया जा सकता है ।

इस मामले में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 11 सितंबर, 2009 को दोपहर लगभग 2.30 बजे, जब अभियुक्त/अपीलार्थी और उसके दोस्त मारवापट्टी मुथलम्मन मंदिर के पास ताश खेल रहे थे, मृतक रंजीत कुमार वहां आया और बैठ गया और अन्य खिलाड़ियों में से एक, थंगाराजू को अभियुक्त के विरुद्ध सलाह देते हुए कहने लगा कि वह कार्ड मत रखो, यह कार्ड मत रखो । इससे अभियुक्त और रंजीत कुमार के बीच झगड़ा हो गया जिसके दौरान मृतक ने अभद्र भाषा का प्रयोग करके अभियुक्त को गालियां दीं और लकड़ी कि एक लाठी लेकर अभियुक्त पर हमला कर दिया । उस समय वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अलग कर दिया था । तब मृतक ने अभियुक्तों से कहा कि वे ग्राम के शमशान घाट में बरगद के पेड़ के पास आएं, जहां वे मुक्केबाज़ी (हाथापाई) कर सकते हैं । मृतक ने यह बात चीख कर कही । वे सभी अलग हो गए और चले गए । अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि बाद में, मृतक की हत्या करने के इरादे से अभियुक्त ने अंडिपट्टी से एक सूरी चाकू खरीदा । उसी दिन अर्थात् 11 सितंबर, 2009 को सायं 5.20 बजे, उसने मृतक रंजीत कुमार को, जो मारवापट्टी मुथलम्मन मंदिर के पास खड़ा था, चुनौती दी और उसे हाथापाई करने के लिए बुलाया । मृतक रंजीत कुमार ने जवाब दिया और शोर मचाते हुए आगे चल दिया, जबकि अभियुक्त उसका पीछा कर रहा था । वे मारवापट्टी शमशान में बरगद के पेड़ के उत्तर में, पालपंडी भूमि के पास और कंदासामी की भूमि की दीवार के पास गए । अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि सायं करीब 5.30 बजे, अभियुक्त ने मृतक रंजीत कुमार की पीठ और पेट के ऊपरी बाएं हिस्से पर चाकू से वार किया और बाएँ सीने के निचले हिस्से पर वार किया जिससे रक्त बहने लगा । मृतक रंजीत कुमार को के. विलक्कू सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, किन्तु सायं करीब 6.40 बजे रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई । इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने का आरोप लगाते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की । अंतिम रिपोर्ट को जिला मुंसिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंडिपट्टी द्वारा पी.आर.सी. संख्या 07/2010 के रूप में संज्ञान लिया गया । चूंकि आरोप केवल सेशन न्यायालय द्वारा ही

सुनवाई योग्य था, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207 के अधीन दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, मामला प्रधान जिला एवं सेशन न्यायालय, थेनी को सौंप दिया गया और सेशन मामला सं. 63/2010 के रूप में फाइल पर लिया गया । विद्वान् प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थेनी ने अभियुक्त से आरोपों पर पूछताछ की । उसने इससे इनकार किया । इसके पश्चात्, सेशन मामला सं. 63/2016 को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय (त्वरित न्यायालय), थेनी के समक्ष सुनवाई के लिए सौंप दिया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त/अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील भागतः मंजूर करते हुए

अभिनिर्धारित – इस मामले के तथ्य विवादित नहीं हैं । अपीलार्थी/शिवपंडी 11 सितंबर, 2009 को दोपहर लगभग 2.30 बजे पुलिस थाना अंडिपट्टी के अधिकार क्षेत्र में मारवापट्टी ग्राम में मुथलम्मन मंदिर के पास अपने मित्रों के साथ ताश खेल रहा था । उसी समय, मृतक वहां आया और खिलाड़ियों में से एक, थंगाराजू (अभि. सा. 9) से कहा कि वह ताश के उन पत्तों की चाल चले जिससे अपीलार्थी का खेल सीधे ही प्रभावित हो । इसके कारण अपीलार्थी और मृतक रंजीत कुमार के बीच झगड़ा हुआ । अभि. सा. 12 ने अपने साक्ष्य में यह कहा कि अभियुक्त ने 25 रुपए में एक चाकू खरीदा था । उसने तारीख नहीं बताई । दरअसल, अपनी परीक्षा की तारीख को वह कपड़े की दुकान चला रहा था । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बताया कि प्रतिवादी पुलिस ने उसे एक चाकू दिखाया और पूछा कि क्या वह उसकी दुकान से खरीदा गया था और उसने हां में जवाब दिया था । यद्यपि, न्यायालय में परीक्षा के दौरान, वह वस्तु अभि. सा. 12 को पहचान के लिए नहीं दिखाई गई । अभियोजन पक्ष ने चाकू को अभि. सा. 1 को दिखाया, जिसने उसे अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार के रूप में पहचाना । फिर उस पर तात्विक वस्तु-1 अंकित किया गया । किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे न तो अभि. सा. 12 को दिखाया गया, जिसने कथित तौर पर इसे अभियुक्त को बेचा था, और न ही इसकी शनाख्त अभि. सा. 11 द्वारा

कराई गई जो इसे अभिलिखित किए जाने के समय वहां मौजूद था । यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यद्यपि घटना 11 सितंबर, 2009 को हुई थी, अभि. सा. 1 की मुख्य परीक्षा लगभग 9 वर्ष बाद 5 सितंबर, 2018 को की गई थी । अपनी मुख्य परीक्षा में, अभि. सा. 1 ने बताया कि घटना के तुरंत बाद, उसने केवल अपने पुत्र को अस्पताल ले जाने पर ध्यान केंद्रित किया । 9 वर्ष बाद, उसके लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को याद रखना असंभव है । केवल दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं अर्थात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 । उन्हें पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है । उनकी मुख्य परीक्षा पहली बार 5 सितंबर, 2018 को हुई थी । उसके बाद, उन्हें प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुलाया गया और 21 मार्च, 2019 को प्रतिपरीक्षा की गई । न्यायालय का मानना है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश को विचारण की कार्यवाही के प्रवाह को और अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना चाहिए था और यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि महत्वपूर्ण साक्षियों की प्रतिपरीक्षा उनकी मुख्य परीक्षा दर्ज होने के तुरंत बाद की जाए और छह महीने से अधिक के अंतराल के बाद तो बिलकुल नहीं । किसी भी स्थिति में, मुख्य परीक्षा का साक्ष्य सुस्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाला है । इस प्रकार यह देखा गया है कि अपीलार्थी कभी भी हमलावर नहीं था । वह किसी भी अन्य खिलाड़ी की तरह केवल ताश खेल रहा था । यह मृतक ही था जो बिना बुलाए वहां आया और खिलाड़ियों में से एक अर्थात् थंगाराजू (अभि. सा. 9) को सलाह देने लगा कि कौन सा पत्ता रखना है और कौन सा नहीं रखना है । यह अपीलार्थी के हित के विरुद्ध था । आगामी झगड़े में, यह मृतक ही था जो हमलावर था जिसने एक लाठी निकाली और अपीलार्थी पर हमला किया । उनके अलग होने के बाद, यह मृतक ही था जिसने अपीलार्थी को सायं को बरगद के पेड़ के पास ग्राम के शमशान में हाथापाई के लिए आने की चुनौती दी । इसलिए, अपीलार्थी ने झगड़ा आरंभ नहीं किया था । वह हमलावर नहीं था । वास्तव में पहली घटना में उस पर लाठी से हमला किया गया था । इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अभि. सा. 1, न्यायालय द्वारा अपनाई गई कार्यवाही की प्रकृति को देखकर निश्चित रूप से बहुत भ्रमित हो गया होगा । जब उसने 5 सितंबर, 2018 को पहली बार साक्ष्य दिया तो

उसने अपने कथन में सटीक और स्पष्ट रूप से यह कहा था कि उसने घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा था । इसके पश्चात्, न्यायालय की कार्यवाही की प्रकृति ने उसे तब अभिभूत कर दिया होगा जब लगभग छह महीने बाद 1 मार्च, 2019 को उसे प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाया गया था और ग्यारह महीने बाद 6 फरवरी, 2020 को लोक अभियोजक द्वारा आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाया गया । प्रारंभिक मुख्य परीक्षा की तारीख से यह पर्याप्त समय अंतराल स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति, विशेष रूप से एक पिता, जिसने अपने पुत्र की मृत्यु का दुःख झेला है और जो बस यही चाहता है कि मामला जल्दी समाप्त हो जाए और जिसे तीन मौकों पर छह महीने के अंतराल पर न्यायालय आने का अनुभव हो, के मन में धुंधला गया होगा । इसलिए न्यायालय ने इन विसंगतियों को महत्वपूर्ण नहीं समझा । अभियोजन पक्ष ने राजेंद्रन (अभि. सा. 1) और मृतक के चाचा अर्थात् अभि. सा. 1 के भाई पांडी (अभि. सा. 2) के साक्ष्य का पूर्णतः अवलंब लिया था । यह ध्यान में रखना चाहिए कि मृतक की मां (अभि. सा. 5) जिसका नाम पप्पा है को पक्षद्रोही घोषित किया जा चुका है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2, मृतक और अभियुक्तों का 11 सितंबर, 2009 को सायं 5.20 बजे शमशान घाट की ओर जाते समय पीछा कर रहे थे । साक्ष्य में यह भी उल्लेख है कि मृतक आगे-आगे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हुए चल रहा था । उसका आशय आक्रामक होने का था । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के अनुसार भी, पीठ पर यह क्षति कारित होने के बाद, मृतक, जो पहले हमलावर था और जो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हुए आगे-आगे चल रहा था, ने पलटकर अपीलार्थी की गर्दन पकड़ ली । स्वाभाविक रूप से, अपीलार्थी की दम घुटने से मृत्यु होने की पूरी संभावना थी । इस अचानक हरकत में, अपीलार्थी ने मृतक के पेट में चाकू घोंप दिया था । मृतक के पलटकर अपीलार्थी की गर्दन पकड़ने की आक्रामक हरकत के कारण क्षति गहरी भी हो सकती थी, जिससे उसका शरीर अपीलार्थी के हाथों के बिल्कुल पास आ गया होगा । यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का आशय न तो किसी को मारने का था और जब मृतक ने पीछे मुड़कर अपीलार्थी के शरीर पर दबाव बनाया तब अपीलार्थी की गर्दन पर भी दबाव बन रहा था और इस स्थिति में अपीलार्थी को इस बात का कोई ज्ञान था कि दूसरा वार मृतक की मृत्यु का कारण बनेगा । अपीलार्थी कभी भी

हमलावर नहीं था । दोपहर 2.30 बजे हुए झगड़े में वह हमलावर नहीं था । वास्तव में, मृतक ने उस पर लाठी से हमला किया था । यह मृतक ही था जिसने अपीलार्थी को हाथापाई के लिए ललकारा था । यह मृतक ही था जो जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, जब अपीलार्थी ने पीठ पर छुरा घोंपा, किन्तु यह क्षति मृत्यु का कारण नहीं थी । जब मृतक ने अपीलार्थी की गर्दन पकड़ी हुई थी, तो स्वाभाविक रूप से, मृतक का शरीर अपीलार्थी के शरीर के करीब आ गया था और पेट की तरफ छुरा घोंपा गया होगा । किन्तु, इसमें मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं हो सकता क्योंकि यह पर्याप्त रूप से अचानक हुआ कृत्य था और मृतक द्वारा अपीलार्थी की गर्दन पकड़े जाने का परिणाम था । अपीलार्थी की गर्दन मृतक ने पकड़ रखी थी और अपीलार्थी को खुद को बचाना पड़ा और मृतक के पेट पर चाकू के वार का चिह्न था । चाकू का वार भी गहरा था और यह केवल इसलिए था कि अपीलार्थी के हाथ मृतक के शरीर के निकट थे । इस क्षति के कारित होने का मात्र कारण यह नहीं हो सकता कि अपीलार्थी द्वारा चाकू से वार किया गया है । हम, घटनाओं के सम्पूर्ण अनुक्रम का विश्लेषण करने पर, यह मानते हैं कि यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त निर्णय में निर्धारित तर्क और विनिश्चयाधार इस मामले के तथ्यों को पूरी तरह लागू होते हैं । इसलिए, न्यायालय ने यह माना है कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को रद्द किया जाना चाहिए और हम इसे रद्द करते हैं और इसके बजाय अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 304, भाग-II के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हैं । (पैरा 47, 49, 52, 51, 53, 59, 61, 64, 65, 67, 68, 70 और 71)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2022]	2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1424 = ए. आई. आर. 2022 एस. सी. 5034 : **राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक** बनाम **लाली और अन्य** ;	54,55
[2009]	(2009) 16 एस. सी. सी. 361 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2002 एस. सी. 262 : **फेलिक्स एम्ब्रोस डिसूजा** बनाम **कर्नाटक राज्य** ।	69

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2020 की दांडिक अपील (मदुरई न्यायपीठ) सं. 253.

2016 के सेशन विचारण मामला सं. 63 में विद्वान् अतिरिक्त जिला और सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), थेनी द्वारा तारीख 21 फरवरी, 2020 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री वी. इलनचेजियन

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. रवि (अपर लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सी. वी. कार्तिकेयन ने दिया ।

न्या. कार्तिकेयन – सेशन विचारण मामला सं. 63/2016 में के अभियुक्त ने वर्तमान दांडिक अपील विद्वान् अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), थेनी के उस निर्णय और आदेश से व्यथित होकर फाइल की है जो तारीख 21 फरवरी, 2020 को पारित किया गया था और जिसके अनुसार अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने से जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त एक वर्ष के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया ।

2. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 11 सितंबर, 2009 को दोपहर लगभग 2.30 बजे, जब अभियुक्त/अपीलार्थी और उसके दोस्त मारवापट्टी मुथलम्मन मंदिर के पास ताश खेल रहे थे, मृतक रंजीत कुमार वहां आया और बैठ गया और अन्य खिलाड़ियों में से एक, थंगाराजू को अभियुक्त के विरुद्ध सलाह देते हुए कहने लगा कि वह कार्ड मत रखो, यह कार्ड मत रखो । इससे अभियुक्त और रंजीत कुमार के बीच झगड़ा हो गया जिसके दौरान मृतक ने अभद्र भाषा का प्रयोग करके अभियुक्त को गालियां दीं और लकड़ी कि एक लाठी लेकर अभियुक्त पर हमला कर दिया । उस समय वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अलग कर दिया था । तब मृतक ने अभियुक्तों से कहा कि वे ग्राम के शमशान घाट में बरगद के पेड़ के पास आएं, जहां वे मुक्केबाज़ी (हाथापाई) कर सक्ते हैं । मृतक ने यह बात चीख कर कही । वे सभी अलग हो गए और चले गए ।

3. अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि बाद में, मृतक की हत्या करने के इरादे से अभियुक्त ने अंडिपट्टी से एक सूरी चाकू खरीदा । उसी दिन अर्थात् 11 सितंबर, 2009 को सायं 5.20 बजे, उसने मृतक रंजीत कुमार को, जो मारवापट्टी मुथलम्मन मंदिर के पास खड़ा था, चुनौती दी और उसे हाथापाई करने के लिए बुलाया । मृतक रंजीत कुमार ने जवाब दिया और शोर मचाते हुए आगे चल दिया, जबकि अभियुक्त उसका पीछा कर रहा था । वे मारवापट्टी शमशान में बरगद के पेड़ के उत्तर में, पालपंडी भूमि के पास और कंदासामी की भूमि की दीवार के पास गए । अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि सायं करीब 5.30 बजे, अभियुक्त ने मृतक रंजीत कुमार की पीठ और पेट के ऊपरी बाएं हिस्से पर चाकू से वार किया और बाएं सीने के निचले हिस्से पर वार किया जिससे रक्त बहने लगा । मृतक रंजीत कुमार को के. विलक्कू सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, किन्तु सायं करीब 6.40 बजे रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई ।

4. इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने का आरोप लगाते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की । अंतिम रिपोर्ट को जिला मुंसिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंडिपट्टी द्वारा पी.आर.सी. सं. 07/2010 के रूप में संज्ञान लिया गया । चूंकि आरोप केवल सेशन न्यायालय द्वारा ही सुनवाई योग्य था, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207 के अधीन दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, मामला प्रधान जिला एवं सेशन न्यायालय, थेनी को सौंप दिया गया और सेशन मामला संख्या 63/2010 के रूप में फाइल पर लिया गया । विद्वान् प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थेनी ने अभियुक्त से आरोपों पर पूछताछ की । उसने इससे इनकार किया । इसके पश्चात्, सेशन मामला सं. 63/2016 को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय (त्वरित न्यायालय), थेनी के समक्ष सुनवाई के लिए सौंप दिया गया ।

5. इसके पश्चात् अभियोजन पक्ष को कानून द्वारा ज्ञात तरीके से आरोपों को साबित करने के लिए कहा गया । अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से अभि. सा. 21 तक के साक्षियों से पूछताछ की और प्रदर्श-1 से प्रदर्श-14 तक अंकित किए तथा अभि. सा. 1 से अभि. सा. 8 तक के

साक्षी पेश किए । विचारण की समाप्ति पर, अभियुक्त के समक्ष अपराधजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और उसका कथन अभिलिखित किया गया । अभियुक्त ने न तो कोई साक्षी प्रस्तुत किया और न ही कोई प्रदर्श अंकित किया ।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर, विद्वान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) थेनी ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास और 5,000/- रुपए के जुर्माने जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया । रिमांड की अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 के अंतर्गत कारावास की अवधि में समायोजित करने का निदेश दिया गया था । अपील फाइल करने की अवधि समाप्त होने या अपील के निपटारे के बाद तात्विक वस्तुओं को नष्ट करने का निदेश दिया गया था । उक्त दोषसिद्धि और दंडादेश पर प्रश्न उठाते हुए, अभियुक्त ने वर्तमान अपील फाइल की है ।

7. जैसा कि बताया गया है, अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से अभि. सा. 21 तक 21 साक्षियों की परीक्षा कराई ।

8. अभि. सा. 1, जिसने शिकायत (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई थी, मृतक रंजीत कुमार का पिता था । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त और मृतक के बीच उस झगड़े के बारे में बताया जब अभियुक्त 11 सितंबर, 2009 को दोपहर करीब 2.00 बजे अपने ग्राम मारवापट्टी में मुथलम्मन मंदिर के पास अपने मित्रों के साथ ताश खेल रहा था । उसने कहा कि उसे इस झगड़े की सूचना सायं को 5.00 बजे मिली, जब वह अंडिपट्टी में अपना काम समाप्त करके अपने घर की ओर जा रहा था । जब वह अपने घर में बैठा था, अभियुक्त आया और मृतक को ग्राम के शमशान में आकर हाथापाई करने के लिए बुलाया । इसके पश्चात् अभियुक्त और मृतक दक्षिण दिशा की ओर चले गए । साक्षी अभि. सा. 1 के साथ अभि. सा. 2 पांडी, अभि. सा. 3, सुरेश, अभि. सा. 4, पालपांडी और अन्य, अर्थात् पांडी, सोट्टाई अलगुमलाई ने 20 फीट की दूरी से उनका पीछा किया ।

9. इस साक्षी ने आगे यह कहा कि उस समय अभियुक्त चिल्लाया, "अब मरो" और मृतक की पीठ में छुरा घोंप दिया । उसने आगे यह साक्ष्य दिया कि मृतक ने फिर पलटकर अभियुक्त की गर्दन पकड़ ली । उस समय अभियुक्त ने मृतक के पेट में और छुरा घोंपा । इसके पश्चात् मृतक गिर पड़ा । वहां आए हुए और घटना के साक्षी बने लोगों ने अभियुक्त का पीछा किया, किन्तु वह भाग गया । अभि. सा. 1 ने आगे यह बताया कि उसने अपने पुत्र को वहां आए एक ऑटो में बिठाया और पुलिस थाना अंडिपट्टी गया । इसके पश्चात्, एम्बुलेंस आई और उसके पुत्र को के. विलक्कु अस्पताल ले गई । उस समय, चिकित्सक ने बताया कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है ।

10. अभि. सा. 1 ने आगे यह बताया कि इसके पश्चात् उसने पुलिस थाना अंडिपट्टी में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी शनाख्त उसने प्रदर्श पी-1 के रूप में की । उसने अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किए गए चाकू की भी शनाख्त तात्विक वस्तु-1 के रूप में की । उसने बताया कि शवपरीक्षा के बाद, शव उसे सौंप दिया गया और परिवार के सदस्यों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया ।

11. इस साक्षी की मुख्य परीक्षा 5 सितंबर, 2018 को कराई गई । प्रतिपरीक्षा 1 मार्च, 2019 को की गई ।

12. अभि. सा. 1 से प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह बताया कि वह अंडिपट्टी बाजार में सब्जी की दुकान चलाता है । उसकी पत्नी भी वहां सब्ज़ी की दुकान चलाती थी । इस साक्षी ने बताया कि उसने सिर्फ़ अभियुक्त और मृतक के बीच ताश खेलते समय हुए झगड़ों के बारे में सुना था । उसने आगे बताया कि अपने पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराने और पुत्र की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद, रात लगभग 9:00 से 9:30 बजे के बीच, वह पुलिस थाने गए । फिर पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की । उसने एक वकील से शिकायत लिखवाई थी और उसने उस पर हस्ताक्षर भी किए थे ।

13. प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने आगे बताया कि जब उसने सायंकाल अपने पुत्र को देखा, तो वह कंदासामी की भूमि के पास सड़क पर मृत पड़ा हुआ था । उसने पुष्टि की कि जब उसने दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 164 के अधीन अपना बयान दर्ज कराया था, तब उसने यह बताया था कि उसके पुत्र ने उसे आवाज लगाई थी और अपीलार्थी ने उसके पुत्र को दो बार चाकू मारा था । उसने अभियुक्त और उसके पुत्र को एक ऑटो में बिठाया और रास्ते में अभियुक्त को पुलिस थाना अंडिपट्टी पर छोड़ दिया और फिर अपने पुत्र को के. विलक्कू के सरकारी अस्पताल ले गया ।

14. अभि. सा. 1 ने इस बात से इनकार किया कि मृतक की हत्या के लिए अभियुक्तों को उकसाने वाले अन्य लोग भी थे । उसने यह भी कहा कि उसने पहले पुलिस के समक्ष एक कथन किया था और बाद में एक और कथन किया था । उसने इस बात से विशेष रूप से इनकार किया है कि उस पर दो अन्य व्यक्तियों, मूर्ति और सेल्वाकुमार, जो औंदीपट्टी में सब्जी मंडी को नियंत्रित करते थे, को न फंसाने का दबाव था । उसने इस बात से भी इनकार किया कि एक पंचायत हुई थी और पुलिस ने उपरोक्त दो व्यक्तियों के नाम हटा दिए थे । उसने इस बात से भी इनकार किया कि जिस समय घटना घटित हुई, मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा उल्लिखित अन्य लोग उसके पीछे शमशान घाट नहीं गए थे, जहां अभियुक्त और मृतक के बीच हाथापाई होने वाली थी । उसने यह भी कहा कि उपरोक्त मूर्ति ने मृतक को एक मुक्का भी मारा और जब वह गिरने ही वाला था, तब उसने मृतक को पकड़ लिया ।

15. अभियोजन पक्ष ने, पांडी (अभि. सा. 2) जो अभि. सा. 1 का बड़ा भाई था, की भी परीक्षा कराई । अपनी मुख्य परीक्षा में, उसने उस झगड़े के बारे में अपनी जानकारी बताई जो दोपहर 02.00 बजे अभियुक्त और मृतक के बीच हुआ था और उस समय अभियुक्त ताश खेल रहा था । इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने सायंकाल अभियुक्त और मृतक दोनों का पीछा किया, जब वे हाथापाई के लिए शमशान जा रहे थे । उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अभियुक्त को मृतक की पीठ में छुरा घोंपते हुए देखा था और मृतक ने मुड़कर अभियुक्त की गर्दन पकड़ ली और उस समय, अभियुक्त ने मृतक के पेट में फिर से छुरा घोंपा और मृतक गिर गया । इस साक्षी ने आगे यह कहा है कि वहां मौजूद सभी लोगों ने अभियुक्त को भगा दिया । उसने

आगे कहा कि अभि. सा. 1 मृतक को एक ऑटो में ले गया था और बाद में, एक एम्बुलेंस आई और मृतक को के. विलक्कु सरकारी अस्पताल ले गई । उसे बताया गया कि मृतक की मृत्यु हो गई है ।

16. यह बताना उचित है कि मुख्य परीक्षा 5 सितंबर, 2018 को कराई गई थी और प्रतिपरीक्षा 2 मार्च, 2019 को की गई थी ।

17. प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने यह बताया कि उसे साक्ष्य देने के लिए धमकाया गया था, जैसा कि उसने मुख्यपरीक्षा में कहा था । उसने बताया कि उसे किसी भी घटना की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी और वह मृतक के शव को अस्पताल ले जाने के बाद वहां गया था ।

18. अभियोजन पक्ष ने पप्पा अर्थात् मृतक की मां (अभि. सा. 5) की भी परीक्षा कराई । उसे किसी भी घटना की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी और उसने कहा कि उसने केवल इसके बारे में सुना था । फिर उसकी प्रतिपरीक्षा की गई और उसने फिर दोहराया कि उसे दोपहर 2 बजे हुए झगड़े या उसके बाद की घटनाओं, जिसके कारण सायं को उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी । न्यायालय द्वारा उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किए जाने के बाद उसे तारीख 9 अक्तूबर, 2018 को एक बार फिर से बुलाया गया और उसकी परीक्षा कराई गई ।

19. किन्तु, अभि. सा. 1 या अभि. सा. 2 में से किसी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में न तो उस समय उसकी उपस्थिति का उल्लेख किया जब ताश खेलते समय विवाद हुआ था और न ही उस सायंकाल का कोई उल्लेख है जब घटना घटित हुई और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई । इस प्रकार, यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष ने मुख्यतः अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के साक्ष्यों का ही अवलंब लिया ।

20. अभि. सा. 1 की मुख्य परीक्षा तारीख 5 सितंबर, 2018 को कराई गई और तारीख 1 मार्च, 2019 को पुनः बुलाए जाने पर उसकी प्रतिपरीक्षा की गई थी । यद्यपि प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने विरोधाभासी बयान दिए थे, फिर भी मूलतः उसने अभियुक्त द्वारा मृतक को चाकू मारने की घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने के बारे में बताया था, अर्थात् पहले पीठ पर और बाद में, जब मृतक ने मुड़कर अभियुक्त की गर्दन पकड़ी,

तो दूसरी बार, पेट पर वार किया गया था । मृतक को अस्पताल कैसे ले जाया गया, इस बारे में उसका आगे का कथन, अभि. सा. 2 द्वारा दिए गए विवरण से भिन्न था ।

21. अभियोजन पक्ष ने सुरेश (अभि. सा. 3) की भी परीक्षा कराई । उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया था और उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया ।

22. इसी प्रकार, पालपंडी (अभि. सा. 4) को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया था ।

23. अभियोजन पक्ष ने बालू (अभि. सा. 6) की भी परीक्षा कराई और इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया था ।

24. अभियोजन पक्ष ने राजेंद्रन (अभि. सा. 7) की भी परीक्षा कराई जिसने ताश खेलते समय हुई घटना के बारे में तो बताया, किन्तु उस अपराध के बारे में नहीं बताया जिसके लिए अपीलार्थी पर आरोप विरचित किया गया था ।

25. अभियोजन पक्ष ने पांडी (अभि. सा. 8) की भी परीक्षा कराई, जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था ।

26. अभियोजन पक्ष ने थंगाराजू (अभि. सा. 9) की भी परीक्षा कराई, जिसने केवल ताश खेलते समय घटित हुई घटना के बारे में ही बताया ।

27. अभियोजन पक्ष ने माधवन (अभि. सा. 10) की भी परीक्षा कराई जिसने बताया कि उसे उस अपराध के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है जिसके लिए अपीलार्थी को आरोपित किया गया था ।

28. अभियोजन पक्ष ने विजयन (अभि. सा. 11) जो ग्राम प्रशासनिक अधिकारी है और अभियुक्त की गिरफ्तारी और अभियुक्त के संस्वीकृति कथन अभिलिखित किए जाने का साक्षी है की परीक्षा कराई । वह तैयार किए गए महाजर प्रदर्श पी-3 का साक्षी है और इस साक्षी ने अभियुक्त की बरामद की गई रक्तरंजित कमीज (तात्विक वस्तु-2) और रक्तरंजित लुंगी (तात्विक वस्तु-3) की शनाख्त की है ।

29. अभियोजन पक्ष ने गुसामी (अभि. सा. 12) की परीक्षा कराई है

जो कपड़े का व्यवसाय करता है । घटना के समय, वह एक पुराने लोहे की दुकान चला रहा था । उसने दावा किया कि वह अभियुक्त को नहीं जानता था । उसने दावा किया कि अभियुक्त ने 25 रुपए में एक चाकू खरीदा था और प्रतिवादी पुलिस ने उसे चाकू दिखाया था और उससे पूछा था कि क्या यह उसकी दुकान से खरीदा गया था और उसने हां में जवाब दिया । न तो प्रतिपरीक्षा के दौरान और न ही मुख्य परीक्षा के समय चाकू (तात्विक वस्तु-1) साक्षी को पहचान के लिए दिखाया गया ।

30. अभियोजन पक्ष ने, गांधी (अभि. सा. 13) जो अवलोकन महाजर (प्रदर्श पी-4) और रक्त-रंजित रेत, रक्त-रहित रेत और एक जोड़ी चप्पल की बरामदगी का साक्षी है, की परीक्षा कराई । ऐसी बरामदगी के लिए महाजर (प्रदर्श पी-5) तैयार किया गया और रक्त-रंजित रेत, रक्त-रहित रेत और एक जोड़ी चप्पल पेश की गईं और उनकी पहचान तात्विक वस्तु-4, तात्विक वस्तु-5 और तात्विक वस्तु-6 के रूप में की गई ।

31. अभियोजन पक्ष ने थंगादुरई (अभि. सा. 14) की भी परीक्षा कराई, जो मदुरै स्थित क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी थे और जिन्होंने प्रमाणपत्र, प्ररूप-पी-6 जारी किया था, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा बरामद की गई तात्विक वस्तुओं में मौजूद रक्त का विश्लेषण किया गया था । उन्होंने जारी किए गए प्रमाणपत्र अर्थात् प्ररूप-पी-7 की भी पहचान की, जिसमें उन्होंने कहा था कि तात्विक वस्तुओं में पाया गया रक्त, 'B' ग्रुप वाला मानव रक्त था ।

32. अभियोजन पक्ष ने मृतक के शव की शवपरीक्षा करने वाली चिकित्सक, डॉ. जुलियाना जयंती (अभि. सा. 15) की भी परीक्षा कराई । मृतक के शव पर निम्नलिखित क्षतियां पाई गईं :–

> "(1) 2 से.मी. x 1.5 से.मी. x 6 से.मी. आकार का एक छुरा घाव बाएं निप्पल से 8 से.मी. नीचे और मध्य रेखा से 6 से.मी. दूर देखा गया ।
>
> (2) दाहिनी ओर पीठ पर 3.75 से.मी. x 2 से.मी. x 8 से.मी. आकार का एक छुरा घाव, दाहिनी कूल्हे की अस्थि से 3 से.मी. ऊपर और मध्य रेखा से 6 से.मी. दूर दिखाई देता है ।

(3) दाहिनी आंख के पार्श्व भाग पर 4 से.मी. x 2 से.मी. आकार का घर्षण देखा गया ।

(4) नाक के दाहिने हिस्से पर 0.5 से.मी. x 0.5 से.मी. आकार का घर्षण देखा गया ।

(5) दाहिनी आंख के नीचे 3 कील के चिह्न देखे गए (2 से.मी. x 0.25 से.मी., 1 से.मी. x 0.25 से.मी. और 0.5 से.मी. x 0.25 से.मी.)

6) दाहिनी ओर निचले होंठ के नीचे 0.25 से.मी. x 0.25 से.मी. आकार का घर्षण दिखाई देता है ।

33. अभि. सा. 15 ने अपनी राय (प्रदर्श पी-13) में यह कहा है कि मृतक की मृत्यु क्षति संख्या 1 और उसकी जटिलताओं के कारण हुई प्रतीत होती है । राय में यह उल्लेख किया गया कि क्षति तिरछी होकर ऊपर और अंदर की ओर जाती है तथा हृदय की अंतर्निहित मांसपेशियों, वाहिकाओं, तंत्रिकाओं और बाएं आलिंद को छेदती है ।

34. इसके पश्चात् अभियोजन पक्ष ने प्रभु (अभि. सा. 16) की परीक्षा कराई, जो महाजर प्रदर्श पी-5 के अनुसार तात्विक वस्तुओं की पुनः बरमदगी का साक्षी भी है ।

35. अभियोजन पक्ष ने न्यायालयिक जांच के लिए तात्विक वस्तुओं को अग्रेषित करने के लिए वसंती (अभि. सा. 17), जो थेनी में जिला और सेशन न्यायालय में स्टेनो थी, की भी परीक्षा कराई ।

36. अभियोजन पक्ष ने डॉ. बिरला (अभि. सा. 18) की भी परीक्षा कराई, जिन्होंने सबसे पहले थेनी के सरकारी अस्पताल और कॉलेज में मृतक की जांच की थी ।

37. अभियोजन पक्ष ने अलगुमलाई (अभि. सा. 19) की भी परीक्षा कराई, जो 12 सितंबर, 2009 को औंदीपट्टी पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल था और जो पूछताछ के दौरान मौजूद था और उसके बाद, उसने शव को शव-परीक्षा के लिए भेज दिया था और बाद में मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार के सदस्यों को सौंप दिया था ।

38. अभियोजन पक्ष ने पुलिस उपनिरीक्षक, मुथु प्रेमचंद (अभि. सा. 20) की भी परीक्षा कराई, जिन्होंने राजेंद्रन (अभि. सा. 1), द्वारा तारीख 11 सितंबर, 2009 को रात्रि 9:00 बजे शिकायत प्राप्त की थी और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 552/2009 दर्ज की थी । इसके पश्चात् उन्होंने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और शिकायत को एक्सप्रेस टपल के माध्यम से अंडिपट्टी स्थित मजिस्ट्रेट न्यायालय को भेज दिया था ।

39. अभियोजन पक्ष ने अंततः गोपीनाथ पांडियन (अभि. सा. 21) की तारीख 11 सितंबर, 2009 को प्रतिपरीक्षा की, जो अंडिपट्टी के सर्किल निरीक्षक थे । उन्होंने अभि. सा. 20 द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दर्ज प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 552/2009 का अन्वेषण संभाला । वह रात 10.15 बजे घटना स्थल पर गए और प्रभु (अभि. सा. 16) और गांधी (अभि. सा. 13) की उपस्थिति में अवलोकन महाजर, प्रदर्श-पी 11 तैयार किया । इसके पश्चात् उन्होंने रक्तरंजित रेत (तात्विक वस्तु-4), रक्तरहित रेत (तात्विक वस्तु-5) और चप्पल की जोड़ी (तात्विक वस्तु-6) बरामद किए । इसके पश्चात् उन्होंने मृतक के शव की रात 11.45 बजे के. विलक्कु सरकारी अस्पताल और कॉलेज में पंचायतरों की उपस्थिति में जांच की । उन्होंने शव-परीक्षा रिपोर्ट, प्रदर्श-पी 13 प्राप्त की ।

40. इसके पश्चात् अभि. सा. 21 ने फिर राजेंद्रन (अभि. सा. 1), सुरेश (अभि. सा. 3) (पक्षद्रोही घोषित), पालपंडी (अभि. सा. 4) (पक्षद्रोही घोषित), अलगुमलाई (परीक्षा नहीं हुई), पांडी (परीक्षा नहीं हुई), पप्पा (अभि. सा. 5) (पक्षद्रोही घोषित), कविता (परीक्षा नहीं हुई), बालू (अभि. सा. 6) (पक्षद्रोही घोषित), मुथु कन्नन (परीक्षा नहीं हुई), राजेंद्रन (अभि. सा. 7), पांडी (अभि. सा. 8) (पक्षद्रोही घोषित), थंगाराजू (अभि. सा. 9), प्रभु (अभि. सा. 16), गांधी (अभि. सा. 13), डॉ. बिरला (अभि. सा. 18), ग्रेड-1 पुलिस, रामराज (परीक्षा नहीं हुई) और पुलिस उपनिरीक्षक, मुथु प्रेमचंद (अभि. सा. 20) के बयान अभिलिखित किए ।

41. इसके पश्चात् उन्होंने 14 सितंबर, 2009 को प्रातःकाल 11.15 बजे कुप्पमपट्टी रोड जंक्शन में विजयन (अभि. सा. 11) और

अमावसाई (जिनकी परीक्षा जांच नहीं कराई गई) की मौजूदगी में अभियुक्त को गिरफ्तार किया । उन्होंने अभियुक्त का संस्वीकृति कथन अभिलिखित किया और चाकू (तात्विक वस्तु-1), रक्तरंजित कमीज (तात्विक वस्तु-2), और रक्तरंजित पैंट (तात्विक वस्तु -7) बरामद की । इसके पश्चात् उन्होंने इन तात्विक वस्तुओं को न्यायालयिक जांच किए जाने के लिए मजिस्ट्रेट न्यायालय में भेज दिया । इसके पश्चात् उन्होंने गुरुसामी (अभि. सा. 12), माधवन (अभि. सा. 10), अमावसाई (जिनकी जांच नहीं की गई) और विजयन (अभि. सा. 11) के बयान अभिलिखित किए । उन्होंने थेनी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष राजेंद्रन (अभि. सा. 1), पप्पा (अभि. सा. 5) और कविता (जिनकी जांच नहीं की गई) के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किए जाने के लिए एक आवेदन फाइल किया ।

42. अभि. सा. 21 ने डॉ. जुलियाना जयंती (अभि. सा. 15) की भी परीक्षा कराई, जिन्होंने शवपरीक्षा की और उनका बयान दोबारा अभिलिखित किया । उन्होंने हेड कांस्टेबल अलगुमलाई (अभि. सा. 19) का भी बयान अभिलिखित किया । उन्होंने राजेंद्रन (अभि. सा. 1), पप्पा (अभि. सा. 5) (पक्षद्रोही घोषित) और कविता (जिनकी जांच नहीं की गई) के बयान अभिलिखित किए । उन्होंने मदुरई की क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिक अधिकारी थंगादुरई (अभि. सा. 14) का भी बयान अभिलिखित किया । इसके पश्चात् उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सुरेश (अभि. सा. 3) (पक्षद्रोही घोषित), पालपंडी (अभि. सा. 4) (पक्षद्रोही घोषित), अलगुमलाई (जिनकी जांच नहीं की गई) और पांडी (अभि. सा. 8) (पक्षद्रोही घोषित) के कथन अभिलिखित करने के लिए एक और आवेदन फाइल किया । उन्होंने उक्त साक्षियों के आगे के बयान अभिलिखित किए । उन्होंने साक्षी अन्नाकोडी (जिनकी परीक्षा नहीं कराई गई) और मूर्ति (जिनकी परीक्षा नहीं कराई गई) के बयान भी अभिलिखित किए । अन्वेषण पूरा करने के बाद, उन्होंने जिला मुंसिफ-न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंडिपट्टी के न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए आरोपित करते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

43. विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान प्राथमिक मामला सं. 07/2010 के रूप में लिया । उन्होंने अभियुक्तों को

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207 के अंतर्गत दस्तावेजों की निःशुल्क प्रतियां प्रदान कीं । चूंकि अपराध केवल सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणीय था, इसलिए उन्होंने मामले को थेनी स्थित प्रधान जिला एवं सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया । यह मामला, सेशन मामला सं. 63/2016 के रूप में दर्ज किया गया ।

44. अभियुक्त के विरुद्ध केवल दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए आरोप विरचित किया गया । तत्पश्चात्, विद्वान् प्रधान जिला सेशन न्यायाधीश, थेनी ने सेशन मामलों को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय (त्वरित न्यायालय), थेनी को सुनवाई के लिए सौंप दिया । सुनवाई समाप्त होने पर, अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया । तारीख 21 फरवरी, 2020 के निर्णय द्वारा, अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया और आजीवन कारावास तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने से जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया । रिमांड की अवधि को दंड संहिता की धारा 428 के अंतर्गत कारावास की अवधि में से कम किए जाने का निदेश दिया गया । उक्त निर्णय को वर्तमान दांडिक अपील में चुनौती दी गई है ।

45. अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री वी. इलांचेजियन और प्रतिवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री एस. रवि द्वारा दी गई दलीलें सुनी गईं ।

46. इस मामले में निर्धारित किया जाने वाला बिन्दु यह है कि क्या दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम रखा जाए या संशोधित किया जाए या रद्द किया जाए ।

47. इस मामले के तथ्य विवादित नहीं हैं । अपीलार्थी/शिवपंडी 11 सितंबर, 2009 को दोपहर लगभग 2.30 बजे पुलिस थाना अंडिपट्टी के अधिकार क्षेत्र में मारवापट्टी ग्राम में मुथलम्मन मंदिर के पास अपने मित्रों के साथ ताश खेल रहा था । उसी समय, मृतक वहां आया और

खिलाड़ियों में से एक, थंगाराजू (अभि. सा. 9) से कहा कि वह ताश के उन पत्तों की चाल चले जिससे अपीलार्थी का खेल सीधे ही प्रभावित हो । इसके कारण अपीलार्थी और मृतक रंजीत कुमार के बीच झगड़ा हुआ ।

48. आरोप में भी यह कहा गया है कि मृतक रंजीत कुमार ने अपीलार्थी के साथ गंदी भाषा का प्रयोग किया और लकड़ी की लाठी से हमला किया । उस समय, वहां मौजूद लोगों ने मृतक को अभियुक्त पर और हमला करने से रोका । आरोप में यह भी है कि मृतक ने ही अपीलार्थी को बरगद के पेड़ के पास ग्राम के शमशान घाट पर आने की चुनौती दी थी और कहा था कि वह और अपीलार्थी उस जगह पर हाथापाई कर सकते हैं । आरोप में यह भी कहा गया है कि मृतक रंजीत कुमार ने ये शब्द ऊंची आवाज में कहे थे (मूल भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है....संपादक) । अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि इसके पश्चात् मृतक की हत्या करने के आशय से अपीलार्थी ने अंडिपट्टी में गुरुसामी (अभि. सा. 12) से एक चाकू खरीदा था, जो उस समय लोहे के कबाड़ की दुकान चलाता था ।

49. अभि. सा. 12 ने अपने साक्ष्य में यह कहा कि अभियुक्त ने 25/- रुपए में एक चाकू खरीदा था । उसने तारीख नहीं बताई । दरअसल, अपनी परीक्षा की तारीख को वह कपड़े की दुकान चला रहा था । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बताया कि प्रतिवादी पुलिस आई और उसे एक चाकू दिखाया और पूछा कि क्या वह उसकी दुकान से खरीदा गया था और उसने हां में जवाब दिया था । यद्यपि, न्यायालय में परीक्षा के दौरान, वह वस्तु अभि. सा. 12 को पहचान के लिए नहीं दिखाई गई ।

50. चाकू (तात्विक वस्तु-1) अपीलार्थी के संस्वीकृति कथन के बाद, 14 सितंबर, 2009 को उसकी गिरफ्तारी के समय बरामद किया गया था । यह विजयन (अभि. सा. 11) और अमावसाई (जिनकी परीक्षा नहीं कराई गई) की उपस्थिति में बरामद किया गया था । अभि. सा. 11 को उसकी मुख्य परीक्षा में रक्तरंजित कमीज (तात्विक वस्तु-2) और लुंगी (तात्विक वस्तु-3) दिखाई गई थी । चाकू (तात्विक वस्तु-1), विजयन (अभि. सा. 11) को नहीं दिखाया गया था ।

51. अभियोजन पक्ष ने चाकू को अभि. सा. 1 को दिखाया, जिसने

उसे अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार के रूप में पहचाना । फिर उस पर तात्विक वस्तु-1 अंकित किया गया ।

52. किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे न तो अभि. सा. 12 को दिखाया गया, जिसने कथित तौर पर इसे अभियुक्त को बेचा था, और न ही इसकी शनाख्त अभि. सा. 11 द्वारा कराई गई जो इसे अभिलिखित किए जाने के समय वहां मौजूद था ।

53. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यद्यपि घटना 11 सितंबर, 2009 को हुई थी, अभि. सा. 1 की मुख्य परीक्षा लगभग 9 वर्ष बाद 5 सितंबर, 2018 को की गई थी । अपनी मुख्य परीक्षा में, अभि. सा. 1 ने बताया कि घटना के तुरंत बाद, उसने केवल अपने पुत्र को अस्पताल ले जाने पर ध्यान केंद्रित किया । 9 वर्ष बाद, उसके लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को याद रखना असंभव है ।

54. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक** बनाम **लाली और अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रत्यक्ष साक्ष्य हो, तो हथियार की बरामदगी न होने पर भी, अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है । इस मामले में, अभि. सा. 11 या अभि. सा. 12 को हथियार नहीं दिखाया गया था । हमारा मानना है कि इससे अभियोजन पक्षकथन पर कोई सारभूत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

55. **राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक** बनाम **लाली और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया था :–

> "20. अभियुक्त की ओर से दी गई यह दलील कि मूल सूचनादाता के रूप में महेनद्रन की परीक्षा नहीं कराई गई है और अन्य स्वतंत्र साक्षियों की भी परीक्षा नहीं कराई गई है और हथियार की बरामदगी साबित नहीं हुई है तथा घटना के समय और स्थान के बारे में गंभीर संदेह है, अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के लिए

[1] 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1424 = ए. आई. आर. 2022 एस. सी. 5034.

स्वीकार नहीं की जा सकती । मूल शिकायतकर्ता की परीक्षा नहीं कराई गई है, केवल इस बात को अभि. सा. 1 के कथन को खारिज करने का आधार नहीं माना जा सकता । जैसा कि ऊपर देखा गया है, अभि. सा. 1 दोनों स्थानों पर घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । इसी तरह, यह मानते हुए कि इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी साबित नहीं हुई है यदि सीधे साक्ष्य के रूप में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हो, तो हथियार की बरामदगी न होने पर भी, अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है । इसी प्रकार, यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और शिकायत दर्ज किए जाने के समय में कुछ विरोधाभास भी हो, तो भी अभियुक्त को दोषमुक्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता, यदि अभियोजन पक्षकथन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथन पर आधारित हो ।"

56. वर्तमान मामले में, हथियार बरामद कर लिया गया था किन्तु पहचान के लिए अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 के समक्ष नहीं लाया गया, तथापि, अपराध के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य पहले ही उपलब्ध है ।

57. अभियोजन पक्षकथन और आरोप के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि 11 सितंबर, 2009 को अभियुक्त ने मृतक रंजीत कुमार को सायं 5.20 बजे हाथापाई के लिए बुलाया था । आरोप में कहा गया है कि मृतक जोर से चिल्लाते हुए आगे चल रहा था (देशी भाषा के प्रयोग का लोप किया गया है....संपादक) और अपीलार्थी केवल उसका पीछा कर रहा था । आरोप में आगे यह कहा गया है कि अपीलार्थी ने मृतक की पीठ पर छुरा घोंपा था । मृतक के पिता अभि. सा. 1 का यह साक्ष्य है कि उस समय मृतक घूमा और अपीलार्थी की गर्दन पकड़ ली (देशी भाषा के प्रयोग का लोप किया गया है....संपादक) । इसके पश्चात् कहा गया है कि अपीलार्थी ने मृतक के पेट में छुरा घोंपा था जिससे मृतक नीचे गिर गया ।

58. अभि. सा. 2 के साक्ष्य में, अपीलार्थी ने पहले मृतक की पीठ पर चाकू से वार किया और फिर मृतक ने अपीलार्थी की गर्दन पकड़ ली (देशी भाषा के प्रयोग का लोप किया गया है....संपादक) । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने मृतक के पेट पर चाकू से वार किया ।

59. केवल दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं अर्थात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 । उन्हें पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है । उनकी मुख्य परीक्षा पहली बार 5 सितंबर, 2018 को हुई थी । उसके बाद, उन्हें प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुलाया गया और 21 मार्च, 2019 को प्रतिपरीक्षा की गई । हमारा मानना है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश को विचारण की कार्यवाही के प्रवाह को और अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना चाहिए था और यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि महत्वपूर्ण साक्षियों की प्रतिपरीक्षा उनकी मुख्य परीक्षा दर्ज होने के तुरंत बाद की जाए और छह महीने से अधिक के अंतराल के बाद तो बिलकुल नहीं । किसी भी स्थिति में, मुख्य परीक्षा का साक्ष्य सुस्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाला है ।

60. घटनाओं का क्रम इस प्रकार है :–

(1) अपीलार्थी 11 सितंबर, 2009 को लगभग 2.30 बजे औंदीपट्टी तालुक के मारवापट्टी ग्राम में मुथलम्मन मंदिर के पास अपने मित्रों के साथ ताश खेल रहा था ;

(2) मृतक ताश खेलने वाली उस विशेष टीम का सदस्य नहीं था ;

(3) वह खेल की जगह में घुस आया और बैठ गया और खिलाड़ियों में से एक थंगाराजू (अभि. सा. 9) को सलाह देने लगा कि वह अपीलार्थी के खेल के विरुद्ध उसके बताए हुए ताश के पत्ते चल में रखे ;

(4) अपीलार्थी ने विरोध किया ;

(5) मृतक ने अपीलार्थी के साथ दुर्व्यवहार किया था और लकड़ी की लाठी से अपीलार्थी पर हमला किया था ;

(6) वे अलग हो गए ; और

(7) मृतक ने अपीलार्थी को चुनौती दी थी कि वह बरगद के पेड़ के पास ग्राम के शमशान में हाथापाई करे ।

61. इस प्रकार यह देखा गया है कि अपीलार्थी कभी भी हमलावर

नहीं था । वह किसी भी अन्य खिलाड़ी की तरह केवल ताश खेल रहा था । यह मृतक ही था जो बिना बुलाए वहां आया और खिलाड़ियों में से एक अर्थात् थंगाराजू (अभि. सा. 9) को सलाह देने लगा कि कौन सा पत्ता रखना है और कौन सा नहीं रखना है । यह अपीलार्थी के हित के विरुद्ध था । आगामी झगड़े में, यह मृतक ही था जो हमलावर था जिसने एक लाठी निकाली और अपीलार्थी पर हमला किया । उनके अलग होने के बाद, यह मृतक ही था जिसने अपीलार्थी को सायं को बरगद के पेड़ के पास ग्राम के शमशान में हाथापाई के लिए आने की चुनौती दी । इसलिए, अपीलार्थी ने झगड़ा आरंभ नहीं किया था । वह हमलावर नहीं था । वास्तव में पहली घटना में उस पर लाठी से हमला किया गया था ।

62. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अभि. सा. 1 के साक्ष्य की ओर इशारा किया, जब उसे लगभग छह महीने बाद प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाया गया था तब उसने अन्नाकोडी, उसके पुत्र मूर्ति और सेल्वा कुमार पुत्र चेल्लादुरई की उपस्थिति के बारे में कहा था, जिन्होंने मृतक की हत्या के लिए अभियुक्तों को उकसाया था । यह बताया गया कि अभि. सा. 1 ने आगे यह साक्ष्य दिया कि वह अभियुक्त को उसके पुत्र के साथ ले गया था और अभियुक्त को पुलिस थाने में छोड़ दिया था और अपने पुत्र को अस्पताल ले गया था । यह भी बताया गया कि अभियोजन पक्ष ने पांडी (अधिवक्ता) की परीक्षा नहीं कराई जिन्होंने शिकायत लिखी थी । विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया है कि प्रतिवादी ने जानबूझकर मूर्ति पुत्र अन्नाकोडी और सेल्वाकुमार पुत्र चेल्लादुरई को अभियुक्त के रूप में पेश नहीं किया था और केवल इसलिए उन्हें परदा डाला था क्योंकि वे उस बाजार को नियंत्रित करते थे, जहां अभि. सा. 1 और उनकी पत्नी पप्पा (अभि. सा. 5) सब्जी की दुकानें चलाते थे ।

63. निम्नलिखित तारीखें अभि. सा. 1 के साक्ष्य की अस्थिर प्रकृति को उजागर करती हैं :–

(क) 5 सितंबर, 2018 को उनकी मुख्य परीक्षा कराई गई । उस दिन उन्होंने बहुत स्पष्ट कथन दिए ।

(ख) फिर उसे 1 मार्च, 2019 को प्रतिपरीक्षा के लिए वापस

बुलाया गया । उस दिन उसने अन्नाकोडी, उसके पुत्र मूर्ति और चेल्लादुरई के पुत्र सेल्वाकुमार के बारे में अतिरिक्त कथन किया ।

(ग) इसके पश्चात्, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा के लिए फाइल किए गए आवेदन पर उन्हें पुनः बुलाया गया । यह परीक्षा 6 फरवरी, 2020 को कराई गई । वहां भी, उन्होंने अतिरिक्त तथ्यों का उल्लेख किया ।

64. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अभि. सा. 1, न्यायालय द्वारा अपनाई गई कार्यवाही की प्रकृति को देखकर निश्चित रूप से बहुत भ्रमित हो गया होगा । जब उसने 5 सितंबर, 2018 को पहली बार साक्ष्य दिया तो उसने अपने कथन में सटीक और स्पष्ट रूप से यह कहा था कि उसने घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा था । इसके पश्चात्, न्यायालय की कार्यवाही की प्रकृति ने उसे तब अभिभूत कर दिया होगा जब लगभग छह महीने बाद 1 मार्च, 2019 को उसे प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाया गया था और ग्यारह महीने बाद 6 फरवरी, 2020 को लोक अभियोजक द्वारा आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाया गया । प्रारंभिक मुख्य परीक्षा की तारीख से यह पर्याप्त समय अंतराल स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति, विशेष रूप से एक पिता, जिसने अपने पुत्र की मृत्यु का दुःख झेला है और जो बस यही चाहता है कि मामला जल्दी समाप्त हो जाए और जिसे तीन मौकों पर छह महीने के अंतराल पर न्यायालय आने का अनुभव हो, के मन में धुंधला गया होगा । इसलिए हम इन विसंगतियों को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं ।

65. अभियोजन पक्ष ने राजेंद्रन (अभि. सा. 1) और मृतक के चाचा अर्थात् अभि. सा. 1 के भाई पांडी (अभि. सा. 2) के साक्ष्य का पूर्णतः अवलंब लिया था । यह ध्यान में रखना चाहिए कि मृतक की मां (अभि. सा. 5) जिसका नाम पप्पा है को पक्षद्रोही घोषित किया जा चुका है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2, मृतक और अभियुक्तों का 11 सितंबर, 2009 को सायं 5.20 बजे शमशान घाट की ओर जाते समय पीछा कर रहे थे । साक्ष्य में यह भी उल्लेख है कि मृतक आगे-आगे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हुए चल रहा था । उसका आशय आक्रामक होने का था ।

66. अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का कहना यह है कि अभियुक्त ने पहले मृतक की पीठ में छुरा घोंपा । डॉ. जूलियाना जयंती ने शवपरीक्षा की और इस संबंध में रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) जारी की । प्रदर्श पी-8 में, यह उल्लेख है कि पीठ के दाहिने हिस्से पर चाकू से कारित क्षति 3.75 से.मी. x 2 से.मी. x 8 से.मी. की थी । यह दाहिने कूल्हे की अस्थि से 3 से.मी. ऊपर और मध्य रेखा से 6 से.मी. दूर थी । विच्छेदन पर यह पाया गया कि घाव ऊपर से नीचे की ओर मांसपेशियों, वाहिकाओं और तंत्रिकाओं को भेदता हुआ दाहिनी मांसपेशी में एक बिंदु के रूप में जाकर मिला है । यद्यपि, चिकित्सक की राय में, यह वह घाव नहीं था जिसके कारण संभवतः मृतक की मृत्यु हुई ।

67. अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के अनुसार भी, पीठ पर यह क्षति कारित होने के बाद, मृतक, जो पहले हमलावर था और जो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हुए आगे-आगे चल रहा था, ने पलटकर अपीलार्थी की गर्दन पकड़ ली । स्वाभाविक रूप से, अपीलार्थी की दम घुटने से मृत्यु होने की पूरी संभावना थी । इस अचानक हरकत में, अपीलार्थी ने मृतक के पेट में चाकू घोंप दिया था । मृतक के पलटकर अपीलार्थी की गर्दन पकड़ने की आक्रामक हरकत के कारण क्षति गहरी भी हो सकती थी, जिससे उसका शरीर अपीलार्थी के हाथों के बिल्कुल पास आ गया होगा ।

68. यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का आशय न तो किसी को मारने का था और जब मृतक ने पीछे मुड़कर अपीलार्थी के शरीर पर दबाव बनाया तब अपीलार्थी की गर्दन पर भी दबाव बन रहा था और इस स्थिति में अपीलार्थी को इस बात का कोई ज्ञान था कि दूसरा वार मृतक की मृत्यु का कारण बनेगा । अपीलार्थी कभी भी हमलावर नहीं था । दोपहर 2.30 बजे हुए झगड़े में वह हमलावर नहीं था । वास्तव में, मृतक ने उस पर लाठी से हमला किया था । यह मृतक ही था जिसने अपीलार्थी को हाथापाई के लिए ललकारा था । यह मृतक ही था जो जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, जब अपीलार्थी ने पीठ पर छुरा घोंपा, किन्तु यह क्षति मृत्यु का कारण नहीं थी । जब मृतक ने अपीलार्थी की गर्दन पकड़ी हुई थी, तो स्वाभाविक रूप से, मृतक का शरीर अपीलार्थी के शरीर

के करीब आ गया था और पेट की तरफ छुरा घोंपा गया होगा । किन्तु, इसमें मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं हो सकता क्योंकि यह पर्याप्त रूप से अचानक हुआ कृत्य था और मृतक द्वारा अपीलार्थी की गर्दन पकड़े जाने का परिणाम था । अपीलार्थी की गर्दन मृतक ने पकड़ रखी थी और अपीलार्थी को खुद को बचाना पड़ा और मृतक के पेट पर चाकू के वार का चिह्न था । चाकू का वार भी गहरा था और यह केवल इसलिए था कि अपीलार्थी के हाथ मृतक के शरीर के निकट थे । इस क्षति के कारित होने का मात्र कारण ये नहीं हो सकता कि अपीलार्थी द्वारा चाकू से वार किया गया है ।

69. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **फेलिक्स एम्ब्रोस डिसूजा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध को कम करके दंड संहिता की धारा 304, भाग-II, के अधीन दंडनीय अपराध में परिवर्तित करने की दलील पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णय दिया था :–

> 7. "अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में, सिद्ध माने जाने वाले तथ्य भी, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि के लिए न्यायोचित और पर्याप्त नहीं माने जा सकते, और यदि ऐसा होता भी, तो केवल दंड संहिता की धारा 304, भाग-II के अधीन दोषसिद्धि संभव हो सकती थी । यद्यपि, प्रतिवादी राज्य के विद्वान् काउंसेल ने दृढ़ता से यह कहा कि अपराध जिस गंभीरता, क्रूरता और विद्वेष की पृष्ठभूमि में किया गया है, उसे देखते हुए अपराध की प्रकृति में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है और इस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । जैसा कि पहले देखा गया है और अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा बताई गई सामग्री और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मृतक के जीवन को समाप्त करने या उसकी मृत्यु का कारण बनने के

[1] (2009) 16 एस. सी. सी. 361 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2002 एस. सी. 262.

आशय से उसे कोई क्षति पहुंचाने या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने की कोई पूर्व नियोजित योजना या आशय था, जो अभियुक्त की जानकारी में प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में भी उसकी मृत्यु का कारण बन सकती थी । पक्षों के बीच मौजूद मौन प्रकृति की दुर्भावनाओं के बावजूद, ऐसा प्रतीत होता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अचानक हुए झगड़े के कारण यह हिंसक रूप ले लिया, जो अभियोजन पक्ष के साक्षियों के अनुसार भी, वह ताला जिसके बारे में कहा गया था कि स्टोर-रूम के दरवाजे पर पिता और मृतक के अतिरिक्त अपीलार्थी ने लगाया था, को तोड़ने के प्रयास के उपरांत कहासुनी के परिणामस्वरूप आरंभ हुआ था । झगड़े और विवाद में और मृतक द्वारा हाथ में हथौड़ा लेकर ताला तोड़ने का प्रयास और अपीलार्थी द्वारा मृतक को ऐसा करने से शारीरिक रूप से रोकने के प्रयास और इस प्रक्रिया में बल का शारीरिक प्रयोग, ऐसा लगता है कि भावनाएं अचानक अनुपात से परे भड़क उठीं, जिसका न तो अनुमान था और न ही दोनों में से किसी ने आशय किया था । अभियोजन पक्ष का वृतान्त अपने आप में क्षणिक उत्तेजना में अचानक उकसावे की दलील को विश्वसनीयता और समर्थन प्रदान करता है । इसलिए, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी ठहराने के निष्कर्ष पर पहुंचने में ठीक नहीं किया है । हमारे सुविचारित मत में, सिद्ध तथ्यों के आधार पर एकमात्र अपराध जिसके बारे में तर्कसंगत रूप से कहा जा सकता है कि वह कारित किया गया है और जिसके लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराया जा सकता है, वह दंड संहिता की धारा 304, भाग-II के अंतर्गत होगा और इस सीमा तक हम आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हैं और दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करते हैं और इसके स्थान पर उसे दंड संहिता की धारा 304, भाग-II के अंतर्गत दोषी ठहराते हैं ।"

70. हम, घटनाओं के सम्पूर्ण अनुक्रम का विश्लेषण करने पर, यह मानते हैं कि यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त निर्णय में निर्धारित तर्क और विनिश्चयाधार इस मामले के तथ्यों को पूरी तरह लागू होते हैं ।

71. इसलिए, हम यह मानते हैं कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को रद्द किया जाना चाहिए और हम इसे रद्द करते हैं और इसके बजाय अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 304, भाग-II के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हैं ।

72. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम अभियुक्त/अपीलार्थी को चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट करते हैं । यद्यपि, हम निर्णय के जुर्माने की राशि अर्थात् 5,000/- रुपए को कायम रखते हैं और यदि जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किया जाता है तो उसे एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा । हमें सूचित किया गया है कि जुर्माने की राशि का संदाय कर दिया गया है ।

73. अतः हम निचले न्यायालय को निदेश देते हैं कि कारावास की शेष अवधि को भुगतने के लिए अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाए । हम यह भी निदेश देते हैं कि उसके द्वारा पहले ही भुगते हुए कारावास की अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन समायोजित करना होगा ।

74. परिणामस्वरूप, दांडिक अपील को आंशिक रूप से मंजूर की जाती है जिसमें दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए की गई अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है, किन्तु उसे दंड संहिता की धारा 304, भाग-II के अधीन दंडनीय अपराध के लिए चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है जिसमें से पहले से भोगे गए कारावास की अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन कम किया जाएगा ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

अस.

गतांक से आगे.....

अध्याय 3

देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक

29. बाल कल्याण समिति – (1) राज्य सरकार, [1][किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए] इस अधिनियम के अधीन देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के संबंध में एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का, ऐसी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गठन कर सकेगी ।

(2) समिति, एक अध्यक्ष और चार ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जिन्हें नियुक्त करना राज्य सरकार ठीक समझे और उनमें कम से कम एक महिला होगी और दूसरा अन्य, बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा ।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं और पदावधि जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया जाए, ऐसी होगी जो विहित की जाए ।

(4) समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा जांच किए जाने के पश्चात्, समाप्त की जा सकेगी, यदि –

(i) वह इस अधिनियम के अधीन निहित की गई शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया हो ;

(ii) वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है ;

(iii) वह, किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में कम से कम तीन चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है ।

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(5) समिति, मजिस्ट्रेट की न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा, यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी ।

30. समिति के संबंध में प्रक्रिया, आदि – (1) समिति अपनी बैठक ऐसे समय पर और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार की बाबत प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगी जो विहित किए जाएं ।

(2) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए या अन्यथा तब जब समिति सत्र में न हो व्यष्टिक सदस्य के सामने पेश किया जा सकेगा ।

(3) किसी अंतरिम विनिश्चय के समय समिति के सदस्यों के बीच राय की किसी भिन्नता की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी किन्तु जहां कोई ऐसा बहुमत नहीं है वहां अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी ।

(4) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समिति, समिति के किसी सदस्य के अनुपस्थित रहते हुए भी कार्रवाई कर सकेगी और समिति द्वारा किया गया कोई आदेश, कार्यवाही के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के आधार पर ही अविधिमान्य नहीं होगा ।

31. समिति की शक्तियां – (1) समिति का बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटारा करने तथा साथ ही साथ उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपबंध करने का अंतिम प्राधिकार होगा ।

(2) जहां किसी क्षेत्र के लिए समिति का गठन किया गया है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अधिनियम में अभिव्यक्त रूप में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, ऐसी समिति की देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों से संबंधित, इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के संबंध में अनन्यतः कार्य करने की शक्ति होगी ।

32. समिति के समक्ष पेश किया जाना – (1) देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित किसी व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा –

(i) कोई पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस एकक या कोई पदाभिहित अधिकारी ;

(ii) कोई लोक सेवक ;

(iii) एक रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठन, चाइल्ड लाइन या ऐसे अन्य स्वैच्छिक संगठन या किसी अभिकरण द्वारा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाए ;

(iv) [1]* * * कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोक भावना से युक्त नागरिक ; या

(v) स्वयं बालक द्वारा :

[2][परंतु बालक को समय नष्ट किए बिना चौबीस घंटे की अवधि के भीतर यात्रा में लिए गए आवश्यक समय को छोड़कर समिति के समक्ष पेश किया जाएगा ।]

(2) राज्य सरकार के जांच के लंबित रहने के दौरान [1]* * * समिति को रिपोर्ट देने की रीति का और बालक को बालगृह में भेजने और सौंपने की रीति का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी ।

33. जांच – (1) धारा 32 के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर समिति [3]* * * विहित रीति से जांच करेगा और समिति अपनी स्वयं की या धारा 32 की उपधारा (1) में वर्णित किसी व्यक्ति या अभिकरण से प्राप्त रिपोर्ट पर बालक को सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा शीघ्र जांच के लिए बालगृह भेजने के लिए आदेश करेगी ।

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 17 द्वारा लोप किया गया ।

[2] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 18 द्वारा लोप किया गया ।

(2) इस धारा के अधीन जांच को, आदेश की प्राप्ति के चार मास के भीतर या ऐसी कम अवधि के भीतर जो समिति द्वारा नियत की जाए, पूरा किया जाएगा :

परन्तु जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को, ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा जिसे समिति, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और लेखबद्ध कारणों के आधार पर अवधारित करे ।

[1][(3) राज्य सरकार, प्रत्येक छह मास में समिति के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेगी और समिति को अपनी बैठकों की आवृत्ति को बढ़ाने के लिए निदेश देगी या अतिरिक्त समितियों का गठन करा सकेगी ।

(4) जांच के पूरा हो जाने के पश्चात् यदि समिति की यह राय है कि उक्त बालक का कोई कुटुम्ब या उसका कोई दृश्यमान सहारा नहीं है, या उसे देखरेख या संरक्षण की लगातार आवश्यकता है तो वह बालक को तब तक बालगृह या आश्रयगृह में रहने की अनुज्ञा दे सकेगी जब तक उसका उपयुक्त पुनर्वास नहीं हो जाता या जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है ।]

34. बालगृह – (1) राज्य सरकार या तो स्वयं या स्वैच्छिक संगठनों से सहयोग करके किसी जांच के लंबित होने के दौरान देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को रखने के लिए और तत्पश्चात् उनकी देखरेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए, यथास्थिति, प्रत्येक जिले में या जिलों के समूह में बालगृह की स्थापना और उनका रखरखाव कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा, बालगृहों के प्रबंध की बाबत जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानक और प्रकृति भी है तथा उन परिस्थितियों के लिए जिनके अधीन और वह रीति जिसमें किसी स्वैच्छिक संगठन को बालगृह का प्रमाणपत्र या मान्यता प्रदान की जा सकेगी या वापस ली जा सकेगी, उपबंध कर सकेगी ।

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी संस्थाएं, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए चलाई जाती हैं, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर इस अधिनियम के अधीन, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत की जाएंगी ।]

35. निरीक्षण – (1) राज्य सरकार, यथास्थिति, राज्य, किसी जिले और नगर के लिए ऐसी अवधि और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं, बालगृहों के लिए निरीक्षण समितियां नियुक्त कर सकेगी (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निरीक्षण समितियां कहा गया है) ।

(2) किसी राज्य, जिले या किसी नगर की निरीक्षण समिति में राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, समिति, स्वैच्छिक संगठनों से उतनी संख्या में प्रतिनिधि होंगे और ऐसे अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जो विहित किए जाएं ।

36. सामाजिक संपरीक्षा – केन्द्रीय सरकार, या कोई राज्य सरकार, बालगृहों के कृत्यों का ऐसी अवधि पर और ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की मार्फत जो उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, मानीटर और मूल्यांकन कर सकेगी ।

37. आश्रयगृह – (1) राज्य सरकार, प्रतिष्ठित और समर्थ स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान कर सकेगी और उन्हें किशोरों या बालकों के लिए, जितने अपेक्षित हों उतने आश्रयगृहों के गठन और उनके प्रशासन के लिए सहायता प्रदान कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आश्रयगृह, ऐसे व्यक्तियों के, जो धारा 32 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट हैं, माध्यम से ऐसे गृहों में लाए गए जरूरतमंद बालकों की तात्कालिक मदद के लिए मिलन केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे ।

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित ।

(3) आश्रयगृहों में, जहां तक संभव हो, ऐसी सुविधाएं होंगी, जो नियमों द्वारा विहित की जाएं ।

38. अंतरण – (1) यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि बालक समिति की अधिकारिता के बाहर के स्थान से है, तो समिति, बालक के निवास के स्थान पर अधिकारिता वाले सक्षम प्राधिकारी को उस बालक को अंतरित करने का आदेश करेगी ।

(2) ऐसे किशोर या बालक को उस गृह के कर्मचारिवृन्द की अनुरक्षा में ले जाया जाएगा, जिसमें वह मूल रूप से ठहराया गया है ।

(3) राज्य सरकार, बालक को संदत्त किए जाने वाले यात्रा भत्ते के लिए उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी ।

39. प्रत्यावर्तन – (1) किसी बालगृह या आश्रयगृह का प्राथमिक उद्देश्य बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण होगा ।

(2) यथास्थिति, बालगृह या आश्रयगृह, ऐसे कदम उठाएंगे, जो अस्थायी या स्थायी रूप से अपने कुटुम्ब के वातावरण से वंचित बालक के प्रत्यावर्तन और संरक्षण के लिए आवश्यक समझे जाते हैं, जहां ऐसा बालक, यथास्थिति, बालगृह या आश्रयगृह की देखरेख और संरक्षण के अधीन है ।

(3) समिति को देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किसी बालक को उसके, यथास्थिति, माता-पिता, संरक्षक, उचित व्यक्ति और उचित संस्था को प्रत्यावर्तित करने की शक्ति होगी और वह उन्हें उपयुक्त निदेश देगी ।

[1][**स्पष्टीकरण** – इस धारा के प्रयोजनों के लिए "बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण" से, –

(क) माता-पिता ;

(ख) दत्तक माता-पिता ;

(ग) पोषक माता-पिता ;

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) संरक्षक ;

(ङ) उपयुक्त व्यक्ति ;

(च) उपयुक्त संस्था,

को प्रत्यावर्तन अभिप्रेत हैं ।]

अध्याय 4

पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना

40. पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया – बालक का पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना बालगृह या विशेष गृह में बालक के ठहरने के दौरान आरंभ होगा और बालकों के पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना आनुकल्पिक रूप से (i) दत्तक ग्रहण द्वारा, (ii) पोषक देखरेख, (iii) प्रायोजकता, और (iv) पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन में बालक को भेजकर किया जाएगा ।

41. दत्तक ग्रहण – (1) बालकों की देखरेख करने और संरक्षण प्रदान करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व उसके कुटुम्ब का होगा ।

[1][(2) ऐसे बालकों के पुनर्वास के लिए, जो अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित हैं, ऐसे तंत्र के माध्यम से, जो विहित किया जाए, दत्तक ग्रहण का सहारा लिया जाएगा ।

(3) राज्य सरकार या केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दत्तक ग्रहण के लिए विभिन्न मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, किसी न्यायालय द्वारा बालकों को, ऐसे बालकों को दत्तक में देने के लिए यथापेक्षित किए गए अन्वेषणों के संबंध में अपना समाधान हो जाने के पश्चात्, दत्तक गृह में दिया जा सकेगा ।

(4) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में अपनी एक या अधिक संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों को, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों के रूप

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।

में, ऐसी रीति में जो उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार दत्तक ग्रहण के लिए अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालकों के नियोजन के लिए विहित की जाए, मान्यता देगी :

परंतु देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए, जो अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित हैं, राज्य सरकार या किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा चलाए जाने वाले बाल गृह और संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि ये बालक समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध घोषित किए गए हैं और सभी ऐसे मामले, उस जिले में दत्तक ग्रहण अभिकरण को, उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार दत्तक ग्रहण में ऐसे बालकों के नियोजन के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे ।]

(5) कोई भी बालक दत्तक ग्रहण के लिए तब तक –

(क) जब तक समिति के दो सदस्य परित्यक्त बालकों की दशा में घोषणा नहीं कर देते कि बालक विधिक रूप से सौंपने के लिए स्वतंत्र हैं ;

(ख) अभ्यर्पित बालकों की दशा में माता-पिता के पुनःविचार के लिए दो मास की अवधि बीत न गई हो ; और

(ग) उस बालक की दशा में जो अपनी सहमति को समझ और अभिव्यक्त कर सकता है, उसकी सहमति के बिना,

प्रस्थापित नहीं किया जाएगा ।

[1][(6) न्यायालय बालक को दत्तक ग्रहण में, –

(क) किसी व्यक्ति को उसकी वैवाहिक स्थिति को विचार में लाए बिना ; या

(ख) जीवित स्वयं से उत्पन्न (जैविक) पुत्रों या पुत्रियों की संख्या को विचार में लाए बिना समान लिंग के बालक को दत्तक ग्रहण के लिए माता-पिता को ; या

(ग) निःसंतान दंपत्ति को,

दिए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।]

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।

42. पोषण देखरेख – (1) ऐसे शिशुओं की, जिन्हें अन्ततोगत्वा दत्तक में दिया जाना है, अस्थायी रूप से रखे जाने के लिए पोषण देखरेख की जा सकेगी ।

(2) पोषण देखरेख के दौरान, बालक को किसी अल्पावधि या बढ़ाई गई अवधि के लिए किसी दूसरे कुटुंब के साथ रखा जा सकेगा, जो उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगी जहां बालक के अपने माता-पिता प्रायः नियमित रूप से और कभी-कभी पुनर्वास के पश्चात् जहां से बालक अपने-अपने घरों को वापस जा सकेंगे, मिल सकेंगे ।

(3) राज्य सरकार, बालकों की पोषण देखरेख कार्यक्रम की स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी ।

43. प्रवर्तकता – (1) प्रवर्तकता कार्यक्रम में, चिकित्सीय, पौषणिक, शैक्षणिक और जीवन स्तर में सुधार की दृष्टि से बालकों की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कुटुंबों, बालगृहों और विशेषगृहों को अनुपूरक सहयोग देने का उपबंध किया जा सकेगा ।

(2) राज्य सरकार, बालकों की व्यष्टिक प्रवर्तकता, समूह प्रवर्तकता या सामुदायिक प्रवर्तकता जैसी प्रवर्तकता की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी ।

44. पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन – राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी –

(क) पश्चात्वर्ती देखरेख संगठनों की स्थापना और मान्यता तथा इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा निर्वहन किए जा सकने वाले कृत्य ;

(ख) किशोरों या बालकों की, उनके विशेषगृहों या बालगृहों को छोड़ने के पश्चात् देखरेख के प्रयोजन के लिए और उनको ईमानदार, कर्मठ और उपयोगी जीवन बिताने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए ऐसे पश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम की कोई स्कीम ;

(ग) प्रत्येक किशोर या बालक की बाबत, उसको विशेषगृहों,

बालगृहों से निर्मुक्त किए जाने के पूर्व परिवीक्षा अधिकारी या उस सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसे किशोर या बालक की पश्चात्वर्ती देखरेख की आवश्यकता और उसकी प्रकृति, ऐसी पश्चात्वर्ती देखरेख की अवधि, उसके पर्यवेक्षण के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने तथा प्रत्येक किशोर या बालक की प्रगति की बाबत इस प्रयोजन के लिए नियुक्त परिवीक्षा अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना ;

(घ) ऐसे पश्चात्वर्ती देखरेख संगठनों द्वारा बनाई रखी जाने वाली सेवाओं के मानक और प्रकृति ;

(ङ) ऐसे अन्य विषय जो किशोर या बालक की पश्चात्वर्ती देखरेख के कार्यक्रम की स्कीम के कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक हो :

परन्तु इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम ऐसे किशोर या बालक के पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन में तीन वर्ष से अधिक तक ठहरने के लिए उपबंध नहीं करेंगे :

परन्तु यह और कि सत्रह वर्ष से अधिक परन्तु अठारह वर्ष से कम का किशोर या बालक बीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन में रह सकेगा ।

45. संयोजन और समन्वय – राज्य सरकार, बालक के पुनर्वास और उसे समाज में पुनः मिलाने को सुकर बनाने के लिए विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी, निगमित और अन्य सामुदायिक अभिकरणों के बीच प्रभावकारी संयोजन सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

46. किशोर या बालक के माता-पिता या संरक्षक की हाजिरी – कोई सक्षम प्राधिकारी जिसके समक्ष किशोर या बालक इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन लाया जाता है, जब भी वह ऐसा करना ठीक

समझे, किशोर या बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखने वाले माता-पिता या संरक्षक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह किशोर या बालक के बारे में किसी कार्यवाही में उपस्थित हो ।

47. किशोर या बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना – यदि जांच के अनुक्रम में किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किशोर या बालक की हाजिरी जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी उसको हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा और किशोर या बालक की अनुपस्थिति में जांच में अग्रसर हो सकेगा ।

48. खतरनाक रोग से पीड़ित किशोर या बालक को अनुमोदित स्थान पर सुपुर्द करना तथा उसकी भावी व्यवस्था करना – (1) जब किसी ऐसे किशोर या बालक के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाया गया है, यह पाया जाता है कि वह ऐसे रोग से पीड़ित है जिसके लिए लंबे समय तक चिकित्सीय उपचार की अपेक्षा होगी या उसे कोई शारीरिक या मानसिक व्याधि है जो उपचार से ठीक हो जाएगी, तब सक्षम प्राधिकारी किशोर या बालक को, ऐसे समय के लिए जिसे वह अपेक्षित उपचार के लिए आवश्यक समझता है किसी ऐसे स्थान को भेज सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुमोदित स्थान के रूप में मान्यताप्राप्त स्थान है ।

[1]* * * * *

49. आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण – (1) जहां सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन उसके समक्ष (साक्ष्य देने के प्रयोजनार्थ से अन्यथा) लाया गया व्यक्ति किशोर या बालक है वहां सक्षम प्राधिकारी, उस व्यक्ति की आयु के बारे में सम्यक् जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसा साक्ष्य लेगा (किन्तु शपथपत्र नहीं) जो आवश्यक हो और उस व्यक्ति की आयु यथाशक्य निकटतम रूप से कथित करते हुए यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि वह व्यक्ति किशोर या बालक है या नहीं ।

---

[1] 2011 के अधिनियम सं. 12 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया ।

(2) सक्षम प्राधिकारी का कोई आदेश केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि तत्पश्चात् यह साबित हुआ है कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में उसके द्वारा आदेश किया गया है, किशोर या बालक नहीं है और इस प्रकार उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित आयु उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की सही आयु समझी जाएगी ।

50. किशोर या बालक को अधिकारिता के बाहर भेजना – ऐसे किशोर या बालक की दशा में जिसका मामूली तौर पर निवास का स्थान उस सक्षम प्राधिकारी की, जिसके समक्ष वह लाया गया है, अधिकारिता के बाहर है वहां सक्षम प्राधिकारी, यदि सम्यक् जांच के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना समीचीन है, उस किशोर या बालक को उस नातेदार या अन्य योग्य व्यक्ति के पास जो अपने मामूली तौर पर निवास स्थान पर उसे रखने के लिए और उसकी उचित देखरेख और उस पर नियंत्रण रखने के लिए रजामंद है, वापस भेज सकेगा, यद्यपि वह निवास स्थान सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के बाहर है ; और वह सक्षम प्राधिकारी, जो इस स्थान पर अधिकारिता का प्रयोग करता है जहां किशोर या बालक भेजा गया है, तत्पश्चात् उद्भूत होने वाली किसी बात के बारे में उस किशोर या बालक के संबंध में ऐसी शक्तियां रखेगा मानो मूल आदेश उसके द्वारा किया गया हो ।

51. रिपोर्टों का गोपनीय माना जाना – परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता की रिपोर्ट जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है, गोपनीय मानी जाएगी :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो, उसका सार, किशोर या बालक को या उसके माता-पिता या संरक्षक को संसूचित कर सकेगा और ऐसे किशोर या बालक के माता-पिता या संरक्षक को इस बात का अवसर दे सकेगा कि वह रिपोर्ट में कथित बात से सुसंगत कोई साक्ष्य पेश करे ।

52. अपीलें – (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यथित

कोई व्यक्ति, उस आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, सेशन न्यायालय को अपील कर सकेगा :

परन्तु सेशन न्यायालय उस अपील को उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् तब ग्रहण कर सकेगा जब उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के अन्दर अपील फाइल करने में पर्याप्त हेतुक से निवारित हुआ था ।

(2) (क) ऐसे किशोर के बारे में जिसके बारे में यह अभिकथित है कि उसने अपराध किया है, बोर्ड द्वारा किए गए दोषमुक्ति के किसी आदेश ; या

(ख) इस निष्कर्ष के बारे में कि वह उपेक्षित किशोर नहीं है, समिति द्वारा किए गए किसी आदेश से, अपील नहीं होगी ।

(3) इस धारा के अधीन की गई किसी अपील में सेशन न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के संबंध में द्वितीय अपील नहीं होगी ।

53. पुनरीक्षण – उच्च न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर, किसी भी समय, किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को, जिसमें किसी सक्षम प्राधिकारी या सेशन न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया हो, आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे :

परन्तु उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना, पारित नहीं करेगा ।

54. जांच, अपील और पुनरीक्षण कार्यवाहियों में प्रक्रिया – (1) इस अधिनियम में जैसा अभिव्यक्ततः उपबंधित है उसके सिवाय, सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन जांच करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए और उसके अधीन रहते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में समन

मामलों में विचारण के लिए अधिकथित प्रक्रिया का यावत्शक्य अनुसरण करेगा ।

(2) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन स्पष्टतः जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपीलों या पुनरीक्षण कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, यावतसाध्य, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अनुसार होगी ।

55. आदेशों को संशोधित करने की शक्ति – (1) इस अधिनियम के अधीन अपील और पुनरीक्षण के लिए उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई सक्षम प्राधिकारी, इस निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर किसी आदेश को, जो उस संस्था के बारे में हो जिसमें किसी किशोर या बालक को भेजा जाना है या उस व्यक्ति के बारे में हो जिसकी देखरेख या पर्यवेक्षण में किसी किशोर या बालक को इस अधिनियम के अधीन रखा जाना है, संशोधित कर सकेगा :

परन्तु अपने किसी आदेश के संबंध में संशोधन पारित करने के लिए सुनवाई के दौरान कम से कम दो सदस्य और पक्षकार या बचाव पक्ष उपस्थित होंगे ।

(2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों में की लिपिकीय भूलों या उनमें किसी आकस्मिक चूक या लोप से उनमें होने वाली गलतियां किसी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर सुधारी जा सकेंगी ।

56. बालक या किशोर को उन्मोचित और अंतरित करने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति – सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी समय यह आदेश कर सकेगा कि देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को, यथास्थिति, एक बालगृह या विशेषगृह से, बालक या किशोर के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए या तो आत्यन्तिक रूप से या ऐसी शर्तों पर जिन्हें अधिरोपित करना ठीक समझे, उन्मोचित किया जाए या किसी अन्य बालगृह या विशेषगृह को और उसके रहने के नैसर्गिक स्थान को अंतरित किया जाए :

परन्तु बालगृह में या विशेषगृह में या योग्य संस्था में या एक योग्य व्यक्ति के अधीन किशोर या बालक के ठहरने की कुल अवधि ऐसे अंतरण द्वारा नहीं बढ़ाई जाएगी ।

[1][**57. अधिनियम के अधीन बालगृहों और भारत के विभिन्न भागों में ऐसी ही प्रकृति के बालगृहों के मध्य अंतरण** – राज्य सरकार, यह निदेश दे सकेगी कि कोई बालक या किशोर राज्य के भीतर किसी बालगृह या विशेषगृह से राज्य से बाहर किसी अन्य बालगृह, विशेषगृह या ऐसी ही प्रकृति की संस्था या ऐसी संस्थाओं को संबद्ध राज्य सरकार के परामर्श से, यथास्थिति, समिति, या बोर्ड की पूर्व सूचना से अंतरित किया जाए और ऐसा आदेश उस क्षेत्र के समक्ष प्राधिकारी के लिए, जहां बालक या किशोर को भेजा जाता है प्रवर्तन में माना जाएगा ।]

[2][**58. मानसिक रूप से बीमार या मद्य या अन्य ओषधि के व्यसनी किशोर या बालक का अंतरण** – (1) जहां सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अनुसरण में किसी विशेषगृह या संप्रेक्षणगृह या बालगृह या आश्रयगृह या संस्था में रखा गया कोई किशोर या बालक, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति या मद्य सार या अन्य ओषधि का ऐसा व्यसनी है, जिसके कारण किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, वहां सक्षम प्राधिकारी, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 कर 14) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार उसको किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में, भेजने का आदेश दे सकेगा ।

(2) यदि किसी किशोर या बालक को उपधारा (1) के अधीन मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में भेजा गया था, तो समक्ष प्राधिकारी, मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह के उन्मोचन प्रमाणपत्र में दी गई सलाह के आधार पर ऐसे किशोर या बालक को व्यसनियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्र या मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए (जिनके अंतर्गत स्वापक

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2011 के अधिनियम सं. 12 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ के व्यसनी व्यक्ति भी हैं) राज्य सरकार द्वारा पोषित इसी प्रकार के केन्द्रों में भेजने का आदेश दे सकेगा और ऐसा भेजा जाना, केवल, ऐसे किशोर या बालक के आंतरिक रोगी उपचार के लिए अपेक्षित अवधि के लिए होगा ।

स्पस्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "व्यसनियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्र" का वह अर्थ होगा जो भारत सरकार के सामाजिक, न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बनाई "मद्यपानता और पदार्थ (ओषधि) दुरुपयोग निवारण के लिए तथा सामाजिक रक्षा सेवाओं के लिए सहायता की केन्द्रीय सेक्टर स्कीम" नामक स्कीम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्समान स्कीम के अधीन है ;

(ख) "मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति" का वह अर्थ होगा जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (ठ) में है ;

(ग) "मनश्चिकित्सीय अस्पताल" या "मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह" का वह अर्थ होगा जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (थ) में है ।]

59. नियोजन पर रखे गए किशोर या बालक की निर्मुक्ति और अनुपस्थिति – (1) जब किशोर या बालक, बालगृह या विशेषगृह में रखा जाता है और, यथास्थिति, परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता की या सरकार या स्वैच्छिक संगठन की रिपोर्ट पर सक्षम प्राधिकारी ऐसे किशोर या बालक को उसके माता-पिता या संरक्षक के साथ या आदेश में प्राधिकृत ऐसे नामित व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन रहने के लिए अनुज्ञात करते हुए निर्मुक्ति पर विचार कर सकेगा जो किशोर या बालक को शिक्षित करने और उसके किसी उपयोगी व्यापार या आजीविका के लिए प्रशिक्षित करने या पुनर्वास के लिए उसकी देखरेख करने के लिए उसे लेने और उसका भार ग्रहण करने का इच्छुक है ।

(2) सक्षम प्राधिकारी, किसी किशोर या बालक को विशेष अवसरों पर जैसे परीक्षा, नातेदारों के विवाह, परिचितों और निकट संबंधियों की

मृत्यु या माता-पिता की दुर्घटना या गंभीर बीमारी या इसी प्रकृति के किसी आपात पर पर्यवेक्षण के अधीन, यात्रा में लिए गए समय को छोड़कर [1][ऐसी अवधि के लिए जो साधारणतया सात दिन से अधिक न हो,] अवकाश पर जाने के लिए अनुपस्थिति की अनुज्ञा भी प्रदान कर सकेगा ।

(3) जहां अनुज्ञा प्रतिसंहृत या समपहृत हो जाए और किशोर या बालक संबद्ध गृह को जिसमें वापस जाने के लिए उसे निदेश दिया गया हो, वापस आने से इनकार कर देता है या असफल रहता है तो बोर्ड, यदि आवश्यक हो, तो उसको भारसाधन में दिलवाएगा और उसे संबद्ध गृह में वापस भिजवाएगा ।

(4) वह समय, जिसके दौरान किशोर या बालक इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञा के अनुसरण में संबद्ध गृह से अनुपस्थित रहता है, उस समय का हिस्सा समझा जाएगा जिसके दौरान वह विशेषगृह में रखे जाने का दायी हो :

परन्तु यदि किशोर अनुज्ञा के प्रतिसंहृत या समपहृत हो जाने पर जब विशेषगृह को वापस जाने में असफल रहता है तो वह समय जो ऐसे वापस जाने में उसकी असफलता के पश्चात् व्यतीत हो उस समय की संगणना में, जिसमें वह संस्था में रखे जाने का दायी हो, अपवर्जित किया जाएगा ।

60. माता-पिता द्वारा अभिदाय – (1) वह सक्षम प्राधिकारी, जो किशोर या बालक को बालगृह में या विशेषगृह में भेजने या योग्य व्यक्ति या योग्य संस्था की देखरेख में रखने के लिए आदेश करता है, माता-पिता या किशोर या बालक के भरण पोषण के दायी अन्य व्यक्ति को आय के अनुसार, यदि वह ऐसा करने में समर्थ है, उसके भरण पोषण के लिए विहित रीति से अभिदाय करने के लिए आदेश कर सकेगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, गरीब माता-पिता या संरक्षक को, गृह के अधीक्षक या परियोजना प्रबन्धक द्वारा किशोर या

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित ।

माता-पिता या संरक्षक या दोनों के गृह से साधारण निवास के स्थान तक की यात्रा में किए खर्चों को, जो विहित किए जाएं, किशोर को भेजे जाने के समय संदाय करने के लिए निदेश दे सकता है ।

61. निधि – (1) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन वर्णित किशोर या बालक के कल्याण और पुनर्वास के लिए ऐसे नाम से जो वह ठीक समझे, एक निधि का सृजन कर सकेगा ।

(2) निधि में ऐसे स्वैच्छिक संदान, अभिदाय या अभिदान जमा किए जाएंगे जो किसी व्यष्टि या संगठन द्वारा किए जाएं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन सृजित निधि का प्रशासन राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं, किया जाएगा ।

62. केन्द्रीय, राज्य, जिला और नगर सलाहकार बोर्ड – (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, उस सरकार को, गृहों की स्थापना और अनुरक्षण, साधनों को जुटाने, देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक और विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाओं की व्यवस्था करने और संबंधित विभिन्न शासकीय और अशासकीय अभिकरणों में समन्वयन से संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय या राज्य सलाहकार बोर्ड, ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें, यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य सरकार ठीक समझे, मिलकर बनेगा और उसमें प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, बाल कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन और निगमित सेक्टर के प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, चिकित्सा वृत्तिकों तथा राज्य सरकार के संबद्ध विभाग के प्रतिनिधि होंगे ।

(3) इस अधिनियम की धारा 35 के अधीन गठित जिला या नगर स्तरीय निरीक्षण समिति भी जिला या नगर सलाहकार बोर्डों के रूप में कार्य करेंगी ।

[1][**62क. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायरी बाल संरक्षण एकक का गठन/स्थापना** – प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को, जिसके अंतर्गत गृहों की स्थापना और उनका अनुरक्षण, इन बालकों के संबंध में समक्ष प्राधिकारियों की अधिसूचना और उनका पुनर्वास तथा संबद्ध विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों से समन्वय करना भी है, सुनिश्चित करने की दृष्टि से देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों और विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए राज्य के लिए बालक संरक्षण एकक और प्रत्येक जिले के लिए ऐसे एककों का गठन करेगी, जिसमें ऐसी अधिकारी और अन्य कर्मचारी होंगे, जो उस राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं ।]

63. विशेष किशोर पुलिस एकक – (1) ऐसे पुलिस अधिकारियों को जो इस अधिनियम के अधीन बहुधा या आत्यन्तिक रूप से किशोर या प्राथमिक रूप से किशोर अपराध के निवारण या किशोरों या बालकों से निपटने में लगे हुए हैं, अपने कृत्यों को अधिक प्रभावकारी रूप से करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से उन्हें विशेषतया अनुदेश और प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

(2) प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम ऐसे एक अधिकारी को जो अभिरुचि और समुचित प्रशिक्षण और स्थितिज्ञान रखता हो 'किशोर या बाल कल्याण अधिकारी' के रूप में पदाभिहित किया जाएगा जो पुलिस के समन्वय से किशोर या बालक को संभालेगा ।

(3) विशेष किशोर पुलिस एकक जिसके किशोर या बालकों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए ऊपर उल्लिखित सभी पदाभिहित पुलिस अधिकारी सदस्य होंगे, प्रत्येक जिले या नगर में किशोर और बालकों के साथ पुलिस व्यवहार को समन्वित करने और उत्कृष्ट करने के लिए सृजित किए जा सकेंगे ।

64. इस अधिनियम के प्रारंभ के समय दंडादेश भोग रहा विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर – किसी भी क्षेत्र में जहां यह अधिनियम

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 24 द्वारा अंत:स्थापित ।

प्रवृत्त किया जाता है, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय [1][यह निदेश देगा] कि कोई विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर कारावास का दंडादेश भोग रहा है, ऐसा दंडादेश भोगने की बजाय उस दंडादेश की अवशिष्ट कालावधि के लिए विशेष गृह को भेज दिया जाएगा या ऐसी संस्था में ऐसी रीति से रखा जाएगा जिसे राज्य सरकार या स्थानीय निकाय उचित समझे और इस अधिनियम के उपबंध किशोर को ऐसे लागू होंगे मानो उसे बोर्ड द्वारा, यथास्थिति, ऐसे विशेष गृह या संस्था को भेजने का आदेश दिया गया हो या इस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन संरक्षित देखरेख में रखने का आदेश दिया हो :

[2][परंतु, यथास्थिति, राज्य सरकार या बोर्ड किसी ऐसे पर्याप्त और विशेष कारण से जो लेखबद्ध किया जाए, ऐसे कारावास का दंडादेश भोग रहे विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे किशोर के मामले का जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उससे पूर्व किशोर नहीं रहा है पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे किशोर के हित में समुचित आदेश पारित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण – ऐसे सभी मामलों में जिनमें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर किसी भी प्रक्रम पर कारावास का कोई दंडादेश भोग रहा है, किशोरावस्था के विवाद्यक सहित उसका मामला इस अधिनियम में अधिनियम की धारा 2 के खंड (ठ) में अंतर्विष्ट और अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के निबंधनानुसार इस तथ्य के होते हुए भी कि वह ऐसी तारीख को या उससे पूर्व किशोर नहीं रहा है विनिश्चित किया गया माना जाएगा और तदनुसार वह दंडादेश की शेष अवधि के लिए, यथास्थिति, विशेष गृह या उपयुक्त संस्था में भेजा जाएगा किन्तु ऐसा दंडादेश किसी भी दशा में इस अधिनियम की धारा 15 में उपबंधित अधिकतम अवधि से अधिक का नहीं होगा ।]

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 25 द्वारा अंत:स्थापित ।

65. बंधपत्रों के बारे में प्रक्रिया – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 33 के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन लिए गए बंधपत्रों को यावत्शक्य लागू होंगे ।

66. शक्तियों का प्रत्यायोजन – राज्य सरकार, साधारण आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति उन परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो आदेश में विहित की जाएं, उस सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

67. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण – इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में कोई वाद या विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या गृह चलाने वाले किसी स्वैच्छिक संगठन या इस अधिनियम के अनुसरण में नियुक्त किसी अधिकारी या कर्मचारिवृन्द के विरुद्ध नहीं की जाएगी ।

68. नियम बनाने की शक्ति – (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी :

[1][परंतु केन्द्रीय सरकार, उन सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में जिनकी बाबत राज्य सरकार, इस धारा के अधीन नियम बना सकेगी, आदर्श नियम बना सकेगी और जहां ऐसे किसी विषय के संबंध में ऐसे आदर्श नियम बनाए गए हैं, वहां वे राज्य सरकार को लागू होंगे जब तक कि उस विषय के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम नहीं बना दिए जाते और कोई ऐसे नियम बनाए जाते समय जहां तक व्यवहार्य हो वे ऐसे आदर्श नियम के अनुरूप होंगे ।]

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।

(i) बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और वह रीति जिसमें ऐसा सदस्य धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन पद त्याग सकेगा ;

(ii) बोर्ड के अधिवेशनों का समय और धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन इसके अधिवेशन में कारबार के संव्यवहार की बाबत प्रक्रिया के नियम ;

(iii) संप्रेक्षण गृहों का प्रबंध, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के मानक और विभिन्न किस्में भी आती हैं तथा वे परिस्थितियां जिनमें और वह रीति जिसमें संप्रेक्षणगृह का प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जा सकेगा या वापस लिया जा सकेगा और ऐसे अन्य विषय जो धारा 8 में निर्दिष्ट हैं ;

(iv) विशेष गृहों का प्रबंध, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के मानक और विभिन्न किस्में भी आती हैं तथा वे परिस्थितियां जिनमें और वह रीति जिसमें विशेषगृह का प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जा सकेगा या वापस लिया जा सकेगा और ऐसे अन्य विषय़ जो धारा 9 में निर्दिष्ट हैं ;

(v) वे व्यक्ति जिनके द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाला कोई किशोर बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकेगा और ऐसे किशोर को धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन किसी संप्रेक्षणगृह में भेजने की रीति ;

(vi) धारा 19 के अधीन किशोर की दोषसिद्धि से लगी हुई उसकी निरर्हता को हटाने से संबंधित विषय ;

(vii) अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं तथा पदावधि जिसके लिए उन्हें धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा ;

(viii) समिति के अधिवेशनों का समय और धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन इसके अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार की बाबत प्रक्रिया के नियम ;

(ix) पुलिस को और समिति को रिपोर्ट करने की रीति तथा बालक को, धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन जांच के लंबित रहते बालगृहों को भेजने और सौंपने की रीति ;

(x) बालगृहों का प्रबंध जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानक और उनकी प्रकृति और वह रीति जिसमें बालगृह का प्रमाणपत्र, या किसी स्वैच्छिक संगठन को मान्यता, धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त की जा सकेगी या वापस ली जा सकेगी [1][और उपधारा (3) के अधीन संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण की रीति] ;

(xi) बालगृहों के लिए निरीक्षण समितियों की नियुक्ति, उनकी अवधि और वे प्रयोजन जिनके लिए निरीक्षण समितियां नियुक्त की जा सकेंगी तथा ऐसे अन्य विषय जो धारा 35 में निर्दिष्ट हैं ;

(xii) धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन आश्रय गृहों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं ;

[1][(xiiक) धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन दत्तक ग्रहण में पुनर्वास तंत्र का प्रत्यावर्तित किया जाना ; उपधारा (3) के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों की अधिसूचना और उपधारा (4) के अधीन विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों को मान्यता की रीति ;]

(xiii) धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन बालकों के पोषण देखरेख कार्यक्रम की स्कीम को कार्यान्वित करना ;

(xiv) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन बालकों के प्रयोजन की विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करना ;

(xv) धारा 44 के अधीन पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन से संबंधित विषय ;

(xvi) धारा 45 के अधीन बालक के पुनर्वास और समाज में

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।

पुनः मिलाने के लिए विभिन्न अभिकरणों के बीच प्रभावी संबंध सुनिश्चित करना ;

(xvii) वे प्रयोजन और रीति जिनमें निधि को, धारा 61 की उपधारा (3) के अधीन प्रशासित किया जाएगा ;

(xviii) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या किया जाए ।

[1][(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

[2][(4)] राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

69. निरसन और व्यावृत्ति – (1) किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 26 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 26 द्वारा पुनःसंख्यांकित ।

70. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) तथापि, इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

———

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	145
2.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–
3.	भारत का सांविधानिक इतिहास – (103वां संविधान संशोधन तक) – श्री चन्द्रशेखर मिश्र	340	325	–
4.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व – डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी	906	750	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2024	कीमत रु. 2,500
2. भारत का संविधान (पाकेट एडीशन)	2024	कीमत रु. 325

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in